भूमिका

हिन्दुओंकी जायदादका उत्तराधिकार अर्थात वरासतका पूरा कानून हिन्दीमें हम हिन्दी प्रेमी पाठकोंकी सेवामें उपस्थित कर रहे हैं। यह बात अवश्य ध्यानमे रहे कि उत्तराधिकारका यह क़ानून केवल उसी जायदादसे सम्बन्ध रखता है जिस जायदादका मृत पुरुष पूर्ण अधिकारों सहित अकेला मालिक हो। यानी जिस जायदादको जो व्यक्ति अकेले विना दूसरेकी मंजूरी लिये इन्तकाल कर सकता है उस व्यक्तिके मरनेपर उसकी छोड़ी हुई जायदाद इस उत्तराधिकारके कानूनके नियमोंके अनुसार उसके दूसरे वारिसको मिलेगी शामिलशरीक हिन्दू परिवारकी जायदादकी वरासत इस क़ानूनके अनुसार नहीं होगी क्योंकि मुश्तरका हिन्दू खानदानमें कोई आदमी अकेला पूर्ण अधिकारों सहित मालिक नहींहोता। उत्तराधिकारके समझनेमें सतर्क विचार करना चाहिये। सपिण्ड, समानोदक, सकुल्य और बन्धुओंका विषय बहुत महत्व पूर्ण है तथा जटिल भी है। जटिल इसलिये है कि स्कूलोंके मतभेद से उनके सिद्धान्तोंमें फरक़ है।

स्कूलोंके साथ सरवाइवर शिप्का नियम पहले विचारलें। जिन वारिसों में स्कूलके अनुसार सरवाइवरशिप् लागू किया गया है उसे ध्यानमें रखें स्कूल शब्दका अर्थ मदरसा या मकतब नहीं है। स्कूलका अर्थ है 'कानूनकी शाखा' स्कूलोंका वर्णन हिन्दीमे छपे हिन्दूलॉके प्रथम प्रकरणमें सर्वाङ्गपूर्ण किया गया है। यदि हम स्कूल तथा उन सब बातोंका वर्णन इस किताबमें करते तो हिन्दू लॉ और इस किताबमें कोई फरक़ न रह जाता। हिन्दू लॉ से यह भाग निकाल कर अलहदा इस लिये छापा गया है कि जो सज्जन हिन्दूलॉ की कीमत ज्यादा होनेके कारण उसे नहीं खरीद सकते उनको उत्तराधिकार विषयक जानकारी प्राप्त करनेमे सुविधा हो। यही सबब है कि इस किताबमें आप कहीं कहीं पर हिन्दू-लॉकी दफाओंका हवाला पायेंगे। जहा पर केवल दफाका हवाला मिले और वह दफा किताबमें न मिले तो आप हिन्दू लॉकी दफाका हवाला समझे। उत्तराधिकारके सम्बन्धमे दो नये क़ानून एक्ट नं० २ सन् १९२९ ई० और एक्ट नं० १२ सन् १९२८ ई० पास हो गये हैं जिनका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ा है पहले एक्टके प्रभावसे,लड़केकी लड़की, लड़कीकी लड़की,बहन और बहनका लड़का,मिताक्षरालॉके अन्तर्गत दादाके पश्चात और चाचासे पहले क्रमानुसार जायदादके उत्तराधिकारी अनिवार्यरूपसे मान लिये

गये हैं। अर्थात् इसे यों समझिये कि जब जायदाद किसी स्त्रीके पास उत्तरा- धिकारके द्वारा सीमाबद्ध हो और उस स्त्री वारिसके मरनेके समय जब कि वरासत पानेका वारिस निश्चित किया जाय उस समय ऊपरके चार वारिसों मेंसे किसीका हक़ नियमानुसार पहुंचता होगा तो उसे जायदाद मिल जावेगी। अभी इस कानूनसे लोग परिचित नहीं है। दूसरे एक्टने अयोग्य वारिसोंके विवाद ग्रस्त विषयको स्पष्ट कर दिया है। हिन्दू धर्म शास्त्रानुसार उत्तराधि- कारका कानून प्रचलित है। किन्तु कुछ अङ्गरेज़ी क़ानूनोंने उस पर प्रभाव अवश्य डाला है पर वह प्रभाव बहुत अंशोंमें आचार्योंके वचनोंका अर्थ करने के मतभेदसे पैदा हुआ है। संस्कृत विद्वानोंने धर्म शास्त्रका विचार प्रायः छोड़ सा दिया है और वे पूजन पाठ एवं कथा वार्ताकी तरफ बह गये। वास्तवमें संस्कृत ग्रन्थोंमें उत्तराधिकारका अटूट मसाला भरा पड़ा है। मुझे तो ऐसे विषय संस्कृतमें मिले हैं कि जो अभी नये कानूनके बननेका आधार माने जा सकते है।

उत्तराधिकारका विषय आवश्यक और लाभकारी है प्रत्येक हिन्दूको हिन्दू धर्म शास्त्रीय अधिकारोंको जानना चाहिये हिन्दीके द्वारा हमारे भाइयों को यह क़ानून जाननेमें बहुत सहायता मिलेगी और हमे आशा है कि उन्हें लाभ पहुंचेगा।

विनीति

चन्द्रशेखर शुक्ल

रिक्थाधिकार-उत्तराधिकार की

दफावार सविवरण सूची

(३) सपिण्डोंमें वरासत मिलनेका क्रम

(४) समानोदकोंमें वरासत मिलनेका क्रम

(५) बन्धुओंमें वरासत मिलनेका क्रम

(६) क़ानूनी वारिस न होनेपर उत्तराधिकार

(७) औरतोंकी वरासत

(८) उत्तराधिकारसे वंचित वारिस

हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधक)
एक्ट नं० २ सन १९२९ ई०

दि हिन्दू इनहेरिटेन्स (रिमूवल आव् डिस् एबिलिटी)
एक्ट नं० १२ सन १९२८ ई०

इति

संकेताक्षरोंकी विवरण सूची

सं०	संकेताक्षर	
१	A या All	इन्डियन लॉ रिपोर्टस् इलाहाबाद सीरीज
२	A या Agra.	आगरा हाईकोर्ट रिपोर्टस् (पहले हाईकोर्ट था किन्तु अब नहीं है)
३	A L J	इलाहाबाद लॉ जरनल
४	All I R (Pri)	आल इन्डिया रिपोर्टर नागपुर(प्रिवी कौन्सिल सीरीज़)
५	All I R (Cal).	आल इन्डिया रिपोर्टर नागपुर (कलकत्ता सीरीज़)
६	All I R (Bom)	आल इन्डिया रिपोर्टर नागपुर (बम्बई सीरीज)
७	All I R (Pat)	आल इन्डिया रिपोर्टर नागपुर (पटना सीरीज)
८	All.I R (Lah)	आल इन्डिया रिपोर्टर नागपुर (लाहौर सीरीज)
९	All I R (Rang)	आल इन्डिया रिपोर्टर नागपुर (रंगून सीरीज)
१०	All I R (Nag)	आल इन्डिया रिपोर्टर नागपुर (नागपुर सीरीज़)
११	All I R (Mad)	आल इन्डिया रिपोर्टर नागपुर (मद्रास सीरीज़)
१२	All I R (Sind)	आल इन्डिया रिपोर्टर नागपुर (सिन्ध सीरीज)
१३	All I R (Oudh)	आल इन्डिया रिपोर्टर नागपुर (अवध सीरीज)
१४	A W N.	इलाहाबाद वीकली नोटस्
१५	B या Bom.	इन्डियन् लॉ रिपोर्टस् बम्बई सीरीज़
१६	Banerjee's.	बनर्जी लॉ आव् मैरेज एन्ड स्त्रीधन
१७	B L R.	बङ्गाल लॉ रिपोर्टस्
१८	B L R. F B.	बङ्गाल रिपोर्टस् फुलबैंच कलकत्ता
१९	B H C. A C J	बम्बई हाईकोर्ट अपील सिविल जुरिस्डिक्शन्
२०	B.H C O C.J.	बम्बई हाईकोर्ट ओरीजिनल् सिविल् जुरिस्डिक्शन्
२१	Bom I L R.	बम्बई इन्डियन् लॉ रिपोर्टर
२२	Bom L R	बम्बई लॉ रिपोर्टर
२३	C या Cal	इन्डियनलॉ रिपोर्टस् कलकत्ता सीरीज़
२४	C L R.	कलकत्ता लॉ रिपोर्टस्
२५	C L J	कलकत्ता लॉ जरनल
२६	C W N.	कलकत्ता वीकली नोटस्
२७	C P L R	सेन्ट्रल प्राविन्सेस् लॉ रिपोर्टस्
२८	Cole या Cole Pref	कोलब्रूक डाइजेस्ट या प्रेफेस् द यभाग
२९	F B	फुल् बैंच
३०	F Mac या Macn	सर एफ मेक्नाटन्स् कन्सीडरेशन् आन हिन्दूलॉ

नं०	संकेताक्षर	
३१	Fulton या Fult.	फुल्टन्स् रिपोर्टस् सुप्रीमकोर्टस् कलकत्ता
३२	H. L. J.	हिन्दी-लॉ-जरनल, कानपुर
३३	A. I.	इन्डियन् अपील लॉ रिपोर्टस्
३४	Ibid. या ibid.	जिसका अभी हवाला दिया गया है
३५	Ind Cas या I C.	इन्डियन केसेज़
३६	Ind Jur.	इन्डियन् जुरिस्ट
३७	L. R.	इङ्गलिश लॉ रिपोर्टस्
३८	L. B R.	लोवर बरमा रूलिंग्स्
३९	M. या Mad.	इन्डियन्लॉ रिपोर्टस् मद्रास सीरीज़
४०	Mad Dec	मद्रास डिसीशन्
४१	M.H C या Mad H. C	मद्रास हाईकोर्ट रिपोर्टस्
४२	M L J या Mad L J.	मद्रास लॉ जनरल रिपोर्टस्
४३	M L. T.	मद्रास लॉ टाइम्स्
४४	M. I. A.	मद्रास इन्डियन् अपील
४५	M. W. N.	मद्रास वीकली नोटस
४६	M. C. C R.	मैसूर सिविल् कोर्टस् रिपोर्टस्
४७	M Dig या Morley Dig	मोर्लेज़ डाइजेस्ट कलकत्ता
४८	N. L. R.	नागपूर लॉ रिपोर्टस्
४९	O C.	अवध केसेज़
५०	P C	प्रिवीकौन्सिल
५१	P. R.	पंजाब रिकर्ड
५२	P L R.	पंजाबलॉ रिपोर्टस्
५३	P W R	पंजाबवीकली रिपोर्टस्
५४	Regu या Regul	रेगूलेशन्
५५	S C	सेम केस (उसी प्रकारका दूसरा मुक़द्दमा)
५६	S D.	बंगाल सदर कोर्टस् डिसीशन्
५७	Suth	सदरलेन्डस् वीकली रिपोर्टस् कलकत्ता
५८	S. L R	सिंध लॉ रिपोर्टस्
५९	U. B R.	अपर बरमा रूलिंगस्
६०	W. R.	सदरलेन्ड वीकली रिपोर्टस्
६१	W. Macn.	डब्ल्यू मेक्नाटन्स हिन्दूलॉ
६२	W. R. C. R.	सदरलेन्ड वीकली रिपोर्टस् सिविल रूलिंगस्
६३	W. R F. B.	सदरलेन्ड वीकली रिपोर्टस् फुल बेच
६४	W. R. P. C.	सदरलेन्ड वीकलीवीकौन्सिल रूलिंगस्

॥ इति ॥

रिक्थाधिकार प्रकरण

अर्थात्

उत्तराधिकार

अब हम सर्व साधारण के समझने के लिये एक जरूरी विषय 'रिक्थाधिकार' को लिखते हैं। रिक्थाधिकारको आजकल लोग उत्तराधिकार अकसर कहते हैं यद्यपि उत्तराधिकार शब्द मिताक्षरालॉमें अशुद्ध है किन्तु प्रचलित होनेके कारण हमने उत्तराधिकार ही शब्दका प्रयोग किया है। उत्तराधिकारका अर्थ है 'वरासत' वरासत हिन्दुओं के बटे हुए खानदानमें होती है। प्राचीन हिन्दू धर्म शास्त्रोंके देखनेसे मालूम होता है कि पहिले हिन्दुओंका खानदान शामिल शरीक रहा करता था। जो खानदान बटा न हो उसे मुश्तरका खानदान अथवा शामिल शरीक परिवार कहतेहैं (देखो हिन्दूलॉका प्रकरण छठवां) यही हालत खानपान और धार्मिक कामोंमें थी। खानपान मुश्तरका और धार्मिक कृत्यें भी मुश्तरकन् होती थीं। अग्निहोत्र, श्राद्ध आदिमें भी इस बातका प्रमाण मिलताहै। सब से पहिले हिन्दू परिवार शामिल शरीक रहता था। पीछे से बटवाराकी चाल पैदा हुई और जबसे बटवारेका रवाज चला तभीसे वरासत यानी उत्तराधिकार की पैदाइश हुई, क्योंकि वरासत हमेशा बटे हुए परिवारमें होती है, शामिल शरीक खानदानमें नहीं होती यह बात खूब ध्यान में रहे कि इस प्रकरणमें जहां जहां वरासतका क्रम बताया गया है यद्यपि उसमें नये क़ानूनके अनुसार संशोधन बड़े विचार से कर दिया गया है तो भी आप एक्ट नं० २ सन १९२९ ई० हिन्दू उत्तराधिकार संशोधक ऐक्टके नियमोंको बहार भूल न जाय। अर्थात उपरोक्त क़ानून का यह नियम कि, मृत पुरुषकी जायदाद, दादा के पश्चात और चाचा से पहले लड़केकी लड़की, लड़की की लड़की, बहन तथा बहनके लड़केको क्रमानुसार पहुचती है। इसके बाद वही क्रमहै जो पहले था।

उत्तराधिकारके विषयके शुरू करनेसे पहिले यह बात जरूरी मालूम पड़ती है कि जो पारिभाषिक शब्द प्राय इस विषयमें आवें संक्षिप्तमें उनकी सूची प्रथम दी जाय नीचे कुछ ऐसे शब्दोंकी सूची दी है। यह प्रकरण निम्न लिखित ८ भागोंमें विभक्त है—

(१) साधारण नियम (२) मिताक्षरालॉके अनुसार मर्दोंका उत्तराधिकार (३) सपिण्डोंमें वरासत मिलनेका क्रम (४) समानोदकोंमें वरासत मिलनेका क्रम (५) बन्धुओंमें वरासत मिलनेका क्रम ६) क़ानूनी वारिस न होनेपर उत्तराधिकार (७) औरतोंकी वरासत (९) उत्तराधिकारसे वंचित वारिस।

(१) साधारण नियम

दफा १ पारिभाषिक शब्दोंकी सूची

(१) सरवाइवरशिप- (Survivorship) यह शब्द 'सरवाइव' से बना है। 'सरवाइव' का अर्थ है पश्चात् जीवन, अति जीवन, और अवशिष्ट। यह शब्द जब वरासतमें शामिल हो जाता है तो उसे 'सरवाइवरशिप' कहते हैं उस वक्त इसका अर्थ होता है 'शेषाधिकार, जीवित रहनेवाले वारिसका हक़' इसे यों समझिये कि, जब एकसे ज्यादा आदमी या औरतें किसी जायदादमें 'सरवाइवरशिपके' हकके साथ हिस्सा रखती हों तो उनमें से एकके मरनेपर उसकी जायदादका वह हिस्सा जिसमें सरवाइवरशिपका हक़ शामिल था उसके वारिसको नहीं मिलेगा बल्कि दूसरे जीवित हिस्सेदारोंको बराबर मिलेगा। एवं जब एकके सिवाय सब हिस्सेदार मर जायेंगे तो वह एकही हिस्सेदार सब जायदादका अकेला मालिक होगा।

उदाहरण—राम, कृष्ण, और शिव तीनो सगे भाई हैं तथा तीनोकी स्त्रियां हैं। तीनोको एक जायदाद मिली जिसमें सरवाइवरशिपका हक शामिल था। राम मर गया तो अब रामकी जायदादमेंका वह हिस्सा जिसमें सरवाइवरशिपका हक़ शामिल था उसकी विधवाको नहीं मिलेगा बल्कि कृष्ण, और शिवको बराबर मिल जायगा। पीछे कृष्ण मरा तो इसी तरह उसकी विधवा को जायदाद नहीं मिली बल्कि उसकी जायदादका मालिक शिव अकेला हुआ। अब शिव अवशिष्ट रहनेकी वजेहसे यानी पश्चात् जीवनके सबबसे कुल जायदादका अकेला वारिस होगया। ऐसे हकको 'सरवाइवरशिप' कहते हैं। दफा ५६१ भी देखो।

(२) रिवर्ज़नर-वारिस—'रिवर्ज़नर-वारिस' (Reversioner) का अर्थ है 'प्रत्यावृत्याधिकारी, परावर्तनाधिकारी, और पुनरागमनाधिकारी। इस शब्दका उपयोग ऐसी जगहपर किया जाता है जैसे—जब किसी आदमीने अपनी जायदाद, या उसका कोई हिस्सा किसी दूसरे आदमीके नाम निश्चित समय तकके लिये अपने क़ब्ज़ेसे निकालकर उसके कब्ज़ेमे दे दिया हो, तो उस समयके गुज़र जानेपर वह जायदाद मालिकके पास आती है। इसी तरह पर जब कोई जायदाद विधवाको उसकी जिन्दगी भरके लिये वरासतमें मिली हो तो वह जायदाद विधवाके मर जानेपर मालिक असली यानी उसके पति को पहिले पहुंचती है और फिर पतिके वारिसको जाती है। वह वारिस जो पतिके सम्बन्धसे पैदा होता है 'रिवर्ज़नर' वारिस कहलाता है इसी तरहपर दूसरी सब बातें समझिये 'भावी वारिस' 'भविष्यमें होनेवाला वारिस' जो

वारिस उसके मरनेके पश्चात् होनेवाला हो जिसके क़ब्ज़ेमें सम्पत्ति है 'रिव-र्ज़नर' वारिस कहलाताहै।

(३) टेनेन्ट इन् कामन्-(Tenant in Common) क़ाबिज़ शरीक, असामियान मुश्तर्क, जब एक या एकसे ज्यादा लोग किसी हक़में शामिल हों और उस हकमे सरवाइवरशिपका क़ायदा लागू न होता हो तो ऐसे हकमे जो लोग शरीक हैं वे टेनेन्ट इन् कामन् कहलाते हैं।

(४) ज्वाइन्ट टेनेन्ट—(Joint Tenant) क़ाबिज़ मुश्तर्क, अर्थात् जब किसी हकमें कई लोग शरीक हों और वे सब सरवाइवरशिपके कायदेके साथ हक रखते हों तो वे लोग जो इस तरह पर शरीक हैं 'ज्वाइन्ट टेनेन्ट' कहलाते हैं।

(५) पर केपिटा—(Per Capita) यह शब्द लेटिन भाषाका है जिसका अर्थ है 'व्यक्तिगत' इसका व्यवहार अधिकतर बटवारेमें किया जाता है वहां पर इसका अर्थ होता है 'शिर पीछे बटवारा' या 'आदमी पीछे बटवारा', या व्यक्तिगत, ऐसा बटवारा उस सूरतमें होता है जबकि अनेक लोग एकही रिश्ते और हक़से किसी जायदादमें हिस्सा रखते हों, जैसे 'क' अपने तीन पुत्रोंको छोड़कर मरा तो यह तीनो पुत्र बापकी जायदादमें बराबरके हिस्सेदार होंगे क्योंकि वे एकही रिश्ते और हक़से जायदादमें हिस्सा रखते हैं ऐसे बटवारे को 'परकेपिटा' यानी व्यक्तिगत कहते हैं।

(६) पर स्टिर्पेस—(Per stirpes) यह शब्द लेटिन भाषाका है। इसका अर्थ बटवारेमें होता है 'लाट पीछे बटवारा' जैसे 'क' के दो पुत्र हैं 'ख' और 'ग'। तथा 'ख' के भी दो पुत्र हैं। 'ख' पहले मरा और उसने अपने दोनों पुत्र छोड़े, 'क' मरा। अब 'क' की जायदाद पहले (परकेपिटाके अनुसार) दो हिस्सोंमें बटेगी उसमेंसे एक हिस्सा 'ग' को मिलेगा, और दूसरे एक हिस्सेमे परस्टिर्पेसके अनुसार 'ख' के दोनों पुत्र बराबर बराबर हिस्सा पावेंगे क्योंकि इन दोनों पुत्रोंका 'लाट पीछे बटवारा' होगा। 'ख' के दोनों पुत्र अपने बापके 'लाट' के अनुसार बराबर हिस्सा पावेंगे।

(७) लेटर्स आव् एडमिनिस्ट्रेशन्—(Letters of Administration) इसका अर्थ है— चिट्ठियात अहतमाम' यानी जायदादके वारिसको उस जायदादपर अधिकार करनेकी जो आज्ञा (सनद) अदालतसे मिलती है उसे 'लेटर्स आव् एडमिनिस्ट्रेशन' कहते हैं।

(८) कुछ रिश्तेदारों अर्थात् सम्बन्धियोंकी संज्ञाः—

१ पुत्र	लड़का	
२ पौत्र	पोता	लड़केका लड़का
३ प्रपौत्र	परपोता	लड़केके लड़केका लड़का

४ पितृ	पिता—बाप	
५ पितामह	दादा	बापका बाप
६ प्रपितामह	परदादा	बापके बापका बाप
७ मातृ	मा=माता	
८ पितामही	दादी	बापकी मा=पितामहकी स्त्री
९ प्रपितामही	परदादी	बापके बापकी मा=प्रपितामहकी स्त्री
१० मातामह	नाना	मा का बाप
११ प्रमातामह	परनाना	माके बापका बाप=नानाका बाप
१२ वृद्ध प्रमातामह	नगड़ नाना	माके बापके बापका बाप=परनानाका बाप
१३ मातामही	नानी	माकी माता=नानाकी स्त्री
१४ प्रमातामही	परनानी	माके बापकी मा=परनानाकी स्त्री
१५ वृद्ध प्रमातामही	नगड़नानी	माके बापके बापकी मा=नगड़नानाकी स्त्री
१६ पुत्री=दुहितृ	लड़की—बेटी	
१७ दौहित्र	दोहिता—नाती	लड़कीका लड़का
१८ मातुल	मामा	माका भाई—नानाका लड़का
१९ भ्राता	भाई	
२० भ्रातृ पुत्र	भतीजा	भाईका लड़का
२१ भगिनी	बहन	
२२ भागिनेय	भानजा	बहनका लड़का
२३ मातृष्वसृसुत	मौसीका लड़का	माकी बहनका लड़का
२४ पितृष्वसा	बुआ	बापकी बहन
२५ पितृष्वसृसुत	बुवाका लड़का	बापकी बहनका लड़का
२६ सहोदर	सगा	जो एकही गर्भसे पैदा हुए हों
२७ भिन्नोदर	सौतेला	जो एक गर्भसे नहीं पैदा हुए
२८ पितृभ्रातृ-सुत	चाचाका लड़का	बापके भाईका लड़का
२९ पितृव्य	चाचा,काका,ताऊ	बापका भाई

दफा २ उत्तराधिकार कैसी जायदादमें होता है ?

यह बहुत ज़रूरी बात है इसको हमेशा ध्यानमें रखकर उत्तराधिकार यानी वरासतके सवालपर विचार करना चाहिये। अगर इस बातको भूलकर विचार कीजियेगा *तो भारी ग़लती हो जायेगी।* जब कभी उत्तराधिकारकी बात आप विचार करें तो सबसे पहले यह सोच लेना कि—सबसे आख़िरी मर्द मालिकके क़ब्ज़ेमें जो जायदाद बिल्कुल अलहदा हो उसी जायदादके सम्बन्धमें उत्तराधिकारका क़ानून लागू होगा, मुश्तरका जायदादमें नहीं, अर्थात् बटे हुये हिन्दू ख़ान्दानमें जब जायदाद किसी आख़िरी मर्द मालिकके पास

रहती है और उस जायदादसे किसी दूसरेका हिस्सा मुश्तरक नहीं रहता तो उस आखिरी मर्द मालिकके मरनेके बाद उसकी जायदाद जिस आदमी या औरतको पहुंचती है वह मरे हुये मालिकका उत्तराधिकारी होता है। यानी सबसे आखिरी मालिकके पास जो जायदाद उसके क़ब्ज़ेमें सबसे अलहदा रही हो सिर्फ उसीपर वरासतका कानून लागू पड़ेगा।

दफा ३ वरासत दो तरहसे निश्चितकी जाती है

इस किताबके प्रथम प्रकरणमें स्कूलोंका विषय बयान किया गया है। उसमे दो बड़े स्कूल हैं। एक मिताक्षरा स्कूल और दूसरा दायभाग स्कूल। दायभाग स्कूल सिर्फ बङ्गालमें माना जाता है और बाक़ी सब जगहोंमें मिताक्षरा स्कूलका प्रभुत्व है। इन्हीं स्कूलोंके अनुसार समस्त हिन्दुस्थानमें दो तरहकी वरासतका होना निश्चित किया गया है—एक मिताक्षरा स्कूलके अनुसार और दूसरा दायभाग स्कूलके अनुसार। इन दोनों क़ायदोंमे फरक़ यह है कि मिताक्षरा स्कूल खूनके रिश्तेसे वरासत क़ायम करना है और दायभाग स्कूल धार्मिक कृत्योंके, यानी मज़हबी रसूमातके सम्बन्धसे इस तरहपर दोनों स्कूलोंके सिद्धान्त आपसमें विरुद्ध हैं। इसी सबबसे वरासत दो तरहसे निश्चित की जाती है।

स्वयं उपार्जित जायदादके लिये पूर्ण रुधिर और अर्द्ध रुधिरका सिद्धान्त माना जायगा—आत्माराम बनाम पोढू A. I. R. 1926 Nag 154

तरीका वरासत अगर क़ानूनके खिलाफ हो तो कानूनके खिलाफ वरासतका तरीका नहीं माना जा सकता—हरबक्ससिंह बनाम डालबहादुर 47 All 186, 88 I C. 255, A. I R. 1925 All. 155.

मिताक्षरा स्कूलके अनुसार वरासत पानेका हक़दार, परिवारकी रिश्तेदारीसे निश्चित किया जायगा, देखो—लल्लूभाई बनाम काशीबाई 5 Bom. 110, 121, 7 I. A 212, 234.

दायभाग स्कूलके अनुसार वरासत पानेका हकदार, वह माना गया है जो मरे हुये आदमीको धार्मिक कृत्य द्वारा लाभ पहुंचानेका ज्यादा अधिकारी हो, देखो—जितेन्द्रमोहन बनाम गजेन्द्रमोहन 9 B. L R 377, 394.

दफा ४ मिताक्षरालॉके अनुसार जायदाद कैसे पहुंचती है

मिताक्षरालॉ के अनुसार जब किसीको जायदाद मिलती है तो वह दो सूरतोंमे से कोई एक होती है। मिताक्षरालॉ मे जायदाद दो सूरतोंसे पहुंचना माना गया है—एक तो 'सक्सेशन' और दूसरा 'सरवाइवरशिप'। 'सक्सेशन' का अर्थ है सिलसिला, जानशीनी, अनुक्रम, परंपरा, आनुपूर्व, उत्तराधिकारिता, दायभाग। और 'सरवाइवरशिप' का अर्थ है कि—हिन्दू परिवार,

में मुश्तरका जायदादके हिस्सेदारके मरनेके बाद जो हिस्सेदार जीवित रहता जाय उन्हींमें जायदाद चली जायगी देखो दफा ५५८। इन्हीं दोनों सूरतोंसे मिताक्षरालॉमें जायदाद वरासतन् पहुंचना माना गया है। 'सरवाइवरशिप' का तरीक़ा मुश्तरका परिवारकी जायदादके लिये लागू होता है जिसपरकि आखिरी मालिक बिल्कुल अलहदा क़ब्ज़ा रखता हो।

उदाहरण—जय और विजय दोनों भाई हैं और शामिल शरीक परिवारके मेम्बर हैं तथा मिताक्षरालॉ के प्रभुत्वमें रहते हैं। जय, मरा और उसने भाई विजय, को और अपनी विधवा स्त्री तुलसीको छोड़ा। अब जयका हिस्सा बज़रिये हक़ 'सरवाइवरशिप' के विजयको मिलेगा, उसकी विधवा तुलसीको नहीं मिलेगा। मगर तुलसीको सिर्फ रोटी कपड़ा मिलनेका हक़ रहेगा। लेकिन अगर जय और विजय दोनों अलहदा होते तो जयकी जायदाद उसके मरनेपर उसकी विधवा तुलसीको मिलती और तुलसी, बतौर वारिसके जायदादकी मालिकिन होती विजय, नहीं होता। यह माना गया है कि विधवा ऐसी सूरतमें भाईके बनिस्बत नज़दीकी वारिस है।

रक्त सम्बन्ध—मिताक्षरालॉ के अधीन किसी हिन्दूके सम्बन्धमें ऐसे सपिण्ड वारिसोंके मध्य जो कि समान हैसियतके हों, वह वारिस होगा जिसका रक्त सम्बन्ध पूरा होगा बमुकाबिले उसके जिसका रक्त सम्बन्ध आधा होगा। यह पूर्ण रक्त और अर्द्ध रक्तकी गुरुता केवल भाई और भाईके पुत्रों तकही निर्भर नहीं है बल्कि इसका अमल सपिण्ड सम्बन्धियों तक होता है—नारायन बनाम हामजी 21 N. L. R. 163.

दफा ५ दायभागलॉके अनुसार जायदाद कैसे पहुंचती है

दायभागलॉके अनुसार जायदाद सिर्फ एकही तरीकेसे पहुंचती है। वह तरीका 'सक्सेशन्' है, देखो दफा ५६१ दायभाग मुश्तरका परिवारकी जायदादके बारेमें भी 'सरवाइवरशिप दफा ५५८' का तरीका नहीं मानता। तात्पर्य यह है कि मिताक्षरालॉके अन्दर मुश्तरका खान्दानका हर एक मेम्बर मुश्तरका जायदादमें सिर्फ शामिल शरीक हक़ रखता है और दायभागलॉ के अन्दर मुश्तरका खान्दानका हर एक मेम्बर अपने हिस्सेका अलहदा अलहदा मालिक होता है। इसी सबबसे उसके मरनेपर उसका वारिस उसकी मुश्तरका जायदादके हिस्सेका उसी तरह मालिक हो जाता है मानो जायदादके उतने हिस्सेका वह (मरनेवाला) अलहदा मालिक था।

दायभाग—वरासतका मस्ला दायभागके सम्बन्धमें, इस सिद्धान्तपर चलता है कि केवल वही वारिस हो सकते हैं जो कि उस व्यक्तिकी, जिसकी जायदादके वह वारिस हो रहे हैं आत्माको लाभ पहुंचा सकें। बङ्गाल प्रणाली के अनुसार पुत्रीके पुत्रका पुत्र वारिस नहीं हो सकता। उस सूरतमें भी जब

कि मुतवफीका कोई ऐसा वारिस न हो जो उसकी आत्माको लाभ पहुंचा सके, नज़दीकी सम्बन्धीके लिहाज़से भी पुत्रीका प्रपौत्र वारिस नहीं होसकता नेपालदास मुकुरजी बनाम प्रभासचन्द्र 90 I. C 499, 42 C L J 221.

उदाहरण—जय और विजय दोनों भाई हैं और मुश्तरका परिवारके मेम्बर हैं तथा दायभागलॉ के प्रभुत्वमे रहते है। जय मर गया और उसने अपने भाई विजय और अपनी विधवा तुलसीको छोड़ा। ऐसी सूरतमें जयका हिस्सा जो मुश्तरका जायदादमें था वह उसकी विधवाको बतौर वारिसके ठीक उसी तरहपर मिल जायगा मानो वह दोनों अलहदा रहते थे। अर्थात् दायभागलॉ के अनुसार मुश्तरका खानदानके हर एक मेम्बरके मरनेपर उनके वारिस जायदाद पाते हैं जितने हिस्सेका मरनेवाला अपनी ज़िन्दगीमें मालिक था। यह मानागया है कि भाईकी बनिस्बत विधवा नज़दीकी वारिस होती है।

दफा ६ वारिस किस तरह निश्चित करना चाहिये

जब किसी जायदादका वारिस निश्चित करना हो तो पहिले यह मालूम करो कि उस जायदादका आख़िरी पूरे अधिकार रखनेवाला मालिक कौन था। जब यह मालूम हो जाय तो उस आख़िरी पूरे अधिकार रखनेवाले मालिकका वारिस अब जो कोई हो वही जायदाद पानेका हक़दार है। आख़िरी पूरा मालिक वह है (चाहे मर्द हो या औरत) जिसके क़ब्ज़ेमें जायदाद सबसे पीछे सम्पूर्ण अधिकारों सहित और अलहदा रही हो। जैसे—

उदाहरण—मङ्गल, और अतुल दो भाई हैं। इनकी माका नाम है सुभद्रा और मंगलकी स्त्रीका नाम चन्द्रमुखी है। चाचा (बापका भाई) का नाम बलवन्त है। मंगल मरा और उसने अपनी विधवा चन्द्रमुखी भाई अतुल, मा सुभद्रा और चाचा बलवन्तको छोड़ा। मगर मंगल आख़िरी पूरा मालिक उस जायदादका था जो उसके क़ब्ज़ेमें अलहदा थी इस वजहसे उसकी विधवा चन्द्रमुखी बतौर वारिसके पतिकी जायदाद लेगी, लेकिन विधवा उस जायदादकी पूरी मालकिन नहीं है, इसीलिये इस जायदादका वारिस निश्चित करने के लिये विधवासे गिनती नहीं की जायगी। विधवाके मरनेपर जायदादका जो आखिरी पूरा मालिक मंगल था उसके दूसरे वारिसको मिलेगी। यानी उसकी मा सुभद्रा वारिस है उसको मिलेगी। मा भी जायदादकी पूरी मालकिन नहीं होगी इसलिये मा के मरनेपर जायदाद माके वारिसको नहीं मिलेगी। अब वारिस फिर उसी तरहपर तलाश किया जायगा कि जायदादका आखिरी पूरा मालिक कौन था? जायदादका आखिरी पूरा मालिक मंगल था तो अब माके मरनेपर मंगलके दूसरे वारिसको मिलेगी। मंगलका अब वारिस उसका भाई अतुल है। तो अतुलको जायदाद मिली, अतुल मर्द होनेके सबबसे संपूर्ण अधिकारों सहित जायदादको पाता है वह जायदादका पूरा मालिक होगया और इसलिये अतुलके मरनेपर जायदाद अतुलके वारिसको मिलेगी न कि

मगलके वारिसको। क्योंकि अब जायदादका आखिरी पूरा मालिक अतुल था। अगर अतुलके कोई लड़का वगैरा हुआ तो वह उसका वारिस होगा और अगर लड़का न हुआ तो विधवा वारिस होगी, विधवाके मरनेपर वारिस फिर उसी तरहपर तलाश किया जायगा क्योंकि विधवाको महदूद अधिकार जायदादमें था। अब अगर अतुलका वारिस उसका चाचा बलवन्त होगा तो उसे मिल जायगगी, और चाचाके मरनेपर चाचाके वारिसोंको जायदाद मिलेगी क्योंकि चाचा मर्द होनेकी वजहसे सम्पूर्ण अधिकारों सहित जायदाद लेता है।

दफा ७ मर्द जायदादका पूरा मालिक होता है

जिस जायदादका वारिस कोई मर्द होता है तो वह सम्पूर्ण अधिकारों के साथ जायदाद लेता है इसलिये वह जायदादका पूरा मालिक होता है और उसीसे अगला वारिस निश्चित किया जाता है।

जब कोई जायदाद बतौर वारिसके किसी 'औरत' को मिलती है तो वह उस जायदादपर महदूद हक़ रखती है यानी वह उस जायदादकी पूरी मालकिन नहीं मानी जाती (बम्बई और मदरासके सिवाय) और इसीलिये आगेका वारिस निश्चित करनेके लिये उस औरतसे गिनती नहीं की जायगी बल्कि आखिरी पूरे मालिकसे की जायगी। जब कोई औरत ऐसी जायदाद जो उसने बतौर वारिसके किसी मर्दसे पायी हो छोड़कर मर जाय, तो वह जायदाद चाहे उस औरतने किसी मर्दसे या किसी औरतसे पाई हो, उस औरतके वारिसको नहीं मिलेगी बल्कि जिस मर्दसे वह जायदाद चली है उस मर्दके दूसरे वारिसको मिलेगी। मगर औरतका स्त्रीधन औरतके वारिस को मिलेगा।

बम्बई प्रान्तमें कुछ औरतें ऐसी मानी गयी हैं जो जायदादको पूरे अधिकारों सहित लेती हैं इसी सबबसे उनके मरनेपर जायदाद उनके वारिसों को मिलती है। औरतका स्त्रीधन उसके वारिसको ही मिलता है। देखो हिन्दूलॉ का प्रकरण ११ में दफा ६८२, ६८३, ६८६.

दफा ८ बंगाल, बनारस और मिथिला स्कूलमें कितनी औरतें वारिस मानी गयी हैं?

बङ्गाल, बनारस, और मिथिला स्कूलके अनुसार सिर्फ पांच औरतें मर्द की जायदादकी वारिस मानी गई है। मदरास स्कूलमें इससे कुछ ज्यादा औरतें और बम्बई स्कूलमे उससे भी ज्यादा औरतें वारिस मानी गयी है। मदरास और बम्बई स्कूलकी औरतोंका वर्णन देखो (दफा ६४०, ६४१) वह पाच औरतें जिनका ऊपर ज़िकर किया गया है यह हैं—(१) विधवा (२)

लड़की (३) मा (४) बापकी मा (दादी) (५) पितामहकी मा (परदादी) पहिले सिर्फ ५ औरतें वारिस मानी जाती थीं मगर अब नये कानूनके अनुसार बङ्गालको छोड़कर लड़केकी लड़की, लड़कीकी लड़की, और बहन तीन औरते अधिक वारिस मानी गई है अर्थात् अब ८ औरतें वारिस होती हैं। नया क़ानून इस प्रकरणके अंतमे लगा है देखिये।

बङ्गाल स्कूलमें नये कानून की ३ औरते वारिस नहीं मानी गयी, लेकिन अन्य स्कूलोंमें वह वारिस होती हैं।

दफा ९ उत्तराधिकारकी जायदादमें औरतोंका हक़ महदूद है

जब औरतको जायदाद किसी मर्दसे, या किसी औरतसे बतौर वारिस के मिलती है तो उसका अधिकार उस जायदादपर महदूद रहता है। इसीलिये जब कोई हिन्दू बटे हुये परिवारका एक भाई और अपनी विधवाको छोड़ कर मर जाय तो उसकी विधवा बतौर वारिसके उसकी जायदाद पायेगी, भाई नहीं पायेगा। मगर विधवाका अधिकार उस जायदादपर महदूद (मर्य्यादा युक्त, संकुचित) रहेगा। यानी विधवाको सिर्फ जायदादकी आमदनीके ख़र्च करनेका अधिकार है मगर वह जायदादको रेहन कर देने, बेंच देने, या किसी को दान कर देने आदिका अधिकार सिवाय उन सूरतोंके कि जिनका ज़िकर हिन्दूलॉ के अन्दर दफा ६०२ में है, नहीं है। विधवाके मरनेपर वह जायदाद उसके वारिसको नहीं मिलेगी बल्कि उसके पतिके वारिसको मिलेगी यानी भाईको मिलेगी। यह याद रखना कि विधवाको जब कोई जायदाद किसीके वारिस होनेकी वजहसे मिलेगी तो उस जायदादमें उसके पूरे अधिकार नहीं होंगे। इसी तरहपर हिन्दुओंकी हर एक औरत (विधवा लड़की, मा, दादी, परदादी, लड़केकी लड़की, लड़कीकी लड़की और बहन) का अधिकार उस जायदादमें महदूद रहता है जो उसे उत्तराधिकारमें मिलती है।

मर्द, चाहे किसी मर्दका, या किसी औरतका वारिस हो उसे जायदाद मालिकाना तौरसे अर्थात् सम्पूर्ण अधिकारों सहित मिलती है इसीलिये मर्द को जब कोई जायदाद उत्तराधिकारमे मिलेगी तो उस जायदाद पर उसका पूरा अधिकार रहता है। और पूरा अधिकार रहनेकी वजहसे वारिस उस मर्दसे निश्चित किया जाता है।

विधवाको दी हुई जायदाद—जब विधवाको पूर्ण अधिकार दिया गया हो, तो वह उसे विना इस ख़्यालके कि वह स्त्री है प्राप्त होना चाहिये—सन्देहात्मक मौक़े पर परिमित अधिकारही माना जाता है—इन्तक़ालके पूर्ण अधिकारोंके होनेकी सूरतमे कोई बाधा उपस्थित नहीं होती—हितेन्द्रसिंह बनाम सर रामेश्वरसिंह 87 I C 849, 88 I C 141 (2), 4 Pat. 510, 6 P. L. T. 634, A. I. R 1225 Pat 625.

नोट—बम्बई और मद्रास प्रान्तमें कुछ औरतें पूरे अधिकारके साथ जायदाद लेती है देखो हिन्दूलॉ की दफा ६४०-६४१

दफा १० वरासतका हक़ फौरन पहुंच जाता है

एक हिन्दू मर्दके मरनेपर जो आदमी उसका नज़दीकी वारिस होता है उसकी छोड़ी हुई जायदादके पानेका फौरन हक़दार हो जाता है। वारिसाना हक़ उसी वक्तसे मिल जाना शुमार किया जायगा जिस वक्तकि जायदादका मालिक मर गया हो। वारिसाना हक़ किसी सूरतमें भी, उससे ज्यादा नज़दीकी वारिसकी पैदाइशकी उम्मेदमें नहीं ठहर सकता। जहा कि ऐसी पैदाइशका होना मालिक जायदादके मरनेके समय अन्दाज़ नहीं किया जा सकता हो और जब एक दफा किसी हिन्दू आदमीकी जायदाद उसके मरनेपर उसके नज़दीकी वारिसको मिल गयी तो फिर वह उससे नहीं लौट सकती, मगर शर्त यह है कि जब कोई उससे नज़दीकी वारिस जिसका अन्दाज़ मालिक जायदादके मरनेके समय किया जा सकता था पैदा हो जाय, अथवा मरे हुये उस आदमीके लिये अगर कोई लड़का गोद ले लिया जाय तो फिर जायदाद लौटकर इन आखीरमें कहे हुये वारिसोंको मिल जायगी, देखो—नीलकमल बनाम जोतेन्द्रो (1881) 7 Cal. 178, 188. कालिदास बनाम कृष्ण 2Beng L R. F. B 103; नृपसिंह बनाम वीरभद्र (1893) 17 Mad. 287. गोवर्द्धनदास बनाम बाई रामकुंवर (1902) 26 Bom. 449, 467.

उदाहरण—ललित, अपना एक जन्मका अन्धा बेटा, और एक भतीजा छोड़ कर मरगया। लड़का अन्धा होनेकी वजहसे हिन्दूलॉके अनुसार उत्तराधिकार को प्राप्त नहीं होता। इसलिये ललितकी सब जायदाद उसके भतीजेको मिली। अन्धे बेटेने ब्याह किया और उसके एक लड़का 'अमृत' पैदा हुआ। भतीजे से अमृत, ललितका नज़दीकी वारिस है, इसलिये कि ललितका अमृत पोता है। अमृत भतीजेसे जायदाद वापिस मांगता है मगर वह जायदादके पाने का हक़दार नहीं है क्योंकि ललितके मरतेही उसकी जायदाद भतीजेको उत्तराधिकारके अनुसार प्राप्त होगयी थी। ऐसी सूरतमें दो बातें पैदा होती हैं पहिली यहकि अगर ललितके मरनेके समय अमृतकी पैदाइशका अनुमान किया जा सकता था तो जायदाद भतीजे से वापिस मिलेगी, दूसरे यह कि अगर ऐसा अनुमान उस वक्त नहीं किया जा सकता था तो नहीं मिलेगी।

भावी वारिसके हकमें वरासतका ठीक वक्तसे पहिले पहुंचना तब तक नाजायज़ है, जब तककि विधवाका समस्त रियासतसे पूर्ण अधिकार न उठ जाय—मु० भगवतीबाई बनाम दादू खुशीराम A. I. R 1925 Nag. 95.

दफा ११ बेटा, पोता, परपोताका इकट्ठा हक़दार होना

एक बेटा और एक पोता जिसका बाप मर गया है, और एक परपोता जिसका कि बाप और दादा दोनों मर गये हैं, यह सब मिलकर अपनी पैतृक

संपत्तिके एकदम वारिस होजाते हैं जो पैतृक संपत्ति अलहदा और विला किसीकी शिरकतके कमाई गयी हो। सिवाय ऐसी सूरतके और जगहपर ऐसा हक एकदम प्राप्त नहीं होता, देखो—मारूदाजी बनाम दुराइसानी 30 Mad 348.

प्रथम उदाहरण—

ब्रह्मदेव एक हिन्दू है। उसके एक बेटा 'गणेश' और एक पोता 'शंभू' और परपोता 'अज' और एक परपोतेका बेटा 'कृष्ण' है। महेश, रमेश विजय सुरेश, अमृत, और राम मरचुके हैं उसके बाद ब्रह्मदेव मरा तो जायदादकी तक़सीम कैसे होगी?

अगर ब्रह्मदेवके वारिस जायदाद तक़सीम कराना चाहें तो हो सकती है। अब देखिये ब्रह्मदेवकी जायदाद तीन बराबर हिस्सोंमें तक़सीम होगी। गणेश, शंभू, और अज तीनों एकएक हिस्सा लेंगे। गणेश अकेला सब जायदाद नहीं ले सकता, शंभू अपने बाप महेशका हिस्सा लेगा, अज अपने दादा रमेशका हिस्सा लेगा, मगर कृष्णको कुछ भी हिस्सा नहीं मिलेगा, क्योंकि कृष्ण दोनों तरफसे मिलाकर ब्रह्मदेवसे चौथी पीढ़ीके बाहर निकल जाता है। स्थानापन्न होकर हिस्सा बटानेका अधिकार चौथी पीढ़ीके बाहर वालेको नहीं है।

दूसरा उदाहरण—

ब्रह्मदेव एक हिन्दू मर गया। उसने एक बेटा गणेश, दो पोते शंभू और शिव और तीन परपोते अज, अमृत मुकुन्दको छोड़ा।

ब्रह्मदेवके वारिस, अगर उसकी जायदाद तकसीम कराना चाहें तो जायदाद पहिले तीन बराबर हिस्सोंमें बांटी जायगी। उसमेंसे एक हिस्सा गणेशको मिलेगा, एक हिस्सेमें शंभू और शिवको हिस्सा मिलेगा, और एक हिस्सेमें अज अमृत. मुकुन्दको हिस्सा मिलेगा। यानी गणेश अपने बापकी, शंभू और शिव अपने दादाकी, अज, अमृत, मुकुन्द अपने परदादाकी जायदाद का भाग पावेंगे और उस भागमे सब लड़के बराबरके हिस्सेदार होंगे, एक हिस्सा जायदादका गणेशको मिलेगा जिससे वह अकेला मालिक है और एक हिस्सा जो शम्भू और शिवको मिलेगा उसमें यह दोनों बराबरके हिस्सेदार होंगे एवं अज, अमृत, मुकुन्द अपने परदादाके हिस्सेमें बराबरके हिस्सेदार होंगे। अगर गणेशके एक लड़का होता तो दोनों मिलकर तिहाई हिस्सा लेते और उस लड़केकी मौरूसी जायदाद गणेशके हाथमे होती जिसके ऊपर लड़केका हक उसकी पैदाइशसे होजाता।

तीसरा उदाहरण—

ब्रह्मदेव हिन्दू है और उसके पास बिला शिरकतकी जायदाद है। ब्रह्मदेव मरा और उसने अपने नवासेके लड़के गणेश, को और भाई अमृत, को छोड़ा सुरेश जो ब्रह्मदेवका नवासा यानी दौहित्र होता है वह ब्रह्मदेवके मरनेसे पहिले मर गया था और लड़की भी मर चुकी थी। अब देखिये हिन्दूलॉके अनुसार ब्रह्मदेवकी जायदाद उसका भाई अमृत पायेगा गणेश नहीं पायेगा अगर सुरेश जीता होता जब कि ब्रह्मदेव मरा था तो अमृतसे पहिले वह जायदाद पाता क्योंकि वह नवासा होनेकी वजहसे भाईके पहिले जायदाद पाता है। मगर वह ब्रह्मदेवसे पहिले मर गया इस सबबसे उसको जायदाद प्राप्त नहीं हुई थी। यहां पर गणेश अपने बाप सुरेशके स्थानापन्न होकर उसके हक़को नहीं ले सकता और न उसके द्वारा जायदादका मालिक बन सकता है। हिन्दूलॉके अनुसार ठीक वारिस वही आदमी है जो पिछले मालिक के मरनेके समय सबसे नज़दीकी वारिस होता है और कोई भी आदमी किसी ऐसे दूसरे आदमीके द्वारा जायदाद पानेका हकदार नहीं बन सकता जिसने कि खुदही जायदाद नहीं पायी। यही सिद्धांत यहांपर लागू किया है क्योंकि सुरेशकी ज़िंदगीमे ब्रह्मदेवकी जायदाद उसे नहीं मिली थी, इसी सबबसे गणेशका हक मारा गया।

दफा १२ उत्तराधिकारका हक़ किसीको नहीं दिया जासकता

उत्तराधिकारका हक़ जबतक उसे प्राप्त न हो ऐसा माना जायगा कि मानो उसे वह हक़ प्राप्तही नहीं है, यानी वह हक हासिलशुदा नहीं होता। इसीलिये उत्तराधिकारके हक़का क़ानूनी जायज इन्तक़ाल नहीं होसकता अर्थात् इस हक़ को कोई मर्द या औरत रेहन या बय या और किसी तरहपर इन्तक़ाल नहीं करसकती और न किसीको दे सकती है, देखो—ट्रांसफर आफ प्रापरटी एक्ट की दफा ६ सन १८८२ ई० यह दफा इस प्रकार है—

"अगर कोई आदमी अपने उत्तराधिकारके हक़के प्राप्त होनेके पहिले किसी दूसरे आदमीके साथ उस हक़के बारेमें कोई शर्त या मुआहिदा करले तो वह शर्त या मुआहिदा जबउसे ऐसा हक़ प्राप्त होगा पाबंद नहीं करसकेगा" और देखो—बहादुरसिंह बनाम मोहरसिंह (1901) 24 Cal 94, 29 I.A.1

दफा १३ मिताक्षरा स्कूलमें सरवाइवरशिप् चार वारिसों में होता है

आमतौरपर मिताक्षरास्कूलके अनुसार अगर दो या दोसे ज्यादा आदमी उत्तराधिकारी हों तो वह जायदादको बतौर क़ाबिज़शरीकके लेतेहैं यानी सरवाइवरशिप (देखो दफा १), का हक़ नहीं रहता। मगर चार तरहके ऐसे वारिस होते हैं जो इस तरह पर जायदादको नहीं लेते, बल्कि वह सरवाइवरशिप (देखो दफा १), के हकके साथ जायदाद पाते हैं। यह ध्यान रखना कि सिवाय चार किसमके वारिसोंके जो नीचे बताये गये हैं और जितनी किस्म के वारिस होते हैं वह जायदादको उत्तराधिकारमें सरवाइवरशिपके हक़के साथ नहीं लेते। चार क़िस्मके वारिस यह है—

(१) बेटे, पोते, परपोते—दो या दोसे ज्यादा हों अपने पैतृक पूर्वजोंकी अलहदा तथा खुद कमाई हुई जायदादको बतौर वारिसके लेते हैं, देखो—18 Cal 151, 17 I. A. 128.

(२) नेवासा—यानी लड़कीके लड़के दो या दोसे ज्यादा हों और जो मुश्तरका खानदानमें रहते हों, अपने नानाकी जायदादको बतौर वारिसके लेते हैं, देखो—25 Mad 678, 29 I A 156

(३) विधवायें—दो या दोसे ज्यादा हों जो अपने पतिकी जायदादको बतौर वारिसके पाती हैं, देखो—भगवानदीन बनाम मैनाबाई 11 Mad I A 487

(४) लड़कियें—दो या दोसे ज्यादा हों जो अपने बापकी जायदादकी वारिस होती हैं, देखो—वेंकायाम्मा बनाम वेंकटरामनैअम्मा (1902) 25 Mad 678, 29 I A. 156 बंबई और मदरास प्रांतको छोड़कर बाक़ी सब

जगह मिताक्षरास्कूलके अन्दर ऊपरका कायदा लागू होगा। बंबई और मद्रास प्रांतमें इसलिये नहीं होगा कि वहांपर लड़कियें पूरे अधिकारके साथ बापकी जायदाद पाती है देखो—विथप्पा बनाम सावित्री (1910) 34 Bom. 510.

नोट—ऊपर बताये हुए चार किस्मके वारिस 'सरवाइवरशिप' के हक़के साथ उत्तराधिकारमें जायदाद पाते हैं 'सरवाइवरशिप' का विशेष विवरण देखो (दफा ५५८), चार किस्मके वारिस यानी, (बेटे-पोते-परपोते) नेवासा, विधवाए, और लड़कियां, इनको छोड़कर बाक़ी सब रिश्तेदार उत्तराधिकारकी जायदादको बिना 'सरवाइवरशिप' के हक़के लेते हैं अर्थात् उनमें ऐसा नहीं होता कि मुश्तरका जायदाद के हिस्सेदारोंके मर जानेके बाद जो बाक़ी रहता जाय उन्हींमें जायदाद चली जाय। बल्कि उनके वारिसोंको जायदाद मिल जाती है।

उदाहरण—(१) एक हिन्दू जिसके पास अलहदा जायदाद थी अपने दो लड़के नल, और नील, को छोड़कर मरगया। पश्चात् नल, अपनी विधवा विदुषीको छोड़कर मरगया। मिताक्षरास्कूलके अनुसार नल और नील इकट्ठे सरवाइवरशिप (देखो दफा १), के हक़के साथ उत्तराधिकारी थे इसलिये अगर नल जायदादका बिना बटवारा किये मरजाय तो सरवाइवरशिप (देखो दफा १), केहकके अनुसार उसका हिस्सा उसके भाई नील को मिलजायगा उसकी विधवा विदुषीको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर नल और नीलके बीचमें उस जायदादका बटवारा हो गया था तो उसका बटा हुआ हिस्सा उसकी वारिस विधवाको मिलेगा यानी विदुषीको मिलेगा। ऐसा मानोकि नल और नील ने बटवारा नहीं किया और नल एक बेटा, या पोता, या परपोता, छोड़-कर मरा है तो अब नलका बिना बटा हुआ हिस्सा उसके भाई नीलको नहीं मिलेगा बल्कि उसके लड़के या पोते या परपोतेको मिल जायगा। इस जगहपर यह सिद्धांत लागू होगा कि लड़के, पोते, परपोतेका सरवाइवरशिपका हक़ बमुक़ाबिले भाईके ज्यादा होता है।

(२) एक हिन्दू दो 'नेवासा' यानी लड़कीके लड़के, छोड़कर मरगया। जिनके नाम हैं महेश और गणेश। यह दोनों मुश्तरका ख़ानदानमें रहते हैं। दोनों नेवासे नानाकी जायदाद काबिज़ मुश्तरक यानी सरवाइवरशिप (देखो दफा १), के हक़के साथ लेंगे। महेश अपनी विधवाको छोड़कर मरगया। अब जायदादमेंका वह हिस्सा जिसपर महेश सरवाइवरशिप (देखो दफा १) के हक़के साथ काबिज था उसकी विधवाको नहीं मिलेगा, बल्कि उसके भाई गणेशको मिलेगा। अगर दोनों नेवासे मुश्तरका ख़ानदानमें रहते न होते तो सरवाइवरशिपका हक लागू नहीं पड़ता और उस सूरतमें महेशके मरनेपर उसकी विधवाको बतौर वारिसके उसकी जायदाद मिलजाती।

(३) एक हिन्दू अपनी दो विधवाएं चन्द्रमुखी, और सावित्रीको छोड़ कर मरगया। दोनों विधवाएं 'सरवाइवरशिप' (देखो दफा १), के हक़के साथ इकट्ठी वारिस होंगी और चन्द्रमुखीके मरनेपर उसका अविभाजित हिस्सा

सावित्रीको मिलेगा। यही सूरत तब होगी जब सावित्री पहिले मरजाय तो उसका हिस्सा चन्द्रमुखीको मिलेगा।

(४) एक हिन्दू दो लड़कियां प्रमदा और प्रफुल्लको छोड़कर मरगया। दोनों लड़कियां बापकी जायदादपर' सरवाइवरशिप' के हक़के साथ वारिस होंगी। प्रमदाके मरनेपर उसका जायदादमेंका अविभाजित हिस्सा प्रफुल्लको मिलेगा और अगर प्रफुल्ल पहिले मरजायगी तो उसका हिस्सा प्रमदाको मिल जायगा। अब देखिये इस विषयमें बंबई प्रांतमें क्या फरक़पड़ता है। बंबईप्रांतमें प्रमदा और प्रफुल्ल जायदादको अलहदा अलहदा लेंगी और यहांपर 'सरवाइवर शिप' का हक़ नहीं होता इसलिये प्रमदाके मरनेपर उसका हिस्सा उसके वारिसको चलाजायगा, यानी अगर प्रमदा एक लड़की छोड़कर मरे तो उसका हिस्सा बजाय उसकी बहन प्रफुल्लके, उसकी वारिस लड़कीको मिलेगा।

दफा १४ दायभाग स्कूलमें सरवाइवरशिप दो वारिसोंमें होताहै

दायभागस्कूलके अनुसार 'सरवाइवरशिप' दो वारिसोंमें होता है,विधवा और लड़कियोंमें—विधवा और लड़कियां जायदाद उत्तराधिकारमें क़ाबिज़ मुश्तरक सरवाइवरशिपके हकके साथ लेती हैं। इनदो वारिसोंको छोड़कर बाक़ी जितने वारिस इस स्कूलके अनुसार जायदाद लेतेहैं वह सब अलहदा अलहदा लेतेहै उनमें 'सरवाइवरशिप' का हक़ नहीं रहता।

उदाहरण—एक हिन्दू जिसके पास अलहदा जायदाद थी दो लड़के जय और विजय को छोड़कर मरगया। जय अपनी विधवा गंगाको छोड़कर मरा। इस स्कूलके अनुसार जय और विजय दोनों भाई अपने बापके क़ाबिज़ शरीक उत्तराधिकारी थे यानी सरवाइवरशिपका हक़ नहीं था। इसलिये जयके मरनेपर जयकी वारिस उसकी विधवा गंगा होगई और जयकी जायदादमेंका उसका हिस्सा गंगाको मिला। विजयको नहीं मिलेगा। मिताक्षरा स्कूलके अनुसार विधवाको नहीं मिलेगा।

नोट—हिन्दूलॉ की दफा ५७४—३, ४ में जो सूरतें उन उदाहरणोंमें दी गयी हैं वही दायभाग स्कूलमें भी मानी गयी हैं।

दफा १५ किन वारिसोंमें सरवाइवरशिप नहीं लागू होता

ऊपर कही हुई दफा १३,-१४ केसिवाय दोनों स्कूलोंके अन्दर सरवाइवरशिप दूसरे वारिसोंके उत्तराधिकारके हक़के साथ नहीं लागू होता। अर्थात् चार वारिस जो इस किताबकी दफा १३ में बताये गये हैं मिताक्षरा स्कूल के अनुसार। और दो वारिस जो इस किताबकी दफा १४ मे बताये गये हैं दायभाग स्कूलके अनुसार, सरवाइवरशिपके हक़के साथ जायदाद लेते हैं;

बाकी वारिस इस तरहपर नहीं लेते । अर्थात् जिस उत्तराधिकारमें सरवाइवरशिप हक़ शामिल नहीं होगा तो उस वारिसके मरनेके बाद जायदाद उसके वारिसको जायेगी।

उदाहरण—एक हिन्दू, अमृत और विजय नामक दो भाई छोड़कर मरगया। दोनों भाई उसकी छोड़ी हुई जायदादको इकट्ठा लेंगे। ऐसा मानो कि अमृत एक विधवा छोड़कर मरगया तो उसकी विधवा बतौर वारिसके पतिकी छोड़ी हुई जादाद लेगी, उसके भाई विजयको नहीं मिलेगी। यही क़ायदा चाचा और भतीजोंके साथ लागू होगा तथा और दूसरे वारिसोंके साथ भी यही क़ायदा माना जायगा।

---

(२) मर्दोंका उत्तराधिकार मिताक्षराओंके अनुसार

दफा १६ स्कूलोंके सबबसे उत्तराधिकार एकसां नहीं है

पहिले बताचुके हैं कि हिन्दुस्थानभरमें दो बड़े स्कूलोंका प्रभुत्व मानागया है। स्कूलका अर्थ धर्मशास्त्र है (देखो प्रकरण १) मिताक्षरा और दायभाग यह दो बड़े स्कूल हैं। दायभागसे मिताक्षरा स्कूल अधिक बड़ा है, क्योंकि दायभाग सिर्फ बंगालमें माना जाता है और मिताक्षरा स्कूल बंगालको छोड़ कर बाक़ी समस्त भारतमें माना जाता है। उत्तराधिकारके लिये जो कुछ कि कायदे मिताक्षरामें लिखे गये हैं वह बनारस, मिथिला, बंबई और मदरास स्कूलमें माने जाते हैं, क्योंकि यह सब मिताक्षरा स्कूलके टुकड़े हैं, मगर जो जो क़ायदे इन प्रांतोंमें उत्तराधिकारके बारेमें प्रचलित होरहे हैं वह सब एकही तरहपर नहीं है, यानी कहीं कहीं उनमें भेद पड़गया है। यह भेद इसलिये पड़गया कि मिताक्षराके साथसाथ दूसरे ग्रन्थभी कहीं कहीं मान लियेगये हैं।

बनारस, और मिथिला स्कूलमें मिताक्षराका प्रभुत्व पूरा पूरा माना गया है। क्योंकि इन दोनों स्कूलोंमें सिर्फ पांच औरतें वारिस मानी गयी हैं यानी (१) विधवा (२) लड़की (३) मा (४) दादी (५) परदादी। इस सिद्धांतपर कि कोई भी औरत जो मिताक्षरामें वारिस नहीं बताई गयी उसे इन दो स्कूलोंमें वारिस नहीं माना गया। यद्यपि बंगालमें भी पांचही औरतें वारिस बताई गयी हैं मगर वहांपर दायभागका प्रभुत्व है।

बंबई और मदरास स्कूलमें भी मिताक्षरामें कही हुई पांच औरतें वारिस मानीगयी है लेकिन बंबई और मदरास स्कूल, इनके अलावा कुछ थोड़ीसी दूसरी

औरतोंको भी वारिस मानता है (देखो हिन्दूलॉ की दफा ६४०, ६४१) बंबई स्कूलमें, मद्रास स्कूलसे भी अधिक औरतें वारिस मानी गयी हैं।

नतीजा यह है कि उत्तराधिकारका क्रम जैसा कि मिताक्षरामें लिखा हुआ है बिल्कुल उसी तरहसे बंबई, गुजरात और उत्तरीय कोकनमें नहीं मानाजाता। कारण यह है कि इन जगहोंपर नीलकण्ठ भट्टाचार्य्यके बनये हुए ग्रन्थ, व्यवहार मयूखकी प्रधानता थोड़ेसे विषयोंमें जहां कि मिताक्षरासे वह भिन्न है मानली गयी है।

दायभाग और मिताक्षराके उत्तराधिकार—दायभाग और मिताक्षरा एक दूसरेसे बिल्कुल पृथक् हैं। दायभाग की स्कीम मिताक्षरा की स्कीम से बिल्कुल अलाहदा है और कुछ अंश तक तो वह उसके विपरीत है, और जहां तक क़ानून उत्तराधिकारका सम्बन्ध है एकका मेल दूसरेके साथ नहीं किया जा सकता। शम्भूचन्द दे बनाम कार्तिकचन्द्र दे A I. R 1927 Cal. 11. माताके, पिताके पिताके पिताकी पुत्रीके पुत्रकापुत्र, दायभागके अनुसार वारिस नहीं होता—शम्भूचन्द दे बनाम कार्तिकचन्द्र दे A. I R. 1927 Cal 11.

कद्वा कुनवी—अहमदाबाद के कद्वा कुनबियोंमें यह रवाज है कि यदि कोई विवाहिता किन्तु निस्सन्तान स्त्री अपने पिताकी जायदाद उत्तराधिकारमें प्राप्त करे तो उसकी मृत्युके पश्चात् उस जायदादका उत्तराधिकार उसके पति या उसके सम्बन्धियों के बजाय उसके पिताके सम्बन्धियोंपर जाता है—रतिलाल नाथलाल बनाम मोतीलाल सङ्कलचन्द 27 Bom. L. R. 880, 88 I. C. 891, A. I. R. 1925 Bom 380

वरासत—पञ्जाबमें पिता द्वारा स्वयं उपार्जित जायदादका उत्तराधिकार हिसार जिलेके अग्रवाल बनियोंमें यह रवाज नहीं है कि पिता द्वारा उपार्जित जायदादके उत्तराधिकारमें पुत्रीको उसके वंशजोंके मुक़ाबिलेमें वारिस होनेसे वंचित रक्खा जाय—शिवलाल बनाम हुकुमचन्द A.I.R. 1927 La. 47.

तक़सीम शुदा साझेदारकी वरासत—जब कि कोई खानदान पहिलेही बटा हुआ होता है, तो वारिस जायदादपर क़ाबिज़ शरीक होते हैं (Tenant in Common) न कि क़ाबिज़ मुश्तर्के (Joint Tenant)—जादवभाई बनाम मुल्तानचन्द्र 27 Bom. L. R. 426; 87 I. C. 936; A. I. R. 1925 Bom. 350

दफा १७ मिताक्षरालॉके अनुसार जायदाद किसके पास जायगी?

मिताक्षरालॉ के अनुसार किसी मर्द हिन्दूके मरनेपर उसकी जायदाद किसके पास जायगी इस बातके निश्चय करनेके लिये नीचे लिखी हुई बातोंको ध्यानमें रखना चाहिये—

(१) जब कोई आदमी अपनी मौतके समय मुश्तरका अर्थात् अविभाजित परिवारका मेम्बर हो तथा उसके क़ब्ज़ेमें मुश्तरका जायदाद हो तो उसका हिस्सा' सरवाइवरशिप' के हक़के साथ उसके मुश्तरका हिस्सेदारोंको मिलेगा।

(२) जब कोई आदमी अपनी मौतके समय शामिल शरीक ख़ानदानमें हो और अगर वह खुद कमाई हुई अलहदा जायदाद छोड़गया हो तो ऐसी जायदाद उसके वारिसको उत्तराधिकारके क्रमके अनुसार मिलेगी उसके मुश्तरका हिस्सेदरको नहीं मिलेगी। और जो जायदाद उसने मुश्तरका छोड़ी अर्थात् जिसपर वह मुश्तरका हक रखता था वह मुश्तरका हिस्सेदारको मिलेगी अलहदा कमाई हुई और उसे अलहदा मिली हुई जायदाद उसके वारिसको मिलेगी, देखो—पेरियासामी बनाम पेरियासामी 1 Mad 312, 5 I A 61.

(३) जब कोई आदमी अपनी मौतके समय अपने दूसरे मुश्तरका हिस्सेदारोंसे अलहदा हो और जायदादपर अलहदा कब्ज़ा रखता हो तो उसकी तमाम जायदाद चाहे किसी तरहसे भी उसे प्राप्त हुई हो वह उत्तराधिकारके क्रमके अनुसार उसके वारिसको मिलेगी देखो—दुर्गाप्रसाद बनाम दुर्गा कुंवरि 4 Cal 190, 202, 5 I A 149

(४) जबकोई आदमी अपनी मौतके समय मुश्तरका ख़ानदानमें अकेला हो, यानी उसके दूसरे हिस्सेदार मर चुके हों, तो तमाम जायदाद यानी मुश्तरका जायदाद मिलाकर उसे मिल जायगी जो उसका वारिस होगा अर्थात् तमाम जायदाद उत्तराधिकारके क्रमसे उसके वारिसको मिलजायगी, देखो—6 M I. A. 309

(५) जब कोई आदमी मुश्तरका ख़ानदानसे अलहदा हो गयाहो और पीछे वह फिर उसी ख़ानदानमें शामिल हो गया हो और मुश्तरकाकी दशामें मराहो तो उसकी जायदाद हिन्दूलॉ के प्रकरण ६ के अनुसार उसके वारिस को मिलेगी।

उदाहरण—राम और लक्ष्मण दोनों भाई मुश्तरका हिस्सेदार हैं। राम अपनी विधवा स्त्रीको छोड़कर मर गया और रामने अपनी खुद कमाई हुई जायदाद भी छोड़ी और थोड़ीसी जायदाद जो उसको उत्तराधिकारमें मिली थी जिसपर राम कानूनके अनुसार अलहदा मालिक था उसे भी छोड़ा। देखिये मुश्तरका जायदादमेंका हिस्सा तो उसके भाई लक्ष्मणको मिलेगा जो रामका मुश्तरका हिस्सेदार है, लेकिन रामकी खुद कमाई हुई और उत्तराधिकारमें मिली हुई अलहदा जायदाद उसकी विधवाको बतौर वारिसके मिलेगी।

दफा १८ कौनसी जायदाद उत्तराधिकारके योग्य है?

मिताक्षरालॉके अनुसार मर्द हिन्दूके मर जानेपर नीचे लिखी हुई जायदाद 'मृत पुरुष' के वारिसको उत्तराधिकारके अनुसार मिलेगी।

(१) मरनेवालेकी खुद कमाई और अलहदा जायदाद, चाहे वह मरनेके समय शामिल शरीक परिवारमें क्यों न हो उसके वारिसको उत्तराधिकारके क्रमानुसार मिलेगी।

(२) सब शामिल शरीक यानी मुश्तरका जायदाद, जिसका कि मरने वाला अपनी मौतके समय अकेला ही जीता हिस्सेदार था अर्थात् दूसरे हिस्से दार सब उसकी ज़िंदगीमें मर चुके थे, उत्तराधिकारके क्रमानुसार उसके वारिसको मिलेगी।

(३) मृतपुरुषकी सब जायदाद, चाहे किसी तरहसे वह प्राप्तकी गयी हो जब कि मृतपुरुष अपनी मौतके समय अलहदा होगया हो तो उसकी सब जायदाद उत्तराधिकारके क्रमानुसार उसके वारिसको मिलेगी।

नोट—स्मरण रखना कि ऊपर बताई हुई तीन तरहकी जायदादमें ही उत्तराधिकारका कानून लागू होगा दूसरीमें नहीं। खुद कमाई हुई, और उत्तराधिकारमें मिली हुई जो कानूनन् उसकी अलहदा समझी जाती हो, और मुश्तरका जायदादका बटा हुआ हिस्सा इन किस्मोंमें से कोई एक किस्म होगी तो उस जायदादका वारिस वह होगा जो मृत पुरुषका उत्तराधिकारके अनुसार वारिस करार दिया गया हो।

दफा १९ मिताक्षरालॉके अनुसार उत्तराधिकारका सिद्धान्त

मिताक्षरा स्कूलमें वरासतके क्रमका प्रधान सिद्धांत खूनकी नजदीकी रिश्तेदारी मानीगयी है। इसपर नजीरें देखो—पारोट वापालाल बनाम महता हरीलाल (1894) 19 Bom 631, बाबालाल बनाम ननकूराम (1895) 22 Cal 339, सुब्बासिंह बनाम सरफराज़ (1896) 19 All 215, सुब्रह्मण्य बनाम शिवा (1894) 17 Mad 316, अप्पा नदाई बनाम बागूबाली (1909) 33 Mad 439, 444, चिन्नासामी बनाम कुंजूपिल्लाई (1912) 35 Mad 152.

बंगालस्कूल अर्थात् दायभाग स्कूलमें वरासतके क्रमका प्रधान सिद्धात पितृ और मातृ वंशके पूर्वजोंको आत्मिक लाभ पहुंचानेकी बुनियादपर निर्भर मानागया है, देखो—गुरू गोविंद बनाम अनन्दलाल 5 Beng L. R. 15.

दफा २० मिताक्षरा, मनुके वचनानुसार उत्तराधिकार कायम करता है

अनन्तरः सपिण्डाद्यस्तस्य तस्य धनं भवेत्
अतऊर्ध्वं सकुल्यःस्यादाचार्य्यः शिष्यएवच। मनु९-१८७

कुल्लूकभट्ट—ने इस श्लोककी टीकामें लिखा है कि—

"सपिण्डमध्यात्संनिकृष्टतरो यः सपिण्डः
पुमान् स्त्री वा तस्य मृतधनं भवति"।

सपिण्डोंके मध्यमें जो बहुत समीपी सपिण्ड पुरुष अथवा स्त्री होवे उसे मृतपुरुषका धन मिलता है और जब ऐसा वारिस न हो तो सपिण्डकी संतानमें और उसके भी न होनेपर समानोदकों को और पीछे आचार्य्य तथा शिष्यको जायदाद मिलेगी। इस श्लोकमें कहा गया है कि सबसे नजदीकी सपिण्ड को उत्तराधिकार मिलता है यह शब्द मिताक्षरालॉ के वरासत के क्रमका मूल है।

दफा २१ उत्तराधिकार किस क्रमसे चलता है

हिन्दुओंके यहां उत्तराधिकार, उस जायदादका जो हिन्दूलॉ की दफा ५५५ में बतायागया है, पहिले सपिण्डमें होता है, यानी सबसे पहिले सपिण्ड जायदाद पाता है, सपिण्डके न होनेपर 'समानोदक' और समानोदकके न होने पर बन्धु जायदाद पाते हैं। बन्धुके न होनेपर आचार्य और शिष्यका हक़ है सपिण्डका विषय नीचे देखिये—

दफा २२ सपिण्ड शब्दका अर्थ

हिन्दूलॉ की दफा ४७ में 'सपिण्ड' शब्दका अर्थ विस्तारसे कहागया है। वही अर्थ यहांपर भी समझिये। सारांश यह है कि जिसका शरीर अपने शरीरके साथ एक हो उसे सपिण्ड कहते हैं।

दफा २३ दो तरहके सपिण्ड

सपिण्ड दो तरहके होते हैं, एक' गोत्रज सपिण्ड' दूसरा' भिन्न गोत्रज सपिण्ड'। 'गोत्रज सपिण्ड' से यह मतलब है कि अपने गोत्रका हो और सपिण्ड हो तथा भिन्न गोत्रज सपिण्ड से यह मतलब है कि अपने गोत्रका न हो और सपिण्ड हो। गोत्रका फैलाव बहुत बड़ा है; मगर सपिण्डका फैलाव उसी हद तक है जहां तक कि शरीरके अवयवोंका सम्बन्ध मिलता हो। भिन्न गोत्रज सपिण्ड' को बन्धु कहते हैं—देखो हिन्दूलॉ की दफा ४७

स्त्रीको अपना गोत्र छोड़ देना—स्त्री विवाह संस्सार द्वारा अपने पिता के गोत्रको छोड़ देती है और अपने पतिके गोत्र को ग्रहरण करती है और अपने पतिके गोत्रज सपिण्डकी गोत्रज सपिण्ड हो जाती है, यानी उसके पतिके वंशज उसके वंशज हो जाते हैं—भगवानदास बनाम. गजाधर A. I. R. 1927 Nag 68

दफा २४ मिताक्षराके अनुसार गोत्रजसपिण्ड और भिन्न गोत्रज सपिण्ड

हिन्दूलॉ की दफा४७में बताया जाचुका है कि 'गोत्रजसपिण्ड' और भिन्न 'गोत्रजसपिण्ड' कौन रिश्तेदार होते हैं। दफा २३में बतायागया कि'भिन्न गोत्रज

सपिण्डको' बन्धु कहते हैं इस विषयमें विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरामें गोत्रज सपिण्ड और भिन्न गोत्रज सपिण्ड दोनों शरीरके सम्बन्धसे माने हैं।

आप कल्पना कीजिये कि आपका शरीर ६०० अशोंसे बना है। अब विचारिये कि यह अशं आये कहांसे ? उत्तर है कि आपके माता और पितासे आये अर्थात ३०० अन्श माताके शरीरसे और ३०० अन्श पिताके शरीरसे। माताका शरीर भी ६०० अंशोंसे वना है। इसी प्रकारसे माताके शरीरमें ३०० अन्श माताके पिता (नाना) से और ३०० अन्श माताकी मा (नानी) के शरीरसे आये हैं, तो आपके शरीरमें १५० अंश नानीके शरीरसे और १५० अंश नानाके शरीरसे आये हैं। नानीका शरीरभी ६०० अंशोंसे बना है, नानीके शरीरमें ३०० अंश नानीकी माताके शरीरसे और ३०० अंश नानीके पिताके शरीरसे आये हैं तो परिणाम यह हुआ कि नानीकी माताके शरीरसे ७५ अंश और नानीके पिताके शरीरसे ७५ अंश आपके शरीरमें आये हैं। इसी तरह जितना ऊपर चले जाइये बेशुमार सम्बन्ध होता चला जायगा। अब देखिये आपके पिताका शरीर ६०० अंशोंसे वनाहै। पिताके शरीरमें ३०० अंश आपकी दादीसे और ३०० अंश आपके दादाके शरीरसे आये हैं, तो आपके शरीरमें आपकी दादीके शरीरके १५० अंश और दादाके शरीरके १५० अशं मौजूद हैं। एवं दादीका शरीर ६०० अंशोंसे वना है। दादीके शरीरमें ३०० अंश दादीकी मासे और ३०० अंश दादीके पिताके शरीरसे आये हैं। तो परिणाम यह हुआ कि आपके शरीरमें दादीकी माके शरीरसे ७५ अंश और दादीके पिताके शरीरसे ७५ अंश आये हैं। इसी तरहपर जितना आप विचार करते जायेंगे सम्बन्ध मिलता और फैलता जायगा। नीचेकी लाइनमें भी यही क्रम है, अर्थात आपके पुत्र और लड़कीके शरीरमें आपके शरीरके ३०० अंश और आपकी पत्नीके शरीरके ३०० अंश कुल ६०० अंशदोनोंमें मौजूद हैं। आगे जितनी सन्तान बढ़ती जायगी उतनाही ऊपर वाले माता पिताके शरीरोंके अंश घटते जायेंगे। अंशोंके सिद्धांतसे तमाम दुनियांके लोगोंका सम्बन्ध हो सकता है। इसीलिये आचार्योंने नियम कर दिया है, यहां एक बात पर और ध्यान रखिये कि नक़शेमें आपको दो शाखाएं देख पड़ेंगी, एक मर्द शाखा दूसरी स्त्रीकी शाखा। मर्द शाखामें गोत्र नहीं बदलता और स्त्री शाखामें गोत्र बदल जाता है। मर्द शाखाको सगोत्र या गोत्रज सपिण्ड कहते है और स्त्री शाखाको भिन्न गोत्र या भिन्न गोत्रज सपिण्ड कहते हैं। भिन्न गोत्रज सपिण्ड बन्धु कहलाते हैं।

दफा २५ सपिण्ड किसे कहते हैं

जो एकही पिण्डमें शामिल होते हों वह सपिण्ड हैं। पिण्डका अर्थ शरीर है, जो एकही शरीरमे शामिल होते हों वे सपिण्ड हैं। यानी जिनके शरीरके अवयव (अंश) एक हों वह सपिण्ड हैं। ऐसे सपिण्डको पूर्ण-पिण्ड सपिण्ड कहते हैं। पूर्ण-पिण्ड, ऊपरकी तीन और नीचेकी तीन पुश्तोंमें होता है। इस तरहपर जिस आदमीसे गिनना शुरू करते हो उसे भी मिलादो तो सात पुश्त हो जायेंगी। जैसे ऊपरकी तीन पुश्तें हैं पिता, पितामह, प्रपितामह (बाप, दादा, परदादा) एवं नीचेकी तीन पुश्तें हैं पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र (लड़का, पोता, परपोता) इन छः में जब मालिकको मिलादो तो सात पुश्तें हो जाती हैं, इन सात पुश्तोंमें 'पूर्ण पिण्ड' होता है। क्योंकि मालिकसे शरीर सम्बन्धी अवयवोंके द्वारा सब एक दूसरेसे बंधे हुए हैं। मालिकके शरीरके अवयव पुत्र, पौत्र और प्रपौत्रमें मौजूद हैं तथा मालिकके शरीरमें उसके पिता, पितामह और प्रपितामहके शरीरके अवयव मौजूद हैं। इस लिये सब मिल कर शरीरके अवयव रूप बन्धन से एक 'पूर्णपिण्ड' बनता है। प्रपौत्रका पुत्र (परपोते का लड़का) तथा प्रपितामह का पिता (परदादा का बाप) पूर्ण पिण्ड नहीं है।

याज्ञवल्क्यकी टीका मिताक्षरामें विज्ञानेश्वरने सपिण्ड शब्दको श्राद्धके आधार पर प्रयोग नहीं किया, बल्कि अवयव सम्बन्ध परही प्रयोग किया है। क्योंकि उन्होंने विवाह सम्बन्ध में जो सपिण्ड की व्याख्या की है उसमें श्राद्धकी कोई बात नहीं कही, पर रक्तका अथवा अवयवका सम्बन्ध कहा है, इसी आधार पर सपिण्ड बताया गया है। उस जगहपर सपिण्ड ऐसे अर्थमें शामिल है जहांपर पिण्डदानकी क्रिया हो ही नहीं सकती। तात्पर्य्य यह है कि उनका दिया हुआ पिण्ड शास्त्रानुसार उसे पहुंच नहीं सकता। यह सपिण्ड मालिकसे सीधी लाइनका होता है मगर इनके अतिरिक्त और भी रिश्तेदार सपिण्ड होते है। उनका पूर्ण पिण्ड उनके अनुसार चलता है।

विज्ञानेश्वरके कहनेका तात्पर्य्य यह है कि सपिण्डका सम्बन्ध तब होता है जब दो आदमियोंके बीचमें शरीरके अंगोंका सम्बन्ध एक दूसरेमें हो। शरीरके अंगोंके सम्बन्धसे जब सपिण्ड जोड़ा जायगा तो उसका फैलाव हो जाता है क्योंकि हर एक शरीरमें पिता और माताके अंगोंके अंश लड़केमें आते हैं। इसी सबबसे और ऊपर कहे हुए सिद्धांतके अनुसार वह कहते हैं, कि हर आदमी अपने बाप और माकी तरफ वाले पूर्वजों और चाचाओं मामाओं फूफियों तथा मौसियोंका सपिण्ड है। इसी तरहपर इन आदमियोंकी स्त्रियां और पति भी सपिण्ड हैं। अर्थात् चाचा और चाची, मामा और मामी, फूफा और फूफी, मौसा और मौसी सब सपिण्ड हैं। पति और पत्नी आपसमें इस

लिये सपिण्ड हैं कि वह दोनों मिल कर एक शरीर आरम्भ करते हैं। भाइयोंकी स्त्रियां भी आपसमें सपिण्ड हैं क्योंकि उनसे जो लड़के पैदा होते हैं वह अपने पूर्वजोंके शरीरके अंश रखते हैं।

अगर इसी तरहपर सिल सिला सपिण्डका माना जाय तो तमाम दुनियां एक न एकसे सम्बन्ध रखती हुई मिल जावेगी और सब लोग किसी न किसी तरहसे सपिंडमें शामिल हो जायेंगे। इस लिये आचार्योंने नियम कर दिया है कि—

पञ्चमात्सप्तमादूर्ध्वं मातृतः पितृतस्तथा।
मातृतो मातुः सन्ताने पञ्चमादूर्ध्वं, पितृतः सन्ताने सप्तमादूर्ध्वं सापिण्ड्यं निवर्तत इति। याज्ञवल्क्ये ॥५३॥

सपिण्डता—माताकी तरफ पांचवीं और पिताकी तरफ सातवीं पीढ़ीमें निवृत्त हो जाती है अर्थात् माके सम्बन्धसे पांचवीं पीढ़ीमें और बापकी तरफ बापके सम्बन्धसे सातवीं पीढ़ीमें सपिण्डता निवृत्त हो जाती है। आगेके सम्बन्धको सपिण्ड नहीं कह सकते। यही नियम माना गया है। इस वजहसे बापसे लेकर छः पूर्व पुरुष और लड़केसे लेकर छः उत्तर पुरुष और उस आदमीको जोड़ कर सात पीढ़ी शुमारकी जायंगी। सात पीढ़ीकी गणना अपनेको मिला कर शुमार करना चाहिये अर्थात् वह खुद भी सात पीढ़ीके अन्दर एक पीढ़ी है। एवं मातासे लेकर पांच पीढ़ी गिनना—देखो—घारपुरे हिन्दूलॉ पेज ३०६ और मेन हिन्दूलॉकी दफा ५१०

पूर्ण रुधिर सम्बन्धको अर्द्ध रुधिरपर श्रेष्ठता मानी गयी है। नारायन बनाम हमरानी 91 I C. 989, A I R. 1926 Nag 218.

दफा २६ बापसे सातवीं मासे पांचवीं पीढ़ीके बाद सापिण्ड नहीं रहता

यह बात प्रायः सभी आचार्य्योंने मानी है कि बापकी तरफसे सातवीं पीढ़ी और माके तरफसे पांचवीं पीढ़ीके पश्चात् सपिण्ड नहीं रहता अर्थात् अपनेको लेकर बापकी शाखामें सातवीं पीढ़ीतक और इसी तरहपर अपनेको लेकर माकी शाखामें पांचवीं पीढ़ी तक सपिण्डता रहती है, पश्चात् नहीं रहती। सात पीढ़ी और पांच पीढ़ीके सपिण्ड देखो इस किताबकी दफा २७

दफा २७ सात दर्जेके सपिण्डोंका नक़शा

धर्म शास्त्रके अनुसार सपिण्डका नक़शा देखो—

(परदादाके पिताके पिताका पिता) पि०७
|
(परदादाके पिताका पिता) पि०६
|
(परदादाका पिता) वृद्धप्रपितामह५ — ५वृद्धप्रमातामह (नानाके बापका बाप)
|
(परदादा) प्रपितामह४ — ४प्रमातामह (नानाका बाप)
|
(दादा) पितामह३ — ३मातामह (नाना)
|
पिता२ — २माता
(गोत्रज सपिण्ड) — (भिन्न गोत्रज सपिण्ड)

मालिक १
|
पुत्र२
|
पौत्र३
|
प्रपौत्र४
|
पु५
|
पु६
|
पु७

(गोत्रजसपिण्ड) — पुत्र२ से पु७ तक

देखो—मालिक नं० १ अपनेको, या जिस आदमीका सपिण्ड मिलाना चाहते हो उसे समझो। मालिक नं० १ की दो शाखायें ऊपर गयी हैं और एक नीचे। ऊपरकी पितावाली शाखामें सपिण्ड सातवें नम्बरमें ख़तम हो जाता है अर्थात् सात नम्बर जहांपर दिया गया है वहां तक सपिण्ड हैं। 'पि' से मतलब है पिता यानी नं० ५ का पिता ६, और नं० ६ का पिता ७ है। इस तरहपर पिताकी शाखामें सपिण्ड सात पीढ़ी तक ऊपर जाता है। अब देखिये माताकी शाखा, इस शाखामें सपिण्ड पांचवें नम्बरमें ख़तम हो जाता है यानी मातृपक्षमें माता नाना, परनाना, और परनानाका बाप (नगड़नाना) चार हुए और मालिकको मिला दो तो पांच हो जाते हैं। इस तरहपर मालिकको मिला कर माता पक्षमें सपिण्ड पांचवीं पीढ़ीमें समाप्त हो जाता है। नीचेकी

शाखा देखिये—मालिकसे लेकर सातवीं पीढ़ीमें सपिण्ड समाप्त हो जाता है। 'पु' से मतलब पुत्र है, यानी नं० ४ का पुत्र ५ और नं० ५ का पुत्र ६, एवं नं०६ का पुत्र नं० ७ है। मालिक को हर शाखा में एक पीढ़ी मान कर शामिल करना चाहिये।

सपिण्ड—सपिण्डोंमें सात पीढ़ी तक पूर्ण रक्त सम्बन्धको अर्द्ध रक्त सम्बन्धपर तर्जीह दी जाती है जब वे दूसरी तमाम सूरतोंमें समान हों। सात पीढ़ीके पश्चात् पूर्ण रक्त और अर्द्ध रक्तमें कोई अन्तर नहीं माना जाता आत्माराम बनाम पाण्डु 87 I. C. 178

दफा २८ पिण्डदान और जलदानके सपिण्ड

पिण्डदान और जलदान हर आदमी अपने बाप, दादा, और परदादाको करता है, एवं नाना, परनाना तथा नगड़ नाना (परनानाका बाप) को करता है, अर्थात् ऊपरकी शाखामें पितृ पक्षमें तीन तथा मातृ पक्षमें तीन पीढ़ियों तक पिण्ड और पानी देता है। इसी तरहसे हर आदमी अपने लड़के, पोते, परपोतेसे पिण्ड और पानी पाता है। ऊपरकी शाखामें तीन और नीचेकी शाखामें तीन तथा उस आदमीको मिला कर सात पीढ़ी हो जाती हैं और दोनों शाखाओंका वह बराबरका सपिण्ड होता है। यह इस लिये सपिण्ड है कि ऊपरकी शाखामें तीन पीढ़ियोंको वह पिण्ड और पानी देता है। इसी तरहसे नीचेकी शाखामें तीन पीढ़ीसे वह पिण्ड और पानी लेता है। वह ऊपर और नीचेकी दोनों शाखाओंको जोड़ता है। अतएव वह सात पीढ़ियों का सपिण्ड है। तथा इनमेंसे एक दूसरेके सपिण्ड हैं। यह बात एक मुक़द्दमेंमें मानी गयी है, देखो—गुरू बनाम अनन्द 5 B. L R. 39; S. C. 13 Suth (F B) 49, अमृत बनाम लच्छमीनरायन 2 B L R. (F. B) 34, S C 10 Suth (F B) 76

दफा २९ दोनों सपिण्डोंमें फरक़ नहीं है

ऊपर कहे हुए सात दर्जेके और तीन दर्जेके दोनों सपिण्डोंमें कुछ फरक नहीं है। सात दर्जेके सपिण्डकी अपेक्षा तीन दर्जेके सपिण्ड निकटस्थ हैं, तीन दर्जेके सपिण्डोंका काम उत्तराधिकार और श्राद्ध तर्पणमें आता है, मगर सात दर्जेके सपिण्डोंका काम उत्तराधिकारमें और सम्बन्धके मिलानेमे आता है। सात दर्जेवाले सपिण्डके अन्दर तीन दर्जे वाले सपिण्ड हैं।

सपिण्ड शब्दका अर्थ हम बता चुके हैं कि जो एकही पिण्डसे बने हों अथवा एक शरीरके अंश पाये जाते हों वह सब मिल कर एक दूसरेके सपिण्ड होते हैं।

दफा ३० सकुल्य किसे कहते हैं

धर्मशास्त्रोंमें सपिण्ड, सकुल्य, समानोदक, और बन्धु माने गये हैं। इन सबके दर्जोंमें फरक़ है। सपिण्ड पहिले कहा गया है यहांपर सकुल्यका विषय कहते हैं।

(१) नम्बर १ सपिण्ड है जिसका वर्णन इस किताबकी दफा २२ से २६ में देखो।

(२) नम्बर २ गोत्रज सपिण्ड है इसका वर्णन देखो दफा २३

(३) नम्बर ३ भिन्न गोत्रज सपिण्ड है इसका वर्णन देखो दफा २३, ३३ गोत्रज सपिण्ड उसे कहते हैं जो अपने गोत्रका न हो। ऐसा सम्बन्धी एक या अनेक स्त्री या स्त्रियोंके सम्बन्ध से पैदा होता है और जो सम्बन्धी किसी स्त्रीके सम्बन्धसे मिलता हो उसे बन्धु कहते हैं।

(४) नम्बर ४ सकुल्य है इसका वर्णन देखो आगेके नकशेमें

(५) नम्बर ५ समानोदक है इसका वर्णन देखो दफा ३१-३२

जहांपर तीन पीढ़ियोंका सपिण्ड समाप्त होता है वहांसे लेकर और सातवीं पीढ़ीके सपिण्ड तक ऊपरकी शाखामें, इसी तरहपर नीचेकी शाखामें जहांपर तीन पीढ़ियोंका सपिण्ड समाप्त होता है वहांसे लेकर सात पीढ़ीके सपिण्ड तक और उनके सम्बन्धी जिनका दिया हुआ पिण्ड मालिकको अथवा मालिकके पूर्वपुरुषोंको जिन्हें मालिक दे सकता था नहीं दे सकते।

सकुल्य ऐसे सपिण्डको कहते हैं जिसका दिया हुआ पिण्ड मालिकको या मालिकके बाप, दादा, परदादाको न पहुंचता हो। वह सब सकुल्य एक दूसरेके हैं। जैसे भतीजेके बेटेका बेटा, परपोतेका बेटा, परदादाका बाप, और परदादाका भाई इत्यादि सकुल्य होते हैं।

सकुल्यका रिश्ता कोई ज़रूरी रिश्ता नहीं माना गया है, इसीसे अनेक धर्म ग्रन्थोंमें इसका उल्लेख नहीं मिलता है। सपिण्ड और समानोदक तथा बन्धुका उल्लेख अधिकतासे मिलता है। यह बात तय नहीं मालूम होती कि सकुल्यका फैलाव कहां तक होना चाहिये, मगर पिण्डके रिश्तेसे हम सकुल्यका नक़शा नीचे देते हैं। सब मिल कर १५ सकुल्य होते हैं। नम्बर १६ तक सपिण्ड है और नम्बर १७ से ३१ तक सकुल्य दिखलाये गये हैं।

सकुल्यका नक़शा—

नं० १६ तक सपिण्ड हैं और नं० १७ से ३१ तक सकुल्य दिखलाये गये हैं।

(१) बा, से मतलब है बाप। मालिकसे ऊपर शाखामें सब एक दूसरेके बाप हैं।

(२) ल, से मतलब है लड़का, मालिकका लड़का ल ५, और सब एक दूसरेके लड़का हैं।

(३) बा, स—और ल, स। मालिकके सकुल्य हैं और उनका मालिक भी सकुल्य है।

(४) नम्बर १ से १६ तक सपिण्ड और नं० १७ से ३१ तक सकुल्य हैं।

(५) ल, स, नं० १७ से लेकर ल, स, नं० ३१ तक हर एकके तीन तीन पुश्त आगे फैलाकर सब सकुल्य हैं। क्योंकि सकुल्यका लड़का, पोता परपोता भी सकुल्य है इसलिये कि उनका बाप स्वयं सकुल्य है।

(६) यह निश्चित नहीं कि सकुल्यका फैलाव इतनाही होता है या इससे अधिक।

मालिक सात सपिण्डोंके बीचका आदमी है; यानी वह बीचका सपिण्ड है। वह अपने बेटे, पोते, परपोतेका सपिण्ड इसलिये होता है कि वह मालिकको पिण्ड देते हैं तथा उसके सपिण्ड हैं। कारण उनसे उसको पिण्ड मिलता है (देखो ल, ५, ६, ७) परन्तु मालिकके परपोतेका लड़का (ल, स, १७) सपिण्ड नहीं है, वह मालिकके सकुल्य हैं, क्योंकि वह अपने बाप, दादा, परदादाका ही सपिण्ड है और उन्हींको पिण्ड देता है और वह उससे पिण्ड पाते हैं। वह मालिकको पिण्ड नहीं देता और न मालिक उससे पिण्ड पाता है। इस लिये परपोतेका बेटा सकुल्य है और जब वह स्वयं सकुल्य है तो उसकी औलाद नं० १८, १६ और उनका वंश तीन पुश्त तक सब सकुल्य है नं० ८ मालिकका भाई है, मालिक स्वयं अपने भाईसे पिण्ड नहीं पाता, बल्कि उस पिण्डके फायदेमें शरीक होता है जिसको मर्द अपने पूर्वज़ों बाप, दादा, परदादाको देता है। यह तीन पूर्वज वही हैं जिनके लिये पिण्डदान करना मालिक पर फर्ज़ है, इसी तरह भतीजा (ल ६) भी अपने तीन पूर्वजोंको पिण्ड देता है जिनमें मालिकके दो पुर्वज यानी बाप और दादा शामिल हैं, इस लिये मालिकके यह सब सपिण्ड हैं। भतीजेका लड़का (ल १०) भी अपने बाप, दादा, परदादाको पिण्ड देता है जिनमें मालिकके पूर्वजोंमें एक शामिल है; इसलिये मालिकका सपिण्ड है मगर भतीजेका पोता (ल, स, २३) सकुल्य है इसलिये कि वह पिण्ड अपने बाप, दादा, परदादाको देता है मगर मालिकको या मालिकके पूर्वजोंको उसका फायदा कुछ नहीं पहुंचता। इसी तरहसे मालिकका चाचा (ल ११) और मालिकके बापका चाचा (ल १४) सपिण्ड है क्योंकि मालिकका चाचा मालिकके दादा और परदादाको, तथा मालिकके बापका चाचा मालिकके परदादाको पिण्ड देते हैं। एवं दोनोंके लड़के पोते मालिकके पूर्वज दादा और परदादाको पिण्ड देते हैं इससे सब सपिण्ड है। मगर उनके लड़के यानी (ल, स, २६, २७, २८, और २६, ३०, ३१) सकुल्य हैं क्योंकि यह मालिकके किसी पूर्वजको पिण्ड नहीं देते। (वा, स २० २१, २२) सकुल्य है और इनका मालिक सकुल्य है। इसी तरह पर सकुल्यका फैलाव आगे भी होसकताहै। सपिण्ड और समानोंदकके बीचमें सकुल्य होते हैं।

दफा ३१ समानोदक किसे कहते हैं

समानोदक वह रिश्तेदार कहे जाते हैं जो मालिकसे सातवीं पीढ़ीके पश्चात् और चौदहवीं पीढ़ीके या इक्कीसवीं पीढ़ीके भीतर होते हैं। देखो इस विषयमे प्रमाण—

सर्व्वेषामेव वर्णानां विज्ञेया साप्तपौरुषी सपिण्डता ततःपश्चात् समानोदक धर्मता। ततः कालवशात्तत्र विस्मृतौ

नामगोत्रतः समानोदक संज्ञा तु तावन्मात्रापिनश्यति ॥
ब्राह्मे—सप्तोर्ध्वं त्रयः सोदकाः, ततोगोत्रजाः ॥

सब वर्णोंकी सपिण्डता सात पीढ़ी यानी सात पूर्व और सात पर पुरुष में समाप्त हो जाती है। पूर्वसे बाप दादा आदि और परसे लड़का, पोता आदि अर्थ समझना चाहिये, बापसे लेकर ६ पूर्व पुरुष और लड़केसे लेकर ६ पर पुरुष और सातवां मालिक दोनोंमें शामिल होकर सात पुरुष होते हैं। इन्हीं सात पुरुषों तक सपिण्डता मानी जाती है, इसके बाद समानोदक संज्ञा है। समय के अधिक हो जानेके कारण जब सम्बन्ध सिलसिलेवार याद नहीं रहता तब समानोदक भी समाप्त हो जाता है। कहनेका प्रयोजन यह है कि जब समानोदक भी नहीं रहा तब सिर्फ गोत्र बाकी रह जाता है। गोत्रसे यह जाना जाता है कि किसी समयमें एकही वंश शाखाके पूर्वजोंमें कोई विशेष पुरुष था जिसका सम्बन्ध एक दूसरेसे चला आता है। बहुत दिन व्यतीत हो जानेके सबबसे सिलसिला खानदानी याद नहीं रहा, सिर्फ खानदान एक है इस बात के ज़ाहिर करनेके लिये 'गोत्र' केवल याद है। आचार्य्य कहते हैं कि सातवीं पीढ़ीके पश्चात् तीन पीढ़ी तक समानोदक संज्ञा रहती है। मगर इस बचनके विरुद्ध अनेक बचन है जिनसे यह अर्थ निकलता है कि समानोदकता सात पुरुषोंके बाद होती है और सात पीढ़ी तक होती है तथा इससे भी अधिक होती है।

'सपिण्डाऽभावेऽसपिण्डा स्तत्रापि सोदकाः आचतुर्दशात्'।

दत्तक मीमांसा—सपिण्डके अभावमें असपिण्ड, और असपिण्डके अभाव में समानोदक होता है जो चौदह पीढ़ी तक रहता है। दूसरे पेजका नकशा देखो—दफा ३२

इस विषयमें मनुजी कहते हैं:—

अनन्तरं सपिण्डाद्यस्तस्य तस्यधनं भवेत्
अतऊर्ध्वं सकुल्यः स्यादाचार्यः शिष्य एवच ॥१८७॥

मनुके कहनेका तात्पर्य यह है कि भाईके बाद सपिंडोंमें जो सबसे नज़दीकका होगा उसे जायदाद मिलेगी सपिंडोंके न होनेकी दशामे सकुल्यको तथा उसके भी न होनेपर आचार्य और शिष्यको क्रमसे जायदाद मिलेगी। 'सकुल्य' यहांपर सपिंडोंके वारिसोंके पश्चात् मनुने प्रयोग किया है जिसका मतलब समानोदकोंसे है क्योकि मृत पुरुषसे सात दर्जे ऊपरके पूर्वजों और उनकी सन्तानो एवं नीचेकी शाखाके सात वंशजों और उनकी सन्तानोंके

क्रम बद्ध वारिसोंमें ही सपिंड एवं समानोदक होते हैं सपिंड ५७ दर्जे तक मानकर आगेके सब समानोदक माने जाते हैं इसलिये 'सकुल्य' शब्दका यहां पर प्रयोग समानोदकोंसे है। दूसरी तर्क यह है सकुल्यके बाद मनु आचार्य को जायदाद पहुंचनेका नियम करते हैं तो समानोदक कहां चलेगये? जिनका ज़िक्र ही नहीं किया गया इस सबबसे भी मनुके इस जगहपर सकुल्यके प्रयोग से समानोदक जानना सर्वथा उचित होगा।

दफा ३२ सपिण्ड और समानोदक

इस दफाके शामिल नकशेमें सपिण्ड और समानोदक दिखाये गये हैं। ५७ सपिंड हैं और १४७ समानोदक हैं। इस जगहपर आप यह ध्यान रखें कि 'सपिंड' कहनेमें 'पूर्णपिंड सपिंड' और 'सपिंड' दोनों शामिल है। नकशेमें देखिये कि मालिकके नीचेकी शाखामें नं० १ से ३ तक और मालिकसे ऊपर की शाखामें १ से ३ तक (वा) लाइनके लोग 'पूर्णपिंड सपिंड' में शामिल हैं विस्तृत वर्णन इस किताबकी दफा ५८२ में देखो कानूनकी दृष्टिसे समानोदकोंका जानना इसलिये बहुत ज़रूरी है कि मृत पुरुषकी जायदाद सपिंडके बाद समानोदकोंको उत्तराधिकारमें पहुंचती हैं। समानोदकोंकी संख्या अभी तक निश्चित नहीं हुयी मगर जहां तक माने जा चुके हैं वे इस नकशेमें बताये गये हैं। प्रत्येक मुकद्दमेमें जब दूरकी रिश्तेदारीके अनुसार जायदाद मिलने का कोई व्यक्ति वारिस् अपनेको बताता है तो उसे सिलसिला वरासत साबित करना बहुत कठिन हो जाता है। प्रथम तो उतने पुराने वयोवृद्ध सैकड़ों वर्ष के पुरुष शहादतको नहीं मिलते दूसरे काग़ज़ी शहादत सिलसिलेवार मिलना कठिन हो जाता है। हमारे देशमें प्रत्येक व्यक्ति अपने वंशका इतिहास तक नहीं लिखता। इन्हीं अनेक कठिनाइयोंसे समानोदकोंको जायदाद यद्यपि पहले पहुंचती है परन्तु शहादत न होनेकी दशा में प्रिवी कौन्सिल का मत यह जान पड़ता है कि ऐसी दशाके होनेपर जायदाद बन्धुओंको देदी जाय। यह राय समीचीन है जब समानोदक अपने हक़का सिलसिला साबित न कर सकें तो ज़रूर बन्धुओंको जायदाद दी जाना चाहिये। इस नकशेसे आप बन्धुओंका सिलसिला और विस्तार जान सकेंगे तथा यह भी जान सकेंगेकि किस दर्जेके सपिंडके पश्चात् कौन दर्जेके समानोदक होते हैं। दर्जाके अङ्क प्रत्येक के साथ इसीलिये लगा दिये हैं।

सपिण्ड सत्तावन होते हैं देखिये—

(१)	ल १ से ल ६ तक	६
(२)	बा १ से बा ६ तक	६
(३)	बा १ की ल १ से ल ६ तक ..	६
(४)	बा २ की ल १ से ल ६ तक	६
(५)	बा ३ की ल १ से ल ६ तक	६
(६)	बा ४ की ल १ से ल ६ तक	६
(७)	बा ५ की ल १ से ल ६ तक	६
(८)	बा ६ की ल १ से ल ६ तक	६
(९)	मा १ से मा ६ तक	६
(१०)	विधवा, लड़की, दोहिता .. .	३

सपिंडोंका जोड़ ५७

समानोदक एक सौ सेंतालीस होतेहैं, देखिये—

(१)	ल ६ के नीचे स ७ से स १३ तक	७
(२)	बा १ की ल ६ के नीचे स ७ से स १३ तक ...	७
(३)	बा २ की ल ६ के नीचे स ७ से स १३ तक ...	७
(४)	बा ३ की ल ६ के नीचे स ७ से १३ तक ...	७
(५)	बा ४ की ल ६ के नीचे स ७ से १३ तक ...	७
(६)	बा ५ की ल ६ के नीचे स ७ से स १३ तक ...	७
(७)	बा ६ की ल ६ के नीचे स ७ से स १३ तक ...	७
(८)	बा ७ और उसके १३ वंशज	१४
(९)	बा ८ और उसके १३ वंशज	१४
(१०)	बा ९ और उसके १३ वंशज ..	१४
(११)	बा १० और उसके १३ वंशज	१४
(१२)	बा ११ और उसके १३ वंशज	१४
(१३)	बा १२ और उसके १३ वंशज	१४
(१४)	बा १३ और उसके १३ वंशज	१४

समानोदकोंका जोड़ १४७

नोट—उत्तराधिकारमें पहिले सपिण्ड और पीछे समानोदक और उनके पीछे बन्धु वारिस होते हैं। सपिण्ड और समानोदक मिलकर २०४ होते हैं 'सकुल्य' सपिण्डकी ५७ पीढ़ीके अंतर्गत होते हैं। इसीसे उत्तराधिकारमें सकुल्यकी जरूरत नहीं रही।

दफा ३३ बन्धु किसे कहते हैं ?

हिन्दुओंमें 'सपिण्ड' और 'समानोदक' मर्द सम्बन्धी रिश्तेदार होते हैं यानी जिन रिश्तेदारोंका सम्बन्ध सिर्फ मर्दसे होता है वह सपिण्ड और समानोदकके अन्दर होते हैं। लेकिन 'बन्धु' यानी 'भिन्न गोत्रज सपिण्ड' स्त्री सम्बन्धी रिश्तेदार होते हैं। यह वह रिश्तेदार कहलाते हैं जिनका सम्बन्ध एक या एक से ज्यादा स्त्री द्वारा होता है। हर एक 'बन्धु' का सम्बन्ध मृत पुरुषसे कमसे कम एक स्त्री द्वारा ज़रूर ही होना चाहिये, कई एक स्त्रियों द्वारा जो सम्बन्ध होता है वह भी 'बन्धु' कहलाते हैं। 'बन्धु' ऐसे रिश्तेदार कहे जाते हैं जैसे—बुवाका लड़का, मौसीका लड़का, मामाका लड़का, आदि। बुवाका लड़का, बापकी बहनका लड़का है। यहां पर बापकी बहन (स्त्री) द्वारा लड़केके साथ सम्बन्ध है। मौसीका लड़का, माकी बहनका लड़का है यहांपर मा और माकी बहन, दो स्त्रियों द्वारा लड़केके साथ सम्बन्ध है। मामाका लड़का, माके भाईका लड़का है यहा पर माके द्वारा लड़केके साथ सम्बन्ध है इत्यादि। जहांपर 'बन्धु' शब्द आवे समझ लेना चाहिये कि किसी एक या कई एक स्त्रियोंके द्वारा सम्बन्ध जुड़ेगा। बन्धुओंको उत्तराधिकार सपिण्ड और समानोदकोंके पश्चात् प्राप्त होता है। बन्धुओंका विवरण इस किताब में आगे बताया गया है।

दफा ३४ गोत्रज सपिण्ड और भिन्न गोत्रज सपिण्डमें क्या भेद है ?

मिताक्षराने सपिण्डको दो भागोंमें तक़सीम किया है 'गोत्रज सपिण्ड' और 'भिन्न गोत्रज सपिण्ड' (देखो दफा २३ से २६, ३३) गोत्रज सपिण्ड वह सपिण्ड हैं जो मृत पुरुषके खानदान अर्थात् गोत्रके होते है। भिन्न गोत्रज सपिण्ड वह सपिण्ड हैं जो मृत पुरुषके गोत्रके नहीं होते यानी दूसरे गोत्रके होते हैं। गोत्रज सपिण्ड सब मर्द सम्बन्धी रिश्तेदार होते हैं। वह सिर्फ पुरुषके सम्बन्धसे सपिण्डमें शामिल होते हैं जैसे पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, और पिता, पितामह, प्रपितामह, और भ्राता, भ्रातृ पुत्र आदि। भिन्न गोत्रज सपिण्ड सब स्त्री सम्बन्धी रिश्तेदार होते हैं (दफा ३३), यानी वह पुरुष जो एक या अनेक स्त्रियोंके सम्बन्धसे मृत पुरुषसे जुड़े हुये थे जैसे - भांजा,

दोहिता, आदि। भिन्न गोत्रज सपिण्डको मिताक्षरालॉ में 'बन्धु' कहा गया है और वह प्रायः 'बन्धु' के नामसे प्रसिद्ध है।

दफा ३५ उत्तराधिकारमें सपिण्ड शब्दका संकेत अर्थ माना गया है

गोत्रज सपिण्ड दो भागोंमें बटा है एक 'सपिण्ड' दूसरा 'समानोदक'। समानोदकमे गोत्र एकही रहता है। मिताक्षरालॉ मे 'सपिण्ड' शब्दका अर्थ दो तरहसे किया गया है। एक अर्थ विस्तृत है दूसरा संकेत है। जहांपर सपिण्ड शब्दका विस्तृत अर्थ किया जाता है वहांपर मृत पुरुषके वह सब रिश्तेदार शामिल हैं जो उसके खूनके द्वारा परम्परा सम्बन्ध रखते हैं। और जहां पर संकेत अर्थ किया जाता है वहांपर मृत पुरुषकी सात पीढ़ी तक जो उसके खूनके सम्बन्धसे रिश्तेदार हैं माने जाते है। उत्तराधिकारमें जो सपिण्ड शब्दका प्रयोग किया गया है वह संकेत अर्थमें किया गया है। यानी वरासत के कामके लिये सपिण्ड शब्दके अर्थका फैलाव सिर्फ मृत पुरुषकी सात पीढ़ी तक माना गया है, ज्यादा नहीं माना गया। इसलिये स्मरण रखना चाहिये कि जहांपर इस विषयमे सपिण्ड शब्द आवे उसका मतलब वरासतके लिये संकेत अर्थसे करना योग्य होगा।

दफा ३६ तीन क़िस्मके वारिस जायदाद पाते हैं

मिताक्षरालॉ के अनुसार तीन किस्मके वारिस माने गये हैं जो जायदाद पानेके अधिकार हैं, (१) सपिण्ड (२) समानोदक (३) बन्धु। यह सब यथाक्रम जायदाद पाते है यानी सबसे पहिले सपिण्ड जायदाद पायेगा और उसके वाद समानोदक, उसके पश्चात् बन्धु पायेगा। अर्थात् जब सपिण्ड मे कोई न हो तब समानोदक जायदाद पाते है और जब समानोदकोंमें कोई न हो तब बन्धु अधिकारी होते हैं।

दफा ३७ सपिण्ड

मिताक्षरालॉ के अनुसार एक आदमीके सपिण्ड ५७ होते हैं। नीचे दफा ३८ का नक़शा देखिये—

स्त्रीविवाह होनेसे सपिण्ड मे दाखिल हो जाती है। मगर लड़कीका लड़का गोत्रज सपिण्ड नहीं है; वह भिन्न गोत्रज सपिण्ड है। उत्तराधिकारके कामके लिये वह गोत्रज सपिण्डोंके साथ रखा गया है।

दफा ३८ सत्तावन दर्जेके सपिण्डोंका नक़शा

(१) नं० १ से ६ तक पहिलेका दूसरा लड़का है

(२) नं० ७ मृत पुरुषकी स्त्री विधवा, नं० ८ लड़की, नं० ९ दोहिता है

(३) नं० १० मा और इसी तरहसे उस लाइनमें ऊपर तक सब पूर्वजोंकी मातायें हैं।

(४) नं० ११ बाप और ऊपरकी लाइनमें सब पहलेके दूसरे, पिता हैं।

(५) नं० ११ बापकी नीचेकी लाइनमें सब पहिलेके दूसरे लड़के हैं एवं ऊपरकी लाइनमें नं० २१ तक समझ लेना सब मिलकर ५७ होते हैं—

शुमार—(१) छः पुश्त नीचे तक मर्द शाखामें मर्दको, ६दर्जे नीचे

(२) छः पुश्त ऊपरकी बापकी शाखामें मर्द यानी, बाप, दादा, परदादा एवं ऊपर छः पुश्त तक और उनमे से पहिले वाले तीन पुश्त तक कीस्त्रिया (+इस निशान वाली) और उनके ऊपरकी तीन स्त्रियां बहुत करके मानी जाती है। १२

(३) ऊपरकी शाखा वाले बाप आदिकोंकी ६ पुश्तोंके हर एकमें छः छः पुश्तों तक मर्द ३६

(४) विधवा स्त्री, लड़की, लड़कीका लड़का ३

सपिण्डोंका जोड़ ५७

दफा ३९ समानोदकोंकी संख्या निश्चित नहीं है

जैसाकि ऊपर बताया गया है, सपिंडकी रिश्तेदारी मृत पुरुषसे उसको मिलाकर सात पीढ़ी तक फैलती है और मृत पुरुषको मिलाकर उसके आठवें दर्जेसे लेकर चौदहवें दर्जे तक और हर एक उस शाखामें एकसे तेरह तक एवं सपिंडकी दोनों शाखाओंमें तेरह दर्जे तक समानोदक फैलता है इससे भी अधिक समानोदक माने जा सकते हैं अगर खूनसे सम्बन्ध रखने वाली रिश्तेदारी साफ तौरपर साबित करदी जाय (देखो इस किताब की दफा ३१; ३२) नज़ीर देखो—देवकोरे बनाम अमृतराम 10 Bom. 372 कालिका-प्रसाद बनाम मथुराप्रसाद 30 All. 510; 35 I. A. 166 रामबरन बनाम कमलाप्रसाद (1910) 32 All. 594.

दफा ४० बन्धुओंकी संख्या निश्चित नहीं है

पहिले बताया गया है कि बन्धु कौन रिश्तेदार होते हैं (देखो दफा ३३), पहिले ऐसा ख्याल किया जाता था कि मिताक्षरा में जो ९ क़िस्मके 'बन्धु' बताये गये हैं सिर्फ इतनेही होते थे। मगर अब उसका अर्थ ऐसा माना जाता है कि मिताक्षरामें जो ९ बन्धु बताये गये हैं वह बन्धुओंकी संख्या को खतम नहींकर देते यानी सिर्फ ९ ही बन्धु नहींहैं ९ से ज़्यादा भी होते हैं। यह ९ बन्धु मिताक्षरामें सिर्फ उदाहरणकी तरह बताये गये है कारण यह है कि अगर आप सिर्फ ९ ही बन्धु मानेंगे तो यह बात बिल्कुल बुद्धिके विरुद्ध होगी कि मामाका लड़का बन्धु हो और उसका बाप यानी मामा बन्धु न हो। इसी तरहपर यह बातभी है कि मामा बन्धुहो और उसका बाप नानाबन्धु हो 'बन्धु' दो शाखामे होते हैं। ऊपरकी शाखामें और नीचेकी शाखामे। और ऊपरकी शाखावाले बन्धु जैसे नाना, नानाका बाप, इत्यादि और नीचेकी शाखा वाले बन्धु जैसे लड़की का लड़का, लड़की की लड़की का लड़का इत्यादि।

दफा ४१ वरासत मिलनेका क्रम मिताक्षराके अनुसार

उत्तराधिकार मिलनेके क्रमको समझनेसे पहिले महर्षि याज्ञवल्क्यके नीचे लिखे श्लोकको और मिताक्षराकार विज्ञानेश्वरके मतको अच्छी तरहसे ध्यान मे रख लीजिये। महर्षिने बड़ी उत्तमता और संक्षेपसे उत्तराधिकारके जटिल प्रश्नको वर्णन किया है। याज्ञवल्क्य कहते हैं—व्य०-१३५—१३६

पत्नी दुहितरश्चैव पितरौ भ्रातरस्तथा
तत्सुता गोत्रजा बन्धुः शिष्यःस ब्रह्मचारिणः।
एषामऽभावे पूर्वस्य धनभा गुत्तरोत्तरः
स्वर्यातस्य ह्यपुत्रस्य सर्ववर्णेष्वयंविधिः॥

मरे हुये अपुत्र (जिसके पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र न हों) पुरुषका धन नीचे के क्रमानुसार पहिलेके न होनेपर दूसरेको मिलता है। क्रम यह है विधवा, लड़की, नेवासा, माता, पिता, भाई, भतीजा, गोत्रज, बन्धु, शिष्य, और ब्रह्मचारी।

मिताक्षराका यह नियम है कि जब एकही दर्जेके दो क़िस्मके वारिस हों तो जायदाद सबसे पहिले सहोदर (सगे) को मिलेगी और उसके न होने पर भिन्नोदर (सौतेले) को मिलेगी। भाई, भतीजे आदिमें यह नियम सर्वत्र लागू रहता है।

मिताक्षरामें बताये हुये इस क्रमको बनारस, मिथिला, और मदरास स्कूलने पूरा पूरा स्वीकार किया है (देखो दफा ४२), मगर भतीजेके लड़के के बारेमें भेद है, इन स्कूलोंने भतीजेके पुत्रका दर्जा दादी और दादासे पहिले माना है और हालमें एक फैसला प्रिवी कौन्सिलसे ऐसा होगया है कि जिसमें भतीजेके पुत्रका दर्जा दादीसे पहिले स्वीकार किया गया, देखो—बुद्धासिंह बनाम ललतूसिंह (1912) 34 All 663 इस नज़ीरका विवरण आगे बताया गया है। इस नजीरमें बहुत छान बीन कीगयी है और यह भी तय कर दिया गया है कि हर एक पूर्वजकी लाइनमें तीन दर्जे तक जायदाद मिलेगी, यानी पूर्वजके लड़के, पोते, परपोते तक।

दफा ४२ बनारस, मिथिला, मद्रास स्कूलमें वरासत मिलनेका क्रम

बनारस, मिथिला और मदरास स्कूलमे उत्तराधिकार नीचे लिखे क्रमके अनुसार पहिले कहे हुए वारिसके न होनेपर दूसरे वारिसको मिलता है।

वरासत के क्रमका नं०	वारिस
१—३	लड़का, पोता, परपोता
४	विधवा (मृत पुरुषकी स्त्री)
५	लड़की
	(१) बिन ब्याही लड़की (क्वारी)
	(२) ब्याही लड़की जो गरीब हो
	(३) ब्याही लड़की जो धनवान हो
६	लड़कीका लड़का (नेवासा दौहित्र)
७	माता
८	बाप
९	भाई
	(१) सहोदर भाई (सगा)
	(२) भिन्नोदर भाई (सौतेला)
१०	भाईका लड़का
	(१) सहोदर भाईका लड़का (सगे भाईका)
	(२) भिन्नोदर भाईका लड़का (सौतेले भाईका)
११	भाईके लड़केका लड़का (भतीजेका पुत्र) नोट—देखो नीचे
१२	बापकी मा (दादी)
१३	बापका बाप (दादा-पितामह)
१४	लड़केकी लड़की
१५	लड़कीकी लड़की
१६	बहन
१७	बहनका लड़का (बहनके मरनेके बाद लिया हुआ गोदका पुत्र नहीं) देखो एक्ट नं० १२ सन १९२९ ई० इस प्रकरणके अन्तमें
१८	बापका भाई (चाचा)
	(१) बापका सहोदर भाई (सगा)
	(२) बापका भिन्नोदर भाई (सौतेला)
१९	बापके भाईका लड़का (चाचाका पुत्र)
	(१) बापके सहोदर भाईका लड़का (सगा)
	(२) बापके भिन्नोदर भाईका लड़का (सौतेला)
२०	बापके भाईका पोता
२१	बापके बापकी मा (दादाकी मा-पितामहकी मा)
२२	बापके बापका बाप (परदादा-प्रपितामह)
	(क्रम समाप्त न समझना उदाहरणार्थ बताया गया है)

इसी क्रमसे ऊपरके पूर्वज और उनकी संतान वारिस होगी. देखो नक़शा दफा ६२४

नोट—भाईके लड़केके लड़केकी, इलाहाबाद हाईकोर्टके अनुसार यह जगह है, मगर मदरासके कुछ फैसलोंके अनुसार वह चाचाके बेटोंके पीछे माना गया है। बम्बई में उसकी जगह निश्चित नहीं, इससे 'बापके भाईके लड़केके लड़के' को ऊपर नहीं बताया गया।

दफा ४३ गुजरात, बम्बईद्वीप और उत्तरीय कोंकनमें वरासत मिलनेका क्रम

गुजरात, बम्बई द्वीप और उत्तरीय कोकनमें वरासत मिलनेका क्रम, नीचे लिखे अनुसार है। अर्थात् पहिले कहे हुए वारिसके न होनेपर दूसरेको उत्तराधिकार मिलता है।

वरासत के क्रमका न॰	वारिस
१—३	लड़का, पोता, परपोता
४	विधवा (मृत पुरुषकी स्त्री)
५	लड़की
	(१) बिन व्याही लड़की (कारी)
	(२) व्याही लड़की जो ग़रीब हो
	(३) व्याही लड़की जो धनवान हो
६	लड़कीका लड़का (नेवासा—दौहित्र)
७	बाप
८	माता
९	सहोदर भाई (सगा)
१०	सहोदरभाईका लड़का (सगे भाईका)
११	सहोदर भाईके लड़केका लड़का—देखो, नीचे नोट
१२	बापकी माता (दादी)
१३	बहन
१४	लड़केकी विधवा
१५	लड़केके लड़केकी विधवा (पोतेकी विधवा)
१६	परपोतेकी विधवा
१७	सौतेली मा
१८	सहोदर भाई की विधवा
१९	सहोदर भाईके लड़केकी विधवा
२०	पितामह (दादा) और सौतेला भाई
२१	बापकी माता (दादी)
२२	सौतेले भाईका लड़का
२३	बापके भाईका लड़का
२४	बाप की सौतेली मा
२५	सौतेले भाईकी विधवा
२६	बापके भाईकी विधवा (चाचाकी विधवा)
२७	सौतेले भाईके लड़केकी विधवा
२८	बापके भाई के लड़केकी विधवा (चाचाके पुत्रकी विधवा)
२९	पितामहकी मा
३०	प्रपितामह

ज़रूरी—ऐक्ट न० २ सन १९२९ ई० के अनुसार न० २० में पितामहके बाद वे वारिस आना चाहिये जो इस ऐक्टमें बताये गये हैं। मगर न० १३ में बहनका स्थान पहले ही से मोजूद है इस लिये सम्भव है कि न० २० दादाके बाद लड़केका लड़की—लड़कीकी लड़की और उसके बाद बहनका लड़का वारिस माना जाय किंतु अभी निश्चित नहीं है। सन्देह इस लिये पैदा होता है कि एक्टमें लिखा है कि दादाके बाद और चाचाके पहिले। तथा यहांपर दादाके बाद बापकी माता(दादी)आती है तो ठीक स्थान दोनोंके मध्यका न हुआ अभी तक इस बारमें इस ग्रन्थके यहां तक छपनेके समय तक कोई भी नजीर नहीं हुई जो इस सन्देहका संशोधन कर देती। क़ानून देखो इस प्रकरण के अन्तमें।

नोट—बम्बई प्रांतमें इसकी जगह निश्चित नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसकी यह जगह मानी है। मदरासके फैसलोंके अनुसार चाचाके बेटोंके पीछे इसका हक माना गया है।

दफा ४४ बम्बई प्रांतके दूसरे हिस्सोंमें वरासत मिलनेका क्रम

बम्बई द्वीप, गुजरात और उत्तरीय कोकन को छोड़कर बाक़ी बम्बई प्रांतके दूसरे हिस्सोंमें वरासत मिलनेका क्रम, नीचे लिखे अनुसार है। अर्थात् पहिले कहे हुए वारिसके न होनेपर उत्तराधिकार दूसरे वारिसको मिलता है।

वरासत के क्रमका नं०	वारिस
१—३	लड़का, पोता, परपोता
४	विधवा (मृत पुरुषकी स्त्री)
५	लड़की
	(१) बिन ब्याही लड़की (क्वारी)
	(२) ब्याही लड़की जो ग़रीब हो
	(३) ब्याही लड़की जो धनवान हो
६	लड़कीका लड़का (नेवासा—दौहित्र)
७	माता
८	बाप
९	भाई
	(१) सहोदर भाई (सगा)
	(२) भिन्नोदर भाई (सौतेला)
१०	भाईका लड़का (भतीजा)
	(१) सहोदर भाईका लड़का (सगे भाई का पुत्र)
	(२) भिन्नोदर भाईका लड़का (सौतेले भाईका पुत्र)
११	भाईके लड़केका लड़का—(देखो नीचे नोट)
१२	बापकी मा (दादी)
१३	बहन
१४	लड़केकी विधवा
१५	पोतेकी विधवा
१६	परपोतेकी विधवा
१७	सौतेली मा
१८	भाईकी विधवा
१९	भाईके लड़केकी विधवा
२०	पितामह (दादा)
२१	बापका भाई (चाचा)
२२	बापके भाईका लड़का
२३	बापकी सौतेली मा
२४	बापके भाईकी विधवा (चाचाकी विधवा)
२५	बापके भाईके लड़केकी विधवा
२६	पितामहकी मा
२७	प्रपितामह

नोट—भतीजेके लड़केका स्थान निश्चित नहीं है मगर इलाहाबाद हाईकोर्टने इसका यही स्थान माना है। ज़रूरी नोट—दफा ४३ के नीचे देखिये।

दफा ४५ औरतोंकी क़ानूनी ज़रूरतें

हर एक औरत (दफा ८६) जिसे जायदाद में पूरा हक प्राप्त नहीं है, मगर उसे वह महदूद हकके साथ सिर्फ जिन्दगी भरके लिये मिली है, उस जायदादको नीचे लिखी हुई क़ानूनी ज़रूरतोंके लिये इन्तकाल कर सकती है यानी गिरवी रख सकती है बेच सकती है और दान या बख़्शीशमें भी दे सकती है।

क़ानूनी ज़रूरतें वह हैं कि जिनके होनेपर जायदादका इन्तकाल हो सकता है। और ऐसे इन्तकाल का रिवर्ज़नर वारिस (देखो दफा १) पाबन्द होगा।

१—धार्मिक कृत्योंके लिये—

(१) अन्त्येष्टि कर्म, यानी मरनेके पश्चात् क्रिया कर्म और दूसरे कर्मों के ख़र्चेके लिये भी ; देखो—दलेल कुंवर बनाम अम्बिका प्रसाद 25 All 226. जैसे लड़केकी जायदाद मा की क्रिया कर्म करनेके लिये काममें लाई जा सकती है—बृजभूषणदास बनाम पार्वतीबाई 9 Bom L R. 1187

(२) गयाक्षेत्रमें श्राद्ध करनेका खर्च तथा उसके सफरका ख़र्च, और पंढरपुरमें श्राद्ध करनेका ख़र्च तथा उसके सफरका ख़र्च। मगर यह सब ख़र्च उस औरतके ख़ानदानकी हैसियत और उसकी स्थितिके अनुसार तथा जायदादके अनुसार होना चाहिये। ऐसा न होनेपर वह इन्तकाल ठीक नहीं माना जायगा।

मिस्टर मांडलीक कहते हैं कि अनेक हिन्दूलॉके ग्रन्थकारोंने काशी (बनारस) की यात्राका खर्च कानूनी ज़रूरतोंमें नहीं बताया, मगर यह उनकी गलती है। मांडलीकका कहना है कि काशी यात्रा करना प्रत्येक हिन्दूका मुख्य धार्मिक कर्तव्य कर्म है, इस लिये इस यात्राका खर्च भी क़ानूनी ज़रूरत मानना चाहिये। देखो—मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, मदन पारिजातका तीर्थ प्रत्याम्नाय प्रकरण, काशी खण्ड और नारायण भट्टका त्रिस्थली सेतु।

अगर कोई औरत गया श्राद्ध करके बिरादरी या ब्राह्मण भोजन करानेके लिये जायदादका इन्तक़ाल करे तो वह क़ानूनी ज़रूरत नहीं है, देखो—मखन बनाम गायन 30 All. 255

(३) उन लोगोंके धार्मिक कृत्योंका ख़र्च, जिनके करनेके लिये आख़िरी मालिक पाबन्द था। जैसे माकी अन्त्येष्टि क्रिया और श्राद्ध देखो—श्रीमोहनझा बनाम बृजबिहारी मिश्र 36 Cal 753, बृजभूषणदास बनाम पार्वतीबाई 7 Bom L. R 1187

(४) आख़िरी मालिकके क़रज़े देनेके लिये। लेकिन अगर वह क़रज़े दुराचार यानी असद् व्यवहारके लिये लिये गये हों तो उनके अदा करनेके लिये नहीं। यदि जायज़ क़रजे कानून मियादके बाहर भी हों या किसी दूसरे क़ानूनसे वे न दिलाये जा सकते हों तो इस बारेमें कोई रुकावट नहीं पड़ेगी देखो—चिम्मनजी बनाम दिनकर 11 Bom. 320, कन्डप्पा बनाम सव्वा 13 Mad 119, 21 Cal. 190, कन्डा स्वामी बनाम राजगोपाल स्वामी 7 M L J. 363.

अगर आख़िरी मालिकके क़रजोंके बारेमें उसकी जायदाद इन्सालवंट हो जाय तब किसी औरतको किसी क़र्ज़ेके अदा करनेका अधिकार नहीं है, और अगर कोई धोखा देकर रुपया औरतसे वसूल कर लेगा तो उसे वह रुपया लौटा देना पड़ेगा।

२—दानके लिये—

विधवा, अपनी लड़कीके विवाह कालमें लड़कीके पतिको, और लड़कीके द्विरागमनमें लड़कीको जायदाद मेंसे उचित हिस्सा दानदे सकती है। 'उचित' सेमतलब है कि—खानदानकी हैसियत, और स्थिति, और जायदादकी की हैसियतके अनुसार होना चाहिये, किसीके हक़ मारनेकी ग़रज़से नहीं।

विवाह कालमें जायदाद देनेकी नज़ीर देखो राम बनाम वेंगी दुसासी 22 Mad. 113 द्विरागमन अर्थात् गवनेमें जायदाद देनेकी नजीर देखो—चूड़ामणि बनाम गोपीशाह 37 Cal 1.

मि० घारपुरेके हिन्दूलॉ के अनुसार क़ानूनी ज़रूरतें यह भी मानी गयी हैं—(१) धार्मिक पूजाके लिये देव मन्दिर बनवाना, (२) तालाब आदि बनवाना (३) देव मूर्तिपर चढ़ाना और ब्राह्मणोंको दान देना मगर थोड़ा, देखो—घारपुरे हिन्दूलॉ दूसरा एडीशन पेज २५० नजीर देखो—जगजीवन बनाम देवशंकर 1 Bom. 394

३—भरण-पोषण यानी रोटी कपड़ेके लिये (गुजारा)—अपने खाने पीनेके लिये, और उनके खाने पीनेके लिये जिन्हें आख़िरी मालिक देनेका पाबन्द था, देखो—सदाशिव बनाम धाकूबाई 5 Bom 450, 460.

आख़िरी मालिक जिनको खाना पीना देनेके लिये पाबन्द था वह यह हैं जैसे—मा, दादी, क्वारी लड़की, क्वारी बहन, आदि।

आख़िरी मालिकपर लड़केकी विधवा, पोतेकी विधवा, परपोतेकी विधवा, आदिको खाना पीना देनेके लिये क़ानूनी पाबन्दी नहीं है किन्तु वह सदाचार और सद्व्यवहारके अनुसार पाबन्द हैं, अब देखिये आख़िरी मालिक तो सदाचारसे पाबन्द है मगर जब उसके मरनेके बाद उसकी जायदाद दूसरे वारिस को चली जायगी तो वह वारिस जिसके पास जायदाद है क़ानूनी पाबन्द हो

जायगा। इसलिये जब आखिरी मालिकके मरनेपर उसकी जायदादकी वारिस कोई भी औरत हो वह बेटे, पोते, परपोतेकी विधवाको भी रोटी-कपड़ा देने के लिये क़ानूनी पाबन्द है।

४—लड़कियोंके विवाहके लिये—

उन लड़कियोंके विवाहके लिये जायदाद इन्तकालकी जा सकेगी जिन लड़कियोंके विवाद करनेके लिये आखिरी मालिक पाबन्द था जैसे—बहन, लड़की, लड़केकी लड़की, पोतेकी लड़की, परपोतेकी लड़की, इत्यादि, देखो—देवीदयाल बनाम भानु प्रताप 33 Cal 433. मखन बनाम गयन 33All 255. गनपति बनाम तुलसीराम 36 Bom 88

उनके परवरिशकी पाबन्दी, जिनकी परवरिश उस जायदादपर अवलम्बित है—माता जो अपने पुत्रकी जायदाद वरासतसे प्राप्त करती है, आया उस जायदादके रेहननामेका, बग़रज़ शादी अपने पतिके भाईके पुत्र की पुत्रीके, अधिकार है—कानूनी आवश्यकता—बैजनाथ राय बनाम मङ्गल प्रसाद नारायण सहाय 5 Pat 350; A. I R 1926 Pat 1.

५—गवर्नमेन्टकी मालगुज़ारीके लिये—

अगर पहिले किसी आदमीकी बदइन्तज़ामी और ग़फलतकी वजहसे सरकारी मालगुज़ारी बाकी रह गई हो और उस मालगुज़ारीके अदा करनेके लिये औरतने क़र्ज़ा लिया हो या जायदादका इन्तक़ाल किया हो तो दोनों जायज़ होंगे। लेकिन जब यह बात औरतने जान बूझकर की हो या क़र्ज़ा देने वाला या मोल लेने वाला इस बदइन्तज़ामीका कारण हो तो वह इन्तक़ाल रद्द हो जायगा, देखो—जीवन बनाम बृजलाल 30 Cal 550, 30 I. A. 81. श्रीमोहन बनाम बृजविहारी 36 Cal. 753.

६—ज़रूरी मुक़द्दमेसे जायदाद बचानेके लिये—जब कोई ऐसा खास मुक़द्दमा दायर हो जाय जिससे जायदाद नष्ट हो सकती हो और उसकी पैरवीका खर्च निहायत ज़रूरी हो, तो उस खर्चके लिये जायदादका इन्तक़ाल जायज़ होगा, मगर हर हालतमें यह ज़रूरी है कि ऐसे खर्चके लिये जायदाद का इन्तकाल उस वक्त जायज़ मानाजायगा जब यह सावितहो कि सिवाय इस तरीकेके और कोई तरीक़ा बाक़ी न था, देखो—अमजदअली बनाम मनीराम 12 Cal. 52. इन्द्रकुंवर बनाम ललताप्रसाद 4 All 552 भीमारेड्डी बनाम भास्कर 6 Bom. L R. 623.

७—जायदादकी मरम्मतके खर्चके लिये—औरतें जायदादकी ज़रूरी मरम्मत करानेके लिये क़र्ज़ा ले सकती हैं और जायदादका इन्तक़ाल कर सकती हैं। यह क़र्ज़ा जो मरम्मतके लिये लिया जायगा वह रिवर्ज़नर वारिस (देखो दफा १) को पाबन्द करेगा मगर जब ऐसा क़र्ज़ा उस मरम्मतके

लिये लिया गया हो जो 'ज़रूरी' है अर्थात् जिस मरम्मतके विना जायदादकी स्थिति कायम नहीं रह सकती, कोई औरत जायदादकी उन्नतिके लिये या उसको अच्छा वनानेके लिये कर्ज़ा नहीं ले सकती और न इन्तकाल कर सकती है, देखो हरीमोहन बनाम गनेशचन्द्र 10 Cal 823. गनप्पा बनाम सूबीसन्ना 10 Bom. L. R 927.

८—डिकरीके अदा करनेके लिये जायदादका इन्तक़ाल किया जासकता है, अगर उस इन्तक़ालसे लाभ हो।

जहांपर डिकरीकी मालियतसे ज्यादा क़ीमतकी जायदाद वेंच दीगयी हो या रेहन कर दीगयी हो तो वह इन्तक़ाल जायज़ नहीं माना जा सकेगा। यही सूरत उस वक्त भी लागू होगी जब ज्यादा क़ीमतकी जायदाद डिकरीके मतालबेकी अपेक्षा कममें वेंची गई हो या रेहन कीगयी हो।

९—आख़िरी मालिककी वरासतका सार्टीफिकट लेनेके लिये—आख़िरी मालिककी वरासतका सार्टीफिकट लेनेका खर्च और (Letters of administation देखो दफा १) चिट्ठियात एहतमाम का खर्च कानूनी ज़रूरत माना गया है, देखो—श्रीमोहन बनाम बृजविदारी 36 Cal 753.

जब इन्तकालका समय ज्यादा बीत गया हो—ऐसी सूरतमे, जब किसी परिमित अधिकारी द्वारा किये हुये इन्तकालको बहुत समय व्यतीत होगया हो, और जहांपर दस्तावेज़ इन्तक़ालमें वर्णित वाक़यातोंसे यह विदित होता हो, कि इन्तक़ाल उचित तात्पर्यकी विनापर किया गया है या कमसे कम खरीदारको उचित कारण वताये गये हैं, ऐसी अवस्थामे अदालतको चाहिये, कि यथासम्भव इन्तकालको बहाल रक्खे—अब्दुल सन्यामी बनाम रामचन्द्रराव 1926 M W N 319.

नोट—इस दफामें 'आख़िरी मालिक' से यह मतलब है कि जो मर्द पूरे अधिकारों सहित जायदादपर कब्जा रखताहो, और जिसके मरनेपर जायदाद उसके वारिसको पहुंचीहो, देखो दफा २, ६, ७ 'इन्तक़ाल' से यह मतलबहै कि गिरवी रखना, वेच डालना, दानमें देना, पुरस्कार देना, या अपने कब्जेसे बाहर कर देना। यह बात हमेशा स्मरण रखना चाहिये कि औरत अपने किसी फायदेके लिये जायदाद इन्तकाल नहीं कर सकती और न कर्ज़ा ले सकती है जिससे कि रिवर्जनर वारिस (देखो दफा १) पावन्द हो जाय। यह दफा उन सब औरतोंसे लागूहै जिन्हे जायदाद उनकी जिन्दगी भर के लिये महदूद अधिकारों सहित मिलीहो, जैसे—१ विधवा, २ लड़की, ३ मा, ४ दादी, ५ परदादी आदि। बम्बई प्रांतमें औरतें उत्तराधिकारमें पूरे अधिकारों सहित मर्द से जायदाद पाती है और इसी से उनके मरनेके पश्चात् उनके वारिसोंको वह जायदाद मिल जातीहै, इसी सबब से उन्हें मर्दसे पाई जायदाद पर 'इन्तकाल' करनेका अधिकार प्राप्तहै उनके लिये इस दफासे कुछभी जरूरत नहीं है। कानूनी जरूरतोंके विषयमें विस्तारसे देखो हिन्दूलॉ की दफा ४४०; ३३१; ६७७, ७०२, ७०६, ७०७,

(३) सपिण्डोंमें वरासत मिलनेका क्रम

सपिण्ड नीचे लिखे क्रमानुसार उत्तराधिकारी होते हैं

दफा ४६ लड़के, पोते, परपोतेकी वरासत

(१) अलहदा जायदादके वारिस होते हैं—लड़का, पोता, परपोता, यह तीनों मिलकर इकट्ठे मृत पुरुषकी अलहदा या खुद कमाई हुई जायदादके वारिस होते हैं। यानी एक लड़का, एक पोता जिसका बाप मर गया है, और एक परपोता जिसका बाप और दादा दोनों मर गये हैं मिलकर मरने वालेकी ऊपरकही हुई जायदादके मालिकहोते हैं,देखो—मारूदावी बनाम डोराई सामी 30 Mad 340 लड़कोंके विषयमें और देखो-2 Mad 182, 5 W P.C.114.

(२) इकट्ठे जायदाद लेते हैं—लड़के, पोते, परपोते बापकी जायदाद को व्यक्तिगत नहीं लेते बल्कि अपने बाप और दादाके स्थानापन्न होकर उनका हिस्सा लेते हैं। देखो—

+ यह निशान मरे हुएका है।

मङ्गल मरा और उसने एक लड़का 'अमृत' दो पोते 'राम और भीम' तथा तीन परपोते जय, विजय, और अजयको छोड़ा। ऊपरके बताये हुये सिद्धान्तके अनुसार मङ्गलकी जायदाद पहिले तीन बराबर हिस्सोंमें बांटी जायगी उनमेंसे एक हिस्सा उसका लड़का 'अमृत' लेगा दूसरा हिस्सा उसके पोते दोनों मिल कर लेंगे। इसी प्रकार तीसरा हिस्सा उसके परपोते तीनों मिल कर लेंगे। और अगर परपोतेका बेटा होता तो उसे हक़ नहीं मिलता। इस तरहके बटवारेका अङ्गरेजीमें 'परस्टिरपिस' (Per Stirpes) है और व्यक्तिगत लेते तो बापकी जायदादमें ६ हिस्से हो जाते ऐसे बटवारेको अङ्गरेजीमें 'परकेपिटा' (Per Capita) कहते है। लड़के, पोते, परपोते हमेशा बापकी

छोड़ी हुई जायदादको 'परस्ट्रिपस' लेते हैं यानी व्यक्तिगत नहीं लेते। इन दोनों शब्दोंके लिये देखो दफा १.

(३) बटवारा होनेके बाद जब लड़का पैदा हो—अगर बाप और लड़कोंके बीचमें बटवारा हो जाय और उसके बाद बापके एक लड़का पैदा होजाय तो वह लड़का अपने बापकी वह सब जायदाद पायेगा जो बापको बटवारेमें मिली है। और इस जायदादके सिवाय वह लड़का अपने बापकी उस सब जायदादका भी अकेला मालिक होगा जो बापकी अलहदा और कोई जायदाद हो, या उसके बापने बटवारा होनेके बाद जो जायदाद कमाई हो। अर्थात् बटवारा हो जानेके बाद जब लड़का पैदा होजाय तो वही बापकी सब जायदादका मालिक होता है क्योंकि बापकी ज़िन्दगीमें लड़का जब अलहदा हो जाता है तो पीछे बापकी जायदादका वारिस नहीं माना जाता, देखो—नवलसिंह बनाम भगवानसिंह 4 All 427.

उदाहरण—गणेशके दो लड़के जय और विजय हैं। यह तीनों शामिल शरीक रहते हैं। जय और विजय अपने बाप गणेशसे अलहदा होगये। उसके बाद गणेशके एक लड़का तीसरा 'महेश' पैदा हुआ वह लड़का और बाप शामिल रहने लगे अब गणेश मरा तो उसकी सब जायदाद महेशको अकेले मिलेगी। जय और विजयको नहीं मिलेगी। चाहे बापके पास मरते समय अलहदा, या खुद कमाई हुई या मुश्तरका हिस्सावाली जायदाद हो।

(४) शामिल शरीक और बटे हुये लड़के—जहांपर कि एक बाप और दो माताओंके लड़के होते हैं तो अक्सर यह होता है कि पहिली औरतके लड़के बापसे बटवारा करके अलहदा हो जाते हैं। और बाप दूसरी स्त्री और उसके लड़कोंके साथ रहता है ऐसी हालतमें अगर बाप खुद कमाई हुई जायदाद छोड़कर मरे तो उसकी दूसरी स्त्रीके लड़के और उनकी औलाद उसकी सब जायदाद पानेके अधिकारी होंगे और जो लड़के पहिले बटवारा कर चुके हैं वह और उनकी औलाद नहीं पायेगी, चाहे वह जायदाद बापको बटवारा करनेके पहिले या पीछे प्राप्त हुई हो। अर्थात् बटे हुये लड़कोंका हक बापकी खुद कमाई हुई जायदादपर कुछ नहीं है, देखो—नाना बनाम रामचन्द्र 32 Mad. 377, 2 Mad. 182—185

उदाहरण—शङ्करके राम और भीम दो लड़के हैं। तीनों मुश्तरका रहते हैं। रामने शङ्करसे बटवारा कर लिया और मुश्तरका जायदादमेंका अपना हिस्सा अलहदा करके उसपर क़ाबिज़ हो गया। शङ्कर मरा और उसने राम, और भीमको छोड़ा अब भीम जो बापके साथ शामिल रहता था वही अकेला शङ्करकी खुद कमाई हुई जायदाद, और उस जायदादका जो बापके पास मुश्तरका हिस्सा बचा था सबका मालिक होगा, रामको नहीं मिलेगी क्योंकि पहिले वह बापकी जिन्दगीमें अलहदा हो चुका था। दो शादी होनेकी वजहसे

कोई फ़रक़ इस जगहपर नहीं पड़ता। यहांपर सिर्फ यह विचार किया जायगा कि जो पुत्र बापसे अलहदा हो गये हैं वह बापकी खुद कमाई हुई जायदादके पानेके हक़दार नहीं हैं। अगर किसी बापने अपने लड़केको या लड़कोंको अलहदा करदिया हो और पैतृक सम्पत्ति यानी मौरूसी जायदादका हिस्सा न दिया हो और बाप दूसरे लड़कोंके साथ रहनेकी हालतमें मरगया हो तो मौरूसी जायदादमें अलहदा किये हुये लड़के अपना हिस्सा बटा सकते हैं, क्योंकि उनका हिस्सा बापकी ज़िन्दगीमें था और उस वक्त भी वह अगर चाहते तो बटा लेते मगर बापकी खुद कमाई हुई जायदादके वह वारिस नहीं होंगे। बल्कि उस जायदादके वह लड़के वारिस होंगे जो बापके साथ मुश्तरका रहते थे।

विधवाके पुत्र—हिन्दूलॉ की दफा ६३ के अनुसार जब किसीने विधवा से विवाह सवर्णमें किया हो और उससे भी लड़के पैदा होगये हों तथा उस पुरुषके पहिली स्त्री आदिसे भी लड़के हों तो अब चूंकि विधवा विवाह कानूनन् जायज़ मान लिया गया है इसलिये ऐसा समझा जायगा कि विधवा के पुत्र भी वही हक़ रखते हैं जो उस पुरुषकी पहली स्त्रीसे उत्पन्न पुत्र हक़ रखते हैं अर्थात् दोनों तरहके पुत्रोंको समान हक़ प्राप्त होगा।

(५) अनौरस पुत्र—हिन्दुस्थानके सब हाईकोर्टोंके अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंमें अनौरस पुत्र (जो असली लड़का नहो) का उत्तराधिकार बापकी जायदादमें कुछ नहीं है। वह सिर्फ अपने बापकी जायदादमें रोटी, कपड़ा पानेका अधिकारी है, देखो—रोशन सिंह बनाम बलवन्तसिंह 22 All 191; 27. I. A. 51 चोट्रया बनाम साहब पुरहूलाल 7 M. I. A 18, हिन्दूलॉ की दफा ४०३, ५१०, ५३२ भी देखो।

अनौरस पुत्र—वह पुत्र कहलाता है जो विवाहिता स्त्रीसे न पैदा हो। कलकत्ता हाईकोर्टके अनुसार चाहे मुक़द्दमा मिताक्षरालॉका हो या दायभाग-लॉका हो, शुद्र कौमका अनौरस पुत्र भी बापकी जायदादमें कुछ हक़ नहीं रखता। उसे बापकी वरासत नहीं मिलती वह सिर्फ अपने बापकी जायदादमें रोटी कपड़ा पानेका अधिकारी है।

बम्बई मद्रास और इलाहाबाद हाईकोर्टके अनुसार शूद्र कौमका अनौ-रसपुत्र अपने बापकी वरासतके हिस्सेका हक़दार है, बशर्ते कि उसकी मा केवल उसके बापहीके पास रहती हो और व्यभिचारसे वह पुत्र पैदा न हुआ हो। ऐसा होने पर वह अनौरस पुत्र उत्तराधिकारके पूरे अधिकार नहीं रखता। यह पूरी तौरसे माना गया है कि जहांपर कोई बाप औरस पुत्र और अनौरस पुत्रको छोड़ कर मर जाय तो अनौरस पुत्रको, औरस पुत्रसे आधा हिस्सा मिलेगा, और जहांपर औरस पुत्र न हो लेकिन विधवा, लड़की या

लड़कीका लड़का हो तो अनौरस पुत्र आधा हिस्सा पायेगा और दूसरा आधा हिस्सा विधवा, लड़की या लड़कीके लड़केको मिलेगा। अगर विधवा, लड़की या लड़कीका लड़का न हो तो अनौरस पुत्र सब जायदाद पायेगा देखो—शेष गिरि बनाम गिरेवा 14 Bom. 282 राही बनाम गोविन्द 1 Bom 97, साबू बनाम वाइजा 4 Bom 37. रामकाली बनाम जम्मा 30 All 508; मीनाक्षी बनाम अप्पाकुटी (1909) 33 Mad. 226, अन्नाय्यान बनाम चिन्नन 33 Mad. 366

ऊपर यह बताया गया है कि अनौरस पुत्रको औरस पुत्रके हिस्सेसे आधा हिस्सा मिलता है मगर इस 'आधे' का मतलब इस जगहपर क्या होना चाहिये इस बातपर मतभेद है। देखिये, मेन और सरकार हिन्दूलॉ के अनुसार तो अनौरस पुत्र उस हिस्सेका आधा हिस्सा लेता है जितना कि उसे औरस पुत्र होनेकी सूरतमें मिलता यानी अनौरस पुत्रको एक चौथाई ¼ हिस्सा मिलेगा और तीन चौथाई हिस्सा ¾ औरस पुत्र को मिलेगा। ऐसा मानों कि एक आदमी दो पुत्र छोड़कर मर गया जिनमें से एक औरस और एक अनौरस है। अगर दोनों पुत्र औरस होते तो आधा, आधा हिस्सा मिलता अनौरस होनेकी वजेहसे आधेका आधा हिस्सा मिला, यही शकल उस सूरत में लागू होगी जब कोई एकसे ज्यादा औरस पुत्र और अनौरस पुत्र छोड़कर मर जाय; यानी जितना हिस्सा औरसको मिलेगा उसका आधा अनौरसको मगर 'आधा' उपरोक्त रीतिसे शुमार किया जायगा।

मद्रास हाईकोर्टके अनुसार यह माना गया है कि जितना हिस्सा औरस पुत्रको मिलेगा उस हिस्सेका आधा अनौरस पुत्र पायेगा अर्थात् दोहि हाई औरस पुत्र और एक तिहाई अनौरस पुत्र, देखो—चिल्लाममाल बनाम रंगनाथं (1910) 34 Mad.2 77.

शूद्रोंमें गैर क़ानूनी पुत्रको, बमुकाबिले क़ानूनी या दत्तक पुत्रके उस हिस्सेका आधा हिस्सा मिलता है जो कि उसे उस सूरतमें मिलता जबकि वह क़ानूनी पुत्र होता, न कि उस हिस्सेका आधा जो कि दूसरे हिस्सेदार पाते हैं—34 M. 277. का फैसला प्रिवी कौन्सिलके 46 M 167. के फैसले द्वारा रद्द कर दिया गया है। प्रतिनिधित्वका सिद्धान्त, जो कि क़ानूनी पुत्रों के वरासतके सम्बन्धमें लागू होता है वही गैर क़ानूनी पुत्रोंके सम्बन्धमें भी लागू होता है 25 M 519 शूद्रके दत्तक पुत्र और गैर क़ानूनी पुत्रके मुक़ाबिलेमें गैर क़ानूनी पुत्रको क़ानूनी पुत्र मानना सब प्रकारसे न्याय विरुद्ध होगा और यह फ़र्ज करना कि दत्तकका रस्म इस प्रकार क़ानूनी पुत्रके बाद हुआ, और इस कारणसे दत्तक नाजायज़ हुआ और इससे यह परिणाम निकाला कि गैरक़ानूनी पुत्र तमाम जायदादका मालिक हुआ, और इसके बाद वह जायदाद आधी आधी तक़सीम कीगई और इस प्रकार आधी जायदाद दत्तक पुत्रको

और आधी ग़ैर कानूनी पुत्रको मिली। इस कल्पनाका सही तरीक़ा यह है कि दत्तक पुत्रको उसी हैसियतमें समझा जाय, जिस हैसियतमें कि कुदरती पुत्र होता है, फिर यह फर्ज किया जाय कि ग़ैर कानूनी पुत्र क़ानूनी पुत्र है और यह समझ कर कि वे कानूनी पुत्रोंके साथ रह सकते हैं यह देखा जाय कि उनको उस अवस्थामें कौनसा हिस्सा मिलेगा, और उसका आधा ग़ैर क़ानूनी पुत्रको दिया जाय—महाराजा कोल्हापुर बनाम एस० सुन्दरम् अय्यर 48 Mad 1, A I R 1925 Mad. 497.

अपनीही जातिकी नीची श्रेणी की स्त्रीके साथ शादी करना जायज़ है और किसी ऐसे जातीय रवाजके न होनेपर, जो उसे नाजायज़ करार दें, शादी करने वाले आदमीकी सन्तानको ख़ानदानी जायदादके उत्तराधिकारसे नहीं रोकतीं—हरप्रसाद बनाम केवल 47 All. 169, L. R 6 A. 7 (Civ) 83 I. C 163; A. I. R. 1925 All 26.

वेश्याके पुत्रोंका उत्तराधिकार—एक वेश्याके दो पुत्र थे। एक पुत्रके प्रपौत्रने दूसरे पुत्रके प्रपौत्रके पुत्रकी जायदाद, प्राप्त करनेके लिये नालिश किया—तय हुआ कि हिन्दूलॉ के सबसे नज़दीकी सम्बन्धीका नियम लागू होता है और मुद्दईका दावा ठीक है। चूंकि वेश्या हिन्दू थी और उसकी सन्तान हिन्दू धर्मको मानती थी और हिन्दू रस्म रवाजको धारण किये हुये थी अतएव उसकी सन्तानके लिये हिन्दूलॉ की ही पाबन्दी होगी, वेश्याके लड़कोंके पिताकी चाहे कोई भी जाति क्यों न हों, जब तक कि कोई जायज़ और लाज़िमी रवाज इसके खिलाफ न हो—विश्वनाथ मुदली बनाम डोरे स्वामी मुदली 48 Mad. 944, (1925) M W. N. 613, A. I.R. 1926 Mad. 1; 49 M L. J. 684.

उदाहरण—बजरङ्गदास शूद्र कौम है, उसके पास तीन लाख रुपया है और वह शिवलाल एक औरस पुत्र तथा बिहारी एक अनौरस पुत्रको छोड़ कर मर गया। अब देखिये मदरास हाईकोर्टके अनुसार तो दो तिहाई शिवलाल और एक तिहाई बिहारी पायेगा यानी दो लाख रुपया शिवलाल और एक लाख बिहारी पायेगा। मगर मिस्टर मेनसाहेब और सरकार हिन्दूलॉके अनुसार ऐसा हिस्सा नहीं होगा। उनके अनुसार शिवलाल औरस पुत्र तीन हिस्सा पायेगा और बिहारी एक हिस्सा अर्थात् सवा दो लाख रु० शिवलालको और पचहत्तर हज़ार बिहारीको मिलेंगे। यह आखिरी हिस्सा इस सिद्धान्तपर किया गया है कि अगर बिहारी औरस पुत्र होता तो दोनोंको डेढ़ डेढ़ लाख रु० मिलता। मगर वह अनौरस पुत्र है इसलिये जितना उसे औरस होनेकी सूरतमें मिलना उसका आधा हिस्सा अनौरस होनेपर मिलेगा यानी डेढ़ लाखका आधा पचहत्तर हज़ार रुपया।

(६) अनौरस और औरस पुत्रोंमें सरवाइवरशिप—यह ध्यान रखना कि औरस पुत्र और अनौरस पुत्र अपने बापकी जायदादको मुश्तरका और सरवाइवरशिपके हक (देखो दफा १) के साथ ठीक उसी तरहसे लेते हैं जिस तरह कि औरस पुत्र लेते हैं। इसलिये अगर एक शूद्र एक औरस पुत्र, और एक अनौरस पुत्रको छोड़कर मर जाय और उसके पीछे औरस पुत्र भी विना बटवारा किये मर जाय तो औरस पुत्रकी जायदादका हिस्सा अनौरस पुत्रको मिलेगा, देखो —18 Cal 151; 17 I A. 128.

(७) अनौरस पुत्रका हक़ उसकी औरस औलादको मिलता है—शूद्र कौममें बापकी जायदादमें अनौरस पुत्रका हक कोई ज़ाती हक नहीं माना गया वह हक उस अनौरस पुत्रके मरनेपर उसकी औरस औलादको मिलेगा। ऐसा मानों कि जैसे—देवीदास एक शूद्र है और उसके कालीदास एक औरस पुत्र और चरनदास एक अनौरस पुत्र है। चरनदास अपने बापसे पहिले सेवादास नामक एक औरस पुत्रको छोड़ कर मर गया। पीछे देवीदास मरा तो अब सेवादासको सिर्फ उतनाही हिस्सा मिलेगा जितना कि उसके बाप चरनदासके ज़िन्दा होनेपर उसको मिलता। इसी तरहपर अगर सेवाराम भी एक औरस पुत्रको छोड़ कर बापसे पहिले या पीछे और देवीदासके पहिले मर गया होता तो चरनदासके पौत्रको उतनाही हिस्सा मिलता जितना कि उसके पितामहका था।

अगर अनौरस पुत्र कोई अनौरस पुत्र छोड़ कर बापकी ज़िन्दगीमे मरे जाय तो अभी तक यह निश्चित नहीं है कि उसको हिस्सा मिलेगा या नहीं। जैसे अगर चरणदास एक अनौरस पुत्र छोड़ कर बापकी जिन्दगीमें मरजाता तो उस पुत्रको हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा अभी तक निश्चित नहीं है; देखो—रामलिङ्ग बनाम पवादाई 25 Mad 519 इस विषयमें धर्मशास्त्रकारोंके बचनोंसे प्रतीत होता है कि अनौरस पुत्रके अनौरस पुत्रको शूद्रोंमें भी भाग नहीं मिलेगा। एवं उसके पोते और परपोतेसे भी समझना चाहिये।

(८) अनौरस पुत्रको उत्तराधिकार नहीं मिलता—अनौरस पुत्र सिर्फ अपने बापकी जायदादमें हिस्सा पाता है वह अपने भाई बन्दोंकी जायदादका उत्तराधिकारी कभी नहीं हो सकता अर्थात् बापके सिवाय उसे किसी भी अन्य रिश्तेदारका उत्तराधिकार प्राप्त नहीं हो सकता; देखो स्वामी—शङ्कर बनाम राजेश्वर 21 All. 99.

उदाहरण—एक शूद्र अपने एक औरस पुत्र कालीदास और एक अनौरस पुत्र चरनदास को छोड़ कर मर गया वह दोनों बापकी जायदाद शामिल शरीक और सरवाइवर शिपके हक (दफा १) के साथ लेंगे, अगर दोनों आपसमें बटवारा कराले तो कालीदासके मरनेपर उसकी जायदाद उसके

वारिसको मिलेगी, चरन दासको नहीं मिलेगी, क्योंकि वह उसका वारिस नहीं है। और अगर ऐसा मानों कि बटवारा नहीं हुआ तो कालीदास औरस पुत्रकी जायदाद सरवाइवरशिपके हक़के अनुसार चरनदासको मिलेगी। यह ध्यान रखना कि चरनदास अनौरस पुत्र सिर्फ उतनी जायदाद पायेगा जो बापसे कालीदासको मिली होगी। और जो जायदाद कालिदासकी खुद कमाई है या और कोई दूसरी है वह कालिदासके वारिसको मिलेगी अनौरस पुत्र चरनदास को हरगिज़ नहीं मिलेगी क्योकि वह उसका वारिस नहीं है।

(६) द्विजोंमें अनौरस पुत्रका कोई हक़ नहीं है। दासी पुत्र—यह बात हम पहिले बता चुके हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, और वैश्योंमें अनौरस पुत्रका बापकी जायदादहै कोई अधिकार किसी तरहका नहीं है वह बापका उत्तराधिकारी नहीं है और न वह बटवारा करासकता है। शूद्रोंके अनौरस पुत्रके बारेमें हिन्दूधर्म शास्त्रोंमें यह माना गया है कि अगर वह 'दासीपुत्र' हो यानी 'दासी' का लड़का हो तो वरासत और बटवारेमें कुछ अधिकार रखता है। कलकत्ता हाईकोर्टने 'दासी' शब्दका अर्थ यह किया है जो 'औरत खरीदी गयी हो' और चूंकि सन् १८४३ ई० में दासीका होना बन्द कर दिया गया है इसलिये अब दासी नहीं होती इस सबबसे कोई भी आदमी दासी पुत्र नहीं हो सकता। नतीजा यह निकला कि चाहे मिताक्षरालॉ या दायभागलॉका केस हो कलकत्ता हाईकोर्टके अनुसार सन् १८४३ ई० से जब कि दासी होना बन्द कर दिया गया है तबसे कोई भी 'अनौरस पुत्र' दासी पुत्र नहीं कहा जा सकता इससे उसे वरासतमें और बटवारेमें किसी हिस्सेके लेनेका भी हक नहीं है सिर्फ वह बापकी जायदादमें रोटी कपड़ा पानेका अधिकार है; देखो—रामसरन बनाम टेकचन्द (1900) 28 Cal. 194; नरायन बनाम रखल 1 Cal. 1; क्रिपाल बनाम सुकरमनी 19 Cal 91.

बम्बई, मदरास, और इलाहाबादकी हाईकोर्टने यह माना है कि यद्यपि 'दासी' शब्दका अर्थ खरीदी गयी औरतसे है मगर इस अर्थमें उस औरतका भी समावेश हो सकता है कि जो किसी आदमीके पास सिर्फ उसीके लिये बराबर रही हो, तो ऐसी औरतका लड़का इन कोर्टोंके अनुसार वरासत और बटवारामें कुछ हक़ रखता है जैसा कि ऊपर बताया गया है।

(१०) अनौरस पुत्र बटवारा नहीं करा सकता—अनौरस पुत्र अपने बापसे मौरूसी जायदादका बटवारा नहीं करा सकता क्योंकि उसे पैदाइससे हक़ नहीं पैदा होता। बापको अधिकार है कि अगर वह चाहे तो उसे आधा हिस्सा दे। मगर आधेसे ज्यादा बापका अधिकारभी देनेका नहीं है। विस्तार से हिन्दूलॉ की दफा ४०३; ५२२. में देखिये।

दफा ४७ विधवाकी वरासत

(१) कब हक होता है? पुत्र, पौत्र, प्रपौत्रके न होनेपर मृत पुरुषकी जायदाद उसकी विधवा स्त्रीको मिलती है। बृहस्पतिने कहा है कि—

आम्नाये स्मृति तन्त्रेच लोकाचारे च सूरभिः
शरीरार्द्धंस्मृता जाया पुण्या पुण्यफले समा।
यस्य नोपरताभार्या देहार्द्धं तस्य जीवति
जीवत्यर्द्धं शरीरेऽर्थं कथमन्यः समाप्नुयात्।
सकुल्यैर्विद्यमानैस्तु पितृमातृसनाभिभिः
असुतस्य प्रमीतस्य पत्नीतद्भागहारिणी। बृहस्पति•

बृहस्पति कहते हैं कि—यह बात वेद, स्मृति, तंत्र और लोकाचारमें भी मानी जाती है कि पुण्य और पापके फलकी स्त्री बराबरकी हिस्सेदार है, क्योंकि वह पुरुषका आधा शरीर है। जिस मृत पुरुषकी विधवा स्त्री जीती हो तो मानों उस पुरुषका आधा अङ्ग जीता है, और जब आधा अङ्ग जीता है तो उसे छोड़कर मृत पुरुषकी जायदाद कैसे दूसरेको दी जा सकती है। नतीजा यह हुआ कि सकुल्योंके तथा माता पिता और भाइयोंके मौजूद होने पर भी अपुत्र पुरुषकी जायदाद उसकी विधवा लेगी। 'अपुत्र मृत पुरुष' से यह मतलब है कि जिसके पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र न हों और ऐसी हालतमें वह मरा हो।

याज्ञवल्क्यने भी विधवाको पुत्र, पौत्र, और प्रपौत्रके पश्चात् मृत पुरुष के धनका वारिस माना है—

पत्नी दुहितरश्चैव पितरौ भ्रातरस्तथा, तत्सुता गोत्रजा बन्धु शिष्यः सब्रह्मचारिणः॥ अनेन पूर्व पूर्वस्याभावे पर परस्याधिकारं वदन् सर्वेभ्यः पूर्व पत्न्या एव धनाधिकार मभिधत्ते

विष्णुने भी यही बात मानी है, देखो—

(अपुत्रस्य धनं पत्न्याभिगामि)

अपुत्रका अर्थात् जिसके पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र न हों उसके धनको पहिले उसकी विधवा लेती है।

बिल्कुल इसी प्रकार क़ानूनमें माना गया है। नीचे देखो—

(२) विधवाकी मिलकियत—लड़के, पोते, परपोतेके न होनेपर पति की छोड़ी हुई जायदाद विधवाको महदूद हक़ोंके साथ मिलती है। विधवा के मरनेपर वह जायदाद विधवाके वारिसोंको नहीं मिलेगी, बल्कि उसके पतिके वारिसोंको मिलेगी, इस किताबकी दफा ५६३ देखो—भगवानदीन बनाम मैनाबाई 11 M. I. A. 487.

विधवाको जो जायदाद पतिसे मिलेगी उस जायदादमें वह सिर्फ उसके मुनाफेके पानेकी हकदार है, चन्द क़ानूनी सूरतोंके सिवाय विधवाको जायदादके इन्तक़ाल करनेका कोई अधिकार नहीं है। मगर उसे यह अधिकार है कि वह अगर चाहे तो सिर्फ अपनी जिन्दगी भरके लिये जायदादमें जो उसे हक़ है रेहन, या बय करदे, यानी गिरवी रखदे, या बेंच डाले। जायदादके मुनाफे पर विधवाको पूरा अधिकार है। उसे अपनी मरज़ीके अनुसार वह काममें ला सकती है। विधवाके उत्तराधिकार सम्बन्धमें कुछ नजीरें देखिये 9 M. I. A. 543-611; 2 W R P. C 31-39, 5 I. A 61; 1 Mad. 312; 2 C. L. R 81; 5 I. A. 149; 4 Cal. 190, 3 C L R 31-40; 13 M. I. A. 113, 3 B. L R. P. C. 41; 12 W. R. P. C. 40; 13 M. I. A. 497; 6 B L. R 202; 14 W. R P C 33; 3 Mad. H C. 289; 2 M. I. A. 331, 5 W. R. P. C 131, 3 M W P 74, जैनियों के लिये देखो—6 N. W. P. 382. S. C; 5 I. A. 87; 1 All. 688; 1925 A. I. R 97 Oudh.

—हिन्दू स्त्रीके मुसलमान हो जानेपर आया उत्तराधिकारका अधिकार चला जाता है? यदि कोई हिन्दू स्त्री विधवा हो जानेके बाद मुसलमान हो जाय, तो सिवाय उसके हिन्दू पतिके, उसके वरासतके अधिकारोंमें कोई असर नहीं पड़ता—घनश्यामदास बनाम सरस्वती 21 L. W. 415, (1925) M. W. N 285, 87 I C 621; A I. R 1925 Mad. 861.

जब पतिकी मृत्युके पश्चात् कोई हिन्दू विधवा, किसी मुश्तरका खानदानकी जायदादपर काबिज पाई जाती है, तो उसका कब्ज़ा आमतौरपर उस की परवरिशके सम्बन्धमें माना जाता है। उसका क़ब्ज़ा उस जायदादपर मुख़ालिफ़ाना नहीं होता—यशवन्त बनाम दौलत 89 I C. 663.

उस विधवाका अधिकार, जो जायदादपर ताहयात अधिकार रखती है बमुकाबिले उस विधवाके अधिकारके जो परवरिशकी ग़रज़से जायदाद प्राप्त करती है, अधिक होता है—गोपी कोयरी बनाम मु० राजरूप कोयर A I R. 1925 All. 190.

आया विधवाकी जायदाद ग्रांट द्वारा कायमहो सकती है? जज कुमार स्वामी को इस बातमे सन्देह है। स्पेंशर चीफ़ जस्टिसका मत है कि विधवा की जायदादका वसीयत या ग्राट द्वारा कायम किया जाना सम्भव है और यह कानून द्वारा भी पैदा हो सकती है—महाराजा कोल्हापुर बनाम एस० सुदरम् अय्यर 48 Mad. 1, A. I. R 1925 Mad. 497.

विधवा जायदादके लाभके लिये किसी कानूनी सुलहनामेकी पाबन्दी जायदादपर कर सकती है, किन्तु ज़रूरतसे अधिक रकमके सुलहनामेकी पाबन्दी जायदाद पर न होगी, देखो—बसावन बनाम नाथा A. I R. 1925 Oudh 30

विधवा द्वारा प्राप्त की हुई जायदाद—इस आम सिद्धान्तमें कि कोई हिन्दू विधवा किसी जायदादपर कब्ज़ा मुखालिफ़ाना रखनेकी हालतमे उसे अपना अलग स्त्रीधन जायदाद समझती है, इस पाबन्दीकी आवश्यकता है कि आया उसने उस जायदादको बहैसियत अपने पतिकी विधवाके पैदा किया है? अन्तिम सूरतमें वह जायदाद उसके पतिकी इजाफा जायदाद हो जाती है और वह वरासतसे विधवाके वारिसोंको नहीं बल्कि उसके पतिके वारिसोंको मिलती है—जगमोहनसिंह बनाम प्रयागनारायण 87 I. C 473; 3 Pat L R 251, 1925 P. H C. C 140, 6 Pat. L J. 206, A I. R 1925 Pat 523.

स्वयं उपार्जित सम्पत्ति—किसी व्यक्तिकी स्वयं उपार्जित सम्पत्तिपर उसकी विधवाका बमुकाबिले उसके पिताके ज्यादा नज़दीकी सम्बन्ध है—मु० जीराबाई बनाम मु० रामदुलाराबाई 89 I C 991.

कब्ज़ेका लिया जाना, जबकि बहैसियत विधवाके वह नहीं प्राप्त किया जा सकता था, वस्तुतः सम्पूर्ण अधिकारको पैदा करता है जैसे कब्ज़ा मुखालिफाना—लालबहादुरसिंह बनाम मथुरासिंह 87 I. C. 164, A. I R. 1925 Oudh 669.

यदि किसी विधवाका कब्जा मुखालिफ़ाना, अन्तिम पुरुष अधिकारीके जीवनकालसे ही आरम्भ होता है तो मियादका सिलसिला विधवाके कब्जेके वक्त जारी रहेगा, किन्तु यदि कब्ज़ा मुखालिफाना अन्तिम पुरुष अधिकारीकी मृत्युके पश्चात् विधवाकी ताहयात क़ब्जेदारीके मध्य आरम्भ होता है तो विधवाकी मृत्युके बादसे भावी वारिसोंके ख़िलाफ मियादका चलना शुरू होगा। जब विधवा केवल परवरिशकी अधिकारिणी हो तो उसका कब्ज़ा मुखालिफ़ाना माना जायगा, यदि इस बातका कोई सुबूत न हो, कि वह किसी अन्य प्रबन्धसे है—भगवानदीन बनाम अजोध्या 87 I. C 1021, A I. R. R 1925 Oudh 729.

हिन्दू विधवाको उस जायदादके इन्तक़ाल करनेका परिमित अधिकार है जिसेकि उसने बतौर अपने पतिकी वारिसके प्राप्त किया है। वह कोई ऐसा इन्तक़ाल नहीं कर सकती, जो उसके जीवनके पश्चात् प्रभाव रखता है और वह वसीयतनामेके द्वारा इन्तक़ाल बहुतही कम कर सकती है। मध्य प्रदेशमें हिन्दू विधवा अपने पतिसे प्राप्त मौरूसी जोतकी वसीयत नहीं कर सकती—शिवदयाल बनाम रामप्रसाद 90 I. C. 247.

विधवा—नियत मासिक एलाउन्सके एवज़में जायदादका त्याग औ कोर्ट आफवार्डस्की विधवा थीं कोर्टकी इजाज़त नहीं हासिलकी गई जायदाद का कोर्टके कब्जेमें होनेसे ऐसी दशामें त्याग जायज़ नहीं है—बंगाल कोर्ट आफ वार्ड ऐक्ट (बी०सी० ६सन् १८७६ई०) की दफा ६० देखो—मानसिंह बनाम महारानी नवलखपति 53 I. A 11; 43 C. L J. 259, (1926) M W. N 332; 7 Pat L J. 223, 5 Pat. 290; 94 I. C. 850, A. I. R. 1926 P C. 2; 50 M L J. 332 (P C.).

त्याग परवरिश—उसके लिये आदेश—भावी वारिस या किसी अन्यके हक़में त्याग और उसका जायज़ होना—अभयपद त्रिवेदी बनाम रामकिंकर त्रिवेदी A. I. R 1926 Cal 228 त्याग—समस्त जायदादका क्रमशः त्याग एक साथ नहीं जायज़ होना—मारू बनाम टेंसो 24 A L. J. 541

(३) बदचलन विधवा—बदचलन विधवा अपने पतिकी जायदादके पानेका हक़ नहीं रखती और अगर एक दफा उसे हक़ प्राप्त हो जाय तो फिर बदचलनीकी वजेहसे जायदाद उससे वापिस नहीं ली जा सकती। अर्थात् जब बदचलनीकी दशामें उसे पतिकी जायदाद मिलनेका मौक़ा प्राप्त हुआ हो तो उसे जायदाद नहीं मिलेगी और अगर जायदाद मिल जानेके पीछे वह बदचलन हो जाय तो उससे बदचलनीकी वजहसे जायदाद नहीं लौटाई जायगी, देखो—मनीराम बनाम केरी कोलीटानी 5 Cal. 776, 7 I. A. 115. सैलाम बनाम चिन्नामल 24 Mad. 441. गङ्गाधर बनाम एलू (1912) 36 Bom. 138, 2 All. 271.

वह विधवा जो कि दुराचारिणी रही हो, किन्तु उसके सम्बन्धमें प्रमाणित किया गया हो कि उसने अपवित्र जीवन त्याग दिया है तो वह केवल परवरिशकी अधिकारिणी है—भीखूबाई बनाम हरीबा 49 Bom. 459; 27 Bom. L. R. 13; A I R. 1925 Bom 153.

(४) विधवाका पुनर्विवाह—जब किसी विधवाको पतिकी जायदाद प्राप्त होगयी हो और उसके बाद वह अपना दूसरा विवाह करले तो वह जायदाद जो पहिले पतिके मरनेपर उसे मिली है वह विधवासे छीन लीजायगी और वह जायदाद उसके पहिले मृत पतिके वारिसको मिल जायगी, देखो—रसूल जहांन बनाम रामसरन 22 Cal 589.

विधवा पुनर्विवाह करनेसे अपनी वरासतको खो देती है इसे 'हारीतने' भी कहा है देखो—

भार्य्याव्यभिचारिणी यावद्यावच्च नियमेस्थिता:
तावत्तस्याभवेद्द्रव्य मन्यथास्याद्विलुप्यते । हारीतस्मृति

हारीत कहते हैं कि, जब तक भार्या अपने नियमोंमें स्थित रहे और ब्रह्मचारिणी बनी रहे तबतक पतिकी जायदादका उपभोग करे, ऐसी न रहनेसे जायदाद छीन लीजायगी।

(५) बे धर्म विधवा—जब किसी विधवाको पतिकी जायदाद वरासतमें मिली हो उसके बाद अगर वह अपने धर्ममें न रहे, यानी हिन्दू न रहे, तो इस बातसे प्रायः उसके अधिकारमें फरक़ नहीं पड़ेगा, देखो—हिन्दू विधवाओंका पुनर्विवाह करनेका क़ानून, एक्ट १५ सन १८५६ ई० की दफा २, माटुंगिनी बनाम रामरतन 19 Cal 239.

(६) विधवा माकी हैसियत नष्ट नहीं करेगी—विधवा बदचलनीकी वजहसे तो पतिकी जायदाद वरासतमें नहीं पाती, मगर वह अपने पहिले पतिके लड़कोंकी माकी हैसियत नहीं खो देती; इसलिये वह पतिकी विधवाकी हैसियतसे तो पतिकी जायदाद कभी नहीं पायेगी, मगर वह माकी हैसियतसे अपने उन पुत्रोंकी जायदादके पानेका हक़ रखती है जो पहिले पतिसे पैदा हुए हों, देखो चामरहारू बनाम काशी 29 Bom. 388; वासापा बनाम रायाबा 29 Bom. 91; लक्ष्मण बनाम सेवा 28 Mad. 425.

जहांपर विधवाके दूसरी शादी करनेका रवाज है वहांपर अगर कोई विधवा पतिकी जायदादके वारिस बनजानेके बाद दूसरी शादी करले तो भी जायदाद उससे छिन जायगी। इस विषयपर इलाहाबाद हाईकोर्टकी यह राय है कि विधवासे जायदाद ज़रूर छीन लीजायेगी, देखो—मूला बनाम परताप (1910) 32 All 489. दूसरे हाईकोर्टोंकी राय कुछ विरुद्ध है।

एक्ट नम्बर १५ सन १८५६ ई० की दफा २ के अनुसार विधवा दूसरी शादी कर लेनेसे अपने पहिले पतिकी जायदादमेंसे रोटी कपड़ा पानेकी मुस्त हक़ नहीं रहेगी। इलाहाबाद हाईकोर्टने गजाधर बनाम कौंसिला (1908) 31All. 161 में यह माना कि जहांपर विधवा अपनी क़ौमकी रसमके अनुसार दूसरी शादी करसकती है और उस क़ौममें दूसरी शादी करना नाजायज़ नहीं माना जाता तो विधवा ऐसी सूरतमें अपने रोटी कपड़ेके पानेका हक पहिले पतिकी जायदादमें रखती है।

(७) दो या ज्यादा विधवायें—जब कोई पति मर जाय और दो या दोसे अधिक विधवायें छोड़े तो वह सब विधवायें पतिकी जायदाद मुश्तरक़न्

और सरवाइवरशिप के हकके साथ (देखो दफा १) हासिल करती हैं। ऐसा मानो कि एक हिन्दू अपनी तीन विधवायें गङ्गा, जमुना और तुलसी, को छोड़ कर मरगया। तीनों विधवायें मुश्तरकन् और सरवाइवरशिपके हकके साथ पतिकी जायदाद लेंगी। और तीनों विधवायें पतिकी जायदादकी आमदनीका बराबर हिस्सा लेनेका हक रखती हैं। उन तीनोंमेंसे जब एक विधवा मर जायगी तो उसका हिस्सा बाक़ी दो विधवाओंको मिलेगा इसी तरहपर जब दूसरी विधवा मरेगी तो उसका भी हिस्सा तीसरी विधवाको मिलेगा। और जब आख़िरी विधवा मर जायगी तो जायदाद उसके पतिके वारिसको मिलेगी। विधवाएं पतिकी जायदादका बटवारा नहीं करासकतीं जिससे कि दूसरी विधवाका सरवाइवरशिपका हक़ मारा जाय। विधवायें, अगर आपसमें जायदादका बटवारा करले कि जिससे उनको बराबर मुनाफा मिलनेमें सहूलियत रहे तो कर सकती हैं परन्तु आपसी बटवारेसे किसी तरहका नुक़सान दूसरे वारिसको पहुंचता हो तो वह नहीं कर सकेंगी।

जब किसी शामिल शरीक विधवाको जायदादका मुनाफा न मिलता हो (चाहे वह जिसके पास इन्तजाममें जायदाद है खा जाता हो या दूसरी विधवाएं न देती हों या और किसी तरहसे न मिलता हो) तो वह विधवा जिसे मुनाफा नहीं मिलता अदालतमें इस बातकी नालिश करे और अदालतको यह मालूम हो कि विधवाको जायदादका मुनाफा दिलानेके लिये उसके पतिसे पाई हुई जायदादका बटवारा करना ही योग्य होगा तो अदालत ऐसी डिकरी कर सकती है कि वह विधवा जायदादपर अलहदा कब्ज़ा रक्खे और उसका मुनाफा अलहदा हासिल करे लेकिन ऐसी डिकरीसे 'सरवाइवरशिप' का हक़ नहीं टूट जायगा यह बात प्रिवी कौंसिल ने भी मानी है; देखो--भगवानदीन बनाम मैनाबाई 11 M. I. A. 489, नीलमनी बनाम वधामनी 1 Mad 290, 4 I. A. 212, 34 All 189.

रवाज के अनुसार जब एक विधवा दूसरी विधवाकी मृत्युके पश्चात्, उसकी जायदादकी वारिस हो सकती है, तो वह उसके द्वारा किये हुये इन्तकालको भी रद्द करा सकती है। मु० सुरजो बनाम मु० दलेली 7 Lah L. J 474, 87 I. C. 937, 26 Punj L R. 269, A I R 1625 Lah. 573

एक हालके मुकद्दमेंमें जहांपर कि विधवाने अपने पतिकी छोड़ी हुई जायदादपर अलहदा क़ब्ज़ा रखनेके लिये अदालतमें नालिश की थी प्रिवी कौन्सिल ने वादीके अलहदा कब्ज़ा पानेके हकको मानते हुये यह फरमाया कि 'ऐसा मान लेना कि मुश्तरका जायदाद बट नहीं सकती यह ग़ैर मुमकिन है' देखो--सुन्दर बनाम पारवती 12 All 51, 16 I. A 186 इस मुकद्दमेंमें प्रिवी कौन्सिलकी जो यह राय है कि 'मुश्तरका जायदाद बट सकती है' इसका मतलब यह है कि जायदाद सहूलियतके लिये और अलहदा अलहदा मुनाफा

हासिल करनेके लिये बांटी जा सकती है मगर किसी सूरतमें भी ऐसा बटवारा नहीं हो सकता जिससे सरवाइवरशिपका हक़ टूट जाय।

जहांपर कि एक हिन्दू एकही विधवा छोड़कर मरजाय तो वह विधवा अपने उस हक़को जो उसे अपनी जिन्दगी भरके लिये पतिकी छोड़ी हुई जायदादमें मिला है रेहन कर सकती है और बेंच सकती है। लेकिन विधवा जायदादको न हीं रेहन नहीं करसकती और नबेंच सकती है सिवाय उन चन्द सूरतोंके जो कानूनमें बताईगई है देखो हिन्दूलॉ की दफा ७०६। ध्यान रहे कि विधवा अपने हक़को रेहन या बय तो कर सकती है मगर जायदादको नहीं इसे साफ तौरपर यो समझिये कि विधवा जायदादके मुनाफेको सिर्फ अपनी जिन्दगी भरके लिये रेहन और बय कर सकती है। और अगर क़ानूनी सूरतोंके सिवाय जायदादको रेहन या बय करदे तो वह रेहन या बय उस वारिसको पावन्द नहीं करेगा जो विधवाके मरनेके बाद उसके पतिका वारिस होगा। ऐसा मानों कि एक आदमी एक विधवा और एक भाई छोड़कर मर गया विधवा जायदादकी वारिस हुई और उसने जायदादको विना क़ानूनी ज़रूरतके किसीके पास रेहन या बय कर दिया तो वह रेहन या बय सिर्फ विधवाकी ज़िन्दगी भरके लिये पावन्द करेगा मगर जब विधवा मर जायगी और जायदाद उसके पतिके भाईको वरासतन् पहुंचेगी तो रेहन या बय उसके भाईको पावन्द नहीं करेगा।

(८) सरवाइवरशिपका हक़ नहीं मारा जायगा—जहां कोई हिन्दू दो या दोसे ज्यादा विधवाएं छोड़ कर मर जाय तो सब विधवाओंका पतिकी जायदाद पर मुश्तरका और सरवाइवरशिप (दफा १) के हक़ के साथ कब्ज़ा होता है। उन विधवाओंमेंसे हर एक अपना मुश्तरका हिस्सा अपनी जिन्दगी भरके लिये रेहन कर सकती है और बेंच सकती है। इसी तरह हर एक विधवा अपनी जायदादकी आमदनी जो उसे उसके अलहदा हिस्सेसे मिलती है चाहे वह हिस्सा अदालत की डिकरी से अथवा आपसमें अलहदा कर लिया गया हो रेहन कर सकती है और बेंच सकती है। लेकिन ऐसा इन्तकाल, चाहे वह रेहन या बय या किसी अन्य तरहसे भी किया गया हो उस विधवाकी ज़िन्दगी तक जायज़ रहेगा जिसने कि उसे किया हो। उस विधवाके मर जानेके बाद उसका किया हुआ इन्तक़ाल रद्द हो जायगा और उसका हिस्सा दूसरी विधवाको मिल जायगा। अर्थात् विधवा जायदादका ऐसा इन्तकाल नहीं कर सकती जो दूसरी विधवाके सरवाइवरशिपके हक़में बाधा पहुंचाये।

(९) विधवाका इन्तक़ाल कब जायज़ होगा—जहांपर दोसे ज्यादा विधवाएं पतिकी जायदादपर क़ाविज़ हों और उनमेंसे एक विधवा सब विधवाओंकी मंजूरीसे जायदादका इन्तक़ाल करदे तो वह इन्तक़ाल उन सब

विधवाओंकी जिंदगी भरके लिये पाबन्द करेगा। ज्यादा नहीं सब विधवाओंके मरनेके बाद जब जायदाद उनके पतिके वारिसको पहुंचेगी उस वक्त उस वारिसको विधवाओंका किया हुआ इन्तक़ाल पाबन्द नहीं करेगा, देखो—हरीनरायन बनाम बिताई 31 Bom. 560; दुर्गादत्त बनाम गीता (1911) 33 All. 443, 449.

जब दो या दोसे अधिक विधवाएं पतिकी जायदादमें वारिसाना कब्ज़ा रखती हों और हर एक विधवा अपने अपने अलहदा हिस्सेकी मालकिन हो चाहे वह अदालतसे या आपसके बटवारेसे अलहदा क़ब्ज़ा जायदादपर रखती हो। उनमेंसे किसी विधवाने क़ानूनी ज़रूरतके लिये अपनी वह जायदाद जिसपर कि वह अलहदा क़ाबिज़ है विना मंजूरी सब विधवाओंके इन्तक़ाल करदे तो ऐसी सूरतमें वह इन्तक़ाल सिर्फ उसकी जिन्दगी भरके लिये उसकी अलहदाकी जायदादको पाबन्द करेगा ज्यादा नहीं। और जब वह विधवा मर जायगी तब उसका हिस्सा दूसरी विधवाको चला जायगा और इन्तक़ाल रद्द समझा जायगा, देखो—वदाली बनाम कोटीपाली (1902) 26 Mad. 334; (1906) 30 Mad. 3.

(१०) विधवाका रोटी कपड़ा पानेका हक़—जब विधवा अपने पतिकी छोड़ी हुई जायदादकी वारिस नहीं होती अर्थात् जब विधवाको पतिकी जायदाद नहीं मिलती तो फिर विधवाका सिर्फ रोटी, कपड़के पानेका हक़ बाक़ी रह जाता है। रोटी, कपड़के हक़को भरण—पोषण, गुज़ारा, या नाननफ़क़ा, कहते हैं। विधवाके गुज़ारेका हक, पतिकी अलहदा जायदादमें, और उस जायदादमें भी जिस जायदादका उसका पति मरते समय मुश्तरकन् हिस्सेदार था रहता है। मतलब यह है कि ऊपर कही हुई दोनों किस्मोंकी जायदादपर विधवाका हक़ गुज़ारा पानेका रहता है। नजीरें देखो—

१—पतिकी छोड़ी हुई अलहदा जायदादपर विधवाका हक़ गुज़ारा पानेका है। यशवन्तराव बनाम काशीबाई 12 Bom. 26, 28.

२—उस जायदादपर जिस जायदादका उसका पति मरते समय मुश्तरकन् हिस्सेदार था, देवीप्रसाद बनाम गुणवन्ती 22 Cal. 410, जानती बनाम अलामेलू 27 Mad. 45; बेचा बनाम मदीना 23 All. 86; आधीबाई बनाम कृष्णदास 11 Bom. 199.

चाहे विधवा विना किसी उचित सबबके अपने पतिकी जिन्दगीमें उससे अलहदा रही हो और जब उसका पति मरा हो तबभी पतिसे अलहदा रहती हो तो भी विधवा अपने गुज़ारा पानेकी मुस्तहक़ है। यह गुज़ारा उसके पतिकी जायदादमेंसे मिलेगा जो उसके पतिने छोड़ी हो चाहे वह अलहदा हो या मुश्तरका हो। देखो—31 Mad. 338.

(११) विधवाका मुनाफेपर हक़--जब किसी विधवाको कोई जायदाद वरासतमें मिली हो तो उस जायदादके मुनाफेपर विधवाका पूरा अधिकार होता है । विधवा के मरने पर वरासत से मिली हुई जायदाद उस पुरुषके वारिसको चली आयगी जिससे कि उसने पायी है,मगर यदि विधवाने उस जायदादके मुनाफ़ेसे कोई दूसरी मनकूला या ग़ैर मनकूला जायदाद ख़रीदकी हो या नक़द छोड़ाहो जिसपर कि उसका पूरा अधिकार माना गया है वह जायदाद और नक़द सब विधवाके उत्तराधिकारीको मिलेगा ।

उदाहरण—रामदेवी विधवाको एक जायदाद पतिसे ग़ैर मनकूला वरासतमें मिली, विधवाने उस जायदादके मुनाफेसे दो मकान और एक गांव ख़रीद किया तथा उसके पास पांच हज़ार रु० नक़द भी जमा हो गया । विधवाने इस अपनी जायदादको किसी दूसरे आदमीको पुण्य कर दिया और पीछे मर गयी और उसने एक लड़की छोड़ी । अब पतिसे पाई हुई जायदाद तो उस लड़कीको मिली मगर दोनों मकान व एक गांव और नक़द सब विधवाके दिये हुये दानाधिकारीको मिलेगा—अगर उस विधवाने अपनी जिन्दगीमें कुछ भी न किया हो तो सब लड़कीको मिलेगा ।

(१२) विधवा कब जायदादका इन्तक़ाल कर सकती है—जब किसी विधवाको या विधवाओंको उत्तराधिकारमें पतिकी जायदाद उनकी जिन्दगी भरके लिये मिली हो तो वह ऊपर कहे हुए क़ायदोंकी पाबन्दीके साथ क़ानूनी ज़रूरतोंके लिये जो इस किताबकी दफ़ा ७५ में बताई गयी हैं जायदाद का इन्तक़ाल कर सकती हैं ।

क्रिया कर्मका ख़र्च —एक विधवा,जो किसी मुश्तरका ख़ान्दानकी मेम्बर थी और जिसके पास अपने पति द्वारा उपार्जित कोई जायदाद न थी, मर गई । उसके जीवन कालमें उसका पालन उसके पतिके एक भतीजे और एक भतीजेके पुत्रने समान रीतिपर किया था । उसकी मृत्युके पश्चात् यह प्रश्न उठा कि उसकी अन्त्येष्टि क्रिया का ख़र्च कौन उठाये । तय हुआ कि भतीजा और दूसरे भतीजे का पुत्र बराबर बराबर ख़र्च बरदाश्त करें । इस बहसमें कोई जान नहीं है कि वही व्यक्ति, जिसने क्रियाकी हो उस व्ययको बरदाश्त करे । शिव पेथला बनाम रङ्गप्पा पेथला 49 M L J 719.

जमीनका पट्टा—जब विधवा द्वारा किये हुये ज़मीनके पट्टेके लगानकी वसूलयाबीके समय विधवा मर गई, तो उसके व्यक्तिगत वारिस उसके वसूल करनेके अधिकारी होंगे, न कि भावी वारिस—मारुती बनाम उकर्द 22 N. L R 13, 99 I C. 741, A. I R. 1926 Nag. 314.

वह हिन्दू विधवा, जो अन्तिम पुरुष अधिकारीकी जायदादके प्रबन्ध की सरकारी सनद प्राप्त करती है उसी हैसियतपर है जिसपर कि कोई अन्य प्रबन्धकर्ता और अदालतकी मन्जूरीके साथ उसके द्वारा किये हुये इन्तक़ाल

के खिलाफ, कोई भी ऐसा एतराज़ जो किसी अन्य प्रकारके प्रबन्धकर्ताके खिलाफ नहीं हो सकता, नहीं किया जा सकता। परिणाम स्वरूप उसपर क़ानूनी आवश्यकताकी बिनापर आक्रमण नहीं हो सकता—राखलचन्द्रवर्धन बनाम प्रसादचन्द्र चटरजी 90 I. C. 229.

दफा ४८ लड़कीकी वरासत

(१) कब हक़ होता है—लड़के, पोते, परपोते, और विधवाके न होनें पर लड़कीको उत्तराधिकार मिलता है।

"पत्नी दुहितरश्चैव पितरौ भ्रातरस्तथा" याज्ञवल्क्य २-१३५.

तस्मादपुत्रस्य (पुत्र, पौत्र, प्रपौत्ररहितस्य) स्वर्यातस्य विभक्तस्यासंसृष्टिनः परिणीता स्त्री संयता सकलमेव धनं गृह्णातीति स्थितम्। तदभावे 'दुहितरः'। मिताक्षरा

बृहस्पति—भर्तुर्धनहरी पत्नी तां विना दुहिता स्मृता। अङ्गादङ्गात्संभवति पुत्रवद् दुहितानृणाम्—अपुत्रधनं पत्न्याभिगामि, तदभावे दुहितृगामि १७-५. नारद—यथैवात्मा तथा पुत्रः पुत्रेण दुहितासमा तस्यामात्मनि जीवन्त्या कथमन्योहरेद्धनम् १३-४६.

भावार्थ—याज्ञवल्क्य, मिताक्षरा, बृहस्पति, वृहद्विष्णु और नारदके वचनोंसे लड़कीका हक बापकी जायदादमे है। मगर जब मृत पुरुषके, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, और विधवा मर चुकी हो।

विधवाके पश्चात् लड़कीका हक बापकी जायदाद पानेमे माना गया है, यही बात कानूनमे भी मानी गयी है कि अपुत्र पुरुषकी जायदाद विधवाके मरनेपर लड़कीको मिलेगी।

(२) जब तक सब विधवायें न मर जायें—कोई लड़का, पोता, परपोता जीवित रहेगा तो विधवाको जायदाद नहीं मिलेगी और जब तक विधवा जिन्दा रहेगी तब तक लड़कीको नहीं मिलेगी। अगर कोई आदमी अनेक विधवायें छोड़कर मरा हो तो जब तक वह सब विधवायें मर न जायेंगी तब तक लड़कीको या लड़कियोंको कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी सब विधवाओं

के मर जानेपर बापकी जायदाद लड़कियों को मिलती है, देखो--प्राणजीवन दास तुलसीदास बनाम देवकुंवरि बाई (1859) 1 Bom. H. C. 130

(३) लड़कियोंमें विभाग—पराशरजी कहते है कि—

"अपुत्रस्य मृतस्य रिक्थं कुमारी गृह्णीयात् तद्भावे चोढ़ा।

अर्थात् मृत पुरुषका धन पहिले कुमारी लड़की (जिसका व्याह नहीं हुआ) लेवे, और उसके न होनेपर विवाहिता लड़की लेवे। क़ानूनमें भी ऐसा ही माना गया है। फरक़ यह है कि पराशरने पहले हक़ क्वारी लड़कीका और दूसरा व्याहीका रखा है, क़ानूनमे व्याही लड़कीमें भी भेद डाला गया है।

बापकी जायदाद पहिले विनव्याही लड़कीको मिलेगी, उसके पीछे उस लड़कीका हक होगा जिसका व्याह होगया है लेकिन ग़रीब (खाने पीने की तंगी) है, और सबसे पीछे उस लड़कीका हक़ होगा जिसका व्याह होगया है और धनवान है, देखो—जमुनाबाई बनाम खिमजी 14 Bom 113 टटवा बनाम बसवा 23 Bom. 229 अवधकुमारी बनाम चन्द्राबाई 2 All. 561 डन्नो बनाम डरबो 4 All. 243.

(१) विन व्याही लड़की (क्वांरी)

(२) व्याही और ग़रीब (ससुरालवालोंकी गरीबी)

(३) व्याही और आसूदा (ससुराल वालोंका धनवान होना)

पहिले दर्जेकी लड़कीके होते हुये, दूसरे दर्जेकी लड़की, और दूसरे दर्जेकी लड़कीके होते हुये तीसरे दर्जेकी लड़कीका हक़ न होगा।

(४) जब एकही दर्जेकी अनेक लड़कियां हों—जब किसी मृत पुरुष के दो या दो से ज्यादा लड़कियां एकही दर्जेकी हों तो वह सब बापकी जायदाद सरवाइवरशिपके हक़के साथ (देखो दफा १) विधवाओंकी तरह लेती हैं, देखो—अमृतलाल बनाम रजनीकांत (1875) 2 I. A. 113, 126; 15 Beng L. R. 10, 24.

एक पुत्री जो अपने पिताकी जायदाद वरासतसे प्राप्त करती है, परिमित अधिकारिणी होनेके कारण, उस जायदादका इन्तकाल कामिल, विना उसकी क़ानूनी आवश्यकताके नहीं कर सकती। वह उस जायदादपर भावी वारिसोंके खिलाफ अपने खास कर्जके लिये या निजी मतलबके लिये पाबन्दी नहीं कर सकती, किन्तु वह ऐसी पाबन्दी अपने जीवनकालके लिये कर सकती है। पुत्री केवल अपने जीवन भरके अधिकारका ही इन्तक़ाल कर सकती है और उस व्यक्तिकी तहरीकपर जिसके हकमें इन्तक़ाल किया गया है उस इन्तकालके बटवारेका अमल हो सकता है—साहदेवसिंह बनाम किशुनविहारी पांडे 90 I C. 559, 1925 P. H. C C 292, A I. R. 1925 Pat 820.

जब बापकी जायदाद एकही दर्जेकी कई एक लड़कियोंको मिली हो तो उनमें से हर एक अपने उस लाभको जो लड़कीको जायदादमें सिर्फ उसकी जिन्दगी भर तकके लिये मिला है रेहन कर सकती है, बेंच सकती है मगर शर्त यह है कि उस रेहन या बेंचनेसे दूसरी लड़कियोंके सरवाइवरशिपके हक़में कोई बाधा न पड़ती हो, देखो—23 Mad 504.

लड़कियां अपने बापसे पाई जायदादमें अपने अपने हिस्सेमें अलहदा अलहदा प्रबन्ध कर सकती हैं मगर शर्त यह है कि वह प्रबन्ध ऐसा होना चाहिये कि जिससे कि उसके बादके वारिस (भावी वारिस) के हकोंमें किसी तरहकी बाधा न पडे और कोई नुक़सान न पैदा हो, देखो—कैलास बनाम काशी 24 Cal. 339.

(५) बङ्गाल, बनारस, और मिथिला स्कूलमें—बङ्गाल, बनारस और मिथिला स्कूलके अनुसार जब किसी लड़कीको बापकी जायदाद उत्तराधिकारमें मिली हो तो उस जायदादमें लड़कीका महदूद हक रहता है, यानी वह जायदाद लड़कीकी जिन्दगी भरके लिये मिलती है और लड़कीके मरनेके बाद वह जायदाद लड़कीके वारिसको नहीं मिलती, बल्कि उसके बापके दूसरे वारिसको मिलती है, देखो—छोटेलाल बनाम चुन्नूलाल 4 Cal. 744, 6 I A. 15, मुट्टू बनाम डोरासिंह 3 Mad 290, 8 I. A 99.

ऊपरके चारो स्कूलोंके अन्तगर्त अगर बापकी जायदाद किसी बिन ब्याही लड़कीको मिलगयी हो, और उसके पश्चात् उस लड़कीका विवाह होगया हो तो भी लड़कीको उत्तराधिकारकी जायदादपर हीन हयाती (जिन्दगीभर) हक रहेगा और उसके मरनेपर जायदाद उसके बापके दूसरे वारिसको जायगी अगर लड़कीने मरनेके समय एक लड़का छोड़ा तो उस लड़केको जायदाद बहैसियत उसके नानाके वारिसके मिलेगी, लड़कीके वारिस के हैसियतसे नहीं, देखो मेन हिन्दूलॉकी दफा ६१२

(६) बम्बई स्कूलमें—बम्बई प्रान्तमें ऊपर कहे हुये पैरा ४, ५ के क़ायदे लड़कियोंके लिये लागू नहीं पड़ते। बम्बई प्रान्तमें बापकी जायदाद जब कोई लड़की उत्तराधिकारमें पाती है तो उसे उस जायदादपर पूरे हक होते हैं। अनेक लड़कियोंके होनेपर हर एक लड़कीको बापकी जायदादमें उसके हिस्सेके अनुसार पूरा हक़ होता है और वह उसे मानिन्द अपनी अलहदा जायदादके रखती है, और लड़कीके मरनेपर वह जायदाद (बापसे वरासतन् पाई हुई) उसके बापके दूसरे वारिसको नहीं मिलेगी, बल्कि लड़कीके वारिसको मिलेगी जैसे उसका स्त्री धन होता है, देखो—भागीरथीबाई बनाम कन्नूजीराव 11 Bom 285, गुलप्पा बनाम तैय्यब 31 Bom 453, विथ्थापा बनाम सावित्री 34 Bom 510.

उदाहरण—महेशके दो लड़किये शारदा और सरस्वती हैं। शारदाके एक लड़की कमला और सरस्वतीके एक लड़की माधुरी है। महेश मरा तो अब

महेशके मरनेपर उसकी जायदाद दोनों लड़कियां लेंगी। बम्बई प्रान्त में दोनों लड़कियें बापसे पाई हुई जायदादपर आधे आधे हिस्से की पूरी मालकिन हो गयीं और इसी लिये उनके मरनेपर जायदाद उनके वारिसको मिलेगी। पैरा ५ में कहे हुए स्कूलोंमें दोनों लड़कियां सरवाइवरशिपके हक्के साथ बापकी जायदाद लेती है और एक लड़कीके मरनेपर दूसरी लड़की उसकी जायदादकी वारिस होती है और दोनोंके मरनेपर वह जायदाद किसी लड़कीके वारिसको नहीं मिलती बल्कि उसके बापके वारिसको मिलती है। बम्बईमें यही विचित्र बात है कि यहांपर दोनों लड़कियां बापकी जायदाद सरवाइवरशिपके हक्के साथ नहीं लेतीं, इसी कारणसे हरएक लड़की अपने हिस्सेके अनुसार जायदादपर पूरा मालिकाना कब्ज़ा कर लेती है, मानों वह उतने हिस्सेकी असली मालिक होगयी। इसीलिये इस प्रान्तमें हर एक लड़की अपना हिस्सा बिला किसी रोकके रेहन कर सकती है, बेंच सकती है और जैसा जीमें आये कर सकती है जिस तरहपर स्त्रीधनमें उसका अधिकार है उसी तरहपर बापसे पायी हुई जायदादपर हो जाता है। यही कारण है कि उस लड़कीके मरनेपर जायदाद लड़कीके वारिसको मिलती है, बापके वारिस को नहीं। देखो जब महेश मरा तो दोनों लड़कियें उसकी छोड़ी हुई जायदाद पर आधे आधे हिस्सेकी पूरी वारिस होंगी। पीछे शारदा मरी तो शारदाका आधा हिस्सा उसकी लड़की कमलाको मिला, एवं सरस्वतीके मरनेपर उसका हिस्सा माधुरीको मिला।

नोट—यह स्मरण रखना चाहिये कि बम्बई स्कूलको छोडकर बाकी सब स्कूलोंमें लड़कियां सरवाइवरशिपके हकके साथ बापकी जायदाद लेती हैं और अपना हक उस जायदादमें महदूद रखती हैं। वह लडकियां जायदादको रेहन या बय नहीं कर सकतीं क्योंकि उन्हें अपने जीवन भरके लिये जायदाद मिली हैं, बम्बईमें इसके विरुद्ध है।

(७) दुश्चरित्रता—दुश्चरित्रताका दोष लड़कीको जायदादमें हिस्सा पानेके लिये कोई रोक नहीं करेगा, देखो—आधअप्पा बनाम रुद्रव 4 Bom. 104. कोजी आड्डू बनाम लक्ष्मी 5 Mad. 149, 156

लेकिन जहांपर एक ऐसी लड़की यानी दुश्चरित्रा बिन ब्याही हो और दूसरी ब्याही सच्चरित्रा हो तो जायदादके पानेका हक्क सच्चरित्रा ब्याही लड़की

को होगा। दुश्चरित्रा बिन ब्याही लड़कीका हक़ मारा जायगा और अगर एक ही लड़की है जो दुश्चरित्रा है तो उसे जायदादमें हिस्सा मिलेगा, देखो— तारा बनाम कृष्णा (1907) 31 Bom 495 यही बात उस समय होगी जब एकही दर्जेकी लड़कियों में सच्चरित्रा और दुश्चरित्रा हों, सच्चरित्रा को जायदाद मिलेगी।

यह स्मरण रखनाकि मिताक्षरामें सिर्फ विधवाही एक ऐसी औरत है कि जिसका दुश्चरित्र होनेके सबबसे जायदाद पानेका हक़ मारा जाता है; देखो—वेदामल बनाम वेदानयागा 31 Mad 100.

(८) नाजायज़ लड़की—जो लड़की, सवर्णकी विवाही हुई स्त्रीसे नहीं पैदा हुई, यानी अनौरसा है वह चाहे शूद्रकी भी हो लेकिन अपने बापकी जायदाद पानेका हक़ बिलकुल नहीं रखती, देखो—मिखिया बनाम बाबू (1908) 32 Bom 562. लेकिन अनौरसा लड़की, अपनी माकी जायदाद पाने का हक़ रखती है, देखो—अरुणागिरि बनाम रंगनायकी 21 Mad. 40.

(९) रवाजसे लड़कीका हक चला जाता है—जिस किसी प्रान्तमें अथवा जिस किसी घरानेमें ऐसा ख़ास रवाज हो कि वहां लड़की जायदाद पानेका हक नहीं रखती, तो लड़कीको उत्तराधिकारमें जायदाद नहीं मिलती; देखो—बजरंगी बनाम मनोकर्णिका 30 All 1; 35 I. A. 1, पार्वती बनाम चन्द्रपाल 31 All. 457; 36 I. A 125 और देखो नीचे पैरा १४.

(१०) लड़की कब जायदाद इन्तक़ाल कर सकती है?—जब किसी लड़कीको या लड़कियोंको बापसे उत्तराधिकारमें (बम्बई प्रान्तको छोड़कर) उनकी जिन्दगी भरके लिये जायदाद मिली हो तो वह ऊपर बताये हुये क़ायदोंकी पाबन्दीके साथ क़ानूनी ज़रूरतोंके लिये जो इस किताबकी दफा ६०२, ७०६ में बताई गयी हैं जायदादका इन्तक़ाल कर सकती हैं। बम्बई प्रांत में लड़की पूरी मालिक मानी गयी है इसलिये उसे क़ानूनी ज़रूरतों की ज़रूरत नहीं है।

(११) क्वारी लड़कीका जब विवाह हो जाय—जब किसी क्वारी लड़कीको बापकी जायदाद उत्तराधिकारमें मिली हो और उसके बाद उस लड़कीका विवाह हो जाय तो वह जायदाद लड़कीके साथ ससुरालमें जाती है और उसके मरनेपर सरवाइवरशिपके हकके अनुसार दूसरी लड़कीको मिलेगी (अगर कोई हो) यदि एकही लड़की है तो पीछे उसके बापके दूसरे वारिसको मिलेगी। लड़कीके पति या ससुर आदिको नहीं मिलेगी। लड़की के लड़केका हक़ जायदाद मिलनेके लिये नानासे माना गया है और जब एक दफा लड़कीके लड़केको जायदाद मिल जावे तो वह उस जायदादका पूरा मालिक हो जाता है इसलिये उस लड़केके मरने पर लड़केके वारिसको जाय-

दाद मिलेगी, यानी उस वक्त नानाके खानदानसे निकलकर नेवासाके खानदानमें आ जायेगी।

(१२) क्वारी लड़कीका बदचलन होना—जब कोई क्वारी लड़की क्वारेपनमें बदचलन हो जाय और वेश्याकी तरहपर रहने लगे तो वह लड़की न तो क्वारी रहती है और न व्याही। अगर वह लड़की ऐसी न होगयी हो कि उसका हक़ कानूनन् मारा गया हो तो उसे दूसरी शुद्ध चरित्रा क्वारी लड़कियों, और सब व्याही लड़कियोंके पश्चात् बापकी जायदाद मिलेगी, देखो तारा बनाम कृष्णा (1907) 31 Bom. 495 at P. 510, 9 Bom L. R. 774. देखो—ट्रिवेलियन हिन्दूलॉ पेज ३७२.

(१३) तीन किस्मकी लड़कियोंमें जायदादका मिलना—जब कोई आदमी तीन किस्मकी लड़कियोंको छोड़कर मरजाय तो सरवाइवरशिपके हक़के साथ (देखो दफा १) क्रमसे बापकी जायदाद लड़कियोंको मिलेगी। तीन किस्मकी लड़कियोंसे मतलब यह है, (१) क्वारी, (२) व्याही ग़रीब, (३) व्याही अमीर। बापकी जायदाद लड़कियोंको सरवाइवरशिपके हक़के साथ मिलती है, मगर लड़कियोंमें सबसे पहिले क्वारी लड़की जायदाद पावेगी, अगर क्वारी लड़कियोंमे एक मरजाय तो उसका हिस्सा बाकी क्वारी लड़कियोंको मिलेगा और जब आखिरी क्वारी लड़की मरजायगी तब वह जायदाद व्याही और ग़रीब लड़कियोंको मिलेगी, इनमे भी वही क्रम रहेगा कि एकके मरनेपर उसका हिस्सा दूसरी गरीब लड़कियोंको मिल जायगा और जब आख़िरी व्याही और ग़रीब लड़की मरजायगी, तब जायदाद व्याही और अमीर लड़कियोंको मिलेगी। वह भी इसी तरहसे मालिक होंगी, यानी एकके मरनेपर बाकी लड़कियां उसके हिस्सेको लेंगी और जब आखिरी व्याही अमीर लड़की मर जायगी तो फिर वह जायदाद उसके बापके दूसरे वारिसको मिलेगी।

अगर कोई लड़की अपना लड़का छोड़कर या सब किस्मकी लड़कियां लड़के छोड़ कर मरी हों तो जब तक तीनों किस्मकी सब लड़कियां न मर जावेंगी तब तक लड़कीके लड़केको या लड़कोंको जायदाद नहीं मिलेगी।

उदाहरण—(१)

विजयके तीन किस्म की दो दो लड़कियां हैं। यानी दो क्वारी दो व्याही -ग़रीब और दो व्याही-अमीर। इन छः लड़कियोंको छोड़ कर विजय मर गया अब सरवाइवरशिपके हकके साथ सबसे पहिले क्वारी लड़कियां

जायदाद पावेंगी, दोनों क्वारी लड़कियोंको पहिले जायदाद मिलेगी, यानी विद्या और प्रभाको। जब इन दोनोंमेंसे एक मर जायगी तो दूसरी लड़की उसका हिस्सा लेगी। ऐसा मानो कि पहिले विद्या मर गयी तो उसका हिस्सा प्रभाको मिलेगा उस समय प्रभा पूरी जायदादकी मालिकिन होजायगी। और जब दूसरी क्वारी लड़की भी मरजायगी यानी प्रभाके मरनेपर जायदाद ब्याही और ग़रीब लड़कियोंको मिलेगी। उनमें भी सरवाइवरशिपका हक़ लागू रहेगा और जब वह दोनों लड़कियां मर जायेंगी तब जायदाद ब्याही और अमीर लड़कियोंको मिलेगी। उनमें भी सरवाइवरशिपका हक रहेगा इसलिये जब आखिरी लड़की मरेगी तब लड़कीके लड़केका या लड़कोंका हक जायदाद पानेका पैदा होगा। लड़कीके या लड़कियोंके जीतेजी नहीं होगा।

(२) ऐसा मानों कि विजय दो क्वारी लड़कियोंको छोड़ कर मर गया उसके मरनेके बाद एकका विवाह हो गया और वह कुछ दिनोंके बाद मर गयी, मगर दूसरी लड़कीका विवाह नहीं हुआ था। तो अब सरवाइवरशिपके हकके अनुसार इस ब्याही हुई लड़कीके मरनेपर उसका हिस्सा क्वारी लड़कीको मिलेगा और उस वक्त वह अकेली अपनी जिन्दगी भर जायदादपर क़ाबिज़ रहेगी। जब वह मरेगी तब दूसरी ब्याही—ग़रीब लड़कियां (अगर कोई हों) जायदाद पावेंगी। उनके बाद ब्याही और अमीर लड़कियां। अगर ब्याही लड़की एक लड़का छोड़ कर मर गयी हो तो क्वारी लड़कीके जीते जी वह जायदाद नहीं पावेगा।

(३) ऐसा मानों कि विजय दो क्वारी लड़कियोंको छोड़ कर मर गया। उसके मरनेपर एकका विवाह हो गया। क्वारी लड़की पहिले मर गयी। अब उसका हिस्सा सरवाइवरशिपके अनुसार ब्याही लड़कीको मिलेगा। नजीरें देखो—दौलतकुंवर बनाम बरमादेवसहाय (1874) 14 B. L. R. 246 note; 22 W. R C. R. 54, कहमनचियर बनाम डोरासिंहटेवर (1871) 6 M. I. I. C. 330, 332, दुलारी बनाम मूलचन्द 32 All. 314 और देखो—मिस्टर मेनके हिन्दूलॉकी दफा 557, ट्रिवेलियन हिन्दूलॉका पेज 372, 38 All. 111 (1916) यदुवंशीकुंवर बनाम महिपालसिंह वाले मामलेमें यह वाक़ियात थे—एक बटे हुए खानदानका हिन्दू मरा। उसने अपनी विधवा और चार लड़कियां छोड़ी इनमेसे एक क्वारी थी तीन विवाहिता। विधवाके मरने पर क्वारी लड़कीने तीन विवाहिता लड़कियोंपर अपने बापकी जायदाद दिला पानेका दावा किया। मगर दौरान मुकद्दमेमें वह क्वारी लड़कीमर गयी। पीछे तीनों लड़कियोंने दरख़ास्त दी कि अब हम वारिस उस जायदादकी हैं। अदालतने मुकद्दमा ख़ारिज़ कर दिया। इसके फैसलेके कुल पढ़नेसे यह ज़ाहिर होता है कि अदालतने सबसे पहिले क्वारी लड़कीका हक बापकी जायदादमें माना पीछे प्रतिवादिनियोंका।

(१४) अवध और पञ्जाब प्रांतमें लड़की और नेवासेका हक़ नहीं माना गया—पञ्जाब प्रान्तकी कई एक जातियोंमे माना गया है कि मर्द सम्बन्धी रिश्तेदारके मुकाबिलेमें स्त्री सम्बन्धी रिश्तेदारोंका हक़ वरासतमें जायदाद पानेका नहीं है। यानी उनमें लड़की, या लड़कीका लड़का वरासतमें जायदाद नहीं पासकता, देखो—पञ्जाब कस्टम ७२ और देखो पञ्जाब कस्टमरीलॉ 11, 80, III 48. अवध प्रान्तके प्रायः क्षत्रिय तालुकेदारों और ज़मीदारोंमें लड़की और लड़कीके लड़कोंका हक़ उत्तराधिकारकी जायदादमें नहीं माना जाता। इस विषयमें मिस्टर मेन साहेब कहते हैं कि "बहुत सी अवध प्रान्तकी अपीलें जो प्रिवी कौंसिलमें मेरी तजवीज़में आयी हैं उनमें गांवके वाजिबुल् अर्ज़ से ज़ाहिर हुआ है कि जायदाद चाहे वह मौरूसी हो या खुद कमाई हुई हो, लड़की और लड़कीके बच्चोंका हक उस जायदादमें नहीं है, और एक सरक्युलर नम्बरी ४२ सन् १८६४ चीफ कमिश्नर साहेब बहादुर अवधका इसी मतलबका है कि इस (अवध) प्रान्तके ऊंचे कुल वाले क्षत्रियोंमें ऊपर कही हुई रवाज प्रचलित है।" देखो मेन हिन्दूलॉ की दफा ५६१ जिन मुक़द्दमोंमें रवाज के आधारपर लड़की और लड़कीके लड़कोंका हक़ उत्तराधिकारकी जायदाद में नहीं माना गया वह नीचे लिखे हैं, देखो—बजरङ्गीसिंह बनाम मनोकर्णिका बख़्शसिंह (1907) 35I A.1, 30All 1, 12C.W.N.74,9Bom L R.1348 नानाजी उत्पत भाऊ बनाम सुन्दरबाई (1874) 11 Bom H C. 249 (पंढरपुरके 'उत्पात्त' नामक परिवारमें) प्रागजीवन दयाराम बनाम रेवाबाई (1881) 5 Bom 482 वीराभाई अजूभाई बनाम हिराबाबाई (1903) 30 I. A. 234, 236, 27 Bom 492, 498; 7 C W. N 716, 718, 719 (चुदासामागमेटे गरासिया कौममें) मुसम्मात पार्वती कुंवर बनाम चन्द्रपाल कुंवर रानी (1909) 36 I. A 125, 31 All 457, 13 C W. N 1073; 11 Bom L. R 890 (चौहान राजपूत अवध प्रान्तमें) गोहल गरासिया नामक कौममें कोई रवाज मुकर्रर नहीं है, रंछोड़दास विट्ठलदास बनाम रावल नाथूभाई केसाभाई (1895) 21 Bom. 110.

एक हिन्दू पुत्री, अपने पिताकी, जो मुसलमान होगया हो, वारिस नहीं हो सकती। ऐक्ट २१सन्१८५०ई०के अनुसार यह नाजायज़ है—सुन्दर अम्मल बनाम अमीनल 40 Mad. 1118, Foll. 11 All 100 Not foll, A I R. 1927 Mad 72.

अमीर और ग़रीब बहनें—दो बहनोंकी बीचकी एक नालिशमें मुद्दा-अलेह बहनकी ओरसे यह दलील पेश कीगयी, कि मुद्दई बहिन बहुत बीमार है और मुद्दाअलेहको गरीबीके कारण मिताक्षराके उस कानूनके अनुसार जिसमें ग़रीबको अमीरके ऊपर तरजीह दीगयी है तरजीह मिलनी चाहिये।

तय हुआ कि मुद्दाअलेह अपने मुतवफी पिताकी पूरी जायदादकी मिताक्षराके अनुसार वारिस है---मनकी कुंवर बनाम कुन्दन कुंवर 23 A. L. J. 183; 47 All. 403; 87 I. C. 121; A. I. R. 1225 All. 378.

बम्बई स्कूलमें पुत्रियोंका अधिकार---बम्बई प्रान्तमें, हिन्दूलॉके अधीन पुत्रियां अपने पिताकी जायदादकी वारिस उसके पूर्ण अधिकार पर होती हैं और यदि कोई हिस्सेदार नहो तो वे क़ब्ज़ा मुश्तरका हासिल करती नहीं है, क़ब्ज़ा विल जमाल नहीं---किसन तुकाराम बनाम बापू तुकाराम 27 Bom. L. R. 670; 89 I. C. 196 (1), A. I R 1925 Bom. 424.

पुत्रियोंके मध्य जायदादकी तकसीमका इक़रारनामा---ए, तीन पुत्रियां छोड़कर मरा। उन्होंने उसकी जायदादकी तक़सीमके लिये ज़बानी मुआहिदा कर लिया। एक पुत्री अपना हिस्सा अपने सौतेले पुत्रके क़ब्ज़ेमें छोड़कर मर गई। प्रश्न यह था कि आया उन बहिनोंके मध्यका इक़रारनामा उनके मध्य जीवित रहनेके अधिकारको रद्द करता था? नीचेकी अदालतने तय कियाकि जीवित रहनेका अधिकार तब नष्ट होगया था।

दूसरी अपीलमें तयहुआ कि वाक्य 'पूर्ण अधिकार' अर्थात् बिक्री द्वारा इन्तक़ालका अधिकार आदिका अर्थ यह है कि प्रत्येक बहिन पूरे क़ब्जेसे जायदाद ले,और यहकि किसी बहनकी मृत्युके पश्चात् उसका हिस्सा उसके वारिसको मिलेगा, न कि उसकी जीवित बहनको---लक्षमम्मा बनाम सुभारागुडू 85 I C. 788, A. I. R. 1925 Mad. 343.

दफा ४९ लड़कीके लड़केकी वरासत (नेवासा-दोहिता-दौहित्र)

कब हक़ होता है?---(१) लड़के, पोते, परपोते, विधवा, और लड़कियोंके न होने पर दौहित्र यानी लड़कीके लड़केको उत्तराधिकारमें जायदाद मिलेगी।

याज्ञवल्क्यने साफ़ तौरसे दौहित्रको नहीं कहा---

'पत्नी दुहितरश्चैव पितरौ भ्रातरस्तथा' २---१३५.

इस श्लोकमें दुहितरःके आगे 'च' का अक्षर है; इस अक्षरसे मिताक्षराकार विज्ञानेश्वर ऐसा अर्थ निकालते हैं कि---

'च' शब्दात्दुहितृभावे दौहित्राः धनभाक्।

'च' के कहनेसे मतलब यह है कि लड़कीके न होनेपर लड़कीका लड़का धन पानेका अधिकारी होगा। विष्णु भी यही कहते हैं---

'अपुत्र पौत्र संताने दौहित्र धन माप्नुयुः,

अपुत्र (पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र न होनेपर) पुरुषका धन उसके पुत्र, पौत्र आदि सन्तान न होनेपर दौहित्रको मिलेगा। मनुजी कहते हैं—

दौहित्रोह्यखिलं रिक्थमपुत्रस्य पितुर्हरेत्
सएव दद्यात् द्वौ पिण्डौ पित्रे माता महायच। ६-१३२

जिसके पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र नहीं हैं ऐसे बापका सबधन उसकी लड़कीका लड़का लेवे वही अपने पिता और नानाको दो पिण्ड दे। नतीजा यह है कि पहिले पुत्रिका पुत्रका रवाज था (देखो हिन्दूलॉ की दफा ८२-३, ८३) और उस वक्त वह पुत्र, पौत्र, प्रपौत्रके पश्चात् ही धन पानेका अधिकारी हो जाता था। यही बात अबतक चली आती है। उत्तराधिकारमे दौहित्रका दर्जा पहिले की रीतिके अनुसार रखा गया है मगर अब वह नानाका लड़का नहीं कहलाता बल्कि अपने बापका लड़का कहलाता है। देखो दफा ६७ का नक़शा।

(२) क़ानूनमें लड़कीका लड़का कब वारिस होगा ?—जब तक सब लड़कियां जो वारिस होनेके लायक़ हैं और जायदाद पानेका हक़ रखती हैं मर न जायें, तब तक लड़कीका लड़का नानाकी जायदाद पानेका अधिकारी नहीं होगा; देखो—बैजनाथ बनाम महावीर 1 All. 608 शान्तकुमार बनाम देवसरन 8 All. 365.

लड़कीका लड़का असलमें तो 'बन्धु' यानी भिन्न गोत्रज सपिंड है। क्योंकि उसका रिश्ता मृत पुरुषसे एक स्त्रीके द्वारा है। लेकिन वह गोत्रज सपिंडोंके साथ जायदाद पाता है। कारण यह है कि हिन्दू धर्म शास्त्रोंमें ऐसा माना गया है, देखो— श्रीनिवास बनाम डंडायू डापानी 12 Mad 411.

(३) लड़कीका लड़का मा का वारिस बनकर नानाकी जायदाद नहीं लेता-हिन्दूलॉ में उत्तराधिकारके विषयमें लड़कीके लड़केका खास स्थान रखा गया है, यद्यपि वह भिन्न गोत्रज सपिण्ड यानी बन्धु है परन्तु वह मृत पुरुष के बाप और अन्य सपिंडोंसे पहिले जायदाद पानेका अधिकारी माना गया है। कारण यह है कि प्राचीन रीति यह थी कि जिस हिन्दूके लड़का नहीं होता था वह अपनी लडकीको शौनकके वचनानुसार कन्यादान करके उससे पैदा हुये पुत्रको अपना पुत्र बना लेता था शौनकका वचन यह है—

अभ्रातृकां प्रदास्यामि तुभ्यं कन्या मलंकृताम्
यस्यां यो जायते पुत्रो समे पुत्रो भवेदिति।

इस वचनके अनुसार प्राचीन रीति थी(देखो हिन्दूलॉ की दफा८२-३,८३) इस तरहके लड़केको 'पुत्रिकापुत्र' कहते हैं। इस लड़केके दर्जेको याज्ञवल्क्य

बौधायन, देवल और बृहस्पतिने औरस पुत्रसे दूसरा दर्जा माना है (देखो हिन्दूलॉ की दफा ६०) अब यह रवाज बन्द होगया है मगर लड़कीके लड़के का स्थान उत्तराधिकारमें ज्योंका त्यों रहा और अबभी उसका स्थान पुत्र,पौत्र प्रपौत्रके नीचेही माना गया है। आप ख्याल करेंगेकि विधवा, और लड़कीकी वरासतके भी नीचे कहना चाहिये था उत्तर यह है कि विधवा और लड़की तो सिर्फ जिन्दगी भरके लिये बीचमें आजातीहैं और महदूद अधिकार रखती हैं। प्राचीन रीति और अङ्गरेजी क़ानूनमें सिर्फ यह फरक़ पड़ गया है कि पहिले वह लड़का जो शौनकके वचनानुसार नानाका लड़का बन जाया करता था, अब वह अपने बापका माना जाता है। शौनकके वचनके नुसार विवाह नहीं माना जाता । उत्तराधिकारमें वह नानाके पौत्र (पोते) की तरह माना जाता है, देखो— 27 Mad. 300, 311, 312.

लड़कीका लड़का अपनी माका वारिस बनकर जायदाद नहीं पाता, बल्कि वह अपने नानाका वारिस बन कर नानासे जायदाद पाता है।

(४) नानाकी जायदादमें पूरा हक़ रखता है—जिस तरहपर कि विधवा लड़की जायदादमें महदूद हक़ रखती हैं उस तरहपर लड़कीका लड़का नाना से पाई हुई जायदादमें महदूद हक नहीं रखता। वह उस जायदादका पूरा मालिक हो जाता है। इसी लिये जब कोई जायदाद नानाकी, किसी नेवासेको मिली हो तो फिर उस नेवासेके मरनेके बाद वह जायदाद उसके वारिसको जायगी, नानाके वारिसको नहीं मिलेगी।

(५) जब एकसे ज्यादा लड़कियोंके लड़के हों—जब किसीके दो या दोसे ज्यादा लड़कियोंके अनेक लड़के हों तो वह सब लड़के नानाकी जायदाद बराबर हिस्सेमें पावेगे। अर्थात् जब अनेक लड़कियोंके अनेक पुत्र हों तो वह सब पुत्र नानाकी जायदादमें बराबर हिस्सा लेंगे।

उदाहरण—'महेशदत्त'के दो लड़कियां हैं उमा और गार्गी। उमाके दो लड़के और गार्गीके तीन लड़के हैं। दोनों लड़कियां मर गयीं। पीछे महेशदत्त मरा तो अब उसकी जायदाद पांच बराबर हिस्सोंमें बांटी जायगी। हर एक लड़कीका लड़का एक एक हिस्सा पायेगा।

(६) जब एकही लड़कीके एकसे ज्यादा लड़के हों—जब किसी आदमी के एकही लड़की हो औरउस लड़कीके अनेक लड़के हों और वह सब मुश्तरका खानदानमें रहते हों तो वह सब नानाकी जायदादको मुश्तरका और सरवाइवरशिपके हक़के साथ (देखो दफा १) लेंगे। देखो—वेंकयामा बनाम वेंकटरामनै अम्मा 26 Mad. 678; 29 I. A. 156.

जब कई एक लड़के जुदी जुदी लड़कियोंके हों तो वह पहिले नानाकी सब जायदाद शामिल शरीक लेगे और फिर उन्हें अख़्त्यार है कि अपना

अपना हिस्सा बटालेवें, क्योंकि दो भिन्न लड़कियोंके लड़कोंमें मुश्तरकन हिस्सेदारी नहीं हो सकती; देखो--27 Mad. 382, 385

उदाहरण—'महेशदत्त' अपनी लड़की उमाको छोड़कर मरगया। उमा के दो लड़के हैं जय और विजय। महेशदत्तके मरनेपर उसकी जायदाद उसकी लड़की उमाको मिली, उमाके मरनेपर वह जायदाद जय और विजयको बतौर माके वारिसके नहीं मिलेगी, बल्कि नानाके वारिसके मिलेगी। अब अगर जय और विजय दोनों शामिल शरीक खानदानमें रहते हैं तो जो जायदाद उन्हें नानाकी मिलेगी वह भी मुश्तरका खानदानकी जायदादमें शामिल हो जायगी और उन दोनोंमेंसे एकके मरनेपर दूसरेके पास सरवाइवरशिपके हक़के अनुसार चली जायगी। ऐसा मानो कि अगर जय एक विधवा छोड़ कर मरे तो वह जायदाद विधवाको नहीं मिलेगी, बल्कि विजयको मिलेगी जो उसका जीता हुआ मुश्तरकन् हिस्सेदार है।

अगर जय और विजय के दरमियान बटवारा हो गया होता तो जायदाद दोनोंको आधी आधी मिलती, उस वक्त सरवाइवरशिपका हक़ नहीं लागू पड़ता।

नोट—(१) यह याद रखना कि जब जायदाद किसी मर्दके पास आती है तो पूरे अधिकारों सहित आती है, उसे रेहन, वगैरा का सब अधिकार होता है। बम्बई प्रान्तमें कुछ औरतें ऐसी मानी गयी हैं जिन्हें जायदाद पूरे अधिकारों सहित प्राप्त होती है। देखो दफा ८७, ८८.

(२) अगर नेवासा एक लड़का छोड़कर अपने नानासे पहिले मर जाय तो उस लड़केको जायदाद नहीं मिलेगी क्योंकि जब बाप वारिस नहीं हुआ तो उसके लड़के नहीं हो सकते।

(३) दायभाग लॉ में आध्यात्मिक लाभ माना जाता है पुत्रीका पुत्र—उसका अधिकार—नेपालदास मुलेर जी बनाम प्रवास चन्द्र मुकरजी 30 C W. N. 357; A. I. R. 1926 Cal. 640. यह कानून बङ्गालेमें माना जाता है अन्यत्र नही माना जाता।

दफा ५० माताकी वरासत

(१) कब हक होता है ?—लड़के, पोते, परपोते, विधवा, लड़की और लड़कीके लड़केके न होनेपर माताको जायदाद मिलती है।

याज्ञवल्क्य—पत्नी दुहितरश्चैव पितरौ भ्रातरस्तथा। २-१३५

अपुत्र (जिसके लड़के, पोते, परपोते न हों) पुरुषका धन उसकी विधवा, लड़की, और 'च' लड़कीके लड़केके न होनेपर पिताको मिलेगी। इस जगहपर 'पितरौ' पद है, इसकी व्याख्या मिताक्षराकार यों करते हैं—

तद्भावे पितरौ मातापितरौ धनभाजौ, यद्यपि युगपद-धिकरणवचनतायां द्वन्द्वस्मरणात् तदपवादत्वादेक शेषस्य

धनग्रहणे पित्रोः क्रमो न प्रतीयते। तथापि विग्रहवाक्ये मातृ-शब्दस्य पूर्वनिपातादेकशेषभावपक्षे च मातापितराविति मातृशब्दस्य पूर्वं श्रवणात् । पाठक्रमादेवार्थक्रमावगमाद्धनस-म्बन्धेऽपि क्रमापेक्षायां प्रतीतक्रमानुरोधेनैव प्रथमं माता धन-भाक् तदभावे पितेति गम्यते ।

भावार्थ—'तदभावे पितरौ' के कहने से यह मतलब है कि दौहित्र के अभावमें माता, पिता धनके भागी होते हैं। यद्यपि "युगपदधिकरणवचनता" एकबार अनेक अर्थोंके कहनेमें 'द्वन्द्व' नामक समास होता है एक शेष द्वन्द्व समासका अपवाद है। इस लिये 'माता च पिता च पितरौ' करनेसे क्रमका निर्देश होजाता है, माताका पहिले पिताका पीछे। इस समासमें माता शब्दका पूर्व निपात है और माता शब्द पहिले सुना जानेसे एवं पढ़नेके क्रमसे ही अर्थ का क्रम जाना जाता है इसीलिये धनके सम्बन्धमें भी पहिले माताही धन पाने की भागिनी होती है, उसके अभावमें पिता। मनुजी ने कहा है—

अनपत्यस्य पुत्रस्य मातादायमवाप्नुयात
मातर्यपि च वृत्तायां पितुर्माताहरेद्धनम् ९—२१७
भ्रातासुतविहीनस्य तनयस्य मृतस्य च
मातारिक्थहरीज्ञेया भ्राता वा तदनुज्ञया । बृहस्पति

इन वचनोंसे यह सिद्ध होता है कि पितासे पहिले माता धन पानेकी अधिकारिणी है।

(२) माताको उत्तराधिकार मिलेगा—पितासे पहिले माता मिताक्षरा स्कूलमें धन पानेकी भागिनी मानी गई है। देखो—अनन्दी बनाम हरी 33 Bom. 404; 11 Bom. L R. 641, 4 I. A. 1; 1 Mad. 174; 14 Bom 605.

(३) महदूद अधिकार—विधवाकी तरह माता भी अपने लड़केकी जायदादमें महदूद अधिकार रखती है, माताके मरनेपर वह जायदाद उसके वारिसोंको नहीं मिलेगी, बल्कि लड़केके वारिसको मिलेगी। देखो—बृजभूषण दास बनाम बाई पार्वती 32 Bom 26; जलेसुर बनाम अग्गुर 9 Cal. 725

(४) बदचलनी और पुनर्विवाह—अगर माता उस वक्त बदचलन हो गयी है जब उसे लड़केकी जायदाद मिलनेका मौक़ा आया है तो इस वजहसे माता उत्तराधिकारसे ख़ारिज नहीं की जायगी और इसी तरहपर जब उसे

जायदाद लड़केकी मिल गयी हो, उसके बाद वह अपना पुनर्विवाह करले तो भी माता से जायदाद नहीं हटाई जायगी, अर्थात् दोनों सूरतोंमें माता को जायदाद मिलेगी, देखो—कोजीयाडू बनाम लक्ष्मी 5 Mad 149, वेदामल बनाम वेदानैयाया 31 Mad 100; डालसिंह बनाम दिनी 32 All 155, बल्देव बनाम मथुरा 33 All. 702; यह सब बदचलनीके सम्बन्धी मामले हैं। पुनर्विवाहके विषयकी नज़ीर देखो—बासप्पा बनाम रायाबा 29 Bom. 91.

(५) सौतेली माता—सौतेली माता सौतेले लड़के की वारिस कभी नहीं हो सकती इसलिये कि वह सौतेले बेटेकी जायदाद कभी नहीं पाती। देखो—रामानन्द बनाम स्वर्गियानी 16 All. 221; रामासामी नाम बनारासाम्मा 8 Mad. 133; टहलदाई बनाम गयाप्रसाद 37 Cal. 214, सेथाई बनाम नाचियर 37 Mad. 286.

बम्बई प्रांतमें सौतेली माता सौतेले लड़केकी वारिस मानी गयी है। क्योंकि वहांपर सगोत्र सपिण्ड मानी गयी है, देखो—केशरबाई बनाम वालव 4 Bom. 188, रखुबाई बनाम जोलिका बाई 19 Bom 707, और देखो इस किताबकी दफा ४३, ४४

(६) गोद लेने वाली माता—माताके अर्थमें गोद लेने वाली माता भी शामिल है। इसी लिये मिताक्षरालॉ के अनुसार गोद लेने वाली मा गोद लेने वाले बापसे पहिले दत्तक पुत्रकी जायदाद पाती है, देखो—नन्दी बनाम हरी 33 Bom 404.

(७) जायदादका इन्तक़ाल—जब किसी माताको लड़केकी वरासतमें जायदाद उसकी जिन्दगी भरके लिये मिली हो तो वह यानी माता, क़ानूनी ज़रूरतोंके सिवाय जो इस किताब की दफा ४५ में बताई गयी हैं जायदादको कहीं रेहन या बय या किसी तरहका इन्तकाल नहीं कर सकती। माताको जायदादमें जो कुछ मुनाफा मिले वह उसका स्त्रीधन है अर्थात् जायदाद के मुनाफासे यदि कोई दूसरी जायदाद वह खरीद करले या नक़द छोड़कर मर जावे तो वह जायदाद, जो लड़केसे वरासतमें मिली थी लड़केके वारिस को मिलेगी, मगर मुनाफेसे जो जायदाद खरीदी गयी थी वह माताके वारिस को मिलेगी। माता का हक़ मुनाफे पर पूरा है। उसके जी में जैसा आये वह कर सकती है। मुनाफेसे पैदाकी हुयी जायदाद स्त्रीधन बन जाती है।

(८) मयूखलॉ—उन केसोंमें जहांपर मयूखलॉ प्रधानतासे माना जाता है मा से पहिले बाप, लड़केकी जायदादका वारिस होता है, देखो—खुदाभाई बनाम बाहधर 6 Bom. 541.

मयूखमें यह कहा गया है कि दौहित्रके अभावमें पिता और पिताके अभावमें माता धन पाती है। इस बातकी पुष्टि कात्यायनने भी की है, देखो—

अपुत्रस्यार्य कुलजा पत्नी दुहितरोपिवा। तद्भावे पिता माता भ्राता पुत्राः प्रकीर्तिताः।

नारदने यों कहा है कि—

अपुत्रधनं पत्न्यभिगामि । तद्भावे दुहितृगामि तद्भावे दौहित्रगामि तद्भावे पितृगामि तद्भावे मातृगामि तद्भावे भ्रातृगामि तद्भावे भ्रातृपुत्रगामि तद्भावे सकुल्यगामि।

यद्यपि कुछ आचार्य्योंने मातासे पहिले पिताका हक स्वीकार किया है मगर वह सिर्फ जहांपर मयूखका स्वामित्व है वहांपर माना जाता है (देखो दफा १६; २०, २१) मयूख की प्रधानता महाराष्ट्र यानी बम्बई स्कूलमें मानी जाती है, देखो हिन्दूलॉ की दफा २३.

दफा ५१ बापकी वरासत

(१) लड़के, पोते, परपोते, विधवा, लड़की, लड़कीका लड़का, और माताके न होनेपर वापको उत्तराधिकारमें लड़केकी जायदाद मिलेगी।

याज्ञवल्क्य-'पत्नी दुहितरश्चैव पितरौ भ्रातरस्तथा' २-१३५.

मिताक्षरामें 'पितरौ' का अर्थ करनेमें द्वंद्व समास किया गया है, इसलिये माताके पश्चात् पिताका भाग आता है (देखो दफा ५०) मयूख जहां पर माना जाता है उसे छोड़कर बाक़ी सब जगहोंपर माताके पश्चात् बापका हक उत्तराधिकारमें माना गया है, (देखो दफा ६७).

(२) बाप, पूरे अधिकारों सहित जायदाद लेता है और उसके मरने पर उसके वारिसको जायदाद मिलती है। जब किसी मर्दको जायदाद मिलती है तो पूरे अधिकारों सहित मिलती है (देखो दफा ७).

(३) महाराष्ट्र प्रान्त यानी बम्बई स्कूलमें जहां मयूखकी प्रधानता मानी जाती है मातासे पहिले बापको जायदाद मिलती है (देखो दफा १६; २०, २१ तथा हिन्दूलॉ की दफा २३).

दफा ५२ भाईकी वरासत

(१) लड़के, पोते, परपोते, विधवा, लड़की, लड़कीका लड़का, माता और पिताके न होनेपर भाईको उत्तराधिकारमें जायदाद मिलेगी, याज्ञवल्क्य—

'पत्नी दुहितरश्चैव पितरौ भ्रातरस्तथा' २—१३५.

मिताक्षरा—'पित्राऽभावे भ्रातरोधनभाजः'

तथा—भ्रातृष्वपि सोदराः प्रथमं गृन्हीयुः भिन्नोदराणां भ्रात्रा विप्रकर्षात्'

पिताके न होनेपर भाइयोंको धन मिलेगा, भाइयोंमें पहिले सहोदर भाई (जो एकही मा से पैदा हुये हों) और सहोदरके न होने पर भिन्नोदर भाई (सौतेला भाई) को धन मिलेगा, देखो—2 W. R. C. R. 123.

(२) पहिले सहोदर (सगे) भाईका हक़ होगा और उसके न होनेपर सौतेले भाईका, देखो—अनन्तासिंह बनाम दुर्गासिंह (1910) 37 I. A. 191.

मिताक्षरालॉ के अनुसार वरासतके सम्बन्धमें ग़ैर बटे हुये भाईको बटे हुये भाईपर तरजीह दीगई है, देवी भाई बनाम दयाभाई मोतीलाल 89 I. C. 164.

(३) भाइयोंमें सरवाइवरशिपका हक नहीं लागू पड़ता इसलिये जब दो या दो से ज्यादा भाई हों तो वह सब जायदादको अपने अपने हिस्से के अनुसार लेते हैं, यानी अगर वह चाहें तो बटवारा करालें और जब उनमें से एक भाई मरेगा तो उसका हिस्सा उसके वारिसको मिलेगा। जैसे जय, और विजय दो भाई हैं। इनको उत्तराधिकारमें भाईकी जायदाद मिली। अगर वह चाहें तो बटवारा करालें और जब बटवारा हो जायगा तो हर एक भाई का हिस्सा, उसकी औलाद या उसके वारिसको मिलेगा। अगर सरवाइवरशिपका हक़ होता तो बटवारा नहीं हो सकता। सरवाइवरशिपका हक मिताक्षराके अनुसार सिर्फ चार वारिसोंमें लागू माना गया है (देखो दफा १३).

(४) भाईका हक़ जायदादमें पूरा होता है, वह जायदाद पूरे अधिकारों सहित लेता है (देखो दफा ७).

(५) जहांपर 'मयूख' माना जाता है (देखो दफा १६, २०, २१) उन केसोंमें सौतेला भाई पितामहके साथ हिस्सा लेता है।

मयूख और मिताक्षरा दोनोंहीके अनुसार उस जायदादके उत्तराधिकार में, जो किसी स्त्रीके पूर्ण अधिकारमें हो, सगा भाई सौतेली बहिनके मुक़ाबिलेमें वारिस होता है—घनश्यामदास नारायनदास बनाम सरस्वतीबाई 21 L. W 415, (1925) M. W. N. 285, 87 I. C 621, A. I. R. 1925 Mad. 861.

मयूखका सिद्धान्त—हिन्दूलॉ की मयूख प्रणालीके अनुसार मुतवफी भाईकी जायदाद, पहिले मरे हुये भाईके पुत्रोंको, दूसरे जीवित भाई या भाइयों

सहित, उत्तराधिकारसे प्राप्त होती है—केसरलाल बनाम जग्गू भाई 49 Bom. 282, 27 Bom. L R. 226; A. I. R. 1625 Bom 406.

दफा ५३ भाईके लड़केकी वरासत

(१) लड़के, पोते, परपोते, विधवा, लड़की, लड़कीका लड़का, माता, पिता, और भाइयोंके न होनेपर भाईके लड़केको उत्तराधिकारमें जायदाद मिलती है।

जैसाकि क्रम मिताक्षराके अनुसार ऊपर भाईकी वरासतमें बताया गया है पहिले 'सगे' को और उसके न होनेपर 'सौतेले' को जायदाद मिलती है उसी क्रमसे भाईके लड़कोंको भी हक़ प्राप्त होता है; देखो—

(२) सगे भाईके लड़के पहिले जायदाद पानेके अधिकारी हैं। उनके न होनेपर सौतेले भाई जायदाद पावेंगे।

(३) भाईके लड़के जायदादको सब बराबर हिस्सेमें लेते हैं। जैसे—मृत पुरुषके जय और विजय दो भाई थे। जयके एक लड़का और विजयके तीन लड़के मौजूद हैं और जय, विजय मर चुके हैं तो मृत पुरुषकी जायदाद चार बराबर हिस्सोंमें बांटी जायगी और हर एक भाईका लड़का एक एक हिस्सा पावेगा। अर्थात् भाइयोंके लड़के जायदाद व्यक्तिगत लेते हैं। अङ्गरेजीमें इसे 'परकेपिटा' कहते हैं। देखो दफा १

(४) भाईके लड़कोंका हक़ जायदादमें पूरा होता है (देखो दफा ७).

(५) जहांपर मयूखकी प्रधानता मानी जाती है (हिन्दूलॉ की दफा २३ देखो) उन केसोंमें सौतेले भाईके लड़केका हक़, बापके भाईके पीछे माना गया है (देखो मुल्ला हिन्दूलॉ का पेज ३६) और—चण्डिका बनाम मुन्नाकुंवर 24 All. 273; 29 I. A. 70.

दफा ५४ भाईके पोतेकी वरासत

(१) यह निश्चित है कि भाईके पोतेकी यानी भाईके लड़केके लड़के की वरासत, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, विधवा, लड़की, नेवासा, माता, पिता, भाई और भाईके लड़केके बाद होती है। मगर इसमें संशय है कि उसकी जगह कौनसी है। मिताक्षरामें भाईके लड़केका लड़का साफ़ शब्दोंमें नहीं कहा गया; इसीलिये अर्थकी खींच तान पड़ गयी। देखो दफा ६८.

(२) मिताक्षरामें कहा गया कि—

'भ्रातृणामप्यभावे तत्पुत्राः'

और आगे चलकर यह कहा गया है कि—

'भ्रातृपुत्राणामप्यभावे गोत्रजा धनभाजः'

अर्थात् 'भाईयोंके अभावमें उनके पुत्र' और 'भाईके पुत्रोंके अभावमें गोत्रज धन पाते हैं।' यहांपर भाईके लड़केका लड़का छूट गया यानी साफ तौरपर नहीं कहा गया। इस विषय पर बड़ा विवाद है। देखो दफा ४२, ६६, ६७, ६८

(३) इलाहाबाद हाईकोर्टने भाईके लड़केके लड़केका हक़, भाईके लड़केके पीछेही स्वीकार किया है, अर्थात् भाईका पोता, भाईके लड़केके न होनेपर जायदाद पानेका अधिकारी माना गया है, देखो—कल्याणराय बनाम रामचन्द्र (1901) 24 All 128.

बिल्कुल इसी क़िस्मका एक बहुत बड़ा मुकद्दमा हालमें इलाहाबाद हाईकोर्टसे फैसल हुआ है और प्रिवीकौंसिलमे वह फैसला बहाल रहा। इस मुकद्दमेंके वाक़ियात यह थे कि वादी परदादाका पोता था और प्रति वादी दादाका परपोता था। मुक़द्दमा उत्तराधिकारका था। फैसलोंमें बहुत छान बीन करके माना गया कि मिताक्षरालॉके अनुसार पितामहकी तीन पीढ़ियां प्रपितामह और उसकी औलादसे पहिले वारिस होती हैं एवं पितामहका प्रपौत्र प्रपितामहके पौत्रसे पहिले जायदाद पानेका अधिकारी है, देखो—बुंधासिंह बनाम ललतूसिंह 34 All 663 इस मुकद्दमेंका ज्यादा खुलासा हाल अलहदा दिया गया है, देखो दफा ६८ इस केससे यह नतीजा निकला कि भाईका पोता, भाईके लड़केके पश्चात् वारिस होता है।

(४) मदरास हाईकोर्टने भाईके पोतेसे पहिले दादीका हक़ स्वीकार किया है, अर्थात् भाईके लड़केके बाद दादीको जायदाद पहुंचती है (देखो नकशा दफा ७०) इस फरक़का कारण देखो दफा ७३.

(५) बम्बई हाईकोर्टको छोड़ कर सगा, सौतेलेसे पहिले जायदाद पाता है। यह कायदा आम माना गया है। मगर बम्बई हाईकोर्टके अनुसार मिताक्षरा और मयूख दोनोके केसोंमे सहोदरको सौतेलेसे प्रधानता देनेका क़ायदा भाई और भाईके लड़कोंके लिये ही महदूद किया गया है और दूसरी भिन्न शाखाओंके रिश्तेदारोंके लिये नहीं, जैसे चाचा, चाचाके लड़के, वगैरा, देखो—सामन्त बनाम अमरा 6 Bom 394, 397, 24 Bom 317.

इलाहाबाद हाईकोर्टके अनुसार सौतेलेसे सहोदरकी प्रधानता सब भिन्न शाखाओंके सब रिश्तेदारोंके लिये लागू की गई है। इलाहाबादके केसोंके 'प्रपितामहके सहोदर भाईके पोते' को 'प्रपितामहके सौतेले भाईके पोते, से प्रधानता दी गई है 19 All 215

(६) भाईके पोतेको जब जायदाद मिलती हैं तो पूरे अधिकारोंके साथ मिलती है। उसमे सरवाइवरशिपका हक़ लागू नहीं होता (देखो दफा ७, १३, १५) तथा सबको बराबर हिस्सा मिलता है।

दफा ५५ बापकी मा (दादी) की वरासत

(१) लड़के, पोते, परपोते, विधवा, लड़की, नेवासा, माता, पिता, भाई, भाईके लड़के, भाईके पोतेके न होनेपर बापकी माता यानी दादीको ज़ायदाद मिलेगी। मिताक्षरामें कहा गया है कि—

भ्रातृपुत्राणामप्यभावे गोत्रजा धनभाजः,गोत्रजाःपितामही सपिण्डाः समानोदकाश्च। तत्रपितामही प्रथमंधनभाक्

अर्थात् भाईके लड़कों और पोतोंके अभावमें गोत्रज धन पाते हैं, गोत्रजोंमें पितामही (दादी) और सपिण्ड (देखो २५) और समानोदक (दफा ३६) शामिल हैं। इनमें सबसे पहिले पितामही जायदाद पावेगी।

(२) दादीको उत्तराधिकारमें जायदाद महदूद हक़के साथ मिलती है (देखो दफा ६) और उस जायदादको वह सिवाय कानूनी ज़रूरतोंके जो इस किताब की दफा ४५ में बताई गई हैं इन्तक़ाल नहीं कर सकती। मगर उसे जायदाद के मुनाफे पर और मुनाफेकी बचत पर पूरा अधिकार प्राप्त है। अगर कोई दादी जायदादके मुनाफेसे दूसरी जायदाद खरीद करे या नक़द जमा करे तो उस जायदादपर और रुपये पर दादीका पूरा अधिकार होगा, यानी दादीके मरनेपर वह जायदाद जो वरासतमें मिली थी पोतेके रिवर्ज़नर वारिस (देखो दफा १) को जायगी और जो जायदाद उसने मुनाफेकी बचतसे ख़रीदकी है या नक़द छोड़ी है उस (दादी) के वारिस को मिलेगी।

दफा ५६ बापके बापकी वरासत (पितामह-दादा)

(१) लड़के, पोते, परपोते, विधवा, लड़की, नेवासा, माता, पिता, भाई, भाईके लड़के, भाईके पोते, बापकी माताके न होनेपर उत्तराधिकारमें पितामहको जायदाद मिलेगी। मिताक्षरामें कहा गया है कि—

पितामह्याश्चाभावे समानगोत्रजः सपिण्डाः पितामहादयो धनभाजः

पितामही (दादी) के अभावमें समान गोत्रज सपिण्ड पितामह (दादा) आदि धन पाते है। आदिसे मतलब यह है कि पहिलेके न होनेपर दूसरा।

(२) पितामह (दादा) जायदादको पूरे अधिकारोंके साथ लेता है (देखो दफा ७)

(३) बेटेकी लड़की, लड़कीकी लड़की, बहन और बहनके बेटेकी वरासत बापके बाप (दादा) के बाद एक्ट नं० २ सन् १६२६ ई० की दफा २ के

अनुसार अब लड़केकी लड़की, लड़कीकी लड़की, बहन और उसके पीछे बहन के लड़केको वरासतमें क्रमसे जायदाद मिलेगी। और अगर बहनके लड़का न हो तो उस लड़केको भी वरासत मिलेगी जो बहनके जीते जी गोद लिया गया हो। यानी बहनके मरनेपर गोद न लिया गया हो।

क्रमसे जायदाद मिलनेका मतलब यह है कि जो वारिस पहले बताया गया है उसके न होनेपर दूसरेको व दूसरेके न होनेपर तीसरेको एवं तीसरे के न होने पर चौथेको मिलेगी। इन सब वारिसों को कोई ज्यादा हक़ नहीं होंगे उन्हें वही हक़ रहेंगे जो स्कूलोंके अन्तर्गत उनके माने गये हैं।

दफा ५७ बापका भाई (पितृव्य-चाचा-काका-ताऊ)

(१) लड़के, पोते, परपोते, विधवा, लड़की, नेवासा, माता, पिता, भाई, भाईके लड़के, भाईके पोते, दादी, और दादाके (एवं नये कानून एक्ट नं० २ सन् १९२९ ई० के अनुसार लड़केकी लड़की, लड़कीकी लड़की, बहन और बहनके लड़केके) न होनेपर उत्तराधिकारमें चाचाको जायदाद मिलेगी। मिताक्षरामें कहा गया है कि—

'तत्रच पितृसंतानाभावे पितामही पितामह पितृव्या-स्तत्पुत्राश्च क्रमेणधनभाजः'

पिताकी संतानके अभावमें दादी, दादा और चाचा तथा उनके लड़के क्रमसे जायदाद पाते हैं इस जगहपर 'पितृव्य' से मतलब 'चाचा' है। संस्कृतमे बापके भाईके लिये यह ख़ास शब्द नियत है मगर दूसरे रिश्तेदारोंके सम्बन्धमें ऐसा नहीं है (देखो दफा १)

(२) चाचा जायदादको पूरे अधिकारसे लेता है (देखो दफा ५६४) तथा सरवाइवरशिप का हक़ लागू नहीं होता (देखो दफा १, १३; १५) जायदाद बराबर हिस्सोंमें मिलेगी और बम्बई हाईकोर्ट को छोड़कर यह माना गया है कि सौतेले से पहिले सहोदरका हक होता है (देखो दफा ५४—५) चाचा चाहे सहोदर हो या सौतेला हो हमेशा बापके सहोदर भाईके लड़केसे पहिले जायदाद पाता है।

दफा ५८ बापके भाईके लड़केकी वरासत (चाचाका लड़का)

(१) ऊपरके वारिसों के न होनेपर उत्तराधिकारमें चाचाके लड़केको जायदाद मिलेगी। मिताक्षरामें कहा है कि—

'पितृव्यास्तत्पुत्राश्च क्रमेणधनभाजः'

चाचा और चाचाके लड़के क्रमसे धन पाते है। इसलिये चाचाओंके न होनेपर चाचा का लड़का या लड़के जायदाद पाते हैं। पहिले सहोदर को

पीछे सौतेलेको हक प्राप्त होता है (देखो दफा ५४—५) बम्बई हाईकोर्ट ऐसा नहीं मानती—

(२) चाचाके लड़के बराबर हिस्सा पावेंगे, तथा जायदादको पूरे अधिकारके साथ लेंगे (देखो ७) सरवाइवरशिप लागू नहीं पड़ेगा।

दफा ५९ बापके भाईके पोतेकी वरासत (चाचाका पोता)

(चाचाका पोता)—(१) इलाहाबाद हाइकोर्टके अनुसार चाचाका पोता, चाचाके लड़केके बाद और पितामहकी माता (परदादी) से पहिले उत्तराधिकारमें जायदाद पाता है। यानी क्रम यह है—लड़के—पोते–परपोते, विधवा, लड़की, नेवासा, माता, पिता, भाई, भाईके लड़के, भाईके पोते, दादी, दादा, लड़केकी लड़की, लड़कीकी लड़की, बहन, बहनका लड़का, चाचा, चाचाके लड़कोंके न होनेपर चाचाके पोते उत्तराधिकारमें जायदाद पाते हैं।

मिताक्षरामें साफ नहीं कहा गया मगर जो सिद्धान्त ऊपर भाईके पोते की वरासत (दफा ५४) में माना गया उसके अनुसार चाचाके पोते की जगह यही है। मिताक्षरामें 'पितृव्यास्तत्पुत्राश्च' यहांपर 'च' से मतलब यह लिया गया है कि 'उनके लड़के' यानी चाचा और उसके लड़के तथा उनके लड़के। देखो दफा ६८.

(२) चाचाके पोते बराबर हिस्सा पावेंगे, तथा जायदाद पूरे अधिकारों के साथ लेंगे (देखो दफा ७), सरवाइवरशिप लागू नहीं पड़ेगा।

दफा ६० परदादीकी वरासत (बापके बापकी मा-पितामहकी मा)

(१) लड़के, पोते, परपोते, विधवा, लड़की, नेवासा, माता, पिता, भाई, भाईके लड़के, भाईके पोते, दादी, दादा, लड़केकी लड़की, लड़की की लड़की, बहन, बहनके लड़के, चाचा, चाचाके लड़के, और चाचाके पोतोंके न होनेपर परदादी को उत्तराधिकार में जायदाद मिलती है। मिताक्षरामें कहा गया है कि,—

'पितामह सन्तानाभावे प्रपितामही'

दादाकी सन्तान न होनेपर परदादी को जायदाद मिलती है। इसलिये परदादीका हक़ परदादासे पहिले माना गया है।

परदादीको जायदाद महदूद अधिकारों सहित सिर्फ उसकी जिन्दगीभर के लिये मिलती है। इसीलिये उसको सिवाय क़ानूनी ज़रूरतोंके जो इस किताबकी दफा, ४५ मे बताई गयी हैं जायदादका इन्तकाल नहीं करसकती। मिताक्षरा स्कूलमें औरतोंका हक़ महदूद होता है (देखो दफा६)

दफा ६१ परदादाकी वरासत (प्रपितामह)

(१) लड़के—पोते—परपोते, विधवा लड़की, नेवासा, माता, पिता, भाई, भाईके लड़के, भाईके पोते, दादी, दादा, लड़केकी लड़की, लड़की की लड़की, बहन, बहनका लड़का, चाचा, चाचाके लड़के, चाचाके पोते और परदादीके न होनेपर उत्तराधिकारकी जायदाद परदादाको मिलेगी। मिताक्षरा मे कहा गया है कि—

'पितामह सन्तानाभावे प्रपितामही प्रपितामहस्तत्पुत्राः'

परदादीके अभावमें परदादा हक़दार है। यानी परदादीके पश्चात् परदादा वारिस होगा।

(२) परदादा जायदादका पूरा मालिक होगा (देखो दफा ७)

दफा ६२ दादाके भाईकी वरासत (पितामहका भाई—बापके बापका भाई)

(१) लड़के, पोते, परपोते, विधवा, लड़की, नेवासा, माता, पिता, भाई, भाईके लड़के, भाईके पोते, दादी, दादा, लड़केकी लड़की, लड़कीकी लड़की, बहन, बहनका लड़का, चाचा, चाचाके लड़के, चाचाके पोते, परदादी और परदादाके न होनेपर उत्तराधिकारमें जायदाद, दादाके भाईको मिलेगी।

जो वचन मिताक्षराका ऊपर परदादाकी वरासतमें कहा गया है उसके अनुसार माना गया है कि प्रपितामहके न होनेपर उनके पुत्र अधिकारी होंगे। इसलिये परदादाके पश्चात् दादाके भाई उत्तराधिकारी हैं।

(२) दादाका भाई जायदादका पूरा मालिक होगा (देखो दफा ७) और सब हिस्सा बराबर लेंगे सरवाइवरशिप नहीं लागू होगा (देखो दफा १, १३, १५)

दफा ६३ दादाके भतीजेकी वरासत (पितामहके भाईका लड़का)

(१) लड़के, पोते, परपोते, विधवा, लड़की, नेवासा, माता, पिता, भाई भाईके लड़के, भाईके पोते, दादी, दादा, लड़केकी लड़की, लड़कीकी लड़की, बहन, बहनका लड़का, चाचा, चाचाके लड़के चाचाके पोते, परदादी, परदादा और दादाके भाईके न होनेपर दादाके भतीजे उत्तराधिकारकी जायदाद पाते हैं। मिताक्षरामें कहा गया है कि—

'पितामह सन्तानाभावे प्रपितामही प्रपितामहस्तत्पुत्रास्तत्सूनवः'

परदादाके न होनेपर, दादाका भाई, और उसके भी न होनेपर उसके लड़के यानी 'दादाके भतीजे' जायदाद पावेंगे। इनका हक़ वैसाही होगा जैसा 'दादाके भाईकी वरासत' का है। ऊपर देखो।

दफा ६४ दादाके भाईके पोतेकी वरासत(पितामहके भाईका पौत्र)

(१) जैसाकि ऊपर दफा ५३, ५६ में कहा गया है उसीके अनुसार दादाके भाईके पोतेकी जगह यह है। यानी वह, लड़के, पोते, परपोते, विधवा लड़की, नेवासा, माता, पिता, भाई, भाईके लड़के, भाईकेपोते, दादी, दादा, लड़केकी लड़की लड़की की लड़की, बहन, बहनका लड़का, चाचा, चाचाके लड़के, चाचाके पोते, परदादी, परदादा, दादाके भाई, औरदादाके भतीजेके न होनेपर जायदाद पाता है।

मिताक्षरामें साफ नहीं कहा गया मगर जो सिद्धान्त ऊपर दफा ५४; ५६ में माना गया है उसके अनुसार दादाके भाईका पोता मृत पुरुषके परपोतेके लड़केसे पहिले वारिस होता है। देखो नकशा दफा ६७, यानी नं० २१ दादाके भाईके पोतेका स्थान है और नं० २२ परपोते के लड़केका।

(२) दादाके भाईके पोते अपना सब हक़ वैसाही रखते हैं जैसा कि ऊपर दफा ६२ में कहा गया है।

(३) वारिसोंकी लिस्ट जो मिताक्षरामें दी गयी है इस जगहसे यानी नं० २१ (देखो नकशा दफा ६७) से समाप्त हो जाती है। इन वारिसोंके बारेमें तो साफ साफ कहा गया है परन्तु भाईके पोते, चाचाके पोते, और दादाके भाईके पोतेके विषयमें कुछ नहीं कहा गया। आगेके वारिसोंके बारेमें मिताक्षराकार विज्ञानेश्वर जी ने यह बचन दिया है—

'एवमासप्तमात्समानगोत्राणां सपिण्डानांधनग्रहणं वेदितव्यम्'

इसी तरहसे समान गोत्रमें सात दर्जे ऊपर सपिण्ड धन पानेके अधिकारी हैं। यानी जितने सपिण्ड बाकी रह गये वह सब इसी क्रमसे जायदाद पावेंगे। देखो दफा ६७

दफा ६५ दूसरे सपिण्ड वारिस

ऊपर बताये हुए वारिसों के सिवाय जो सपिण्ड बाक़ी रह गये वह नीचेके क़ायदेके अनुसार वारिस होते हैं—

(१) नज़दीकी सपिण्डका हक़ दूर के सपिण्डसे पहिले होता है।

(२) भिन्न शाखाओंके रिश्तेदारोंमें भी सौतेले से सहोदर पहिले जायदाद पाते हैं मगर बम्बई प्रांतमें यह क़ायदा आम नहीं मानागया। वहांपर यह मानागया है कि—मिताक्षरा-औरमयूख दोनों केसोंमें सहोदरको सौतेलेसे प्रधानता देनेका क़ायदा भाई और भाईके लड़कोंके लिये ही महदूद हैं और

दूसरी भिन्न शाखाओंके रिश्तेदारोंके लिये नहीं,जैसे चाचा, या चाचाके लड़के आदि वारिस होने वाले सपिण्डोंकी संख्या जो मिताक्षरामे साफ तौरपर नहीं बताये गये २२ से ५७ तक होती है (देखो नक़शा दफा ६७) मिताक्षरों में कहा गया है कि—

'इत्येवमासप्तमात्समानगोत्राणां सपिण्डानां धनंग्रहणं वेदितव्यम् तेषामभावे समानोदकानां धनसम्बन्धः'

इसी तरहपर ऊपरके सात समान गोत्र वाले सपिण्डोंमे जायदाद चली जायगी और जब सपिण्ड भी कोई नहीं होवें तो उस समय समानोदकोंमें जायदाद जायेगी, इसी बचनके आधारपर २२ से ५७ पीढ़ी तक सपिंडोंका दर्जा मानकर जायदाद पानेके वह अधिकारी क्रमसे माने गये हैं। दफा ६७ देखो।

नोट—ऊपर यह बताया गयाहै कि सहोदर का हक सौतेले से पहिले होता है, मगर ऐसा क्रम क्यों है? इस सवालका जवाब सरल नहीं,क्योंकि जिन सिद्धान्तोंपर यह क्रम सपिण्डोंके लिये लागू किया गया है वह आपसमें एक दूसरेसे जाहिरा विरोधी हैं यह बात बतायी गयी है कि नजदीकी सपिण्ड दूर के सपिण्डसे पहिले जायदाद पाता है। अब सवाल यह होगा कि नजदीकी सपिण्ड कौन है? और कौन सपिण्ड किस सपिण्डसे नजदीकी होता है? इस बातका निर्णय भिन्न भिन्न सिद्धान्तों के अनुसार किया गया है इसलिये जिस जगहपर जो स्कूल माना जाता हो उसके अनुसार नजदीकी सपिण्ड ध्यानमे रखना। वह सिद्धान्त जो नजदीकी और दूरके सपिण्डमें फरक डालते हैं उनका उल्लेख हम क्रमसे नीचे करते हैं।

दफा ६६ सपिण्डोंकी वरासतका पहला सिद्धान्त

प्रोफेसर सर्वाधिकारी, डाक्टर जाली, मिस्टर मेन और डाक्टर जोगेन्द्रनाथ भट्टाचार्य्यके अनुसार पहला सिद्धान्त यह है. इन सबोंने यह माना है कि हर एक भिन्न शाखाकी लाइन तीन पीढ़ियोंमे ठहर जाती है। तीन पीढ़ियों में ठहर जानेका जो सिद्धान्त बताया गया उसको इस तरहपर समझिये कि पहिली प्रधान लाइन नीचेकी तरफ तीन पीढ़ी तक जाती है, पीछे ऊपर प्रधान लाइनमें पहिली पीढ़ीकी भिन्न शाखामे (बापकी) तीन पीढ़ी तक। और दूसरी पीढ़ीकी भिन्न शाखामें तीन पीढ़ी तक एवं तीसरी पीढ़ीकी भिन्न शाखामें तीन पीढ़ी तक जाती है, इस तरह पर तीन पीढ़ी चारों तरफसे समाप्त हो जाती हैं, इसके पश्चात् फिर वही क्रम वरासतका प्रधान लाइनसे शुरू होता है, यानी प्रधान लाइनमें नीचेकी तरफ चौथी, पांचवीं और छठवीं पीढ़ी तक, और पीछे ऊपरकी प्रधान लाइनकी पहिली पीढ़ीमें चौथी, पांचवीं छठवीं पीढ़ी तक, और दूसरी पीढ़ीमे चौथी, पांचवीं, छठवीं पीढ़ी तक, एवं तीसरी पीढ़ी

की चौथी, पांचवीं छठवीं पीढ़ी तक जाती है; उसके बाद इसी तरह ऊपरकी प्रधान शाखा और भिन्न शाखाओंमे जाकर सत्तावन पीढ़ीमें समाप्त हो जाती है, (नक़शा देखो दफा ६७)

(१) मृत पुरुषकी नीचेकी शाखामें पहिली तीन पीढ़ी, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र।

(२) विधवा, लड़की, लड़कीका लड़का।

(३) माँ, बाप और उनकी भिन्न शाखा वाली लाइनमें पहिली तीन पीढ़ी यानी पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र।

(४) बापकी मा, बापका बाप, (पितामह) (देखो इस जगहके बाद वाले वारिस ऐक्ट नं० २ सन् १९२९ई० इस किताबके अन्तमें) और उनकी पहिली तीन पीढ़ी यानी पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र।

(५) पितामहकी मा, पितामहका बाप, और उनकी तीन पीढ़ी यानी पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र।

(६) मृत पुरुषके नीचेकी शाखामें पिछली तीन पीढ़ी यानी प्रपौत्र का पुत्र, प्रपौत्रका पौत्र, प्रपौत्रका प्रपौत्र।

(७) बापकी शाखामें पिछली तीन पीढ़ी यानी—प्रपौत्रका पुत्र, प्रपौत्रका पौत्र, प्रपौत्रका प्रपौत्र।

(८) पितामहकी शाखामें पिछली तीन पीढ़ी यानी—प्रपौत्रका पुत्र, प्रपौत्रका पौत्र, प्रपौत्रका प्रपौत्र।

(९) प्रपितामहकी शाखामें पिछली तीन पीढ़ी यानी—प्रपौत्रका पुत्र, प्रपौत्रका पौत्र, प्रपौत्रका प्रपौत्र।

(१०) प्रपितामहकी मा, प्रपितामहका बाप, और उनकी पहिली तीन पीढ़ी यानी उनके पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र।

(११) प्रपितामहके बापकी मा, प्रपितामहका पितामह, और उनकी पहिली तीन पीढ़ी यानी उनके पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र।

(१२) प्रपितामहके पितामहकी मा, प्रपितामहके पितामहका बाप, और उनकी पहली तीन पीढ़ी यानी उनके पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र।

(१३) प्रपितामहके बापकी शाखामें पिछली तीन पीढ़ी यानी उनके प्रपौत्रके पुत्र, प्रपौत्रके पौत्र, प्रपौत्रके प्रपौत्र।

(१४) प्रपितामहके प्रपितामहकी शाखामें पिछली तीन पीढ़ी यानी उनके प्रपौत्रके पुत्र, प्रपौत्रके पौत्र प्रपौत्रके प्रपौत्र।

(१५) प्रपितामहके प्रपितामहकी शाखामें पिछली तीन पीढ़ी यानी उनके प्रपौत्रके पुत्र, प्रपौत्रकेपौत्र, प्रपौत्रकेप्रपौत्र।

नोट—ऊपरके क्रमसे ५७ सपिण्डोंमें पहलेके न होनेपर दूसरेको सम्पत्ति मिलेगी।

दफा ६७ पहिले सिद्धान्तका नक़शा

वरासत किस क्रमसे मिलती है इस बारेमें दफा ४२ और ६६ पहले पढ़ लीजिये, पीछे नीचेके क्रमको विचारो। प्रोफेसर सर्वाधिकारी, डाक्टर जोगेन्द्रनाथ भट्टाचार्य्य, डाक्टर जाली, और मिस्टर मेन साहेबके सिद्धांतानुसार सपिण्डोंके दर्जोंका नकशा नीचे देखो। इस नकशेमें जिस क्रमसे नम्बर दिये गये हैं उसी क्रमसे उत्तराधिकारकी जायदाद पानेके लिये वारिस होते हैं। प्रिवी कौन्सिलने बुधासिंह बनाम ललतूसिंह 42 I A. 208-224, 37 All 604, 30 I C. 529 में आम सिद्धान्त यही माना है। और देखो पुल्ला हिन्दूलॉ १९२६ पेज ४५ बुधासिंह बनाम ललतूसिंह 42 I. A. 208, 37 All. 604; 30 I. C. 529. वाले मामलेमें प्रिवी कौन्सिलने कहा कि इस मुक़द्दमेके पक्षकार मिताक्षरा स्कूलके अन्तर्गत बनारस स्कूलके हैं और झगड़ा है दरमियान चाचाके पोते और बापके चाचाके लड़केके। यानी इस दफाके नक़शे के नम्बर १६ और नं० २० के दरमियान। डाक्टर सर्वाधिकारीके मतानुसार बमुकाबिले नं० २० यानी बापके चाचाके लड़केके, नं० १६ चाचाके लड़केके लड़केको तरजीह हैं यानी उसका हक पहले माना जायगा।

नक़शेमें जो नम्बर दिये गये है वे उत्तराधिकारमें जायदाद पानेका क्रम बतानेके लिये दिये गये हैं। नम्बर १, २, ३, में जो कोष्ट लगाया गया है वह इस मतलबसे है कि वे तीनों इकट्ठे जायदाद पाते हैं अर्थात् पौत्र जिसका पिता मर चुका है और प्रपौत्र जिसका पिता और पितामह मर चुका है मृत पुरुषकी जायदाद तीनों इकट्ठे (पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र,) लेते हैं। इस नक़शेके नम्बरों पर ध्यान रखना, नम्बरके क्रमसे मृत पुरुषका उत्तराधिकारी निश्चित कीजिये।

आज कल यही क्रम माना जाता है।

+ पूरी तौर पर यह निश्चित नहीं है कि नं० ३४, ३६, ४४ सपिण्ड हैं। बहुत करके तो माने जाते हैं और मानना चाहिये।

(१) मृत पुरुष—वह है जो पुरुष जायदादका आखिरी पूरा मालिक था।

(२) 'ल' से मतलब लड़केसे है। 'बा' से बाप और 'मा' से माता।

(३) मृत पुरुषकी नीचेकी लाइन 'ल १' से शुरू होकर सीधी 'ल२४' तक गयी है। और ऊपकी प्रधान लाइन 'बा ८' से शुरू होकर सीधी 'बा ४५' तक। ऊपरकी प्रधान लाइनमें हर एकके बराबर जो 'मा' हैं वह उनकी पत्नियां हैं जैसे 'बा८' की पत्नी 'मा ७' है। इसी तरह समझो।

(४) ऊपरकी प्रधान लाइनमें जो शाखायें लटकी हुई हैं, हर एककी 'भिन्न शाखा' हैं। प्रधान शाखा मृत पुरुषके ऊपर और नीचे सीधी लाइनकी है, बाक़ी सब 'भिन्नशाखा' कहलाती हैं।

☞ इस निशानसे यह मतलब समझिये कि नं०१३दादा है दादाके बाद एक्ट नं० २ सन १६२६ ई० के अनुसार अब लड़केकी लड़की यानी नं० १ की लड़की को जायदाद मिलेगी। उसके बाद लड़कीकी लड़की यानी नं० ५ की लड़की को, उसके बाद बहन और उसके बाद बहन के लड़के को जायदाद मिलेगी। बहनके लड़केके बाद नं० १४ यानी बापके भाई (चाचा) को मिलेगी और फिर आगे उसी क्रमसे चलेगी। उपरोक्त चार वारिस [(१) लड़केकी लड़की, (२) लड़कीकी लड़की, (३) बहन तथा (४) बहनका लड़का] नये क़ानूनके अनुसार बीचमें वारिस माने गये हैं मगर इनके होनेसे सपिण्ड में कोई फर्क नहीं पड़ता सिर्फ चाचासे आगेके वारिसोंके हक चार दर्जे दूर हो गये हैं। देखो एक्ट नं० २ सन १६२६ ई० इस प्रकरणके अन्तमें।

दफा ६८ पहिले सिद्धान्तपर इलाहाबाद हाईकोर्टका मशहूर मुक़द्दमा

बुधासिंह वगैरा वादी बनाम ललतूसिंह वगैरा प्रतिवादी 34 All. 663. में माना गया है कि 'हर एक भिन्न शाखाकी लाइन तीन पीढ़ियोंमें ठहर जाती है'। इस नतीजेके अनुसार पोते तक उत्तराधिकार भिन्न शाखाओंमें होता है, जैसा कि इस किताबकी दफा ६७ में नक़शा दिया गया है। उपरोक्त मुक़द्दमें का खुलासा यह है—

34 All. 663. जस्टिस बेनरजी और जस्टिस पिगटके इजलासमें बाबू गौरीशङ्कर सब जज मुरादाबादके फैसलेके खिलाफ ६ जुलाई सन १९१२ ई० को अपील पेश हुआ अपीलका नम्बर था २४६ सन् १६१० ई०। मुकद्दमा, हिन्दूलॉ मिताक्षरा स्कूलके अन्तर्गत दरमियान 'पितामहके प्रपौत्र' और 'प्रपितामहके पौत्र' के था। यानी दादाका परपोता, और परदादाके पोतेके।

इस मुक़द्दमेमें नीचे लिखी नजीरें बहसमें लायी गयीं—(१) कल्याणराय बनाम रामचन्द्र (1901) 24 I. L. R. All. 128. (२) रटचपुतीदत्त बनाम राजेन्द्रनारायनराय (1839) 2 Mad. I. A. 133 (३) काशीबाई गनेश बनाम सीताबाई रघुनाथ शिवराम (1911) 13 Bom L R. 552. (४) राचाव बनाम कलिङ्ग अप्पा (1892) I. L. R. 16 Bom. 716 (५) करमचन्द गरैन बनाम ओंगडङ्गगुरैन (1866) 6 W. R. 158. (६) चिन्ना स्वामी पिलाई बनाम कुंजू पिलाई (1911) I. L. R. 35; Mad 152. (७) भैय्याराम सिंह बनाम भैय्या उधर सिंह (1870) 13 Mad I A. 373 (८) सूर्य्यभुक्त बनाम लक्ष्मीगरासामा (1881) I. L. R. 5 Mad. 291.

यह मुक़द्दमा उत्तराधिकारके अनुसार एक बहुत बड़ी जायदाद मनकूला और ग़ैरमनकूला (स्थावर और जङ्गम) के दिला पानेका दायर किया गया था। जायदाद साहेब सहाय की थी। देखो—

इस मुक़द्दमेमें वादी साहेब सहायके परदादाका पोता था और प्रतिवादी साहेब सहायके दादाका परपोता। प्रारम्भिक अदालतमें यानी मुरादाबाद (यू०पी०) में दावा डिस्मिस होगया अर्थात् वादीके खिलाफ फैसला हुआ। इसीलिये वादीने इलाहाबाद हाईकोर्टमें अपील दायर की थी।

वादी अपीलांट की तरफसे आनरेबल डाक्टर सुन्दरलाल और आनरेबल पं० मोतीलाल नेहरूने बहसकी कि—

"प्रारम्भिक अदालतने जो यह नतीजा निकाला है कि दादाका परपोता परदादाके पोतेसे पहिले वारिस होता है, यह हिन्दूलॉके विरुद्ध है। याज्ञवल्क्य के अ० २—१३५, १३६ का अर्थ मंडलीकने अपने अनुवादके २२०, ३७७, ३७८ और ३८० से ३८४ पेज तक ठीक तौरपर बताया है। मिताक्षराकी जिनपंक्तियों पर विचार करना है वह मांडलीकके चेपटर २ सेक्शन ४ प्लेसिटा १, ७ और सेक्शन ५ प्लेसिटा १, ४, ५ में है। याज्ञवल्क्यके ऊपर कहे हुए श्लोकमें जो (अपुत्रस्य) शब्द आया है उसका अर्थ है—जिसके कोई मर्द औलाद न हो (तत्सुता) का अर्थ यह है "उनके लड़के" न कि उनकी औलाद और (सन्तान) का अर्थ उस औलादसे है जो वरासतकी हक़दार है और जो पहिले कही गयी है। 'परपोता' कहीं भी नहीं कहा गया"

वादीके वकीलोंकी बहस इन ग्रन्थोंके आधारपर थी—जी० सी० घोस हिन्दूलॉ 125, 127, वेस्ट और बुहलर हिन्दूलॉ 124 114, 116, जे० एन० भट्टाचार्य्य हिन्दूलॉ 448, यस०सी० सरकार व्यवस्था चन्द्रिका Vol. 1, 178, 183, 204; आर० सर्वाधिकारी हिन्दूलॉ आफ इनहेरीटेंन्स 423, 435, मदन पारिजात सीताराम शास्त्रीका अनुवादित 22, जी०सी०सरकार हिन्दूलॉ चौथा

एडीशन 290, रूमसे चार्ट आफ इन्हेरीटेन्स 43, मेगनाटन हिन्दूलॉ 28, कोलब्रूक्स डाइजेस्ट आफ हिन्दूलॉ Vol II. 542 (pl.) 417, वीरमित्रोदय मि० सेटलोरका अनुवाद 420, 423 तक।

प्रारम्भिक अदालतने, कल्याणराय बनाम रामचन्द्र 24 All. 128 को मान कर इस केसका फैसला किया। मगर इस केससे (24 All 128) कोई आम सिद्धान्त नहीं निकलता। वह जी०सी० सरकारके हिन्दूलॉके पेज़ 288में विचार किया गया है। इसका क़ानून पूरे तौरपर चिन्तामणि बनाम कंजूपिलाई के केसमें बहस किया गया था। और वह फैसला वादीके पक्षमें है।

प्रतिवादी रिस्पाडेन्टकी तरफसे आनरेबल पं० मदनमोहन मालवीय और सतीशचन्द्रबनरजी, और डा० तेजबहादुर सपरूने बहसकी कि—

मनुके अध्याय ६—१८६, १८७ में यह आम क़ायदा माना गया है कि वरासतमें तीन पीढ़ी होती हैं। याज्ञवल्क्य अ० २-१३५, १३६ का अनुवाद जैसा कि मांडलीकने किया है गलत है, (च) और (एव) शब्दका अनुवाद बिल्कुल नहीं किया और श्लोकमे जो (तथा) शब्द था उसे 'भ्रातरौ' केसाथ लाना चाहिये था। सबसे मुख्य शब्द (अपुत्रस्य) है और इस जगह (पुत्र) शब्दके अर्थमें पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र शामिल हैं; इस बातसे कोई इनकार नहीं करता। मांडलीकका याज्ञवल्क्य २२२ देखो। यह सही है कि मिताक्षरामें साफ तौरपर परपोतेका जिकर नहीं किया गया लेकिन इस भूलको 'वीर मित्रोदय' पूरी कर देता है, पुरानी पुस्तकोंमें जो वारिसोंकी लिस्ट पायी जाती है वह मुकम्मिल नहीं है सिर्फ उदाहरणार्थ है। और इसीलिये अगर कोई ख़ास वारिस उनमें नहीं बताया गया हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह वारिस नहीं होता। लड़कीके लड़केके बारेमें याज्ञवल्क्यमें कुछ नहीं बताया गया। संस्कृतमें बापके भाईके लिये एक ख़ास शब्द है (पितृव्य) लेकिन ऐसा कोई दूसरा शब्द दादाके भाई और परदादाके भाईके बतानेके लिये नहीं है और यही बात है कि उन ग्रन्थोंमें खुलासा नहीं है।

सपिण्डकी रिश्तेदारी सातवीं डिगरीमें समाप्त हो जाती है और मिताक्षरामें ऊपरकी तरफ़ सात पीढ़ी तक बताई गई है तथा मनुस्मृति ५—६०, जे०सी० घोष हिन्दूलॉ ४१, ५७, ५८, ६५, ६६, ७८, ६७, १६६, १७०, १८३, १८४, जे०सी० घोषने देवल और पराशरके बचनोंको जितना बताया है उससे यह मालूम होता है कि नीचे तीन पीढ़ी तक शरीरकी एकता रहती है अगर अपीलांट वादीकी बहसको माना जाय तो परपोता सगोत्र सपिण्ड भी नहीं होगा। याज्ञवल्क्यको सारी वरासत एकही श्लोकमें बताना थी और इस लिये वह (तत्सुता) को औलादके अर्थमें लाये हैं। मिताक्षरा (पितृ संतान) शब्दको पिताकी लाइन बतानेके लिये काममें लाये हैं, (संतान) का अर्थ राघव बनाम कलिङ्ग अप्पा (1822) I. L. R 16 Bom. 716 में 'एक दूसरे

का सम्बन्ध' का अर्थ लगाया गया है। मांडलीकके प्रमाण जो कि पेज ३६० (सुवोधिनी) और पेज ३६४ (वीरमित्रोदय) में कहे गये हैं वह दोनों ग़लत हैं। मांडलीकने यह विचार करनेमें ग़लती की है कि सिर्फ दश वारिस बताये गये हैं। मांडलीकसे हेरिङ्गटनका सिद्धान्त ठीक है यद्यपि उसे चौथी पुश्तमें ठहर जाना चाहिये था, सात पुश्त तक नहीं जाना चाहिये था।

प्रतिवादी रिस्पान्डेन्टके वकीलोंने जो अपीलमें बहसकी उसका सारांश यह था कि (तत्सुता) का अर्थ परपोते तक मानना चाहिये। एवं (पितृसन्तान) (सन्तति) (सूनु) शब्दोंके अर्थ देखनेके लिये शब्दकल्पद्रुम पेज २२१३; मिस्टर विलियमस् संस्कृत इङ्गलिश डिक्शनरी पेज १०५७, १११८, अमरकोश अ० २-७, कोलब्रुक का ट्रान्सलेशन पेज १७५ का हवाला दिया गया है।

प्रतिवादीके वकीलोंने अपनी बहसमें जिन नज़ीरों और जिन ग्रन्थोंका हवाला दिया यह हैं—

रचपुटीदत्त बनाम राजेन्द्रनरायनराय (1839) 2 Moo. I A 132, 157, भैय्या रामसिंह बनाम भैय्या उधरसिंह (1870) 13 Moo I. A.373, 392, 393. करमचन्द बनाम उदंगुरैन (1866) 6 W. R. 158 औरियाकुंवर बनाम राजूनेछुकुल (1870) 14 W. R. 208, कादीबाई बनाम सीताबाई (1911) 13 Bom. L. R. 552, 557. राधेसिंह बनाम झूलेसिंह (1855) S D·A. Bengal. 384, 399. और नये लेखकोंकी रायें प्रतिवादीके पक्षको मज़बूत करती हैं, देखो—सर्वाधिकारी हिन्दूलॉ इनहेरीटेन्स 654, 656, यस० सी० सरकार व्यवस्था चन्द्रिका Vol. 1, P. 183, जी० एन्० भट्टाचार्य हिन्दू लॉ 447 से 478 तक; जे० सी० घोष हिन्दूलॉ 126, 146. मि० मेन हिन्दूलॉ 477, (1868) 12 Moo. I. A. 448 मि० सेटलोरका अनुवादित दायभाग पेज 57. सर एय्यरका अपरार्क पेज 41.

हाईकोर्टने इस फैसलेमें प्रायः सब बातोंपर विचार करते हुये अपनी तजवीज़के आखीरमें फरमाया कि—"अगर आज कलके वकीलोंको मेरी राय स्वीकार हो तो मुझे मि० सर्वाधिकारीकी स्कीम जो सिर्फ मिताक्षराके अनुसार मानी जाती है, मि० हेरिङ्गटनकी स्कीमसे ज़्यादा पसन्द है। मुझे इस स्कीममें कोई ऐसा एतराज़ नहीं देख पड़ता है जिसमें कि मैं उस स्कीमको जिसे अङ्गरेज़ जजोंने विचारा है पसन्द न करूं। मैं बग़ैर किसी तरहकी शङ्का के इन दोनों स्कीमोंको मांडलीककी स्कीमसे ज़्यादा पसन्द करता हूं। जिन्होंने मांडलीककी स्कीम मानी है ऐसे योग्य लेखकोंकी और जजोंकी प्रशंसा करते हुये मैं कहता हूं कि यह स्कीम (पुत्र) और (सन्तान) के यथार्थ शब्दोंपर निर्भर है। इन शब्दोंको अगर किताबके साथ पढ़ा जाय तो इनका मतलब बदल जायेगा। हिन्दुओंका आम सिद्धान्त यह है कि—वरासत सबसे पासके

सपिण्डको पहुंचेगी। इस सिद्धान्तको मांडलीककी स्कीमसे धक्का पहुंचेगा इसलिये मैं इस अपीलको मय खर्चाके डिस्मिस करता हूं"

नतीजा यह निकला कि—मिताक्षरालॉ के अनुसार पितामहकी तीन पीढ़ियां, प्रपितामह और उसकी औलादसे पहिले वारिस होती हैं। यानी पितामहका प्रपौत्र, प्रपितामहके पौत्रसे पहिले जायदाद पानेका अधिकारी है। इसीलिये ऊपरकी प्रधान लाइनमें तीन पीढ़ी तक वरासत चलकर ठहर जाती है जैसा कि ऊपरके नक़शे दफा ६२४ में दिया गया है।

दफा ६९ सपिण्डोंकी वरासतका दूसरा सिद्धान्त

मदरास हाईकोर्टके फैसले, सुरैय्या बनाम लक्ष्मीनरासामा (1881) 5 Mad. 291 चिन्नासामी बनाम कुंजू (1910) 35 Mad. 152 और मांडलीक हिन्दूलॉ पेज 378 के अनुसार यह मानागया है कि हरएक भिन्न शाखाकी लाइन दो पीढ़ीके बाद ठहर जाती है। दो पीढ़ीके बाद ठहर जानेका यह मतलब समझियें कि पहिली प्रधान लाइनमें नीचेकी तरफ तीन पीढ़ी तक जाती है। पीछे ऊपरकी प्रधान लाइनमें पहिली पीढ़ीकी भिन्न शाखामें (बापकी) दो पीढ़ी तक, इसी तरहपर ऊपरकी प्रधान शाखामें ६ पीढ़ी तक दो, दो, पीढ़ी। पश्चात् प्रधान लाइनमें नीचेकी तरफ चौथी, पांचवीं और छठवीं पीढ़ी तक। उसके बाद ऊपरकी प्रधान लाइनमें पिताकी लाइनकी भिन्न शाखामें तीसरी, चौथी, पाचवीं और छठवीं पीढ़ी तक। इसी तरह पर प्रधान लाइनकी भिन्न शाखामें अन्त तक चार, चार पीढ़ीमें चलकर ५७ पीढ़ीमें समाप्त हो जाती है। इस सिद्धान्तके अनुसार जायदाद पानेका क्रम, यह होगा। देखो—

(१) मृत पुरुषकी नीचेकी शाखामें पहिली तीन पीढ़ी, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र।

(२) विधवा, लड़की, लड़कीका लड़का।

(३) मां, बाप और उनकी भिन्न शाखा वाली लाइनमें पहिली दो पीढ़ी यानी उनकेपुत्र, पौत्र।

(४) बापकी मा, बापका बाप, (इस जगहके बाद वारिज देखो एक्ट नं०२ सन्१९२९ई० इस किताबके अन्तमें) और उनकी पहिली दो पीढ़ी यानी उसके पुत्र, पौत्र।

(५) पितामहकी मा, पितामहका बाप, और उनकी दो पहिली पीढ़ी यानी उनके पुत्र, पौत्र।

(६) प्रपितामहकी मा, प्रपितामहका बाप, और उनकी पहिली दो पीढ़ी यानी उनके पुत्र, और पौत्र।

(७) प्रपितामहके बापकी मा, प्रपितामहका पितामह, और उनकी पहिली दो पीढ़ी यानी उनके पुत्र, पौत्र।

(८) प्रपितामहके पितामहकी मा, प्रपितामहके प्रपितामह, और उनकी पहली दो पीढ़ी यानी उनके पुत्र, पौत्र।

(९) मृत पुरुषके नीचेकी शाखामें पिछली तीन पीढ़ी यानी प्रपौत्र का पुत्र, प्रपौत्रका पौत्र, प्रपौत्रका प्रपौत्र।

(१०) बापकी शाखामें पिछली चार पीढ़ी यानी उसके प्रपौत्र, प्रपौत्रका पुत्र, प्रपौत्रका पौत्र, प्रपौत्रका प्रपौत्र।

(११) पितामहकी शाखामें पिछली चार पीढ़ी यानी उसके प्रपौत्र, प्रपौत्रका पुत्र, प्रपौत्रका पौत्र, प्रपौत्रका प्रपौत्र।

(१२) प्रपितामहकी शाखामें पिछली चार पीढ़ी यानी उसके प्रपौत्र, प्रपौत्रका पुत्र, प्रपौत्रका पौत्र, प्रपौत्रका प्रपौत्र।

(१३) प्रपितामहके बापकी शाखामें पिछली चार पीढ़ी यानी उसके प्रपौत्र, प्रपौत्रका पुत्र, प्रपौत्रका पौत्र, प्रपौत्रका प्रपौत्र।

(१४) प्रपितामहके पितामहकी शाखामें पिछली चार पीढ़ी यानी उसके प्रपौत्र, प्रपौत्रका पुत्र, प्रपौत्रका पौत्र, प्रपौत्रका प्रपौत्र।

(१५) प्रपितामहके प्रपितामह की शाखामें पिछली चार पीढ़ी यानी उसके प्रपौत्र प्रपौत्रके पुत्र, प्रपौत्रके पौत्र, प्रपौत्रके प्रपौत्र।

इस सिद्धान्तमें यह माना गया कि बापके भाई (चाचा) का लड़का, बमुकाबिले भाईके पोतेके नज़दीकी वारिस होता है क्योंकि यह माना गया है कि दूसरी पीढ़ी वाले हमेशा तीसरी पीढ़ी वालोंसे पहिले वारिस होते हैं। देखो यहांपर भाईका पोता तीसरी पीढ़ीमें है और चाचाका बेटा दूसरी पीढ़ी में, इसलिये भाईके पोतेसे पहिले वारिस हो जाता है। इस सिद्धान्तके अनुसार नीचेका नक़्शा देखो—

दफा ७० दूसरे सिद्धान्तका नक़शा

मद्रास हाईकोर्ट और मि० मांडलीकके सिद्धान्तानुसार।

(१) 'ल' से मतलब लड़केसे है।

(२) 'बा' से मतलब बापसे है।

(३) 'मा' से मतलब मातासे है।

≈· इस जगहके वारिस देखो एक्ट नं० २ सन १९२९ ई० इस किताब के अन्त में।

दफा ७१ सपिण्डोंकी वरासतका तीसरा सिद्धान्त

तीसरा सिद्धांत मि० हेरिंगटन् साहेबके अनुसार है। यह सिद्धान्त रटचिपुटीदत्त बनाम राजेन्द्र (1839) 2 M. I.A. 133, 149, 161. के मुक़द्दमेमें माना गया था कि हर एक लाइन छठवीं पीढ़ी तक विला किसी रोक टोकके चली जायगी। मगर इस मुक़द्दमेमें मिस्टर हेरिङ्गटन साहेबकी तजवीज़से यह नहीं मालूम होता कि प्रपौत्रके पुत्र, पौत्र, प्रपौत्रका स्थान उत्तराधिकारमें कहां है। इतना ज़रूर मालूम होता है कि बापकी छठवीं पीढ़ी वाला यानी बापके प्रपौत्रका प्रपौत्र, दादी और पितामहसे पहिले वारिस होता है। अगर ऐसी बात है तो मृत पुरुषकी छठवीं पीढ़ी तकको भी उससे पहिले जायदाद मिलना चाहिये, यानी उसके प्रपौत्रके पुत्र, पौत्र, प्रपौत्रको इन सबका हक़ दादीसे पहिले होना चाहिये।

मि० हेरिङ्गटन साहेबके सिद्धान्तानुसार वरासतका क्रम यह होगा।

(१) मृत पुरुषकी नीचेकी शाखामें पहिली तीन पीढ़ी यानी, उसके पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र।

(२) विधवा, लड़की, लड़कीका लड़का।

(३) माँ, बाप, और उसकी छः पीढ़ी।

(४) मृत पुरुषकी नीचेकी लाइनमें पिछली तीन पीढ़ी।

(५) बापकी मा, पितामह, और उसकी छः पीढ़ी।

(६) पितामहकी मा, पितामहका बाप, और उसकी छः पीढ़ी।

(७) प्रपितामहकी मा, प्रपितामहका बाप, और उसकी छः पीढ़ी।

(८) प्रपितामहके बापकी मा, प्रपितामहका पितामह, और उसकी छः पीढ़ी।

(९) प्रपितामहके पितामहकी मा, प्रपितामहका प्रपितामह, और उसकी छः पीढ़ी।

देखो—वेस्ट और बुहलर साहेबका हिन्दूलॉ तीसरा एडीशन पेज १२४, १२५.

मि० हेरिङ्गटन साहेबके सिद्धान्तके अनुसार बापकी नीचेकी छठवीं पीढ़ीको पहिले उत्तराधिकारमें जायदाद मिलती है। यह बात इलाहाबाद हाईकोर्टने पूर्णतया स्वीकार नहीं की और जहां तक मालूम होता है किसी हाईकोर्टमें यह राय अब स्वीकार नहीं की जाती।

दफा ७२ तीसरे सिद्धान्तका नक़शा

मिस्टर हेरिङ्गटन साहेबके सिद्धान्तके अनुसार। किन्तु आज कल यह माना नहीं जाता।

(१) '?' यह निशान निश्चित नहीं है, मुमकिन है कि नं० १५, १७ का स्थान हो।

(२) 'ल' से मतलब 'लड़का' और 'बा' से 'बाप' और 'मा'से 'माता' है।

नोट—यह मिस्टर हेरिंगटन् साहेबका सिद्धान्त उपरोक्त 2 M. I. A 133, 149, 161. में मानागया था जिससे यह नतीजा निकला कि हर एक भिन्न शाखाकी लाइन सीधी छ पीढ़ी तक चली जायगी, जैसा कि ऊपरके नकशेसे मालूम होगा।

दफा ७३ तीनों सिद्धान्तोंका फरक़

उत्तराधिकार तीन सिद्धान्तोंके अनुसार विभक्त किया गया है, (देखो ६६ से ७२) । इनमें से पहिला सिद्धान्त प्रोफेसर सर्वाधिकारी डाक्टर जाली, मिस्टर मेनसाहेब और डाक्टर जोगेन्द्रनाथ भट्टाचार्यके अनुसार है, इस सिद्धान्तको जैसाकि इस किताबकी दफा ६६, ६७ में बताया गया है इसीको जस्टिस बनरजी और जस्टिस पिगटने मिस्टर हेरिङ्गटनकी स्कीमको पसन्द करते हुये प्रोफेसर सर्वाधिकारीके क्रमको माना है (देखो दफा ६८). इस सिद्धान्तके अनुसार भाईका पोता चाचाके बेटेसे पहिले वारिस होगा और जायदाद पायेगा। अब प्रायः यही सिद्धान्त माना जाता है।

ऊपर कहे हुए जो तीनों सिद्धान्तोंमें फरक़ है वह मिताक्षरामें (पुत्र) के अर्थमें भेद पड़ जानेसे यानी एक जगहपर (पुत्र) के मतलबमें भेद होने पर और दूसरी जगह (पुत्र) और (सन्तान) के मतलबमें भेद होनेसे पड़ गया है। मिताक्षरामें कहा गया है कि—

"भ्रातृणामप्यभावे तत्पुत्राः पितृक्रमेण धनभाजः"

भाइयोंके भी न होनेपर उनके पुत्र पिताके लिहाज़से जायदादमें भाग पावेंगे और आगे चलकर मिताक्षरामें यह भी कहा गया है कि—

"तत्रच पितृसन्तानाभावे पितामही पितामह पितृव्या-स्तत्पुत्राश्चक्रमेणधनभाजः पितामहसन्तानाभावे प्रपितामही प्रपितामहस्तत्पुत्रास्तत्सूनवश्चेत्येव मा सप्तमात्समानगोत्राणां सपिण्डानां धनग्रहणंवेदितव्यम्"

मतलब यह है कि पिताकी सन्तानके न होनेपर दादी (पिताकी मा) दादा (पिताका बाप) चाचा और उसके लड़के क्रमसे जायदाद पाते हैं। इसी तरहसे दादाकी सन्तान न होनेपर पितामहकी मा, प्रपितामह, और उसके लड़के और उनके लड़के। इसी प्रकार सात पीढ़ी पर्यन्त सगोत्र सपिण्डोंको जायदाद मिलेगी।

पहिले सिद्धान्तके अनुसार (पुत्र) का मतलब बेटे, पोतेसे लिया गया है और (सन्तान) का मतलब नीचेकी तीन पीढ़ी तक जैसाकि मूल पुरुषकी सन्तान के बारेमें अर्थ किया गया 'अपुत्रस्य' पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र रहितस्य पुरुषस्य।

दूसरे सिद्धान्तके अनुसार (पुत्र) का मतलब सिर्फ लड़केसे है। इस दूसरे सिद्धान्तमें पुत्र शब्दसे पौत्रका अर्थ होना नहीं मानाजाता और (संतान) का मतलब नीचेकी दो पीढ़ी तकका लिया गया है।

तीसरे सिद्धान्तके अनुसार (पुत्र) और (सन्तान) का मतलब हर एक पूर्व पुरुषकी लाइनमें उसकी छः पीढ़ी तक माना गया है। यही सबब है कि तीनों सिद्धान्तोंमें फरक पड़ गया। अधिक देखना हो तो 34 All 663. का केस देखो। साधारणतः हमने उत्तराधिकारके सिद्धान्तोका दिग्दर्शन करा दिया है।

---

(४) समानोदकोंमें वरासत मिलनेका क्रम

समानोदक नीचे लिखे क्रमानुसार उत्तराधिकारी होते हैं -

दफा ७४ समानोदकोंमें उत्तराधिकारका क्रम

किसी सपिण्डके न होनेपर वरासत 'समानोदक' को मिलेगी—(देखो दफा ३१, ३६) समानोदकों मे भी वही क्रम माना जावेगा जैसा कि सपिण्डमें माना गया है, यानी नज़दीकी समानोदक दूरके समानोदकसे पहिले वारिस होनेका अधिकार रखता है। अर्थात् नज़दीकी कुटुम्बी समानोदकका हक दूरके कुटुम्बी समानोदकसे पहिले होगा और नजदीकी कुटुम्बी समानोदकमें नज़दीकी रिश्तेदारका हक पहिले होगा। देखो, नक़शा दफा ६७

समानोदक किसे कहते हैं यह बात इस किताबकी दफा ३१ में बताई गयी है। मिताक्षरामें समानोदकके लिये कहा गया है कि—

'तेषामभावे समानोदकानां धनसम्बन्धः
तेच सपिण्डानामुपरिसप्तवेदितव्याः'

सपिंडके अभावमें समानोदक जायदाद पावेंगे, वह सात सपिण्डोंके ऊपरसे शुमार किये जाते हैं।

नीचेके नक़शेमें जो क्रम बताया गया है उसी क्रमके अनुसार मृत पुरुषकी जायदाद मिलेगी। यह क्रम केवल ५७ डिगरी तक ठीक समझना। समानोदकोंका फैलाव चौदह डिगरी तक हमने नकशेमें ज़ाहिर किया है मगर यह निश्चित नहीं है कि समानोदक इतनेही होते हैं। चौदह दर्जेके पश्चात् समानोदक वारिसका कोई केस हमें नहीं मिला।

समानोदक और साकुल्य—यद्यपि प्रत्येक व्यक्तिको यह अधिकार है कि वह किसी अन्य व्यक्तिको पानीका पिण्ड दे, किन्तु क़ानून उत्तराधिकार द्वारा वाक्य समानोदकमें एक परिमित वर्गको ही विशेषता दीगई है। प्रत्येक व्यक्ति जो पानी देनेका अधिकारी है, वारिस नहीं हो सकता, किन्तु समानोदकोंमें से केवल वही उत्तराधिकारी हो सकते हैं जो समानोदकके होते हुये साकुल्य भी हों, यानी उनका सम्बन्ध मुतवफीके ख़ान्दानसे भी हो। मा के सम्बन्धियोंका शुमार साकुल्यमें नहीं होता—शम्भूचन्द्र दे बनाम कार्तिकचन्द्र दे—A. I. R. 1927 Cal. 11.

नम्बर ५७ तकके वारिसोंका क्रम दफा ६७ में ठीक बताया गया है आगेके नम्बरोंका क्रम भी उसी प्रकार समझ लीजिये जो सिद्धान्त ५७ पीढ़ी के क्रम निश्चित करनेमें माना गया है वही समानोदकोंमें समझना, सिद्धान्त देखो ६६-६८.

दफा ७५ समानोदकोंका नक़शा देखो

---

(५) बन्धुओंमें वरासत मिलनेका क्रम

अब हम उत्तराधिकार में बन्धुओं के वरासत पानेका विषय वर्णन करते हैं। बन्धुओंका क्रम पेंचीदा है। दफा २४ के नक़शेके सिद्धान्तको ध्यानमें रखिये। मिताक्षराने जो सिद्धान्त सपिण्ड निश्चित करनेमें माना है वही बन्धुओंमें भी माना है। सपिण्ड और बन्धुमें कोई भेद नहीं है क्योंकि दोनों का सम्बन्ध शारीरिक सम्बन्धके द्वारा पैदा होता है, भिन्न गोत्र होनेसे शारीरिक सम्बन्धमें कोई बाधा नहीं पड़ती। बन्धुओंका यह विषय पढ़नेसे पहले तीन बातोंपर अवश्य ध्यान रखना। (१) सपिण्डके सिद्धान्तोंको स्मरण रखते हुए आप यह विचार करें कि माता-पिताके शरीरके अंश पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र में क्रमसे कमती होते जाते हैं, यानी ऐसा मानों कि पुत्रका शरीर ६०० अंशोंसे बना है तो ३०० अंश माताके शरीरसे और ३०० अंश पिताके शरीरसे आये एवं पौत्रके शरीरमें, दादी-दादाके शरीरके अंश डेढ़, डेढ़ सौ आये, तथा प्रपौत्रके शरीरमें परदादी-परदादाके शरीरके अंश पचहत्तर, पचहत्तर आये। इससे यह बात स्पष्ट हो गयी कि पुत्रके शरीरमें माता-पिताके शरीरके अंश सबसे ज्यादा हैं। अब यह विचार कीजिये कि पुत्रमें यदि माता-पिताके शरीरके अंश सबसे ज्यादा हैं तो लड़कीमें भी उतने ही अंश हैं क्योंकि पुत्र और लड़की एक ही माता-पितासे जन्मे हैं अर्थात् लड़कीके शरीरमें भी माता-पिताके शरीरके अंश तीन, तीन सौ मौजूद हैं एवं लड़की की लड़कीके शरीरमें डेढ़, डेढ़सौ अंश और लड़की की बेटीकी लड़कीके शरीरमें पचहत्तर पचहत्तर अंश मौजूद हैं। लड़कियोंकी लाइनकी सन्तान बन्धुओंके अन्तर्गत है। नतीजा यह निकला कि जिस सिद्धान्तसे पुत्रकी लाइनमें सगोत्र सपिण्ड निश्चित किया

जाता है उसी सिद्धान्तसे लड़कीकी लाइनमें भिन्नगोत्रज सपिण्ड निश्चित किया जाता है। भिन्नगोत्रज सपिण्डको बन्धु कहते हैं। बन्धुकी गणना कहांसे और कैसे की जाय, यह प्रश्न अब साफ होगया कि जहांसे और जैसे सपिण्डकी गणनाकी जाय उसी तरह बन्धुकी भी। देखिये सपिण्डमें सबसे पहले पुत्र को गिनते हैं, बन्धुमें सबसे पहले लड़कीके लड़केको गिनते हैं। लड़कीका लड़का यद्यपि बन्धु है, और बन्धुकी हैसियतसे उसका यही स्थान है किन्तु आचार्योंके खास बचनोंके अनुसार उसे सपिण्डके साथ वारिस मान लिया है देखो दफा ४९, ६७. इसलिये अब सबसे पहले पुत्रकी लड़कीका लड़का बन्धु माना जाता है। सपिण्डमें पौत्रका दर्जा दूसरा है, बन्धुमें पौत्रकी लड़कीके लड़केका दर्जा दूसरा है। मिताक्षरामें जिन बन्धुओंका नाम लिया गया है वे उदाहरणकी तौरपर कहे गये हैं देखो दफा ४०. (२) प्रपौत्रकी बात परमा विचार कर लीजिये। सपिण्डमें प्रपौत्र शामिल है किन्तु बन्धुमें नहीं। ऐसा क्यों हुआ? उत्तर यह है कि प्रपौत्र पूर्ण पिण्डकी हद है, वह खुद सपिण्डमें शामिल है, किन्तु उसकी सन्तान नहीं। इसलिये जब प्रपौत्रकी सन्तान नहीं शामिल हो सकती तो बन्धुका सम्बन्धही नहीं पैदा होगा हिन्दूलॉ की दफा ३९९ के २-४ देखो। सपिण्डमें प्रपौत्रके पुत्रसे पहले विधवा, लड़की, लड़कीका लड़का, और माता क्रमसे वारिस मानी गयी हैं। इनमें किसीसे भी बन्धु नहीं बन सकता क्योंकि विधवा तो पुत्र और लड़कीका शरीर बनाती है और स्त्री-पुरुष दोनों मिलकर शरीर पैदा करते हैं, लड़की और लड़कीके लड़केकी बात ऊपर कह चुके हैं। मातासे बन्धु इसलिये नहीं बन सकताकि माता और पिता दोनोंके शरीरसे मृतपुरुषका शरीर बना है जिसके सम्बन्धसे बन्धुका विचार किया जाता है। अपने और अपनी बहनके शरीरमें माता-पिताके शारीरिक अंशोंकी समानता है इसलिये पुत्रकी लाइनके बाद जब ऊपरकी लाइनमें बन्धु विचार किया जायगा तो बहनका पुत्र तीसरा बन्धु होगा, इसी प्रकार समझिये। (३) बन्धुओंके वरासत पानेका क्रम ८०, ८१, ८२. दफामें कहा गया है यह ध्यान रखना कि बन्धुओंकी संख्या १२३में समाप्त नहींहो जाती लेकिन हम देखते हैं कि बहुतेरे लोगोंका जायदाद पानेका हक कानूनन पैदा हो जाता है किन्तु वे अपना हक नहीं समझते ऐसी दशामें दूसरे लोग जो उनके मुकाबिलेमें हक नहीं रखते जायदादपर काबिज हो जाते हैं या उसे लावारिसीमें सरकार जब्त कर लेती है सपिण्डकी हैसियतसे ५७ और समानोदककी हैसियतसे १४७ तथा बन्धुकी हैसियतसे १२३ यानी कुल ३२७ वारिस तो इस ग्रन्थमें साफ बताये गये हैं देखो दफा ६७; ७५; ८१-८२; फिर भी वारिसोंकी संख्या समाप्त नहीं है।

दफा ७६ बन्धु किसे कहते हैं

मिताक्षरा में कहा है कि—

'भिन्नगोत्राणां सपिण्डानांबन्धु शब्देन गृहणात्'

भिन्नगोत्र सपिंडोंको बन्धु कहते हैं। बन्धु और भिन्नगोत्र सपिंडमें फरक नहीं है (दफा २४) बन्धु, स्त्री सम्बन्धी रिश्तेदार होते हैं केवल मर्द सम्बन्धी रिश्तेदार नहीं होते, 'बन्धु' वह रिश्तेदार कहलाते हैं जिनका सम्बन्ध एक या एकसे ज्यादा स्त्रियोंके द्वारा होता हो। बन्धु किसे कहते हैं? देखो इस किताब की दफा ३३, ३४.

हर एक बन्धुको मृतपुरुषका कमसे कम एक स्त्री द्वारा ज़रूर ही सम्बन्ध होना चाहिये, दो स्त्रियोंके द्वारा जो सम्बन्ध होता है वह भी बन्धु कहलाते हैं; देखो — कृष्णा बनाम वेंकट राम 29 Mad 115, वेंकटगिरि बनाम चन्द्रू 23 Mad 123; पारोट बापालाल बनाम महता हरीलाल 19 Bom. 631. और जहांपर दो स्त्रियोंसे ज्यादाके द्वारा सम्बन्ध जुड़ता हो तो उसे भी बन्धु कहते हैं अर्थात् मृतपुरुष और जिस रिश्तेदारके बीचमें कोई पूर्वज स्त्री हो तो वह भी बन्धु कहलायेगा।

दफा ७७ मिताक्षराके बन्धु—मिताक्षरा

"बन्धवश्च त्रिविधाः आत्मबन्धवः पितृ बन्धवो मातृ-बन्धवश्चेति। यथोक्रम्। आत्म पितृष्वसुः पुत्रा आत्ममातृ-ष्वसुः सुताः। आत्ममातुलपुत्राश्च विज्ञेयाह्यात्मबान्धवाः॥ पितुः पितृष्वसुः पुत्राः पितुर्मातृष्वसुः सुताः। पितुर्मातु-लपुत्राश्च विज्ञेयाः पितृबान्धवाः॥ मातुः पितृष्वसुः पुत्रा मातुर्मातृष्वसुःसुताः। मातुर्मातुल पुत्राश्च विज्ञेया मातृबान्धवाः॥इति॥तत्र चान्तरङ्गत्वात्प्रथममात्मबन्धवो धनभाजस्तदभावे पितृबन्धवस्तदभावे मातृबन्धव इति क्रमो वेदितव्यम॥"

मिताक्षरामें बन्धु तीन तरहके माने गये हैं—(१) आत्मबन्धु—अपने बन्धु। (२) पितृबन्धु—बापके बन्धु। (३) मातृ बन्धु—माके बन्धु।

इन तीनों बन्धुओंमें हर एकके अन्दर तीन, तीन रिश्तेदार हैं। जैसे—

मिताक्षरामें कहे हुये बन्धु

सं०	नाम बन्धु	मिताक्षरामें कहे हुए ९ बन्धु यह हैं—	
१	आत्मबन्धु	१-पितृष्वसुः पुत्राः	बापकी बहनके लड़के—बुवाके लड़के
२		२-मातृष्वसुः सुताः	माकी बहनके लड़के—मौसीके लड़के
३		३-मातुल पुत्राः	माके भाईके लड़के—मामाके लड़के
१	पितृबन्धु	१-पितु.पितृष्वसुःपुत्राः	पितामहकी बहनके लड़के—दादाकी बहनके लड़के
२		२ पितुर्मातृष्वसुःसुताः	पिताकी माकी बहनके लड़के
३		३-पितुर्मातुल पुत्राः	पिताकी माके भाईके लड़के
१	मातृबन्धु	१-मातुःपितृष्वसुःपुत्राः	माके बापकी बहनके लड़के—नानाकी बहनके पुत्र
२		२-मातुर्मातृष्वसुःसुता	माकी माकी बहनके लड़के—नानीकी बहनके पुत्र
३		३-मातुर्मातुलपुत्राः	माकी माके भाईके लड़के—नानीके भाईके पुत्र

पहिले ऐसा ख्याल किया जाता था कि मिताक्षरामें जो ९ किस्मके बन्धु बताये गये हैं सिर्फ इतनेही होते हैं। मगर अब उसका अर्थ ऐसा माना जाता है कि मिताक्षरामें जो बन्धु बताये गये हैं वह बन्धुओंकी तादादको खतम नहीं कर देते, यानी सिर्फ ६ ही बन्धु नहीं हैं। ६ से ज्यादा भी होते हैं। यह ६ बन्धु जो मिताक्षरामें बताये गये हैं वह केवल उदाहरणकी तरहपर बताये गये हैं। देखो दफा ४०

दफा ७८ बन्धुओंके क्रमके सिद्धान्त

(१) मिताक्षरामें बताये हुए तीन किस्मके बन्धुओंमेंसे पहले आत्म बन्धु वारिस होंगे और उनके न होनेपर पितृबन्धु और उनके भी न होनेपर मातृबन्धु। देखो 19 Mad. 405, 33 I A 83, 28 Bom. 453.

(२) जब कभी मिताक्षरामें कहे हुए एकही दर्जेके कई एक बन्धु जीवित हों तो जिस बन्धुका नाम पहले लिया गया है वह पहले वारिस होगा देखो—33 Mad 439

(३) मिताक्षरामें बताये हुए बन्धुओंके अलावा अदालतने जिन बन्धुओंको अधिक माना है उनके बीचमें यह सिद्धान्त लागू होगा कि बापके सम्बन्धसे जो बन्धु होते हैं वे माताके सम्बन्ध वाले बन्धुओंसे पहले जायदाद पावें। देखो 18 Mad 193, 20 Mad. 342.

(४) ऊपरके नियमोंको मानते हुए यह सिद्धान्त माना गया है कि नज़दीकी लाइन वाला बन्धु, दूरकी लाइन वाले बन्धुसे पहले वारिस होता है। देखो 20 Mad 342; 29 Mad 115.

(५) ऊपरके नियमोंको मानते हुए जहांपर कि ऐसे दो बन्धु हों जो एकही पूर्व पुरुष द्वारा मृत पुरुषसे सम्बन्ध रखते हों वहांपर यह सिद्धान्त माना जायगा कि पासके दर्जेवाला बन्धु, दूरके दर्जे वाले बन्धुसे पहले वारिस होगा। देखो—5 Bom 597.

(६) ऊपरके सब नियमोंको मानते हुए जहांपर एक ही पूर्व पुरुषके सम्बन्धसे एक ही दर्जेके दो या ज्यादा बन्धु हों वहांपर यह सिद्धान्त माना जायगा कि जिस बन्धुका सम्बन्ध मृतपुरुषसे एक स्त्रीके द्वारा है वह पहले वारिस होगा, बमुकाबिले उस बन्धुके जिसका सम्बन्ध दो स्त्रियों या ज्यादासे है। देखो—30 Mad. 403, 33 Mad 439.

(७) यह सिद्धान्त माना गया है कि परिवारकी लड़कियोंके पुत्र पहले वारिस होंगे उनके न होनेपर परिवारकी लड़कियोंके लड़कोंके लड़के वारिस होंगे और उनके भी न होनेपर परिवारकी लड़कियोंकी लड़कियोंके पुत्र वारिस होंगे। देखो दफा ८१, ८२

(८) उक्त नम्बर ७ के अनुसार यह माना गया है कि पहले आत्मबन्धु वारिस होंगे पीछे पितृबन्धु और उसके पीछे मातृबन्धु वारिस होंगे। एक ही दर्जेके अनेक वारिसोंमें जिसका नाम पहले कहा गया है वह वारिस होंगे।

दफा ७९ बन्धुओंका सामान्य सिद्धान्त बंगाल स्कूलके अनुसार

आमतौरपर बन्धुओंके लिये जो सिद्धान्त माना गया है वह यह है कि पितृपक्षके सात पूर्वजोंके हर एककी पांच डिगरी तक, और इसी तरहपर मातृपक्षके पांच पूर्वजोंके हर एककी पांच डिगरी तक जो स्त्री द्वारा रिश्तेदार होते हैं वह सब बन्धु कहलाते हैं। इसका कारण यह है—कि याज्ञवल्क्यने कहा है कि—

'पञ्चमात्सप्तमादूर्ध्वं मातृतः पितृतस्तथा'

इसी आधारसे अदालतोंमें ऊपरका सिद्धान्त मान कर बन्धुओंका फैलाव किया गया है।

दफा ८० बंगाल स्कूलके अनुसार कलकत्ता हाईकोर्टकी राय

कलकत्ता हाईकोर्टने, उम्मेद बहादुर बनाम उदयचन्द (1880) 6 Cal. 119; के मुक़द्दमेमें यह क़रार दिया कि 'सपिण्डता एक दूसरेमें होना चाहिये। इसका नतीजा यह निकाला गया कि पितृपक्षमें पांच डिगरी तकके पूर्वज लिये गये, सात डिगरी तकके नहीं। अगर हम कलकत्ता हाईकोर्टके अनुसार बन्धुओंको निश्चित करना चाहें तो हर एक बन्धु नीचे लिखे हुए आदमियोंके पांच डिगरीके अन्दर किसी स्त्री द्वारा सम्बन्ध रखने वाला होना चाहिये।'

(१) मृतपुरुष.

(२) मृतपुरुषके पितृपक्षके पूर्वज पांच डिगरीमें, यानी चार पूर्वज बाप, दादा, परदादा, नगड़दादा।

(३) मृतपुरुषके बापके मातृपक्षके पूर्वज पांच डिगरीके अन्दर यानी दादीका बाप, दादीकादादा, दादीकापरदादा।

(४) मातृपक्षके पूर्वज पांच डिगरीमें, यानी नाना, परनाना, नगड़नाना।

(५) मृतपुरुषकी माके मातृपक्षके पूर्वज पांच डिगरी तक यानी नानी का बाप और उसका दादा

नीचे दिया हुआ नक़शा देखो। इस नकशेमें सब पांच डिगरियोंमें हैं मगर नम्बर ७ 'बापकी माका परदादा' छठवीं डिगरीमे हैं। इसकी गणना करनेमें दादी नम्बर २ का शुमार नहीं किया गया इसलिये उसे भी पांच डिगरीके अन्दर माना है।

कलकत्ता हाईकोर्टकी रायके अनुसार ऊपर बताये हुए आदमियोंकी पांच डिगरी तककी औलादमेंसे मृतपुरुषके स्त्री द्वारा रिश्तेदार सबही बन्धु नहीं होते बल्कि इस हाईकोर्टमें यह माना गया है कि कोई आदमी बन्धु नहीं हो सकता जब तक कि मृतपुरुष उसके नानाकी या उसके बापके नानाकी या उसकी माके नानाकी लाइनमें न हो। इस सिद्धान्तके अनुसार हर सूरतमें नीचे बताये हुए रिश्तेदार यद्यपि पांच पीढ़ीके अन्दर हैं मगर बन्धु नहीं माने जायेंगे। जैसे—(१) लड़कीकी लड़कीके लड़केका लड़का (२) लड़कीके लड़केके लड़केका लड़का।

ऊपरके नक़शेमें जहांपर मृतपुरुष लिखा है उस स्थानको मृतपुरुष या मृतपुरुषकी लाइनमें किसी पूर्वजको मानो। नम्बर १ और २ के नाना या उसके बापके नाना या उनकी माके नानाका 'मृतपुरुष' का स्थान नहीं हो सकता, अर्थात् 'मृतपुरुष' नम्बर १ और २ का नाना, या उसके बापका नाना, या उनकी माका नाना, नहीं है और न उनकी लाइनमें है, इसीलिये नम्बर १ और २ मृतपुरुषके बन्धु नहीं हैं।

कलकत्ता हाईकोर्टकी पेंचीदा रायका सारांश हमने ऊपर बताया। अब आगे इसी रायके अनुसार बन्धुओंको फैलाकर समझाते हैं ।

(१) नम्बर १,२ मृतपुरुषका लड़का और पोता है। यह दोनों सपिण्ड हैं।

(२) नं० ३ लड़कीका लड़का, नं० ४ लड़केकी लड़कीका लड़का, नं० ५ लड़कीके लड़केका लड़का, नं० ६ लड़कीकी लड़कीका लड़का है।

(३) नं० ७ मृत पुरुषके पोतेकी लड़कीका लड़का, नं० ८ लड़केके लड़कीके लड़केका लड़का, नं० ९ लड़केकी लड़कीकी लड़कीका लड़का है।

(४) नं० १० +लड़कीके, लड़केके लड़केका लड़का, और नं० ११ +लड़कीकी लड़कीके लड़केका लड़का है। यह दोनों बन्धु नहीं हैं क्योंकि इनमें वही क़ायदा लागू पड़ता है जो ऊपर कहा गया है।

(५) ऊपर नं० १ और २ सपिण्ड हैं तथा नं० १० और ११ बन्धु नहीं माने जाते। इसलिये इन चारोंको छोड़कर बाकी सात रिश्तेदार मृत पुरुषके बन्धु हैं, अर्थात् नं० ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, यह सात बन्धु हैं देखो जिनमें कोष्ट ( ) बना हुआ है।

(६) जिस तरह पर कि ऊपर कहे हुये (कोष्ठके नं० ३ से ६ तक) सात रिश्तेदार मृत पुरुषके बन्धु बताये गये है उसी तरहपर मृत पुरुषके बाप की पितृपक्षवाली लाइन (दाहने तरफ नं० १ से ४ देखो) में चारों पूर्वजोंमें से हर एकके यह सात (नीचेकी शाखाके कोष्ठके नं० ३ से ६ तक) रिश्ते-दार मृत पुरुषके बन्धु होंगे इस तरह पर चारों पूर्वजोंके द्वारा २८ बन्धु होंगे। अर्थात् कोष्ठके नं० ३ से ६ तक सात बन्धु नीचेकी शाखामें बताये गये, अब ऊपरकी शाखामें देखो नं० १ बापका स्थान है। बाप और बापके तीन पूर्वज मिलाकर ४ हुये, इनके प्रत्येकके सात सात रिश्तेदार जो नीचेकी शाखामें कोष्ठ में बताये गये हैं जोड़नेसे २८ हुये। इस २८ मे नीचेके ७ बन्धु और जोड़ दो तो ३५ होंगे यही क्रम बापके बायें तरफ ८-१४ के रूपमे ३५ बन्धु तक दिखाया गया है।

(७) इसी तरह पर मृत पुरुषके बाकीके सब पूर्वजोंमें से (दाहिने तरफ ५ से १२) हर एक पूर्वजके, इन सात रिश्तेदारोंके अलावा, उनके बेटे, पोते, परपोते और परपोतेके लड़के भी मृत पुरुषके बन्धु होंगे। एवं इन सब पूर्वजों में से हर एक के ११ रिश्तेदार मृत पुरुषके बन्धु होंगे इसलिये कुल बन्धु इन आठ पूर्वजोंके द्वारा ८८ होंगे। अर्थात् दाहिने तरफके न० ५ से १२ तक ८ पूर्वज (३ पितृपक्षके और ५ मातृपक्षके) हैं। इन प्रत्येकके ११ रिश्तेदार और मिलाओ तो ८८ हुये। इन ८८ में पहलेके ३५ बन्धु भी जोड़ो तो १२३ बन्धु होते है। यही क्रम ३६-४६ के रूपमें बायें तरफ नक़शेमें दिखाया गया है।

मृत पुरुषके कुल बन्धु यह होते हैं—

१—मृत पुरुषकी औलादमें से	... ...	७
२—उसके पिताके पितृपक्षके चार पूर्वजों द्वारा	..	२८
३—उसके दूसरे पूर्वजों द्वारा	... ..	८८
	कुल जोड़	१२३

नोट—लड़कीका लड़का यद्यपि बन्धु है मगर वह वरासतमें मासे पहिले अधिकारी है।

नाना—ऊपरकी शाखा वाले बन्धुओंमें नानाका बन्धु होना सबने स्वीकार किया है और अदालतमें नानाके बन्धु माने जानेके बारेमें फैसले भी हुये हैं। मगर यह नहीं समझ लेना चाहिये कि ऊपरवाली शाखामें सिर्फ नानाही बन्धु होगा, बल्कि अपने नानाके सिवाय बापका नाना और मा का नाना भी बन्धु माना गया है।

ऊपर जो १२३ बन्धु कलकत्ता हाईकोर्टके अनुसार बताये गये हैं वह तीन किस्मके हैं यानी आत्मबन्धु, पितृबन्धु और मातृबन्धु।

(१) आत्मबन्धु—यह हैं जो अपनी, अपने बापकी, दादाकी, नाना की औलादमें बन्धु होते हैं यानी अपने, और नम्बर १, २ तथा नम्बर ८ की औलादमें जो बन्धु होते हैं।

(२) पितृबन्धु—पितृपक्षके बाकीके पूर्वजोंकी औलादमें जो बन्धु होते हैं यानी नं० ३, ४, ५, ६, ७ वाले पूर्वजोंकी औलादमें जो बन्धु होते हैं।

(३) मातृबन्धु—माताकी तरफके बाकीके पूर्वजोंकी औलादमें जो बन्धु होते हैं यानी नं० ६ से १२ तककी औलादमें जो बन्धु होते हैं।

दफा ८१ मिताक्षरा स्कूलके अनुसार बन्धु

यह ध्यान रखना कि मिताक्षरामें जो ६ बन्धु बताये गये हैं वे उदाहरणकी तरहपर माने जाते हैं (देखो दफा ४०, ७७) मिताक्षरालॉ और मयूखलॉ के बन्धुओंमें अन्तर नहीं है देखो 19 Bom 631. मृत पुरुषके बन्धु तीन तरहके होते हैं अर्थात् (१) परिवारकी लड़कियोंके लड़के, (२) परिवारकी लड़कियोंके लड़कोंके लड़के, (३) परिवारकी लड़कियोंकी लड़कियोंके लड़के। ये तीनों तरहके बन्धु दफा ७८—७, ८ के अनुसार जायदाद पाते हैं। उक्त तीन तरहके बन्धु इस प्रकार समझिये।

तीन तरहके बन्धु	मृत पुरुषकी शाखा	पिताकी शाखा	पितामहकी शाखा
१—परिवारकी लड़कियोंके लड़के	१—लड़कीके लड़के २—पुत्रकी लड़कीके लड़के ३—पौत्रकी लड़कीके लड़के	एवं	एवं
२—परिवारकी लड़कियोंके लड़कोंके लड़के	१—लड़कियोंके लड़कोंके लड़के २—लड़कोंकी लड़कियोंके लड़कोंके लड़के	एवं	एवं
३—परिवारकी लड़कियोंकी लड़कियोंके लड़के	१—लड़कियोंकी लड़कियोंके लड़के २—लड़कियोंकी लड़कियोंकी लड़कियोंके लड़के	एवं	एवं

इसी सिद्धान्तके अनुसार दफा ८२ के चारों नक़शे देखिये। मिताक्षरालॉके अनुसार डाक्टर जोगेन्द्रनाथ भट्टाचार्यने अपने हिन्दूलॉके दूसरे एडीशन पेज ४६०-४६२में तथा पं०राजकुमार सर्वाधिकारीने अपने हिन्दूलॉ आव् इनहेरीटेन्सके पेज७०७, ७१२ (a), (b),में बन्धुओंके रिक्थाधिकारका जो क्रम माना है नीचे लिखता हूं। यही क्रम सर अर्नेस्ट जान ट्रिवेलियन,डी०सी०एल० नेअपने हिन्दूलॉके दूसरे एडीशन पेज ३८२—३८४ में और सी०एस०रामकृष्ण बी०ए०बी०एल० ने अपने हिन्दूलॉ जिल्द २ सन १९१३ ई० पेज १६२—१६५

में माना है। मि० जान डी० मेनने अपने हिन्दूलॉ के सातवां एडीशन पेज ६८२—६९६ तकमें बन्धुओंकी व्याख्या की है। गम्भीर विचार करनेके बाद वें भट्टाचार्यके मतके विरुद्ध नहीं जाते। और भी देखिये मुद्दू सामी बनाम मुद्दूकुमारासामी 16 Mad 23 मे माना गया कि मिताक्षरामें जो बन्धुओंकी लिस्ट दी है अपूर्ण है लेकिन बन्धुओंकी जो लिस्ट उक्त दोनों (डाक्टर जोगेन्द्रनाथ भट्टाचार्य और पं० राजकुमार सर्वाधिकारी) लेखकोंने दी है वह बहुत कुछ माननीय और पूर्ण है। यही बात 23 I A 83; 19 Mad 405, में मानी गयी। उक्त भट्टाचार्य और सर्वाधिकारीके मतानुसार बन्धुओंके उत्तराधिकार पानेका क्रम इस प्रकार है। इस क्रमके साथ ८२ दफाके नक़शोंको देखो। बन्धुओंका क्रम नीचे १२३ तक बताया गया है।

(आत्म बन्धु)

(परिवारकी लड़कियोंके लड़के)

(१) लड़केकी लड़कीका लड़का 46 Bom. 541 मे, बापकी लड़कीकी लड़की से पहले माना है।

(२) लड़केके लड़केकी लड़कीका लड़का

(३) बहनका लड़का 20 All 191; 9 All. 467; 14 M I. A. 187, 10 B. L R (P C) 7. 6 Mad. H. C 278, (सौतेली बहनका पुत्र वारिस होनेका हक रखता है देखो 15 Mad 300, 2 M. L J 83; बहनका प्रपौत्र बन्धु नहीं होता, देखो—2 Bom L R 842,) अब यह पहले वारिस होगा देखो एक्ट नं० २ सन १९२९ ई० इस किताबके अन्तमें।

दायभाग—बङ्गाल प्रणालीके अनुसार बहिनके पुत्रको सौतेले भाईके मुक़ाबिले तरजीह दी जाती है—सुखमयी विश्वास बनाम मनोरञ्जन चौधरी 89 I C 827.

(४) भाईकी लड़कीका लड़का 10 B L R 341, 18 W. R C. R 331.

(५) भाईके लड़केकी लड़कीका लड़का

(६) बापके बापकी लड़कीका लड़का 37 Cal 214, 14 C. W N. 443.

बम्बई प्रान्तमें व्यवहार मयूखके आधीन वरासतके सम्बन्धमें पिताकी बहिनके पुत्रको बमुक़ाबिले मामाके तरजीह दी जाती है—सखाराम नारायन बनाम बालकृष्ण सदाशिव 49 Bom 739, 27 Bom. L. R 1003; A I R 1925 Bom 451 (F B)

(७) बापके बापके लड़केकी लड़कीका लड़का 1 Lah. 588, 60 I. C. 101;

(८) बापके बापके पोतेकी लड़कीका लड़का

(परिवारकी लड़कियोंके लड़कोंके लड़के)

(९) लड़कीके लड़केका लड़का 30 Mad. 406, 11 Mad. 287, 17 All 523,

बन्धू—पुत्रीका प्रपौत्र बमुकाबिले बहिनके प्रपौत्रके नजदीकी शख्स है जिससे सिलसिला तौरियत शुमार किया जाता है—महाराजा कोल्हापुर बनाम एस० सुन्दरम् अय्यर 48 Mad. 1, A. I. R. 1925 Mad. 499.

(१०) लड़केकी लड़कीके लड़केका लड़का

नोट—प० राजकुमार सर्वाधिकारी यह स्थान पोतेकी लड़कीके पोतेका बताते हैं देखो, सर्वाधिकारी हिन्दूलॉ आव् इनहेरीटेन्स पेज ७१४

(११) बापकी लड़कीके लड़केका लड़का 20 Mad. 342.

(१२) भाईकी लड़कीके लड़केका लड़का

(१३) बापके बापकी लड़कीके लड़केका लड़का

पिताकी बहनके पुत्रका पुत्र वारिसके योग्य बन्धु है—हरिहरप्रसाद बनाम रामधन 47 All 172, L R 6 A 50, A I R 1925 All.17.

(१४) बापके बापके लड़केकी लड़कीके लड़केका लड़का

नोट—इस जगहपर उक्त दोनों लेखक आगेके न० ४९, ५०, ५१, ५२ को शामिल करते हैं।

(परिवारकी लड़कियोंकी लड़कियोंके लड़के)

(१५) लड़कीकी लड़कीका लड़का 30 Mad 406, 31 All 454, 32 All. 640, 7 Indian Cases 292, 17 A. L. J. 776, 7 A.L.J. 557; 17 M L J 285

(१६) लड़केकी लड़कीकी लड़कीका लड़का

(१७) बापकी लड़कीकी लड़कीका लड़का 6 Cal. 119, 9 C. L R. 500

(१८) बापके लड़केकी (भाई) लड़कीकी लड़कीका लड़का

(१९) पितामहकी लड़कीकी लड़कीका लड़का 19 Bom. 631, 23 Mad. 123, 29 Mad. 115.

(२०) पितामहके लड़केकी लड़कीकी लड़कीका लड़का

नोट—प० राजकुमार सर्वाधिकारी यह स्थान आगेके न० ५३, ५४, ५५, ५६ को देते हैं इनका कौन स्थान होना चाहिये यह कहना कठिन है किन्तु आत्म बन्धुके बीचमें न होना चाहिये ऊपर न० २० परिवारकी लड़कियों और लड़कियोंकी लड़कियोंके सम्बन्धसे आत्म बन्धु बताये गये हैं अब हम नीचे माताकी तरफसे आत्म बन्धु कहते हैं।

(२१) माका बाप (नाना) 15 Mad 421.

(२२) माका भाई (मामा) 23 I A 83, 19 Mad 405, 12 M I A. 448, 466, 467, 1 B L R. (P. C.) 44, 52, 53, 10 W. R.

(P. C.) 31, 34, 26 Bom. 710, 4 Bom L. R. 527, 13 Mad. 10, 5 Bom. 597.

मामा और मौसीके पुत्र—मुतवफ्फीकी जायदादपर, वरासतके सम्बन्ध में, उसकी माताके भाई (मामा) के पुत्रको बमुकाबिले उसकी माताकी बहिन (मौसी) के पुत्रके तरजीह दी जाती है—रामीरेड्डी बनाम गंगारेड्डी 48 Mad. 722, (1925) M. W. N 335, 21 L.W. 476; 87 I. C 609 (2) A. I R 1925 Mad 807.

(२३) माके भाई (मामा) का लड़का 20 Mad 342.
(२४) माके भाई (मामा) के लड़केका लड़का
(२५) माके बापका बाप (नानाका बाप—प्रमातामह) 11 Mad. 287.
(२६) माके बापका भाई
(२७) माके बापके भाईका लड़का
(२८) माके बापके भाईके लड़केका लड़का 5 Mad 69
(२६) माके पितामहका बाप (वृद्ध प्रमातामह)
(३०) माके पितामहका भाई
(३१) माके पितामहके भाईका लड़का
(३२) माके पितामहके भाईके लड़केका लड़का

(परिवारकी लड़कियोंके लड़के)

(३३) माकी बहनका लड़का 22W. R.C. R 264, 28Bom 453, 6Bom. L R 460, 5 Bom 597, 33 Mad. 439.
(३४) नानाके लड़केकी लड़कीका लड़का
(३५) नानाके लड़केके लड़केकी लड़कीका लड़का
(३६) नानाके परपोतेका लड़का
(३७) नानाके बापके परपोतेका लड़का
(३८) नानाके दादाके परपोतेका लड़का

(परिवारकी लड़कियोंके लड़कोंके लड़के)

(३६) माकी बहनके लड़केका लड़का 9 Mad L. R. 1129.
(४०) माके भाईकी लड़कीके लड़केका लड़का

(परिवारकी लड़कियोंकी लड़कियोंके लड़के)

(४१) माकी बहनकी लड़कीका लड़का
(४२) माके भाईकी लड़कीकी लड़कीका लड़का

(पितृ बन्धु)

(परिवारकी लड़कियोंके लड़के)

(४३) प्रपितामहकी लड़कीका लड़का 23 I. A. 83, 19 Mad. 405; 16 Mad; 23, 29 Mad. 615.
(४४) प्रपितामहके लड़केकी लड़कीका लड़का 2 Mad. H. C. 346.
(४५) प्रपितामहके लड़केके लड़केकी लड़कीका लड़का
(४६) वृद्ध प्रपितामहकी लड़कीका लड़का
(४७) वृद्ध प्रपितामहके लड़केकी लड़कीका लड़का
(४८) वृद्ध प्रपितामहके पौत्रकी लड़कीका लड़का 17 Cal. 518.

(परिवारकी लड़कियोंके लड़कोंके लड़के)

(४९) प्रपितामहकी लड़कीके लड़केका लड़का 12 Mad.155,28Bom.453.
(५०) प्रपितामहके लड़केकी लड़कीके लड़केका लड़का
(५१) वृद्ध प्रपितामहकी लड़कीके लड़केका लड़का
(५२) वृद्ध प्रपितामहके लड़केकी लड़कीके लड़केका लड़का

(परिवारकी लड़कियोंकी लड़कियोंके लड़के)

(५३) प्रपितामहकी लड़कीकी लड़कीका लड़का
(५४) प्रपितामहके लड़केकी लड़कीकी लड़कीका लड़का
(५५) वृद्ध प्रपितामहकी लड़कीकी लड़कीका लड़का
(५६) वृद्ध प्रपितामहके लड़केकी लड़कीकी लड़कीका लड़का

[नीचे ऐसे पितृ बन्धु देखो जिनका मृत पुरुष पिताकी तरफसे आत्म बन्धुहैं]

(परिवारकी लड़कियोंके लड़के)

(५७) बापके नानाका लड़का
(५८) बापके नानाका पोता
(५९) बापके नानाका परपोता
(६०) बापके नानाके बापका लड़का
(६१) बापके नानाके बापका पोता
(६२) बापके नानाके बापका परपोता
(६३) बापके नानाके पितामहका लड़का
(६४) बापके नानाके पितामहका पोता
(६५) बापके नानाके पितामहका परपोता
(६६) बापके नानाकी लड़कीका लड़का
(६७) बापके नानाके लड़केकी लड़कीका लड़का
(६८) बापके नानाके पोतेकी लड़कीका लड़का

(६९) बापके नानाके बापकी लड़कीका लड़का
(७०) बापके नानाके बापके लड़केकी लड़कीका लड़का
(७१) बापके नानाके बापके पोतेकी लड़कीका लड़का
(७२) बापके नानाके पितामहकी लड़कीका लड़का
(७३) बापके नानाके पितामहके लड़केकी लड़कीका लड़का
(७४) बापके नानाके पितामहके पोतेकी लड़कीका लड़का

(परिवारकी लड़कियोंके लड़कोंके लड़के)

(७५) बापके नानाके परपोतेका लड़का
(७६) बापके नानाके बापके परपोतेका लड़का
(७७) बापके नानाके दादके परपोतेका लड़का
(७८) बापके नानाकी लड़कीका पोता
(७९) बापके नानाके लड़केकी लड़कीका पोता
(८०) बापके नानाके बापकी लड़कीका पोता
(८१) बापके नानाके बापके लड़केकी लड़कीका पोता

(परिवारकी लड़कियोंकी लड़कियोंके लड़के)

(८२) बापके नानाकी लड़कीकी लड़कीका लड़का
(८३) बापके नानाके लड़केकी लड़कीकी लड़कीका लड़का
(८४) बापके नानाके बापकी लड़कीकी लड़कीका लड़का
(८५) बापके नानाके बापके लड़केकी लड़कीकी लड़कीका लड़का

(मातृ बन्धु)

(परिवारकी लड़कियोंके लड़के)

(८६) नानाके बापकी लड़कीका लड़का
(८७) नानाके बापके लड़केकी लड़कीका लड़का
(८८) नानाके बापके पोतेकी लड़कीका लड़का
(८९) नानाके दादाकी लड़कीका लड़का
(९०) नानाके दादाके लड़केकी लड़कीका लड़का
(९१) नानाके दादाके पोतेकी लड़कीका लड़का

(परिवारकी लड़कियोंके लड़कोंके लड़के)

(९२) नानाके बापकी लड़कीका पोता
(९३) नानाके बापके लड़केकी लड़कीका पोता
(९४) नानाके दादाकी लड़कीका पोता
(९५) नानाके दादाके लड़केकी लड़कीका पोता

(परिवारकी लड़कियोंकी लड़कियोंके लड़के)

(९६) नानाके बापकी लड़कीकी लड़कीका लड़का
(९७) नानाके बापके लड़केकी लड़कीकी लड़कीका लड़का
(९८) नानाके दादाकी लड़कीकी लड़कीका लड़का
(९९) नानाके दादाके लड़केकी लड़कीकी लड़कीका लड़का

[ऐसे मातृ बन्धु देखो जिनका मृत पुरुष, पिताकी तरफसे पितृ बन्धु है]

(परिवारकी लड़कियोंके लड़के)

(१००) माका नाना
(१०१) माके नानाका लड़का
(१०२) माके नानाका पोता
(१०३) माके नानाका परपोता
(१०४) माके नानाका बाप
(१०५) माके नानाके बापका लड़का
(१०६) माके नानाके बापका पोता
(१०७) माके नानाके बापका परपोता
(१०८) माके नानाकी लड़कीका लड़का
(१०९) माके नानाके लड़केकी लड़कीका लड़का
(११०) माके नानाके पोतेकी लड़कीका लड़का
(१११) माके नानाके बापकी लड़कीका लड़का
(११२) माके नानाके बापके लड़केकी लड़कीका लड़का
(११३) माके नानाके बापके पोतेकी लड़कीका लड़का
(११४) माके नानाके परपोतेका लड़का
(११५) मामाके नानाके बापके परपोतेका लड़का

(परिवारकी लड़कियोंके लड़कोंके लड़के)

(११६) माके नानाकी लड़कीका पोता
(११७) माके नानाके लड़केकी लड़कीका पोता
(११८) माके नानाके बापकी लड़कीका पोता
(११९) माके नानाके बापके लड़केकी लड़कीका पोता

(परिवारकी लड़कियोंकी लड़कियोंके लड़के)

(१२०) माके नानाकी लड़कीकी लड़कीका लड़का
(१२१) माके नानाके लड़केकी लड़कीकी लड़कीका लड़का
(१२२) माके नानाके बापकी लड़कीकी लड़कीका लड़का
(१२३) माके नानाके बापके लड़केकी लड़कीकी लड़कीका लड़का

ऊपर नं०१ से नं०४२ तक आत्मबन्धु, और नं० ४३ से नं०८५ तक पितृ बन्धु तथा नं० ८६ से नं० १२३ तक मातृबन्धु बताये गये हैं। जहांपर पंडित राजकुमार सर्वाधिकारीके मतमें कुछ भेद पड़ता है उसका सङ्केत उसी जगह कर दिया गया है। उपरोक्त १२३ बन्धुओंका रिश्ता जल्द समझमें आनेके लिये चार नक़्शे आगे दिये हैं—देखो दफा ८२

ऊपर जो बन्धुओंके नम्बर दिये गये हैं उन्हें नक़्शोंसे इस प्रकार मिलान कीजिये।

नम्बर १ से नं० २० तक नकशा नं० १ में देखो
नम्बर २१ से नं० ४२ तक नकशा नं० २ में देखो
नम्बर ४३ से नं० ५६ तक नक़्शा नं० १ मे देखो
नम्बर ५७ से नं० ८५ तक नक़्शा नं० ३ में देखो
नम्बर ८६ से नं० ९९ तक नक़्शा नं० २ में देखो
नम्बर १०० नं० १२३ तक नकशा नं० ४ में देखो

दफा ८२ बन्धुओंके नक़्शे मिताक्षरालॉ के अनुसार

ऊपर दफा ८१ मे जो १२३ बन्धुओंका वर्णन किया गया है उनके रिश्ते समझनेके लिये चार नकशे नीचे दिये गये हैं। नक़्शोंमें 'पु' अक्षरसे पुत्र—लड़का समझना और 'ल' अक्षरसे लड़की—पुत्री समझना। ये नक़्शे सी०यस०रामकृष्ण हिन्दूलॉ जिल्द २ सन १९१३ई० पेज १६३—१६५ से उद्धृत किये गये हैं। इन नक़्शोंके देखनेका कायदा सरल है। नक़्शोंमें जो नम्बर दिये गये हैं वे दफा ८१ के बन्धुओंके नम्बरके अनुसार हैं। नकशोंके मिलान करनेमें शब्दोंसे सावधान रहिये। शब्दके अर्थपर विचार करके मिलान कीजिये, अर्थात् किसी जगहपर बाप कहा गया है और किसी जगहपर पिता, एवं पुत्र और लड़का, इत्यादि ऐसे स्थानोंपर शब्दका भेद पड़ जाता है किन्तु अर्थका नहीं। इसलिये अर्थ समझकर विचार कीजिये। आप यदि चाहे तो दफा ८१ में कहे हुए बन्धुको पहले देखकर पीछे नक़्शा देखें अथवा पहले नकशेसे नम्बर देखकर पीछे उसी नम्बरमें बन्धुको देखें। ज्यादा अच्छा यह होगा कि जिस बन्धु के बारेमें आपको देखना हो पहले दफा ८१ में पता लगाइये। पीछे जब उसका नम्बर मालूम हो जाय तो उसी दफाके नीचे यह देखो कि यह नम्बर किस नम्बर के नक़्शेमे है। पीछे उस नम्बर का नक़्शा देखिये तो जल्द मालूम हो जायगा। प्रिवी कौन्सिलने हालमें जो राय जाहिर की है उसके अनुसार बन्धुओंका क्रम व नकशा आगे दिया गया है।

मिताक्षरालॉ के अनुसार

नक़शा नं० १ बापकी तरफसे आत्मबन्धु और कुछ पितृबन्धु

नोट—दफा ८१के नं० १ से २० तथा नं० ४३ से ५६ इस नकशेमें देखो 'पु' से पुत्र और 'ल' से लड़की समझना।

मिताक्षराके अनुसार

नक़शा नं० २ माताकी तरफसे आत्मबन्धु और कुछ मातृबन्धु

नोट—दफा ८१ के नम्बर २१ से ४२ और नम्बर ८६ से ९९ इस नकशे में देखो 'पु' से पुत्र और 'ल' से लड़की समझना।

मिताक्षराके अनुसार

नक़शा नं० ३ पितृबन्धु अर्थात् बापके बन्धु

नोट—दफा ८१ के नम्बर ५७ से ८५ तक इस नक़शे में देखो 'पु' से पुत्र और 'ल' से लड़की समझना।

मिताक्षराला के अनुसार

नक़शा नं० ४ मातृबन्धु अर्थात् माताके बन्धु

नोट—दफा ८१ के नम्बर १०० से १२३ तक इस नक़शेमें देखो 'पु' से पुत्र और 'ल' से लड़की समझना।

दफा ८२ (अ) प्रिवी कौन्सिल हालमें द्वारा माने हुए बन्धु

बन्धुओंमें जायदाद मिलनेके सम्बन्धमें मतभेद है हमने दोनों मत बतानेकी पूरी चेष्टाकी है। एक मत इस बारेमें आप दफा ७६ से दफा ८२ तकमें देखिये इस जगहपर हम केसलॉ अर्थात् प्रिवी कौन्सिलके विद्वान जजोंने जो माना है वह बताना चाहते हैं—वेंद्राचेला बनाम सुब्रह्मण्य (1921) 48

I. A. 349, 364, 44 Mad. 753-767; 64 I. C. 402. में विद्वान प्रिवी कौन्सिलके जजोंने श्रीगोपालचन्द्र शास्त्री और श्रीराजकुमार सर्वाधिकारीके हिन्दूलॉ पर विचार करके यह माना और कहा कि:—

श्रीसर्वाधिकारी और मि० मेन, तथा श्रीभट्टाचार्य्यके हिन्दूलॉमें बन्धुओं के उत्तराधिकारका क्रम हर एक शाखामें अच्छा विचार किया गया है लेकिन प्रिवी कौन्सिलने कहाकि मामा (माके बापका लड़का) का स्थान जो उन्होंने निश्चित किया है उसे हम उचित और ठीक नहीं समझते। जहांपर कोई विशेष प्रमाण इस क्रमके काटनेका न हो तो मुत्थूसामी बनाम सिमामवेङ्कू 16 Mad. 23-30. जो अपीलमें जुडीशल कमेटी द्वारा 19 Mad 405 में स्वीकार किया गया है सुरक्षित लाइन बतायी है। 48 I A 349. में प्रिवी कौन्सिलने बन्धुओं को वरासतमें जायदाद मिलनेका क्रम नीचे लिखे अनुसार माना है:—

(आत्म बन्धु)

(१) लड़केकी लड़कीका लड़का—बम्बईमें बहनकी लड़कीसे पहले हकदार होता है 46 Bom 541.

(२) लड़केके लड़केकी लड़कीका लड़का

(३) बहनका लड़का—6 Mad H C. 278, 9 All 467, 20 All. 191. सौतेली बहनका लड़का बन्धु है 15 Mad 300 किन्तु सौतेली बहन का सौतेला लड़का बन्धु नहीं माना जायगा 45 Mad 257.

माकी बहनके लड़केसे पहले, बहनका लड़का जायदाद पावेगा 22 W. R. 264.

(४) भाईकी लड़कीका लड़का 10 Beng L. R. 341.

(५) भाईके लड़केकी लड़कीका लड़का

(६) बापकी बहनका लड़का 37 Cal. 214, 51 I. A 368, 49 Bom 739.

(७) बापके बापके लड़केकी लड़कीका लड़का 60 I C. 101.

(८) बापके बापके लड़केके लड़केकी लड़कीका लड़का

(९) माका बाप—नाना 15 Mad 421

(१०) मांके बापका लड़का (माका भाई यानी मामा) नं० २१ के बन्धुसे पहले वारिस माना गया है 48 I. A. 349, 44 Mad 753, 64 I C. 402

(११) माके बापके लड़केका लड़का—यह नं० १३ के बन्धुसे पहले वारिस माना गया है 38 All 416, 34 I C. 108, 33 Mad. 439.

(१२) माके बापके लड़केके लड़केका लड़का

(१३) माके बापकी लड़कीका लड़का

(१४) माके बापके लड़केकी लड़कीका लड़का

(१५) माके बापके लड़केके लड़केकी लड़कीका लड़का
(१६) माके बापके लड़केके लड़केके लड़केका लड़का
(१७) लड़कीके लड़केका लड़का 30 Mad 406, 17 All. 287.
(१८) लड़केकी लड़कीके लड़केका लड़का
(१९) बापकी लड़कीके लड़केका लड़का
(२०) बापके लड़केकी लड़कीके लड़केका लड़का
(२१) बापके बापकी लड़कीके लड़केका लड़का 47 All. 172, 43 All. 463, 62 I. C. 432.
(२२) बापके बापके लड़केकी लड़कीके लड़केका लड़का
(२३) माके बापकी लड़कीके लड़केका लड़का 9 Bom L. R. 1129.
(२४) माके बापके लड़केकी लड़कीके लड़केका लड़का
(२५) लड़कीकी लड़कीका लड़का 31 All 454, 32 All. 610.
(२६) लड़केकी लड़कीकी लड़कीका लड़का
(२७) बापकी लड़कीकी लड़कीका लड़का 6 Cal 119.
(२८) बापके लड़केकी लड़कीकी लड़कीका लड़का
(२९) बापके बापकी लड़कीकी लड़कीका लड़का 19 Bom. 631; 23 Mad. 123
(३०) बापके बापके लड़केकी लड़कीकी लड़कीका लड़का
(३१) माके बापकी लड़कीकी लड़कीका लड़का
(३२) माके बापके लड़केकी लड़कीकी लड़कीका लड़का

(पितृ बन्धु)

(३३) प्रपितामहकी लड़कीका लड़का 23 I A. 83, 19 Mad. 405; 29 Mad 115
(३४) प्रपितामहके लड़केकी लड़कीका लड़का
(३५) प्रपितामहके लड़केके लड़केकी लड़कीका लड़का
(३६) वृद्ध प्रपितामहकी लड़कीका लड़का
(३७) वृद्ध प्रपितामहके लड़केकी लड़कीका लड़का
(३८) वृद्ध प्रपितामहके लड़केके लड़केकी लड़कीका लड़का 17 Cal. 518
(३९) बापका नाना
(४०) बापके नानाका लड़का 12 M. I. A. 448.
(४१) बापके नानाके लड़केका लड़का
(४२) बापके नानाके लड़केके लड़केका लड़का
(४३) बापका परनाना (बापके नानाका बाप)
(४४) बापके परनानाका लड़का
(४५) बापके परनानाके लड़केका लड़का

(४६) बापके परनानाके लड़केके लड़केका लड़का
(४७) बापका नगड़नाना (बापके नानाके बापका बाप)
(४८) बापके नगड़नानाका लड़का
(४९) बापके नगड़नानाके लड़केका लड़का
(५०) बापके नगड़नानाके लड़केके लड़केका लड़का
(५१) बापके नानाकी लड़कीका लड़का
(५२) बापके नानाके लड़केकी लड़कीका लड़का
(५३) बापके नानाके लड़केके लड़केकी लड़कीका लड़का
(५४) बापके परनानाकी लड़कीका लड़का
(५५) बापके परनानाके लड़केकी लड़कीका लड़का
(५६) बापके परनानाके लड़केके लड़केकी लड़कीका लड़का
(५७) बापके नानाके लड़केके लड़केके लड़केका लड़का
(५८) बापके परनानाके लड़केके लड़केके लड़केका लड़का
(५९) बापके नगड़नानाके लड़केके लड़केके लड़केका लड़का
(६०) प्रपितामहकी लड़कीके लड़केका लड़का 12 Mad 155, 28 Bom. 453.
(६१) प्रपितामहके लड़केकी लड़कीके लड़केका लड़का
(६२) वृद्ध प्रपितामहकी लड़कीके लड़केका लड़का
(६३) वृद्ध प्रपितामहके लड़केकी लड़कीके लड़केका लड़का
(६४) बापके नानाकी लड़कीके लड़केका लड़का
(६५) बापके नानाके लड़केकी लड़कीके लड़केका लड़का
(६६) बापके परनानाकी लड़कीके लड़केका लड़का
(६७) बापके परनानाके लड़केकी लड़कीके लड़केका लड़का
(६८) प्रपितामहकी लड़कीकी लड़कीका लड़का
(६९) प्रपितामहके लड़केकी लड़कीकी लड़कीका लड़का
(७०) वृद्ध प्रपितामहकी लड़कीकी लड़कीका लड़का
(७१) वृद्ध प्रपितामहके लड़केकी लड़कीकी लड़कीका लड़का
(७२) बापके नानाकी लड़कीकी लड़कीका लड़का
(७३) बापके नानाके लड़केकी लड़कीकी लड़कीका लड़का
(७४) बापके परनानाकी लड़कीकी लड़कीका लड़का
(७५) बापके परनानाके लड़केकी लड़कीकी लड़कीका लड़का

(मातृबन्धु)

(७६) परनाना—11 Mad. 287.
(७७) परनानाका लड़का
(७८) परनानाके लड़केका लड़का

(७६) परनानाके लड़केके लड़केका लड़का 5 Mad. 69
(८०) नगड़नाना (नानाके बापका बाप)
(८१) नगड़नानाका लड़का
(८२) नगड़नानाके लड़केका लड़का
(८३) नगड़नानाके लड़केके लड़केका लड़का
(८४) परनानाकी लड़कीका लड़का 48 C.I.86, 6P L J 14, 60I C 251.
(८५) परनानाके लड़केकी लड़कीका लड़का
(८६) परनानाके लड़केके लड़केकी लड़कीका लड़का
(८७) नगड़नानाकी लड़कीका लड़का
(८८) नगड़नानाके लड़केकी लड़कीका लड़का
(८९) नगड़नानाके लड़केके लड़केकी लड़कीका लड़का
(९०) परनानाके लड़केके लड़केके लड़केका लड़का
(९१) नगड़नानाके लड़केके लड़केके लड़केका लड़का
(९२) परनानाकी लड़कीके लड़केका लड़का
(९३) परनानाके लड़केकी लड़कीके लड़केका लड़का
(९४) नगड़नानाकी लड़कीके लड़केका लड़का
(९५) नगड़नानाके लड़केकी लड़कीके लड़केका लड़का
(९६) परनानाकी लड़कीकी लड़कीका लड़का
(९७) परनानाके लड़केकी लड़कीकी लड़कीका लड़का
(९८) नगड़नानाकी लड़कीकी लड़कीका लड़का
(९९) नगड़नानाके लड़केकी लड़कीकी लड़कीका लड़का
(१००) माका नाना
(१०१) माके नानाका लड़का
(१०२) माके नानाके लड़केका लड़का
(१०३) माके नानाके लड़केके लड़केका लड़का
(१०४) माका परनाना
(१०५) माके परनानाका लड़का
(१०६) माके परनानाके लड़केका लड़का
(१०७) माके परनानाके लड़केके लड़केका लड़का
(१०८) माके नानाकी लड़कीका लड़का
(१०९) माके नानाके लड़केकी लड़कीका लड़का
(११०) माके नानाके लड़केके लड़केकी लड़कीका लड़का
(१११) माके परनानाकी लड़कीका लड़का
(११२) माके परनानाके लड़केकी लड़कीका लड़का
(११३) माके परनानाके लड़केके लड़केकी लड़कीका लड़का

(११४) माके नानाके लड़केके लड़केके लड़केका लड़का
(११५) माके परनानाके लड़केके लड़केके लड़केका लड़का
(११६) माके नानाकी लड़कीके लड़केका लड़का
(११७) माके नानाके लड़केकी लड़कीके लड़केका लड़का
(११८) माके परनानाकी लड़कीके लड़केका लड़का
(११६) माके परनानाके लड़केकी लड़कीके लड़केका लड़का
(१२०) माके नानाकी लड़कीकी लड़कीका लड़का
(१२१) माके नानाके लड़केकी लड़कीकी लड़कीका लड़का
(१२२) माके परनानाकी लड़कीकी लड़कीका लड़का
(१२३) माके परनानाके लड़केकी लड़कीकी लड़कीका लड़का

नोट—दफा ७६ से ८२ तक के बन्धुओंकी सख्या १२३ बताई जा चुकी है और यहांपर भी बन्धुओंकी सख्या १२३बताई गयी है। फरक स्थान का है अर्थात किस बन्धुकी कौन जगह है इस बातका फरक है। इस फरकके पड़नेसे पहले या पीछे वारिस होने का मौका बन जाता है। नं० ९ तक तो दोनों ने एकही क्रम माना है आगे फरक पड़ने लगा। यह न समझिये कि पहलेके बन्धुओंका क्रम कतई गलतहै, अभी तक किसी फैसलेमें यह नहीं बताया गया कि अमुक क्रम सब गलत माना जाय और अमुक सही। चूंकि बन्धुओंकी सख्या अधिक है और पेंचीदा है तथा सिद्धान्तों में मतभेद है इसीसे स्कूलोंके अन्तर्गत उनका अर्थ भिन्न भिन्न हो सकता है और इसी सबबसे कतई तय नहीं हुआ। हम इस जगहपर स्मृति कारोंके अविकल बचनों द्वारा सारा फरक समझाना चाहते थे किन्तु ग्रन्थके बहुत बढ़ जानेके भय से सकेत करके छोड दिया है।

नक़शा देखनेकी रीति—पहले आप मृतपुरुष आख़िरी मालिक को निश्चित करें पीछे अपना रिश्ता उससे मिलावें और फिर यह देखें कि आपकी रिश्तेदारीकी जगह किस नम्बरमें आती है। जब नवम्र मिल जाय तब नकशा सामने रखें। पहलेका नम्बर जो आपको मिला है उसमें आत्मबन्धु या पितृबन्धु या मातृबन्धु लिखा है। नक़शेमें सबसे पहले बन्धुकी क़िस्म देख ले पीछे वह नम्बर तलाश करलें उसी स्थानपर मिलेगा, नम्बरका मतलब यह है कि पहले जितने नम्बर हैं जब वे सब न होंगे तब उस नम्बर को वरासत मिलेगी।

दफा ८३ बम्बईमें कौन कौन औरतें बन्धु मानी गयी हैं

(१) मि० वेस्ट, और मि० बुहलरके अनुसार मृत पुरुषकी भिन्न शाखा वालोंकी और उनकी औलादकी लड़कियें सात पुश्त तक बन्धु मानी गयी हैं जैसे—

लड़केकी लड़की; देखो—बनीलाल बनाम पारजाराम 20 Bom 173. और लड़कीकी लड़की, भाईकी लड़की, देखो—माधोराम बनाम दावी 21 Bom. 739, 744 लाल्लूभाई बनाम मानकुंवर बाई 2 Bom.388, 446. तुलजा

राम घनाम मथुरादास 5 Bom 662,672 और बहनकी लड़की, देखो—वेस्ट और बुहलर हिन्दूलॉ पेज 137, 496. 498. यह बन्धु होती हैं।

(२) बन्धुओंमें वारिस होनेका क्रम इनके क़रीबकी रिश्तेदारीके अनुसार होता है लेकिन मिताक्षरामें जो ६ बन्धु बताये गये हैं उनके पहिले वारिस होनेका हक़ नहीं खो जाता, अर्थात् जब तक मिताक्षराके ६ बन्धु ज़िन्दा रहेंगे तब तक यह औरतें जायदाद नहीं पा सकतीं।

(३) बापकी बहन—मयूखके अनुसार बापकी बहन गोत्रज सपिण्ड है, और सब गोत्रज सपिण्डोंके पीछे और बन्धुओंके पहिले उसको वारिस होनेका अधिकार होता है। यह बात साफ तौरसे तय नहीं मालूम होती कि बम्बई प्रान्तमें मिताक्षराका जैसा अर्थ लगाया जाता है उसके अनुसार वह गोत्रज सपिण्ड है या नहीं।

बरारमें वरासतके मामलेमें पिताकी बहिनको, बमुक़ाबिले पिताकी बहिनके पुत्रके तरजीह दी जाती है—गनपत बनाम मु० साल्रू 89 I C 345.

(४) ऊपर नम्बर १ में लड़केकी लड़की, और लड़कीकी लड़की, यह दोनों अपनी औलादकी लड़कियां हैं तथा भाईकी लड़की, बहनकी लड़की भिन्न शाखाकी लड़कियां हैं।

(५) बापकी बहन, एक पूर्वजकी लड़की है यानी दादाकी लड़की है। मिताक्षरामें जो बन्धु ठीक तौरसे बताये गये हैं वे सब मर्द हैं। औरत बन्धु नहीं बतायी गयी। बनारस और मिथिला स्कूलमें मिताक्षराका उतनाही अर्थ माना गया है जितना कि मिताक्षराके शब्दोंसे साफ तौरपर ज़ाहिर होता है। बम्बई और मदरास प्रेसीडेन्सीमें कुछ औरतें भी बन्धु मानी गयी हैं।

बम्बईमें यह औरतें बन्धु मानी गयी हैं।

(१) लड़के की लड़की

(२) लड़कीकी लड़की

पुत्रीकी पुत्री—बम्बई प्रणालीके अनुसार पुत्रीकी पुत्री भिन्न गोत्र सपिण्ड मानी जाती है। घुना जी बनाम तुलसी A. I. R 1925 Nag. 98.

(३) भाईकी लड़की

(४) बहनकी लड़की

(५) बापकी बहन

नोट—यह निश्चित नहीं है कि बन्धु इतने ही औरतें होती हैं इस स्कूलमें औरतें पूरे अधिकार सहित जायदाद लेती हैं देखो दफा ८७, ८८, और देखो हिन्दूलॉ की दफा ६८२, ६८३, ६८६.

दफा ८४ मदरासमें कौन कौन औरतें बन्धु मानी गयी हैं?

नीचे लिखी औरतें मदरास प्रांतमें बन्धु मानी गयी हैं—

(१) बहन, देखो—कुट्टी बनाम राधाकृष्ण 8 Mad H C. 88.
(२) सौतेली बहन, देखो—कुमार वेलू बनाम विराना 5 M 29.
(३) लड़के की लड़की, देखो—14 Mad 149
(४) लड़कीकी लड़की, देखो—17 Mad. 182
(५) भाईकी लड़की, देखो—21 Mad 263.
(६) बापकी बहन, देखो—15 Mad. 421

यह ऊपर कही हुयीं औरतें मृतपुरुषके नज़दीकी रिश्तेदारीके क्रमसे वारिस होती हैं। लेकिन सब मर्द-बन्धुओंके पीछे इन औरतोंका हक़ पैदा होता है, देखो—वेङ्कबनरसिंह बनाम वेङ्कट पुरुषोत्तम (1908) 31 Mad. 321 और देखो हिन्दूलॉ का प्रकरण ११

---

(६) क़ानूनी वारिस न होनेपर उत्तराधिकार

दफा ८५ जब कोई वारिस न हो तो जायदाद कहां जायगी ?

याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि किसी वारिसके न होनेपर जायदाद शिष्य, और ब्रह्मचारीको मिलेगी, देखो—

(१) पत्नी दुहितरश्चैव पितरौ भ्रातरस्तथा
तत्सुतागोत्रजाबन्धुः शिष्यः सब्रह्मचारिणः २—१३५

मिताक्षरामें कहा गया है कि—

'बन्धूनामभावे आचार्यः। तद्भावे शिष्यः'

बन्धुओं के अभाव में आचार्य्य और उसके अभाव में शिष्य को जायदाद मिलेगी।

(२) गौतमजी कहते हैं कि—

'श्रोत्रिया ब्राह्मण स्यानपत्यस्य रिक्थं भजेरन्'

अनपत्य पुरुषकी जायदाद वेदपाठी ब्राह्मणको मिलेगी।

(३) मनुजी ने कहा है कि—

'सर्वेषामप्यभावेतु ब्राह्मणारिक्थ भागिनः।
त्रैविद्याः शुचयो दांतास्तथा धर्मो न हीयते' ६—१८८

सब वारिसोंके अभावमें वेदत्रयीके ज्ञाता, शुद्ध, और इन्द्रियोंके दमन करने वाले ब्राह्मण जायदाद पानेके अधिकारी होते हैं।

(४) नारद जी ने कहा है कि--

ब्राह्मणार्थस्य तन्नाशे दायादश्चेन्न कश्चन
ब्राह्मणस्यैव दातव्य मेनस्वी स्यान्नृपोऽन्यथा।

जब बिला वारिस ब्राह्मण मर जाय तो उसकी जायदाद ब्राह्मणही को राजा देवे।

(५) वृहद्विष्णुने कहा है कि—

'तद्भावे सहाध्यायिगामि, तद्भावे ब्राह्मण धनवर्ज्य राजागामि'

सकुल्यके न होनेपर सहपाठी, और उसके भी न होनेपर ब्राह्मणके धनको छोड़कर राजा जायदाद का वारिस होता है १७-१२

(६) वौधायन ने कहा है कि--

"तद्भावे पिताचार्योऽन्तेवास्यृत्विग्वा हरेत्"

सकुल्यके अभावमें आचार्य, पिता, शिष्यको जायदाद मिलेगी प्रश्न १ अ० ५-११७

(१) सबका मतलब यह है कि जहांपर मृतपुरुषके कोई रिश्तेदार नहीं होते तो गुरू और उनके न होनेपर चेला जायदाद लेता है गुरूसे मतलब है कि जो उस खानदानका हो जिसका मृतपुरुष था, और चेला उसी पाठशालाका होना चाहिये जिसका मृतपुरुष था।

(२) जब कोई व्यापारी आदमी व्यापार करनेकी गरज़से दूसरे देश को गया हो और वहांपर मरजाय तथा उसके खानदानमें या अन्य कोई भी वारिस न हो तो उस व्यापारी आदमीकी जायदाद उस आदमीको मिलेगी जो उसके व्यापारमें शरीक रहा हो। देखो-गिरधारी बनाम बगाल गवर्नमेंट 12 Moo I A 457, 465, S. C I B L R (P. C) 44, S C 10. Suth (P C) 32.

(३) हिन्दू धर्मशास्त्रोमें कहागया है कि जब किसी पुरुषके कोई भी वारिस न हो तो ब्राह्मणकी जायदादको छोड़कर लावारिसकी जायदाद राजा लेवे। देखो मनु ने कहा है कि—

अहार्यं ब्राह्मणद्रव्यं राज्ञा नित्यमिति स्थितिः
इतरेषांतु वर्णानां सर्वाभावे हेरन्नृपः। ९-१८९

16

इस क़िस्मका कोई फैसला नहीं मिला कि जिसमें लावारिसकी जायदाद गुरू या चेला को मिली हो। यद्यपि आचार्योंकी यह राय है मगर यह राय एक मुकद्दमेंमें नहीं मानी गयी देखो—कलक्टर आफ़ मसुलीपटम बनाम कावाली वेंकट 8 M. I A. 500, S C. 2 Suth (P. C.) 59 इस मुक़द्दमेंमें सरकारने दावा किया था जो जायदाद एक ब्राह्मणकी थी, सरकारने बलिहाज़ लावारसी एक ब्राह्मण विधवाके मुक़ाबिलेमें दावा किया था।

(४) लावारिस जायदाद का मालिक सरकार होती है—जब किसी आदमीके मरनेपर उसका कोई वारिस न हो तो उसकी जायदादकी मालिक सरकार होती है यह माना हुआ सिद्धांत है। एवं इस सिद्धांतके अनुसार लावारिसकी जायदाद सरकारको पहुंचती है जिमीदारको नहीं पहुंचती यानी ज़िमीदार उसका मालिक नहीं हो सकता। जब किसी जिमीदारने अपनी जिमीदारीका कोई हिस्सा किसी दूसरे आदमीको या औरतको इस अधिकार के साथ अलहदा दे दिया हो कि उसे जायदादके बेंचनेका अधिकार है और वह आदमी उस जायदादका अकेला संपूर्ण अधिकारों सहित मालिक हो गया होतो उस आदमीके लावारिस मरनेपर जिमीदार या उसके कायम मुकाम उसकी जायदादको नहीं पा सकते वह सरकारमें जायगी, देखो—सोनट बनाम मिरजा 3 I A 92; S. C. 25 Suth 239.

उदाहरण—मानसिंह दस गावोंका ज़िमीदार है। उसने एक गांव धीरसिंहको इस शर्तके साथ दे दिया कि वह उसकी मातहतीमें रहेगा मगर धीरसिंहको उस गांवके बेंचने वग़ैराका सब अधिकार प्राप्त रहेगा। धीरसिंह मरगया और उसके कोई वारिस नहीं हैं, अर्थात् सपिण्ड, समानोदक और बन्धुओंमें कोई नहीं है। तो अब धीरसिंहकी उस जिमीदारीको जो लावारसी है सरकार लेगी जिमीदारको नहीं मिलेगी। और ऐसी ही सूरत तब होगी जब धीरसिंहकी औलाद होनेपर जायदाद उसकी औलादमें चली गई हो और आखिरी जायदादका मालिक लावारिस मरगया हो।

मानसिंहने, एक बाग़ और एक मकान शिवभजन काछीको दे दिया शिवभजन काछी लावारिस मरगया। तो अब बाग़ और मकान जिसका कि शिवभजन काछी अपनी जिंदगीमें अकेला संपूर्ण अधिकारों सहित मालिक था जिमीदारको नहीं मिलेगा बल्कि सरकार लेगी। यह सिद्धांत ऐसी सूरतसे सम्बन्ध नहीं रखता जहांपर कि कोई बाग़ या ज़मीन ज़िमीदारने किसीको ख़िदमती दी हो या दूसरी किसी खास शर्तके आधारदी हो।

साधूकी जायदाद

साधूसे मतलब उस आदमीसे है जिसने दुनियांसे अपनेको अलहदा कर लिया हो और किसी वर्णाश्रममे न रहा हो। जब कोई साधू किसी मठ, या कुटी, या गद्दीमें रहेता हो और उसका मालिक हो, तो उस साधूके मरने के बाद उस मठ, या कुटी, या गद्दीमें लगी हुई जायदादका उत्तराधिकार मठ,

कुटी या गद्दीके रवाजके अनुसार होगा। कोई आदमी साधू या फक़ीर उस वक्त तक नहीं माना जायगा जब तक कि वह दुनियांके सब आरामोंसे अलहदा न हो गया हो और दरहकीकत दुनियांके मुक़ाबिलेमें मर न गया हो। अगर कोई आदमी असलियतमें साधू हो जाय तो वह दुनियांकी दृष्टिमें मर जाता है और ऐसी सूरतमें उसकी सब जायदाद उसके क़ानूनी वारिसको फौरन मिल जाती है। और अगर वह किसी मठ या कुटी या गद्दीमें दाख़िल हो गया हो तो उस साधूसे फिर उस जायदादसे कुछ सरोकार नहीं रहता जिसपर वह साधू होनेसे पहिले काविज़ था—देखो दफा १०३.

अगर कोई पूरा पूरा साधू नहीं हुआ या उसने अपना लगाव दुनिया से नहीं तोड़ा, और वह दुनियांकी दृष्टिमें दुनियांसे अलहदा नहीं हुआ तो इस किस्मका साधू चाहे जिस नामसे वह कहा जाता हो ऐसा है कि मानो उसने मज़हबी कोई उपाधि धारणकी है। ऐसी सूरतमे वह अपनी जायदाद से अलहदा नहीं समझा जायगा और न उसके वारिस उसकी जायदाद पावेंगे। उसकी सब जायदाद उसीके कब्जेमें रहेगी। देखो–2 W Macn. 101, मधुवन बनाम हरी S. D. of 1852, 1089, अमीना बनाम राधाविनोद S. D. of 1856, 596; खुदीराम बनाम रूक्मिनी 15 Suth 197 जगन्नाथ बनाम विद्यानन्द 7 B L. R. (A. C. J.) 114, S. C. 10 Suth 172; दुखराम बनाम लक्ष्मण 4 Cal 954.

शास्त्रोंमें माना गया है कि शूद्र कौमका कोई आदमी साधू या संन्यासी नहीं हो सकता इस लिये उसकी जायदादका उत्तराधिकार हमेशा कानून के अनुसार होगा जबतक कि कोई सुबूत आम, या खास रवाजका न पेश किया जाये। मतलब यह है कि जब कोई शूद्र कौमका आदमी साधू हो गया हो तो सावित करना चाहिये कि उसके खानदानमें या उसके ख़ास कुटुंबमें ऐसा रवाज है कि साधू होनेपर उसकी जायदाद वारिसको मिल जाती है देखो–धर्मपुरम पंडा समाधी बनाम वीरा पांडियाम 22Mad302,18 Indian Cases 474, 'स्त्री' के संसार त्यागके विषयमें देखो हिन्दूलॉकी दफा ७११.

सन्यासी या यती

किसी संन्यासी या यतीके मरनेके पश्चात् उसकी जायदाद उसके योग्य शिष्य या चेलेको मिलेगी देखो–4 C. 954, 4 C. L R. 49, 4 C. 954; 1 All. 539; 21 W. R. 340, 10 W. R 172 'योग्य शिष्य' अगर ऐसे दो शिष्य हों एक तो ऐसा हो जो मृत संन्यासी या यतीके साथ रहा है और उसकी सेवा सुश्रूषा आदि करता रहाहै और अपने गुरुके गुण प्राप्त कर चुका है दूसरा अजनबी है किन्तु उसमें भी समान गुण है वहा पर यह नियम लागू होगा कि अजनबीसे पहले जायदाद साथ रहने वाले शिष्यको

मिलेगी 4 Cal 543 यह नियम किसी महन्तके चेलेसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रखेगा देखो—14 C. W. N. 191

अगर किसी सन्यासी या यतिका योग्य शिष्य अपने गुरुको छोड़ कर किसी दूसरे स्थानमें चला गया हो और वह वहींपर इधर उधर भ्रमण करता रहा हो तथा उसने अपने सब कर्तव्य जो गुरु और शिष्यके मध्यमें होना चाहिये तोड़दिये हों या वेष बदल दिया हो तो उसे अपने गुरुकी ज़ायदाद उत्तराधिकारमें नहीं मिलेगी, वह उस सन्यासी या यतिका वारिस नहीं हो सकेगा। देखो-4 N W. P 101; मानागया है कि कोई शिष्य किसी संन्यासी या यतिका वारिस नहीं हो सकता जब तक कि वह विरज- हवन, न करे देखो-2 Indian Cases 385, 14 C. W. N. 191.

शिष्य या चेला—जब कोई आदमी सन्यासी या यति या गोसांई पंथ के अन्दर आना चाहता है तो उसे कुछ साधारण कृत्य करना होंगे जैसे शिर के बाल घुटाना, स्नान करना, उस पंथके कपड़े पहिनना, और नया नाम रखना। तब वह आदमी उस पंथकी परीक्षाके अन्दर आता है। जब वह एक या दो वर्ष अपनेको वैसा बनाले और उस पंथकी सब रसमोंको पूरा करले और मूलमन्त्र द्वारा 'विरजहवन' आदि करले तो समझा जायगा कि वह आदमी पूर्ण शिष्य या चेला होगया। जब तक पूर्ण शिष्य नहीं हुआ तब तक वह आदमी अपने परिवारमें लौट सकता है, पूर्ण हो जानेके पश्चात् प्रायः लौटना नहीं होता। यह भी माना गया है कि अगर किसी महन्त या गुरू या चेला आदिने किसी दूसरी तरहसे केवल नामकी उपाधि मात्र प्राप्त करली हो और वह सब कृत्यें जो उस पंथके लिये आवश्यक थे न किये हों तो सिर्फ नामकी उपाधि मात्रसे वह महन्त या गुरू या चेला आदि नहीं माना जायगा देखो—2 Ind Cases 385

गोसांई—29 All 109; 3 All. L J 717 में माना गया कि यदि किसी गोसांईके चेलेने, चेला होनेके पश्चात् एक वर्ष तक 'ज्योति' की उपा- सना की हो तब वह सत् शिष्य माना जा सकता है। अगर ऐसा न किया हो तो उसे उत्तराधिकारमें जायदाद नहीं मिलेगी। गोसांईकी जायदादका उत्तराधिकार पूर्णतया हिन्दूलॉसे नहीं निश्चित किया जाता बल्कि गोसांइयोंकी भाई बन्दीके निश्चित रवाज परसे निश्चित किया जाता है 16All 191, 21 I. A. 17 जो गोसांई स्वयं और अपने कुटुम्बको दुनियांके धन्धोंके द्वारा भरण पोषण करता हो और उसका सम्बन्ध किसी मठ या मन्दिरसे न हो तो ऐसा समझा जायगा कि वह एक विशेष दर्जेका आदमी है उसकी वरासत उसके खानदानके रवाजके अनुसार होगी, देखो—1878 Select Case Part 8 No. 38. गोसांई और गोस्वामीमें कुछ भेद है किन्तु यदि दोनों दुनियाके धन्धोंसे भरण पोषण करते हों तो एकसां हालत होगी।

भिखमंगे—भिखमंगोंसे मतलब उन लोगोंसे है जो ज़ाहिरा दुनियांसे विरक्त देख पड़ते हैं और असलमें भीख मांगना उनका पेशा है। भीखकी आमदनीसे वे अपने परिवारका भरण पोषण करते हैं। कभी कभी आत्मिक उपदेश भी वे करते है। ऐसे भिखमंगे साधू या किसी मज़हबके उपदेष्टा या गुरू या चेले नहीं समझे जा सकते चाहे वे किसी वेषमें हों और चाहे जो नाम रख लिया हो। ऐसे भिखमंगोंकी जायदादका उत्तराधिकार बहुत करके हिन्दूलॉ के अनुसार होगा जैसे दूसरे लोगोंका होता है, यदि कोई ख़ास रवाज न साबित किया जाता हो। देखो स्ट्रेन्ज हिन्दूलॉ २६७. इसी विषयमें और देखो दफा १०३

नोट—महन्त, गद्दीधर, किसी अखाड़े या किसी मजहबके गुरू, मन्दिरके या मठके अधिष्ठता आदिके लिये विस्तारसे देखिये हिन्दूलॉ का प्रकरण १७

---

(७) औरतोंकी वरासत

दफा ८७ बंगाल, बनारस, मिथिला स्कूलमें आठ औरतें वारिस मानी गयी हैं

बङ्गाल, बनारस, और मिथिला स्कूलका यह माना हुआ सिद्धान्त है कि कोई भी औरत एक मर्दकी जायदाद बतौर वारिसके नहीं ले सकती, जब तककि वह पूरे तौरपर वारिस शास्त्रोंमें न बताई गई हो। नतीजा यह है कि बङ्गाल, बनारस, और मिथिला स्कूलमें सिर्फ आठ औरतें पूरे तौर पर वारिस बताई गई हैं। वह आठ औरतें यह हैं—

(१) विधवा (२) लड़की (३) मा (४) बापकी मा (दादी) (५) पितामहकी मा (परदादी)।

इन पांच औरतोंके सिवाय और कोई औरत पूरे तौरपर धर्मशास्त्रोंमें नहीं बताई गयी इसीलिये इनको छोड़कर दूसरी कोई औरत वारिस नहीं मानी जातीमगर अब सन्१९२९ ई० के नये क़ानूनके अनुसार, (६) लड़केकी लड़की, (७) लड़कीकी लड़की, (८) बहन यानी यह तीन स्त्रियां भी वारिस मानी गई हैं।

मिताक्षरामें वरासतके सिलसिलेमें जिन जिन वारिसोंका नाम बताया गया है वह बापके चाचाके लड़केपर समाप्त हो जाता है। आगेके वारिसोंके लिये मिताक्षरा यह कहता है कि—

"एवं आसप्तमात्समान गोत्राणां, सपिण्डानां धनगृहणं वेदितव्यम्, तेषामभावे समानोदकानां धनसम्बन्धः"

बाकीके सपिण्डोंकी वरासतके बारेमें इसी तरहपर सात पूर्व पुरुषों तक समझ लेना और जब सपिण्डोंका अभाव हो तो उस वक्त वरासत समानोदकोंको मिलेगी। समानोदकोंके न होनेपर बन्धुओंको (देखो दफा ३६)

मिताक्षरामें सबसे पिछली जो पूर्वज स्त्रियें हैं यानी—प्रपितामहकी मा, प्रपितामहकी दादी, प्रपितामहकी परदादी। इन औरतोंको पूरे तौरपर वारिस नहीं बताया। इसीलिये बङ्गाल बनारस, और मिथिला स्कूलमें यह तीन औरतें वारिस नहीं मानी जातीं।

दफा ८८ बम्बई और मदरास स्कूलमें अधिक औरतें वारिस मानी गयी हैं

यह सिद्धान्तकि औरतें जो शास्त्रोंमें पूरे तौरपर वारिस बताई गई हैं वही जायदाद पावेंगी, यह बात बम्बई और मदरास स्कूलमें नहीं मानी गयी है।

(१) बम्बई स्कूलमें, ऊपर बताई हुई दफा ८३ में पांच स्त्रियोंके अलावा कुछ अधिक स्त्रियां वारिस मानी गयी हैं। सबब यह है कि वहांपर मनुके ९–१८७ श्लोकपर आधार माना गया है, देखो—

अनन्तरः सपिण्डाद्यस्तस्य तस्य धनं भवेत्
अतउर्द्ध सकुल्यः स्यादाचार्य्यः शिष्य एवच। ९-१८७.

इस श्लोकका अर्थ 'सर विलियम जोन्स' साहेबने ऐसा किया है कि वरासत नज़दीकी सपिण्डको मिलेगी चाहे वह मर्द हो या औरत। यह अर्थ कुल्लूकभट्टके टीकासे निकाला गया है, देखो—

"यः सपिण्डः पुमान् स्त्री वा तस्य मृतधनं भवति"

बम्बईमें गोत्रज सपिण्ड स्त्रियोंको प्रिवी कौन्सिलने वारिस माना है रवाजके आधारपर, देखो—लाल्लू भाई बनाम काशीबाई 5 Bom. 110; 7 I. A. 212, 237.

(२) मदरास स्कूलमें कुछ औरतें बन्धु या भिन्नगोत्रसपिण्ड मानी गई हैं इस बुनियादपर कि मनुके ऊपरके वचनमें 'सपिण्ड' शब्दमें स्त्रियां

भी शामिल मालूम होती हैं, देखो—वालम्मा बनाम पल्लइया 18 Mad 168; 170 और देखो हिन्दूलॉकी दफा ६८२; ६८३, ६८६,

दफा ८९ बम्बई प्रान्तमें कौन स्त्रियां वारिस होती हैं?

बम्बई प्रान्तमें ऊपर कही हुई दफा ८३, ८७ की पांच स्त्रियोंके अलावा नीचे लिखी स्त्रियां भी वारिस मानी गयी हैं—

(१)—बहन, चाहे वह सगी हो या सौतेली, बम्बईमें बहन एक विशेष वचनके अनुसार जायदाद पाती है, अपने भाईके घरानेमे पैदा होने की वजहसे वह गोत्रज सपिण्ड भी मानी जाती है, देखो—4 Bom 188.

बम्बई प्रान्तमे दादीके न होनेपर बहन वारिस होती है, सगी बहनके न होनेपर सौतेली बहन वारिस होगी। बहन, भाईसे पहिले जायदाद नहीं पाती क्योंकि भाईका लड़का दादीसे पहिले वारिस होता है, देखो-मूलजी बनाम कृष्णदास 24 Bom 563 भाईकी विधवाके पहले और सौतेली माके पहिले बहन जायदाद पानेका अधिकार रखती है।

मयूखलॉ के अनुसार सगी बहन सौतेले भाईसे पहिले जायदाद पाती है, क्योंकि मयूखलॉ के अनुसार सौतेला भाई पितामहके साथ जायदाद पाने का अधिकारी होता है। सौतेली बहन चाचासे पहिले जायदाद पाती है, देखो—टीकम बनाम नाथा 36 Bom 120

मदरास प्रान्तमे यद्यपि बहन वारिस मानी गयी है मगर वह एक बन्धु की हैसियतसे वारिस समझी जाती है। बङ्गाल, बनारस, मिथिलामे बहन वारिस नहीं मानी जाती थी मगर अब नये क़ानूनसे मानी जाती है।

(२) मृत पुरुषके मरनेसे पहिले जो गोत्रज सपिण्ड मर चुके हैं उन सबकी विधवायें यानी सपिण्ड और समानोदक दोनोंकी विधवायें वारिस होगी। लेकिन बन्धु या भिन्न गोत्रज सपिंडकी विधवायें नहीं। वल्लभदास बनाम सकरबाई 25 Bom. 281 इस तरह पर लड़का, बाप, भाई, भतीजा, चाचा, चाचाका बेटा आदि मृत पुरुषके गोत्रज सपिण्ड होते हैं, इसीलिये बम्बईके फैसलोंके अनुसार, लड़केकी विधवा, बापकी विधवा यानी सौतेली मा, भाईकी विधवा, भाईके लड़केकी विधवा, चाचाकी विधवा, सगे चाचा के लड़केकी विधवा यह सब गोत्रज सपिण्ड मानी गयी हैं। इसीसे जायदाद पानेकी अधिकारी हैं। यह विधवायें सगोत्र सपिण्ड होनेकी वजहसे बन्धुओं से पहिले जायदाद पाती हैं। यहांपर जो स्त्रियां वारिस बताई गई हैं वह उदाहरण है। इनके अलावा और भी होती है मगर वह सब बन्धुओंसे पहिले जायदाद पाती है। गोत्रज सपिण्डकी विधवायें सिर्फ बम्बई प्रान्तमें वारिस मानी गयी है दूसरी जगहपर नहीं। इस किताबकी दफा८७में जो स्त्रियाबताई गई है वह भी वारिस होती है। हिन्दूलॉ के प्रकरण ११ मे विस्तारसे देखो।

दफा ९० गोत्रज सपिण्ड और सगोत्र सपिण्डमें क्या फरक़ है ?

गोत्रज सपिण्ड और सगोत्र सपिण्डमें यह फरक़ है कि गोत्रज सपिण्ड उसे कहते हैं कि जो मृत पुरुषके घराने यानी गोत्रमें पैदा हुये हों। और सगोत्र सपिण्ड वह कहलाते हैं जो विवाहके द्वारा मृत पुरुषके गोत्रमें आते हैं, जैसे बहन आदि गोत्रज सपिण्ड हैं, क्योंकि वह मृत पुरुषके गोत्रमें पैदा हुई है, और चाची सगोत्र सपिण्ड है। क्योंकि उसका सम्बन्ध विवाहके द्वारा मृत पुरुषके गोत्रसे हुआ है, यही फरक़ इन दोनोंमें है। इसी तरहपर सब रिश्तेदारोंको समझ लेना।

दफा ९१ बम्बई प्रान्तमें गोत्रज सपिण्डोंकी विधवाएं वारिस होती हैं

गोत्रज सपिण्डोंकी विधवाओंकी वरासतका क्रम नीचे लिखे क्रमके अनुसार होता है। मगर गोत्रजसपिण्डकी कोई भी विधवा बहन से पहिले जायदाद नहीं पाती। इस बातको मानते हुये गोत्रजसपिण्डकी विधवायें अपने पतियों के क्रमानुसार वारिस होती हैं। लेकिन इन विधवाओंका वारिस होनेका हक़ उस वक्ततक नहीं पैदा होता जबतक कि उनके पतियोंकी शाखा वाले मर्द गोत्रजसपिण्ड न मर जायें। गोत्रजसपिण्डोंकी विधवाओंका हक़ इस प्रकार माना गया है—

गोत्रज सपिण्डोंको विधवाओंके वरासत पानेका क्रम			
१	लड़का	१३	लड़केकी विधवा
२	पोता	१४	पोतेकी विधवा
३	परपोता	१५	प०पोतेकी विधवा
४	मृतपुरुषकी विधवा		
५	लड़की		
६	लड़कीका लड़का		
७	मा		
८	बाप	१६	बापकी विधवा=मृत पुरुषकी सौतेली मा
९	भाई		
१०	भाईका लड़का	१७	भाईकी विधवा
११	दादी	१८	भाईके लड़केकी विधवा
१२	बहन		

बरार में पुत्रवधू वारिस होती है और उसकी वरासतको उसके पतिके चचाज़ात भाईके मुक़ाबिले तरजीह दी जाती है—गनपत बनाम बुधमल A. I. R 1927 Nag 86

दफा ९१ विधवाओंका क्रम पतियोंके अनुसार होगा

ऊपर दफा ६० मे नम्बर १८ के बाद अर्थात् जब इनमेंसे कोई वारिस न हो तो उसके बाद दादा वारिस होता है और उसके बाद दादाकी लाइनके पुरुष वारिस होते हैं इस दादाकी लाइन मे चाचा, चाचाका लड़का, यह सब गोत्रजसपिण्ड है इसलिये अगर इन तीनोंमेसे कोई न हो तो इनकी विधवायें अपने पतियों के क्रमसे जायदाद पायेंगी जैसे—

(१६) दादा (२०) चाचा (बापका भाई) (२१) चाचाका लड़का (२२) बापकी सौतेली मा (विधवा) (२३) चाचाकी विधवा (२४) चाचा के बेटेकी विधवा ।

जैसा कि क्रम ऊपर बताया गया है इसी प्रकार परदादाकी लाइनमेंभी समझ लेना । मगर बम्बई प्रांतमे भाई के पोतेकी तथा चाचा के पोतेकी कौनसी जगह है, वह किसके बाद और किससे पहिले वारिस होने का हक रखते हैं यह बात निश्चित नहीं है परन्तु हर सूरतमे भाईका पोता, भाईकी विधवासे पहिले वारिस होगा और इसी तरह पर चाचाका पोता चाचाकी विधवासे पहिले वारिस होगा, क्योंकि यह बात मानी गयी है कि 'विधवाओं के वारिस होने का हक़ उस वक्त तक नहीं पैदा होगा जबतक कि उनके पतियों की शाखावाले मर्द गोत्रजसपिण्ड न मरगये हों'। देखो काशीबाई बनाम मोरेश्वर (1911) 35 Bom 389, सीताराम बनाम चिंतामणि 24 All 472.

दफा ९२ मदरास प्रांतमें गोत्रजसपिण्डोंकी विधवायें वारिस नहीं मानी जातीं

इस किताब की दफा ८६ मे जो पांच औरतें बताई गयी है उनके सिवाय दफा ८४ मे जो औरतें बताई गई हैं वह सब मदरास प्रातमें वारिस नहीं मानी गयीं, देखो—कना कम्मल बनाम असन्त माथी 37 Mad 293.

दफा ९२ (ए) रंडी (वेश्या) की वरासत

नर्तकी (वेश्या) स्त्रियोंमे जीवनके अधिकारके साथ खान्दानी साझेदारी हो सकती है । किन्तु कोई एसी नज़ीर नहीं है जो यहांतक पहुंचती हो कि किसी वेश्याकी पुत्री जन्मके कारण पैतृक सम्पत्तिकी अधिकारिणी हो सकती हो । फ़रीक वेश्यायें थीं । माता, पुत्री और प्रपौत्री एक साथ रहीं

और अपनी आमदनी एकही जगह जमा करती रहीं, तथा संयुक्त परिवारके भांति बर्ताव करती रहीं। तय हुआ कि उन्होंने एक संयुक्त परिवार जीवित कालके अधिकारका स्थापित किया था। यहभी तय हुआ कि संयुक्त जायदाद का रेहननामा खान्दानके दूसरे सदस्योंपर उसी प्रकार लाज़िमी होगा जैसे कि कर्ज़ ली हुई रकम किसी संयुक्त हिन्दू परिवारकी आवश्यकतामें लगाई गई हो। पी० कोकिल अम्मल बनाम पी० सुन्दर अम्मल 21 L. W. 259, 86 I. C. 633. A. I R 1925 Mad. 902.

वेश्या—पतित हिन्दू स्त्रीके स्त्रीधन जायदाद के सम्बन्धमें साधारण हिन्दूलॉ के वरासतके आदेश लागू होते हैं और वरासतके सम्बन्धमें पुत्रियोंको बमुकाबिले पुत्रोंके तरजीह नहीं दीजाती। शेख तालिबअली बनाम शेख अब्दुल रज्जाक 129 C. W. N. 624, 89 I. C. 141; A. I. R. 1925 Cal. 748.

दफा १३ विधवा की अपवित्रता

यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि जब पतिके मरनेके बाद विधवाको जायदाद मिलनेका समय उपस्थित हो अर्थात् पतिके मरनेके समय यदि विधवा फाहशा है तो उसे वरासतमें उसके पतिकी जायदाद नहीं मिलेगी। लेकिन अगर एक बार उसे जायदाद मिल गयी हो पीछे विधवा बदचलन हो गयी हो तो उससे जायदाद छीनी नहीं जायगी देखो मुल्ला हिन्दूलॉ सन् १६२६ ई० पेज १०५ केस देखो 5 Cal. 776, 7 I. A. 115; 24 Mad. 441; 36 Bom. 138, 12 I. C. 714. नीचे विस्तार से इसी विषयको देखिये।

---

(६) उत्तराधिकारसे वंचित वारिस

दफा १४ व्यभिचारिणी विधवा

(१) धर्मशास्त्र और फैसलोंका संक्षिप्त मत—स्मृति चन्द्रिका (११-२-२६) और वीरमित्रोदय (३-२-३) में कहा गया है कि हिन्दू विधवाके लिये उत्तराधिकारके द्वारा पतिकी जायदाद पानेके बारेमें ज़रूरी शर्त यह है कि विधवा सच्चरित्र हो यानी व्यभिचारिणी न हो। मिताक्षरा और मयूखभी यही बात कहते हैं किन्तु दूसरे वारिससे व्यभिचारकी शर्त लागू न होगी। विधवाकी पवित्रता या सच्चरित्रताका अर्थ वारिस होनेके मतलबके लिये केवल इतना लिया जायगा कि उसने कभी अपने शरीरसे व्यभिचार नहीं किया मनसे चाहे किया हो। देखो 17 Indian, Cases 83; 16 C. W. N. 964 कात्यायन कहते हैं कि—

'पत्नीपत्युर्धनहरी या स्यादभिचारिणी'

पत्नी अपने पतिका धन तब लेगी जब कि वह व्यभिचारिणी न हो। मद्रास और बम्बईकी हाईकोर्टेने माना है कि जिस समय विधवाको जायदाद पहुंचनेका हक पैदा हुआ हो उस समय वह व्यभिचारिणी न हो देखो-कोजीयाड्डू बनाम लक्ष्मी 5 Mad 149 बम्बई हाईकोर्टकी यह राय है कि यदि पतिके जीतेजी स्त्रीपर व्यभिचारका दोष लगाया गया हो, और पतिने माफकर दिया हो पीछे वह सच्चरित्र होगयी होतो विधवाका-हक़ नहीं मारा जायगा 13 B. L R. 1038, 36 Bom 138, बंगाल और इलाहाबाद हाईकोर्ट यह मानते हैं कि वारिस होनेके समय यदि विधवा व्यभिचारिणी है तो उसे जायदाद नहीं मिलेगी। पंजाबमें जब कि स्त्री बालिग हो और किसी रिश्तेदारके साथ रहती हो, अथवा उसके लड़के मौजूद हों तो उसे पुरुष सम्बन्धी कुटुम्बियोंके विरुद्ध पतिकी जायदाद नहीं मिलेगी—34 P. R. 1893, 74 P R. 1893.

(२) अदालती फैसले—व्यभिचारिणी विधवा अपने पतिकी जायदाद के वारिस होनेका हक़ नहीं रखती देखो—केरीकोलीटानी बनाम मोनीराम कोलिटा (1873) 13 B. L R 1-11; 19 W R C R. 367; लेकिन अगर विधवा व्यभिचारिणी होनेसे पहिले जायदादकी मालिक हो चुकी हो और जायदादपर चाहे उसका क़ब्ज़ा न हुआ होतो पीछे व्यभिचारिणी हो जानेके कारण उसका हक़ नहीं मारा जायगा—7 I A 115, 5 Cal. 776 6 C L. R 322, 13 B L R 1; 19 W. R. C. R 367, 4 Bom H. C A. C. 25; 2 All. 150, 24 Mad. 441 ; भवानी बनाम महताब कुंवर 2 All 171.

जब अपनी स्त्रीका व्यभिचार पतिने माफ कर दिया हो तो फिर वह व्यभिचार विधवाकी वरासतमें बाधक नहीं होता देखो—गंगाधर बनाम यल्लू (1911) 36 Bom. 138, 13 Bom L R 1038, (व्यभिचारको जाननेपर उसके विरुद्ध कुछ नहीं करना भी'माफ' करदेना समझा जासकता है)

भारतके जिन भागोंमें मिताक्षरालॉ माना जाता है कमसे कम मद्रास और बंबई प्रांतमें विधवाही एक ऐसी वारिस है जो व्यभिचारके कारण उत्तराधिकारसे वंचित रखीजाती है तारा बनाम कृष्ण (1907) Bom. 415-502, 9 Bom. L R. 774, 4 Bom. 104, 5 Mad. 149; 3 Mad. 100, 26 Mad 509, 1 All 46, 2 N. W P. 361, 32 All 155, 5 Mad. 149, 33 All. 702 (लड़की, माता, दादी, आदि नहीं)

स्मृतिचन्द्रिका मदरासमें अधिकमान्य है और वीरमित्रोदय बनारस स्कूलमें यह दोनोंही केवल सती स्त्रीको उत्तराधिकारिणी मानते हैं लेकिन

मिताक्षरा और मयूख बेटीके उत्तराधिकारके विषयमें ऐसी शर्त नहीं लगाते. देखो 4 Bom 104-110, 111, इसलिये बंबई और मदरासमें तो यह प्रश्न साफ होगया है देखो कोजी आड्डू बनाम लक्ष्मी (1882) Mad. 149.

बंगाल स्कूलमें विधवा और अन्य स्त्री वारिसभी उस व्यभिचारके कारण जो उन्होंने वारिस होनेसे पहले किया हो उत्तराधिकारसे वंचितहो जाती हैं, देखो—रामनाथ कुलापतरो बनाम दुर्गासुन्दरी देवी 4 Cal. 550-554, 32 Cal. 871, 9 C W. N. 1002, 22 Cal. 347, 13 B L R. 1, 19 W R. C R. 367-393, परन्तु व्यभिचारके कारण स्त्रीधनकी वरासत का हक नहीं मारा जाता देखो—गंगाजाटी बनाम घसीटा 1 All 46, नगेन्द्र नन्दिनीदासी बनाम विनयकृष्णदेव 30 Cal 521; 7 C W N 121, 26 Mad. 509 शास्त्री जी०सी० सरकार इसपर विवाद करतेहैं, देखो उनका हिन्दूलॉ—3 ed. P. 333.

दफा ९५ विधवाका पुनर्विवाह

एक्ट नं० 15 सन 1856 S. S. 2 के अनुसार हिन्दू विधवा दूसरा विवाह करसकती है। उपरोक्त एक्टकी दफा २ में कहागया है कि—

(दफा २) अपने पतिकी जायदादमें विधवा भरण पोषणके तौरपर जो हक रखती हो या अपने पतिके उत्तराधिकारियोंकी वारिस होनेका जो हक़ रखती हो (22 Bom. 321.) या किसी वसीयतनामेके अनुसार किसी जायदादपर सीमावद्ध अधिकार रखती हो और उस वसीयतमें उसको पुनर्विवाहकी आज्ञा न दीगयी हो तो विधवाका पुनर्विवाह होतेही ऊपर कहेहुये उसके सब हक़ोंका अन्त इस प्रकार होजायगा कि मानो वह मरगयी और उसके पतिके वारिस या दूसरे लोग जो विधवाके मरनेपर जायदादके वारिस होते, जायदादके वारिसहो जावेंगे।

—पुनर्विवाहके पहले उस विधवाने हिन्दूधर्म चाहे छोड़ा हो या न छोड़ा हो दोनोंही सूरतोंमें एक्ट नं० १५ सन् १८५६ ई० की दफा २ लागू होगी, देखो—मतंगिनी गुप्त बनाम रामरतन राय (1891) 19 Cal. 289, 3 W R. C R 206.

पुनर्विवाह होजानेके बाद विधवा अपने पहिले पतिके पुत्र और अन्य उत्तराधिकारियोंकी वारिस होसकती है—अकोला बनाम बौरियानी 2 B. L. R. 199, 11 W R C R 82, 29 Bom. 91, 6 Bom. L. R. 779; 26 Bom. 388; 4 Bom. L. R. 737, 28 Mad. 425.

हिन्दुओंमें जिन जातियोंमें विधवा विवाहका रिवाज है उन जातियों की विधवायें भी पुनर्विवाह करके अपने पूर्वोक्त हक़ खो देती हैं या नहीं,

इस विषयमे मतभेद है। इलाहाबाद हाईकोर्टने कहा है – कि ऐसी विधवाओं का हक़ नष्ट नहीं होता देखो–खुदू बनाम दुर्गाप्रसाद 29 All 122, हरसन-दास बनाम नन्दी 11 All. 330, रंजीत बनाम राधारानी 20 All 476, गजाधर बनाम कौसिल्या 31 All. 161, मूला बनाम प्रताप (1910) 32 All. 489, किन्तु मदरास, कलकत्ता और बम्बई हाईकोर्टोंकी राय इसके विरुद्ध है। वे कहते है कि हक़ नष्ट होजाता है। देखो-22 Cal. 589, 14 C W N 346; 1 Mad 226; 22 Bom 321

पुनर्विवाह करनेवाली विधवा दूसरे पतिकी उसी तरह वारिस हो सकतीहै जैसेकि अपने पहिले पतिकी होसकतीथी–देखो एक्ट नं० १५ सन् १८५६ ई० दफा ५, और देखो हिन्दूलॉ की दफा ७२८

दफा ९६ शारीरिक योग्यता

नया क़ानून एक्ट नं० १२ सन् १९२८ ई० अयोग्यताके सम्बन्धमे लागू है। अभी तक यह बात अनिश्चितथी और इसपर बहुत कुछ मुकद्दमेबाजी हो जाया करती थी कि अमुक व्यक्ति अयोग्यहै इसलिये उसे वरासत न मिलना चाहिये पर अब वे सब झगड़े चलेगये। इस क़ानूनके पास होनेके बाद कोई भी झगड़े न पड़ेंगे मगर जिनको वरासतका हक़ इस क़ानूनके पास होने यानी ता० २० सितम्बर सन् १९२८ ई० से पहले पैदा हो गया है यदि उनके सम्बन्धमे इस प्रकार के झगड़े पैदा हो गये हों और अभी चलरहे हों तो उनके लिये हिन्दू लॉ में नीचेके विषयके अनुसारही काम होगा। पहले हमारा विचार इस विषयके निकाल देनेका था मगर यह विचारकर कि सम्भव है कि उन सज्जनोको इसविषयकी आवश्यकता होजाय जिनके ऐसे झगड़े इस क़ानूनके पास होनेसे पहले पैदा होगये हैं और चलरहे हैं, नहीं निकाला। मेरा अनुमानहै कि यद्यपि यह क़ानून पहलेके ऐसे झगड़ोंमें लागू न भी होगा पर अदालतोंकी रायें इसनये कानूनके असरसे विल्कुल खाली न होंगी। हाकिमोंकी रायोंमें इसका असर रहेगा और तब वे तोर मड़ोरकर वैसा फैसला देनेके लिये विवश होंगे। होना न चाहिये कतिपय हाकिम इसकी पर-वाहभी न करेंगे। नया क़ानून पीछे देखो इस प्रकरण के।

[१] यह विषय विवादास्पद है इसलिये पहले आचार्य्योंका मत देख लीजिये—

(१) अनंशौक्लीव पतितौ जात्यन्धबधिरौतथा
उन्मत्तजड़मूकाश्च येचकेचिन्निरिन्द्रियाः।
सर्वेषामपितुन्याय्यं दातुंशक्त्यामनीषिणा
ग्रासाच्छादन मत्यन्तं पतितो ह्यददद्भवेत्। मनु ९–२०१,२०२

(२) क्लीवोथपतितस्तज्जः पङ्गुरुन्मत्तको जड़ः
अन्धोऽचिकित्स्यरोगाद्या भर्तव्याःस्युर्निरंशकाः।
औरसाः क्षेत्रजास्त्वेषां निर्दोषाभागहारिणः
सुताश्चैषां प्रभर्तव्याः यावद्वैभर्तृसात्कृताः।
अपुत्रायोषितश्चैषां भर्तव्याः साधुवृत्तयः
निर्वास्या व्यभिचारिण्यःप्रतिकूलास्तथैवच।या०२-१४०-१४२

(३) पतित, क्लीवाचिकित्स्यरोग विकलास्त्व भाग-
हारिणः। रिक्थग्राहिभिस्तेभर्तव्याः। तेषां
चौरसाः पुत्रा भागहारिणः। नतुपतितस्य, पतनीये
कर्मणि कृते त्वनन्तरोत्पन्नाः—बृहद्विष्णु १५ अ० ३२-३५

(४) सवर्णापुत्रोऽप्यन्यायवृत्तो नलभेतैकेषांजड़
क्लीवौ भर्तव्यावपत्यंजड़स्यभागार्हम्—गौतम २६ अ० ६

(५) अनंशास्त्वाश्रमान्तरगताः। क्लीवोन्मत्तपतिताश्च।
भरणं क्लीवोन्मत्तानाम्—वसिष्ठ १७ अ० ५६-४८

(६) अतीतव्यवहारान्ग्रासाच्छादनैर्विभृयुः। अन्ध
जड़क्लीव व्यसनि व्याधितादींश्च। अकर्मिणः।
पतित तज्जात वर्ज्यम्—बौधायन२ प्रश्न२ अ०४३-४६

(७) पितृद्विट्पतितः षण्डो पश्चस्यादौ पपातिकः
औरसा अपिनैतेंशं लभेरन्क्षेत्रजाः कुतः।
दीर्घतीव्रामयग्रस्ता जड़ोन्मत्तान्ध पङ्गवः
भर्तव्याःस्युः कुलेनैते तत्पुत्रास्त्वंश भागिनः।
नारद, १३ विवाद २१--२२

भावार्थ—(१) मनु (अ ९ श्लो० २०१, २०२) कहते हैं कि नपुंसक पतित, जन्मान्ध, बहरा, उन्मत्त, जड़, गूंगा और इन्द्रियहीन जैसे पंगुवा आदि ये सब उत्तराधिकारमें अपना हक़ नही पाते, सिर्फ अन्न वस्त्रके पानेका अधिकार रखते हैं। उनके हिस्सेकी जायदाद जिसे मिले उसको चाहियेकि नपुंसकादि लोगोंको उनके जीवन भर अन्न और वस्त्र देवे।

(२) याज्ञवल्क्य (अ० २ श्लो० १४०-१४२) कहते हैं कि, नपुंसक, पतित, पतितके पुत्र, लंगड़ा, उन्मत्त, जड़, अन्धा, असाध्य रोगी आदिको निर्वाह योग्य भोजन वस्त्र आदि देना चाहिये, मगर वे जायदादमे हक नहीं पावेंगे। नपुंसकादिके औरस पुत्र अथवा क्षेत्रज पुत्र यदि निर्दोष होंगे तो वे हक़ पावेंगे इनकी कुमारी कन्याओंको विवाह होने तक पालन करना चाहिये और पुत्रहीन स्त्रियोंको यदि वे सती हों तो उनका जन्म भर पालन करना चाहिये और व्यभिचारी होनेसे घरसे निकाल देनेके योग्य हैं।

(३) वृहद्विष्णु (अ०१५ श्लो०३३-३५) कहते है कि—पतित, नपुंसक, असाध्य रोगी और अन्धा आदि विकलेन्द्रिय मनुष्य पैतृक धनमें भाग नहीं पाते, किन्तु उनका धन जो पावेगा वही उनका पालन करेगा। इनके औरसपुत्र पितामहके धनमें भाग पावेंगे, मगर पतित हो जानेके पश्चात् जो पुत्र पैदा होवें धनमे भाग नहीं पावेंगे।

(४) गौतम (अ० २९ श्लो० ६) कहते हैं—ऐसा भी मत है कि सवर्णास्त्रीका पुत्र भी यदि कुमार्गी हो तो पैतृक धनमे भाग नहीं पावेगा। जड़ और नपुंसकको हक़ नहीं मिलेगा। इनके भागका पानेवाला इनका पालन करेगा। इसी तरहसे जड़ आदिका पुत्र धनमें भाग पानेका अधिकारी नहीं है।

(५) वसिष्ट (अ० १७ सू० ४६-४८) कहते हैं कि गृहस्थसे वानप्रस्थ अथवा सन्यासी हो जाने वाले पुरुष पिताके धनमे भाग नहीं पावेंगे। नपुंसक, उन्मत्त और पतित भी भाग नहीं पावेंगे, भाग लेने वालेको नपुंसक आदिकोंका पालन करना पड़ेगा।

(६) बौधायन (प्रश्न २ अ० २ श्लो० ४३-४६) कहते हैं कि—जो लोग व्यवहारके योग्य नहीं हैं उनको सिर्फ भोजन वस्त्र देकर पालन करे। अन्धा, जड़, नपुंसक, व्यसनी, असाध्य रोगी तथा कर्मरहितका भी पालन करना उचित है। पतित और पतितसे उत्पन्न सन्तानको धनमें भाग नहीं देना चाहिये।

(७) नारद (विवादपाद १३ श्लो० २१-२२) कहते हैं कि—पिताका वैरी, पतित, नपुंसक, और उत्पात करने वाला, ये सब औरस पुत्र होनेपर

भी पिताके धनमें भाग नहीं पाते तो क्षेत्रज कैसे पावेगा, अर्थात् उसे नहीं मिलेगा। असाध्य रोगी, जड़, उन्मत्त, अन्धा और पंगुवाको धनमें भाग नहीं मिलेगा, सिर्फ उन्हें पालन करना पड़ेगा। मगर इनके पुत्रोंको हक़ मिलेगा यदि वे योग्य हों।

[२] कई शारीरिक अयोग्यताओंके कारण हिन्दू वरासत या कोपार्सनरीसे वंचित हो जाता है। वे शारीरिक अयोग्यतायें यह हैं—

१—नामर्दी—देखो भट्टाचार्यका लॉ आफ ज्वाइन्ट फैमिली P. 405—406 हद दर्जेकी मूर्खता—1 Mad H C. 214 ट्रिवेलियन हिन्दूलॉ P 354.

२—जन्मान्ध—मुरारजी गोकुलदास, बनाम पार्वतीबाई 1 Bom 177, 2 Bom. H C. 5, उमाबाई बनाम भाऊपद्मनजी 1 Bom. 557, 14 B.L. R. 273, 23 W R C R. 78; 2 B. L R F. B 103, 11 W. R A. O. J. 11, 20 Bom. L. R. 38

३—बहरा या गूंगा—मदनगोपाललाल बनाम सिक्किन्डा कुंवर 18 I. A. 9, 18 Cal 341, 11 I A 20, 6 All 322, 4 Bom H. C A C. 135, 1 B. L. R. A C 117; 11 W. R. A. N J. 19, Ben. S D. A. 1860 P 661

४—अङ्गहीनता और बुद्धिहीनता—मिताक्षरा और दायभागका यही मत है—लंगड़ापन अर्थात् चल सकनेके योग्य न होना—भट्टाचार्य हिन्दूलॉ 2 ed P 350, 26 Mad. 133, स्फटिकचन्द्र चटरजी बनाम जगतमोहिनी 22 W R. C. R. 348

५—पागलपन—रामसुन्दरराय बनाम रामसहाय भगत 8 Cal 919.

६—पागलपन चाहे वह जन्मका न हो—रामसहाय भुकट बनाम लालजीसहाय 8 Cal 149, 9 C L R. 457, 9 N L R 198; 18 W. R C. R 305, 10 Cal 639, 5 All. 509, 13 M I. A 519, 6 B. L. R 509; 15 W R P C 1, 7 W R. C R 5, 1 Bom 177.

७—पागलपन यदि असाध्य हो—द्वारिकानाथ बैसाक बनाम महेन्द्रनाथ बैसाक 9 B L R 198, 18 W R C. R. 305, 5 All 509.

अगर किसीका हक़ उसके जन्मसे ही जायदादमें पैदा होगया हो तो वह हक़ मारा नहीं जाता बशर्ते कि उसके बाद वह पागल हुआ हो, देखो—त्रिवेनीसहाय बनाम मोहम्मद उमर 28 All.247 वृजभूषणलाल बनाम विचन देवी 9 B L R 204 का नोट 14 W R C R 329, 14 M 289. अगर वारिस होनेके बाद पागल होगया हो तो भी उसका हक़ नहीं मारा जाता—9 B. L. R. 198, 18 W. R C R 305, 5 All 509.

पागलपनके स्पष्ट प्रमाण होने परही कोई पुरुष या स्त्री वरासतसे वंचितकी जा सकती है। केवल बुद्धिकी कमजोरीके कारण, या स्वयं अपनी जायदादका प्रबन्ध करनेकी योग्यता न होनेके कारणसे ही कोई हिन्दू वरासतसे वंचित नहीं किया जा सकता, देखो—सुरती बनाम नरायनदास (1890) 12 All 530 हत्या या सज़ा पाना या नाकाबिलियतके कारणोंका वर्णन, देखो—सानयेलप्पा होसमानी बनाम चन्नप्पा सोमसागर 29 C.W N. 271; 86 I. C. 324 (2); A I R 1924 P C. 209

उत्तराधिकारसे वंचित होनेके उपरोक्त नियम स्त्री और पुरुष दोनों से समान लागू होते हैं, देखो—बाकूबाई बनाम मानचाबाई 2Bom H C 5

८—प्रचीन शास्त्रोंके अनुसार असाध्य रोग वाले आदमी उत्तराधिकार से वंचित किये जा सकते हैं, परन्तु वर्तमान कानून केवल असाध्य और बहुत बढ़े हुये कुष्टके रोगीको वरासतसे वंचित करता है, देखो—अनन्त बनाम रमाबाई 1 Bom 554 जनार्दन पाण्डुरंग बनाम गोपाल 5 Bom. H. C. A C J 145, 1 Mad. S D A 239, 11 W. R. C R. 535, 22 I. A. 94, 22 Cal 843, 5 Ben Sel R 315

रनछोड़नरायन बनाम आजोबाई 9 Bom L R 114 में माना गया है कि—जिसे साधारण कुष्ठ हो और आराम होने वाला हो वह वंचित नहीं रहेगा। यहांपर यह बात कही जा सकती है कि—क्यों न प्राचीन शास्त्रोंकी आज्ञा मानकर सभी असाध्य रोगियोंको वरासतसे वंचित किया जाय? परन्तु जैसाकि भट्टाचार्य अपने लॉ आफ ज्वाइन्ट फैमिलीके P 407 में कहते हैं कि—यह साबित करना बहुत कठिन है कि कौन रोग असाध्य है जो दवासे नहीं अच्छा हो सकता, देखो—ईश्वर चन्द्रसेन बनाम रानीदासी (1865) 2 W R C R. 125 प्राचीन समयमें और भी कई ऐसे कारण माने जाते थे कि जिनकी वजहसे हिन्दू वरासत और बटवारेसे वंचित किया जाता था, लेकिन यह अयोग्यता प्रायश्चित्तसे मिट जाती थी, अब कोई अदालत उन कारणोंसे किसी हिन्दूको उत्तराधिकार या बटवारेसे वंचित नहीं करती, लेकिन फिर भी कई मामलोंमें वैसे अयोग्य वारिसके लिये प्रायश्चित्त आवश्यक माना गया है, देखो—11 W R C R 535, 6 Ben Sel R 62

प्राचीनकालमें बापका कोई शत्रु वरासत या बटवारेसे वंचित किया जाता था—भोलानाथ राय बनाम सावित्री 6 Ben Sel R 62 परन्तु वर्तमान क़ानून इसे नहीं मानता, देखो—कालिकाप्रसाद बनाम बद्री 3 N W P 267 मनुने तो यहां तक कहा है कि जाल करने या धोखा देने वाला कोपार्सनर बटवारेके समय अपने हिस्सेसे वंचित किया जा सकता है, परन्तु अब ऐसा नहीं होता, अब तो केवल उसको उस जायदादका बटवारा करा लेना पडता है जो उसने अपने दूसरे कोपार्सनरोंको वंचित रखनेके लिये

जाल या धोखेसे अलहदा करली हो, देखो—3 N. W. P. H. C. 267; स्ट्रेञ्ज हिन्दूलॉ पेज २३२.

दफा १७ आयेग्यताका असर

जब कोई वारिस अयोग्य मान लिया जाय तो मृतपुरुषका उस अयोग्य के बादवाला वारिस इस तरहपर वारिस होताहै कि मानो वह अयोग्य वारिस मरगया 1 B L. R A. C. 117; 11 W. R A. O. J. 19, 13 M. I. A. 519, 6 B. L. R. 509; 15 W. R P C. 1

अयोग्य वारिसका पुत्र वारिस हो सकता है परन्तु वह अपने पिताके पुत्र होनेकी हैसियतसे वारिस नहीं होता बल्कि मरने वालेका वारिस होने की हैसियतसे वारिस होता है, देखो—1 B L. R. A. C. 117, 11 W. R. A. O. J. 19 का नोट।

उदाहरण—अज, मरा और उसने अपनी बहनका पुत्र वारिस छोड़ा; मगर वह पुत्र अन्धा है और उसके एक पुत्र मुकुंद है तो मुकुन्द, अजका वारिस नहीं होगा (ध्यान रहे कि बहनका पुत्र बन्धु होता है और बन्धुके न होनेपर दूसरे वारिस को जायदाद चली जाती है)

दफा १८ अयोग्यता चली जानेपर

अगर किसी पुरुष या स्त्रीको एकबार जायदाद मिलनेका हक़ पैदा हो गया हो तो पीछे होनेवाली किसी अयोग्यताके सबबसे वह जायदाद उसके क़ब्ज़ेसे नहीं हटाई जासकती, देखो—अवलख भगत बनाम भीखीमहटू 22 Cal. 864, त्रिवेनीसहाय बनाम मोहम्मद उमर 28 All. 547, 14 Mad. 289, 5 All. 509, 17 I A. 173; 18 Cal 111.

जिस अयोग्यताके कारण वारिस जायदादसे वंचित रखा गया हो, और उस अयोग्य वारिसके बादका वारिस उस जायदादपर क़ाविज़ होगया हो और पीछे अयोग्य वारिसकी वह अयोग्यता जाती रहे तो ऐसी सूरतमें वह जायदाद पानेका अधिकारी नहीं होता, यानी उसके बादवाले वारिससे जायदाद नहीं छीनीजायगी, देखो—देवकिशन बनाम बुद्धिप्रकाश 5 All. 509.

ऐसी सूरतमें यदि अयोग्य वारिसके कोई पुत्र उस समय पैदा हुआ हो जब कि उसके बादवाला वारिस जायदादपर काविज़हो चुका हो तोभी जायदाद उस बाद वाले वारिससे नहीं छीनी जायगी, देखो—कालिदास बनाम कृष्णचन्द्रदास (1869) B L R F. B 103, 11 W R A O J 11; 1 B L. R A. C 117, 11 W R. A O J. 19 का नोट, 5 All. 509, 6 Bom 616, 32 Bom. 455, 10 B. L. R. 559.

उदाहरण—एक आदमी मरा और उसने एक लड़का गूंगा और अपनी विधवाको छोड़ा। ऐसी दशामें गूंगे पुत्रको वरासत नहीं मिलेगी। बल्कि विधवाको मिलेगी, यदि विधवाके जीवनकालमें पुत्रका गूंगापन चला जाय और वह बिल्कुल अच्छा होजाय तो भी पुत्र, विधवासे जायदाद नहीं छीन सकता, विधवाके मरनेपर पुत्रका हक जायदादके पानेका पैदाहोगा, चाहे बाप के भाई मौजूद भी हों। अब दूसरी तरहसे इसेयों समझिये कि—एक आदमी मरा और उसने एक अन्धा लड़का तथा एक भाई छोड़ा। ऐसी दशामें भाई जायदादका वारिस होगा। यदि अन्धापन उसका अपने चाचाकी जिन्दगीमें चला जाय और वह बिल्कुल अच्छा हो जाय तो वह चाचासे जायदाद नहीं छीन सकता। अब चाचा यदि अपनापुत्र छोड़कर मरे तो फिर वह जायदाद चाचा के पुत्रको इसलिये मिलेगी क्योंकि चाचा अपने जीवन कालमे उस जायदाद पर पूरे मालिककी हैसियतसे क़ब्ज़ा रखता था, और यदि चाचा बिना किसी दूसरे वारिसको छोड़े मरजाय तो जायदाद उसे मिलेगी जो अन्धेपनसे अच्छा हुआ है, मगर उसे अपने बापके वारिसकी हैसियतसे नहीं मिलेगी बल्कि बापके भाईके वारिसकी हैसियतसे मिलेगी।

दफा ९९ स्त्रीधन

जिन शारीरिक आरोग्यताओंके कारण स्त्री, किसी पुरुषकी वारिस होनेसे वंचित रखी जाती है उन्हीं अयोग्यताओंके कारण वह किसी स्त्रीके स्त्रीधनकी वारिस होनेसे वंचित होसकती है या नहीं इस विषयमें मतभेदहै। क्योंकि—शास्त्रमें सिर्फ पुरुषके वारिस होनेके बारेमें ज़िकर किया गया है स्त्रीके बारेमें नहीं। इस विषयमें शास्त्री जी० सी० सरकार अपने हिन्दूलॉ 3 ed. P 333 में कहते हैं कि दोनों हालतोंमें कुछ भेद नहीं माननाचाहिये। कोई ब्याही लडकी जिसका पुत्र गूंगा हो बंगाल स्कूलमें स्त्रीधन जायदादकी वारिस हो सकती है या नहीं इस प्रश्नका विचार चारुचन्द्रपाल बनाम नवसुन्दरीदासी (1891) 18 Cal. 327 के मुक़द्दमेमें किया गया और यह निश्चय किया गया कि वह वारिस होसकती है, क्योंकि यह साबित नहीं किया जासका कि उसके पुत्रका गूंगापन असाध्य है अर्थात् किसी भी दवासे आराम होनेके योग्य नहीं है।

दफा १०० बम्बईमें अयोग्य पुरुषकी स्त्री

बम्बई स्कूलमें अयोग्य हिन्दू पुरुषकी स्त्री या विधवा अपने पतिके द्वारा या दूसरी तरह वारिस हो सकती है मगर शर्त यही है कि वह खुद अयोग्य न हो, देखो—गंगू बनाम चन्द्रभागाबाई 32 Bom 275, 10 Bom L R 149, अयोग्य पुरुषकी विधवा अपने पति या अपने पुत्रकी भी वारिस हो सकती है, देखो—मेकनाटन हिन्दूलॉ 2 ed. P 130.

दफा १०१ हत्यारा वारिस

कोई आदमी उस आदमीकी जायदादका वारिस नहीं हो सकता जिसकी हत्यामें वह शरीक रहाहो, देखो--31 Mad 100, 27 Mad 591, 32 Bom 275, 12 Bom. L. R. 149

वेदाम्मल बनाम वेदानायगा मुदालियर (1907) 31 Mad 100 में यह बातथी कि पुत्रकी वारिस माता हुई थी। जिसपर क़तलका अभियोग लगाया गया था। मगर वह अदालत फौजदारीसे बरी होगयी। मगर दीवानी के मामलोंमें विशेषकर उत्तराधिकारमें यह नहीं कहा जा सकता कि अदालत फौजदारीसे उसका अपराध प्रमाणित नहीं हुआ, इसलिये वह वारिस होनेके योग्य है।

बापका दुश्मन—मद्रास हाईकोर्टने माना है कि बापसे दुश्मनी रखने वाला पुत्र उत्तराधिकारसे वंचित कर दियाजावेगा, देखो 27 Mad. 591, 14 M L J 297, इलाहाबाद हाईकोर्टकी यह राय है कि जो पुत्र अपने पिता के प्रति दुश्मनीके काम अमलमें लाया हो या अपने पितासे ऐसी दुश्मनी रखता हो जिससे पिताके प्राणोंका भय हो तो यह बातें पुत्रको, बाप का वारिस होनेसे वंचित करनेका आधार होसकती हैं, देखो—3 N. W. P. 267; 7 Ben. Sel R. 62, Ben S D A (1848) P 320

दफा १०२ धर्म या जातिसे च्युत

जातिच्युत होने या धर्म त्याग देनेसे कोई पुरुष या स्त्री वरासत से च्युत नहीं की जासकती, देखो—23 Mad 171, एक्ट नम्बर 21 of 1850; 2 N. W. P 446, 1 Agra 90, 1 Bom 559, 3 W R. C R. 206, 1 Indian Jur. N S 236; 38 I A 87, 33 All. 356, 15 C. W. N. 545, 13 Bom. L. R 427, 29 All 487.

इसका मतलब यह है कि जब कोई जातिच्युत वारिस उत्तराधिकार से वंचित किया जाता है तो वह जातिच्युत होनेके कारण नहीं बल्कि क़ानून से माने हुये दूसरे दोषके कारण जो उसके जातिच्युत होनेके साथ लगा है, जैसे विधवा व्यभिचारके कारण जातिच्युत हुई हो और वरासतसे वंचित रखी गयी हो, तो यहां उसका वरासतसे वंचित रखाजाना उसके जातिच्युत होनेके कारण नहीं है बल्कि उसके व्यभिचारके दोषके कारण है।

धर्मच्युत होनेके बारेमें मिस्टर मेन अपनी हिन्दूलॉ पेज 804 की दफा 593 में एक मुकद्दमेका हवाला देते हैं जिसके वाक़ियात यह थे—रतनसिंह और उसका पुत्र दौलतसिंह दोनों मुश्तरका खानदानमें रहते थे। रतनसिंह मुसलमान होगया। पीछे वे दोनों मरगये। दौलतसिंह एक विधवा और कुछ

लड़कियां छोड़गया, और रतनसिंह एक विधवा और लड़की का लड़का खैराती छोड़गया। दोनों विधवाओंके मरनेके बाद खैराती और दौलतसिंहकी लड़कियोंके परस्पर जायदादके लिये तकरार हुई। अन्तमें इनका सुलहनामा होगया जिसके अनुसार लड़कियोंने कुल जायदाद का आधे से ज्यादा हिस्सा पाया।

दफा १०३ संसार त्याग

जिस आदमीकी बावत साफ तौरसे यह साबित कर दिया जाय कि उसने सब सासारिक कामोंको त्यागदिया है, अर्थात् साधू, संन्यासी, या ब्रह्मचारी हो गयाहै, तो वह वरासतसे वंचित रखा जाता है, देखो—तिलकचन्द्र बनाम श्यामाचरण प्रकाश 1 W R C R 209, ऐसा आदमी यदि फिर सासारिक कामोंमे शरीक होजाय तो वह फिर वरासत पानेका अधिकारी होजायगा, मगर शर्त यहहै कि—उसकी जायदादपर उसके बाद वाले वारिसका क़ब्जा न होगया हो। यदि होगया होगा तो फिर वह उससे जायदाद नहीं छीन सकता।

रामकृष्ण हिन्दूलॉ Part 2 P 214 में कहा है कि वह आदमी जिसने कि संसारके सब कामोंको छोड़दिया हो, और सन्यासी या नित्य—ब्रह्मचारी होगया हो, उसे उत्तराधिकारका हक़ नहीं मिलता। जिसने संसार बिरकुल नहीं छोड़दिया है और जो फक़ीर या साधुसन्त होगया है इनमे भेद सिर्फ यही है कि जिसने ससारको बिल्कुल नहीं त्यागा है, चित्तमें विराग आनेसे घरमें या दूसरी जगहपर कोई झोपड़ी या मठी बनाकर भजन करता है और अपने जरूरी कामोंको कभी कभी करता रहता है वह उत्तराधिकारके हक़से वंचित नहीं रखा जासकता। यदि कोई हिन्दू फक़ीर या साधुसन्त भी होगया, किन्तु उसने संसारको बिल्कुल नहीं त्यागा बल्कि पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र भी पैदा हो गये हैं तो यह बात मानी जायगी कि वह क़ानूनी फक़ीर या साधुसन्त नहीं हुआ और इसलिये एक मुक़द्दमेमें ऐसी ही सूरत होनेसे अपने भतीजे की जायदादका वारिस हुआ—93 P R 1898, पूरे फक़ीर या साधूसन्तको अपनी पैतृकसम्पत्तिमे कुछ अधिकार नहीं है 1 P R 1868.

साधारणतः यह बात मानली जायगी कि जब बहुत दिन फक़ीर या साधूसन्त हुए व्यतीत होचुके हों, देशाटन करता हो, घरसे तथा जायदादसे सम्बन्ध न रखता हो, सांसारिक कामोंको न करता हो, तो ऐसा आदमी क़ानूनी फक़ीर या साधूसन्त है।

11 Indian Cases, 373, 106 P R 1911 के मामलेमें जगरावका एक अगरवाल बनिया जो 'सुथरा फकीर' हो गया था, मानागया कि उसने

संसारको बिल्कुल छोड़ दिया और अपनी मौरूसी जायदादके हक त्यागदिये। इस नज़ीरमें यह भी कहा गया है कि जो पक्षकार यह बयान करे कि उसने संसार नहीं छोड़ा तो साबित करनेका बोझ उसी पक्षकारकी गरदनपर है।

लेकिन एक बैरागी साधू जिसने संसारको न छोड़ा हो कुटुम्बमें जायदादका हक़ पानेसे वंचित नहीं होसकता यदि कोई रवाज इसके विरुद्ध साबित न हो, देखो-24 P R 1880, ऐसे मामलेमें उचित विचार्य विषय (तनकीह) यह है कि 'क्या अमुक आदमी फकीर या साधू होजाने पर संसारके छोड़ देनेका इरादा करता था'? और 'क्या उसने संसार छोड़ दिया?' इसके साबित करनेका बोझ जो बयान करे कि 'मैंने संसारको नहीं छोड़ा' उसी पर होगा-7 P R 1892

कोई हिन्दू बैरागी होजानेपर भी जायदादपर अगर अपना क़ब्ज़ाबनाये रखना चाहे या अपने हक़की जायदादमें अपना स्वत्व स्वीकार करता रहे तो उसके उत्तराधिकारके स्वत्व नहीं नष्ट होंगे। देखो—10 W. R. 172; 1 B. L R. A. C. 114, 1 W. R. 209, 15 W R. 197; 1878 Select case. Part 8 No. 39; 1879 Select case P. 8 No. 40; और देखो इस किताबकी दफा ६४२।

दफा १०४ बारसुबूत

जो पक्षकार वारिसको अयोग्य बयान करता हो उसीपर बार सुबूत रहेगा, देखो-रामविजय बहादुरसिंह बनाम जगतपालसिंह 17 I A. 173; 18 Cal. 111; जब किसी पक्षकारकी तरफसे यह कहा जाता हो कि अमुक पुरुष, किसी असाध्य रोग, या अपनी दूसरी अयोग्यताके कारण जायदादका वारिस होनेसे वंचित रखाजाय तो उस पक्षकारको बहुत मज़बूत सुबूत इस बातका देना होगा कि जिस समय उसे जायदाद मिलनेका हक़ पैदा हुआ है वह वैसी बीमारी या अयोग्यता रखता था देखो—9 O.C 352; 18 W. R. 375, 22 W R 348, 21 W R. 249, 2 W. R. 125, विधवाके विषयमें देखो-1 B H. C. 66.

दफा १०५ वारिस अपना हक़ छोड़ सकताहै

जब किसी वारिसको जायदाद पानेका हक पैदा होजाय या पैदा होने वाला हो दोनों सूरतों में वह अपना हक़ छोड़ सकता है। देखो-गोसांई टीकमजी बनाम पुरुषोत्तमलालजी 3 Agra 238.

हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधक)

ऐक्ट नं० २ सन् १९२९ ई०

भारतीय व्यवस्थापिका सभामें पास होकर ता० २१ फरवरी सन् १९२९ ई० को श्रीमान् गवर्नर जनरल महोदय द्वारा स्वीकृत।

यह क़ानून उस हिन्दू पुरुषकी जायदादके वारिसोंकी लाइनमें परिवर्तन करनेके लिये बनाया जाताहै जो विना वसीयत (मृत्यु-पत्र) किये मर जाय।

चूंकि यह अति आवश्यक प्रतीत होताहै कि जब कोई हिन्दू पुरुष विला वसीयत कियेहुये मरजाय तो उसके पश्चात् उसके वारिस जिस तारीख से उसकी जायदाद के पानेके अधिकारी होते हैं उनकी लाइनमे परिवर्तन किया जाय इसलिये नीचे लिखा हुआ क़ानून बनाया जाता है।

—दफा १ नाम विस्तार और प्रयोग

(१) यह क़ानून "हिन्दू उत्तराधिकार" (संशोधक) ऐक्ट नम्बर २ सन् १९२९ ई० (Hindu Law of Inheritance (Amendmend) Act II of 1929) कहलायेगा।

(२) यह क़ानून सारे ब्रिटिश भारतमें जिसमें ब्रिटिश बिलोचिस्तान और संथाल परगने भी शामिलहैं लागू होगा किन्तु यह क़ानून उन्हीं लोगों के सम्बन्धमें लागू होगा जिनके लिये इस क़ानून के पास होने से पहले उन बातोंके लिये मिताक्षरालॉ लागू रहा होगा तथा उन लोगोंमें भी पुरुषोंकी उसी जायदादके सम्बन्धमें लागू होगा जो शामिल शरीक परिवार (मुश्तरका खानदान) की न हो और जो वसीयत द्वारा अलग न कर दी गई हो।

—दफा २ कुछ वारिसोंके उत्तराधिकारका क्रम

लड़के की लड़की, लड़की की लड़की, बहन तथा बहन का लड़का, क्रमानुसार दादा (Father's father) (बाप का बाप) के पीछे तथा चाचा

(Father's brother) (बाप का भाई) से पहले मृत पुरुष की सम्पत्ति पानेके उत्तराधिकारी होंगे।

परन्तु शर्त यह है कि बहन के लड़के से मतलब उस लड़केका नहीं है जो उसकी (बहन की) मृत्यु के पश्चात् गोद लिया गया हो।

—दफा ३ इस क़ानूनकी किसी बातका प्रभाव नीचे लिखी हुई बातोंपर नहीं पड़ेगा

(ए) किसी ख़ानदान या किसी स्थान के विशेष रवाजपर जो क़ानून के तौर पर माना जाता हो या

(बी) लड़केकी लड़की, या लड़की की लड़की या बहनका हक किसी जायदादमें उससे अधिक या उससे भिन्न नहीं पहुंच सकेगा जो किसी स्त्रीका मिताक्षरा स्कूलके अनुसार किसी पुरुष की जायदादमें पहुंचता रहा है।

(सी) यदि किसी रीति रवाज या दूसरे नियम के अनुसार किसी हिन्दू पुरुष की जायदादका उत्तराधिकारी केवल एकही वारिस हो सकता हो तो इस ऐक्ट के अनुसार ऐसे मृत हिन्दू पुरुषका वारिस एक से अधिक न हो सकेगा।

व्याख्या—

इस कानूनके बनने का कारण—हिंदू धर्म शास्त्रकारोंने ५७ दर्जे तक सपिण्ड माने हैं सपिण्ड का मोटा अर्थ यह है "नजदीकी सम्बन्ध" हिन्दुओं में जायदाद का क्रम प्राय इसी आधार पर चलाहै ५७ दर्जे में सपिंड सबों ने माना है पर बीचमें उनके शुमार करनेमें मतभेद हैं।

इस कानून के पास होने से पहले उन वारिसोंको जायदाद नहीं मिलती थी खास कर बनारस स्कूल में जो इस कानून में बताये गयेहैं। प्राचीन आर्य ग्रन्थोंमे उत्तराधिकार इन वारिसोंको कुछभी नहीं दिया गया चाहे जायदाद दूर से दूर किसी ऐसे वारिसको चली जाय जो कई गोत्र बीचमें आने पर शुमार किया जाताहो अथवा उनके भी न होने पर जायदाद किसी शिष्य या स्थानीय किसी ब्रह्मचारीको दे दी जाय मगर उन वारिसोंको न दी जाय जो इस कानूनमें बताये गये है। क्योंकि वे वारिस पुराने ज़मानेमें नहीं माने गये। और उनका नाम तक उत्तराधिकार में नहीं लिया गया। बल्कि यह बात साफ तौर से मिलतीहै कि जिस वाक्य के आधार पर यह उत्तराधिकार निर्माण किया गयाहै उस वाक्य के अर्थ से यह परिणाम निकाला गयाहै। क्योंकि उसी वाक्य के अर्थ से बम्बई और मदरास स्कूलों में बगाल मिथिला और बनारस स्कूल की अपेक्षा कुछ अधिक वारिसों का हक उत्तराधिकार मिलने में मजूर किया गयाहै। वे ऐसे वारिसोंके अन्दर कुछ औरतें तथा गोत्रज सपिंडोंकी विधवायें भी शामिल करतेहैं।

बङ्गाल, मिथिला और बनारस स्कूलमें सिर्फ पाच स्त्रिया सीमाबद्ध अधिकार सहित उत्तराधिकार पाती है जैसे, विधवा, लड़की, मा, दादी और परदादी। बम्बई स्कूलमे इनके अलावा १ लड़केकी लड़की

और एक विशेष वचनके अनुसार तथा एक दशामें १ लड़केकी विधवा, २ पोतकी विधवा, ३ परपोतेकी विधवा, ४ मृत पुरुषकी सौतेलीमा, ५ भाईकी विधवा और ६ भाईके लड़केकी विधवाभी अपने पतियों की शाखा वाले मर्द गोत्रज सपिण्डों के न होने पर उत्तराधिकार पातीहैं। मदरास स्कूल में १ बहन, २ सोतेली बहन, ३ लड़केकी लड़की, ४ लड़कीकी लड़की, ५ भाईकी लड़की बन्धु मानी गईहैं। और बहन के पीछे इनको उत्तराधिकार मिलनेके प्रश्न पर विचार किया गयाहै। इस कहने से हमारा मत-मतलब यह है कि जिस एक वाक्यके अर्थ करनेका मतभेद आचार्योंमें था उसीसे उत्तराधिकारमें मतभेद पड़ गया अब आप वह वाक्य देखो—मनु ९-१८७ में कहतेहैं कि —

अनन्तरः सपिण्डाद्यास्तस्यतस्यधनं भवेत्।
अत ऊर्द्ध्वं सकुल्यः स्यादाचार्यः शिष्यएवच॥

इस वाक्य में "सपिण्ड" शब्दके अर्थ म मतभेद हुआहै। कुल्लूक भट्ट ने यह अर्थ किया— "यः सपिण्ड पुमान् स्त्री वा तस्यमृतधनभवति" उन्होंने सपिण्ड शब्दका अर्थ किया कि पुरुषहो या स्त्री हो दोनों सपिण्डहैं दोनों को मृतकी जायदाद मिलेगी। यह अर्थ बम्बई मदरास स्कूल में मानकर स्त्रियों का हक जायदाद पाने का माना गया परन्तु बगाल मिथिला बनारस स्कूल में इसका अर्थ दूसरा किया गया जिसमें पाच से अधिक स्त्रिया नहीं शामिल की गयीं वहभी दूसरे तरीके से।

इधर बहुत रोज से वह विचार पैदाहो गया था कि जब कोई हिन्दू लड़केकी लड़की या लड़कीकी लड़की या बहन अथवा बहनका लड़का छोड़ कर मरे तो दूर के वारिस जायदाद ले जातेहैं तथा यह नजदीकी सपिण्डों को कुछ नहीं मिलता। ऐसा मानो कि मृत पुरुष अपनी बहन छोड़कर मरा तो उसको जायदाद न मिलेगी और दूर से दूर के वारिस ले जावेंगे फिर वसे कभी कभी खाने पीनेकी तकलीफ बरदास्त करना होगी। एक मा बापसे जन्मी और मा बाप के बराबर शरीरके अश बहनोंम होते हुये वह वारिस करार न पावे उसे भूखों मरना पड़े और गैर आदमी सब धन ले जावें। इत्यादि बातों पर विचार किया गया और बम्बई मदरास का कायदाभी देखा गया इन बातों से यह सर्वमान्य सिद्धान्त मिताक्षरा स्कूल के अन्दर कानून के रूपों में पास कर दिया गया जिसमें इनको जायदाद दूरके वारिसोंसे पहले मिल जाय। मेरी राय में इस कानून का पास होना अत्यावश्यक था।

विस्तार—इस कानूनकी दफा १ (२) में कहा गयाहै कि यह कानून वहा पर लागू होगा जहां मिताक्षरा लॉ का प्रभुत्वहै। यह ध्यान में रखियेगा कि सिर्फ दायभाग, बगालमें माना जाता है और भारतकी सब जगहों मे मिताक्षरा लॉ का प्रभुत्वह। इस लिये यह कानून बगालको छोड़कर बाकी सब भारत में माना जायगा। ब्रिटिश बिलोचिस्तान और सथाल परगने भी इस कानून में शामिलहैं। अर्थात् बनारस, मिथिला, महाराष्ट्र, गुजरात, द्रविड़, और आन्ध्र प्रदेशों में अब यह कानून माना जायगा। देखो इस किताब का पेज २७

ता० २१ फरवरी सन् १९२९ ई० को श्रीमान् गवर्नर जनरल ने इस कानूनकी मजूरी प्रदान की है, और इस कानून में यह नहीं बताया गयाहै कि यह कानून कब से अमल में आवेगा इस लिये यह क़ानून उसी तारीख से अमल में आवेगा जिस तारीख को गवर्नर जनरल महोदय ने इसकी मजूरीदी। जनरल क्लाजेज ऐक्ट का साराशहै कि जब किसी कानून में उसके लागू किये जाने की तारीख न बताई गई हो तो वह उस तारीखसे लागू माना जायगा जिस तारीखको गवर्नर जनरलने मजूरी दीहो।

वारिस और हक—अभी तक उत्तराधिकार दादा (बाप का बाप) के बाद अर्थात् दादा के न होने पर बाप के भाई को मिलता था मगर अब दादा तक बराबर उसी प्रकार चला जायगा यानी मृत

पुरुषकी जायदाद पहले उसके लड़के, पोते, परपोते, पावेंगे पीछे विधवा, लड़की, लड़की का लड़का पावेगा पीछे उसकी (मृत पुरुष की) मा, बाप, भाई, भाई का बेटा, भाई का पोता पावेगा उसके बाद दादी और दादी के न होने पर दादाको जायदाद मिलेगी, अब इस नये कानून के प्रभाव से दादा के न होनेपर लड़केकी लड़की, लड़कीकी लड़की, बहन, और बहनका लड़का क्रमसे जायदाद पावेगा इनका क्रम ऐसाहै कि जब पहला न हो तो दूसरे को क्रम से मिले। अर्थात् लड़के की लड़की न होने पर लड़कीकी लड़की को मिलेगी इसीतरह एकके न होनेपर आगे के दूसरे वारिस को जायदाद मिलेगी। जब इतने वारिस न होंगे तब बाप के भाई (चाचा) को जायदाद मिलेगी और फिर वरासत का क्रम वही रहेगा जो हिन्दूलॉ में पहले बताया गयाहै।

इस कानून में ३ स्त्रियों को और १ पुरुषको अधिक वारिस माना गयाहै। इन सबके अधिकारों के बारे में कानून में साफ कर दिया गया है कि जिस स्कूल के अन्तर्गत जिस प्रकार स्त्रियों को जायदाद में हक प्राप्त रहतेहैं उतने ही रहेंगे और पुरुषों को जो प्राप्त होतेहैं उनको वैसे ही रहेंगे जहां पर 'प्राइमोजेनीचर' का कानून माना जाताहै अर्थात वरासत का वह नियम जिसके अनुसार जेष्ठ पुत्रही अपने पिताकी जायदादका मालिक होताहै दूसरे पुत्र वारिस नहीं होते वहां पर वही कानून माना जायगा इस नये कानून से उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा।

बहन का दत्तक पुत्र—इस कानून में एक नियम विशेष ध्यान में रखने योग्यहै कि जब बहन वारिस हो और उसके मरने के बाद जायदाद फिर उसके भाई के पूर्वजोंकी लाइन में जाने वालीहो जब कि बहन के कोई लड़का न हो। ऐसी दशा में यह नियम किया गयाहै कि बहन का गोद लिया हुआ लड़का उत्तराधिकारी हो सकेगा अगर बहनके मरनेके बाद बहनके पतिने गोद लिया हो तो वह वारिस न होगा। गोद लेने का व्यापक सिद्धान्त यहहै कि लड़का पुरुष के लिये गोद लिया जाताहै ताकि उसके वंशकी वृद्धिहो उसकी धर्म शास्त्रीय क्रियायें होती रहें और उसका नाम चलता रहे। पहला अधिकार पुरुष का है जो गोद ले सकताहै मगर इस कानून के मतलब के लिये गोद का पुत्र वही समझा जायगा जो बहनके जीवनमें लिया गयाहो। गोद, बहनके पतिके लिये लिया जायगा बहनका पति लेगा, मगर शर्त फिर इतनीहीहै कि बहन जीवित हो। बहनके मरनेके बाद गोदके लड़केको वह वरासत न मिलेगी।

यह नियम क्यों किया गया?—इसके कई जवाबहो सकतेहैं। पहला जवाब यहहै कि भाई और बहिन में माता पिता के शरीरके अन्श समान रहतेहैं। सपिण्ड के वास्तविक सिद्धान्त के अनुसार बहन-भाई के शरीर एकही स्थान से जन्मे होतेहैं इस लिये भाई का जितना हक होताहै उतनाही बहन का। हक कानूनी नहीं बल्कि प्राकृतिक। स्त्री और पुरुष का केवल शरीर भेद होताहै। इसलिये भाई के मरने के बाद जब जायदाद बहन के पास जातीहै तो उसके सपिण्ड के ख्याल से जातीहै जब तक बहन जीवितहै वह सपिण्ड बना रहताहै उसके मरने पर उसके सन्तान में क्रमागत न्यून होता जाताहै मगर जब बहनकी सन्तानही न हो तो उसका समाप्ति उसी जगह हो जातीहै। इसीसे बहनकी जिन्दगी में गोद लेने की बात विशेष रूप से कहदी गयीहै। क्योंकि गोद लेने से, असली लड़के का भाव उसमें भी आ जाताहै इसी से मान लिया जाताहै कि वह उसका लड़काहै। बहन के मर जाने पर उसके पुत्रत्व के भावकी लाइन नाशहो जातीहै इसी से बहन के जीवनकाल में गोदके पुत्रको इस कानूनने हक दियाहै। मेरी राय में यह बात आगे समय पाकर फिर सशोधित होगी और यह नियम शिथिल कर दिया जायगा किन्तु तब तक यही माना जायगा।

दि हिन्दू इनहेरिटेंस (रिमूवल आफ डिसएबिलिटी)

ऐक्ट नं० १२ सन् १९२८ ई०

अर्थात्

हिन्दू उत्तराधिकार (अयोग्यता निवारक)

ऐक्ट नं० १२ सन् १९२८ ई०

गवर्नर जनरल महोदयने २० सितम्बर सन् १९२८ ई० को
भारतीय व्यवस्थापिका सभा द्वारा बनाये और नीचे
दिये एक्ट को अपनी स्वीकृति प्रदान की।

कुछ प्रकार के उत्तराधिकारियों को उत्तराधिकार से वंचित रखने के हेतु हिन्दूलॉ को संशोधित करनेके लिये तथा कुछ सन्देहोंको निवारण करने के हेतु यह एक्ट बनाया जाता है।

चूंकि यह अत्यावश्यक प्रतीत होता है कि कुछ प्रकारके उत्तराधिकारियोंको उत्तराधिकारसे वंचित रखनेके हेतु हिन्दूलॉमें कुछ संशोधन किया जावे तथा कुछ सन्देहोंका निवारण किया जावे अतः नीचे दिया हुआ कानून बनाया जाता है:—

—दफा १ नाम, विस्तार तथा प्रयोग

(१) यह एक्ट हिन्दू उत्तराधिकार (अयोग्यता निवारक) एक्ट सन् १९२८ ई० (The Hindu Inheritance (Removel of Disabilities) Act 1928) कहलायेगा।

(२) यह एक्ट समस्त ब्रिटिश भारतमें जिसमें ब्रिटिश बिलोचिस्तान तथा सन्थाल परगना भी शामिल हैं लागू होगा।

(३) यह एक्ट उन लोगों पर लागू नहीं होगा जिनके लिये हिन्दूलॉ के अनुसार दायभाग क़ानून का प्रयोग होता है।

—दफा २ वह व्यक्ति जो अविभक्त हिन्दू परिवारकी सम्पत्ति के उत्तराधिकार तथा उसके अधिकारोंसे वंचित नहीं रखे जावेंगे

चाहे हिन्दूलॉ या चलन (Custum) इसके विरुद्ध ही क्यों न पड़ता हो, जन्मके पागल (Lunatic) व दीवाने (Idiot) को छोड़कर कोई भी व्यक्ति जिसके लिये हिन्दूलॉ लागू है किसी उत्तराधिकार (Inheitance) से या अविभक्त परिवारकी सम्पत्तिके अधिकार या विभाग से केवल इस ही कारण वंचित नहीं रहेगा कि वह किसी रोगसे पीड़ितहै या कुरूप है अथवा उसमें कोई शारीरिक या मानसिक अयोग्यता है।

—दफा ३ निषेध तथा बचत

यदि इस एक्टके प्रारम्भ होनेसे पहिले कोई अधिकार पैदा होगया हो अथवा कोई योग्यता प्राप्त हो चुकीहो तो उस पर इस एक्ट की किसी बातका प्रभाव न पड़ेगा या यदि इस एक्टके पास होनेसे पहिले किसी व्यक्ति को कोई धार्मिक अधिकार अथवा किसी धार्मिक या परोपकारी ट्रस्ट (Trust) का कार्य या प्रबन्ध न प्राप्त हो सकता हो तो इस एक्टके अनुसार भी उस व्यक्तिको कोई ऐसा अधिकार प्राप्त न होवेगा।

नोट—यह कानून पास हुआ ता० २० सितम्बर सन् १९२८ ई० को। इस तारीखसे पहले यदि किसी व्यक्ति को वरासतका हक मिलाहो या पैदा होगयाहो तो उसका विचार इस कानूनसे नहीं किया जायगा चाहे उसका वह मुकद्दमा अबभी चल रहाहो। जो समय इस कानूनके अन्दरहो। क्योंकि इस कानून की दफा ३ के प्रारम्भिक शब्दों से यह ऊपरकी बात स्पष्ट होतीहै। इस कानून के पास होने से पहले जो मुकद्दमे चल गयेहैं और इस समयभी चल रहेहैं उनके सम्बन्ध में हिन्दूलॉ में दिये हुये विषय से और इस समय तकके नजीरोंसे फैसला किये जायेंगे।

॥ इति ॥